राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 46 वां दिवस [संख्या 31

सोमवार,

दिनांक 2 अप्रेल, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सहकारिता, राजस्व, सिंचाई, वन, विधि, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, पंचायत, विद्युत्, आयुर्वेद एवं सामुदायिक विकास विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री मुन्शीलाल महावर !

कानोता प्रोजेक्ट का सर्वे

899. श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कानोता प्रोजेक्ट का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो सर्वे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सदन में गत वर्ष इस सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 की राज्य योजना के अन्तर्गत कानोता प्रोजेक्ट को तैयार करवाने का प्रावधान रखे जाने का आश्वासन दिया गया था ?

(3) क्या इस वर्ष 1973-74 के बजट में कानोता प्रोजेक्ट को तैयार कराये जाने का प्रावधान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, तखमीने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण वर्ष 1973-74 में किसी भी नई योजना को लेना सम्भव नहीं है।

श्री मुन्शीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की यह एक ही स्कीम है और इसको भी आप हटा रहे हैं, यह तो अच्छी बात नहीं है। जब आप जिला वाइज इर्रीगेशन्स स्कीम्स पर खर्चा करने जा रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण स्कीम है इसको तो करवाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लिये जाने का प्रावधान है और उसमें लेंगे।

Page No 2

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : इस स्कीम से 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। तो इसको आप, अभी क्यों नही ले लेते ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1973 एकड़ की सिंचाई का प्रावधान है। अभी जो काम हाथ में ले रखे हैं पहले उनको पूरा करेंगे। एक काम हाथ में ही हो और दूसरा ले लेते हैं तो न तो पहला ही पूरा होता है और न दूसरा ही पूरा होता है। तो जो काम अभी हाथ में ले रखे हैं उनको पूरा करके, पंचवर्षीय योजना काल में उसको ले लेंगे।

श्री शंकरसिंह : आपके जो हाथ में है वह आप कब तक पूरे कर देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी तो चौथी पंचवर्षीय योजना का एक साल रहता है, उसमें खत्म नहीं हो सके तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में पूरा कर देंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : पहले बस्सी और जमवा रामगढ़ तहसीलों में रामगढ़ के बन्धे का पानी जाता था। उसको आपने जयपुर के लिये पेयजल में काम में लिया। उसके बावजूद भी आप इस स्कीम को पोस्टपोन करें तो यह क्या शोभनीय बात है ? आप फर्मा चुके हैं कि जयपुर जिले में ऐसी कोई नदी नहीं है जिस पर बांध बना सकें। तो यह एक सिंचाई का साधन आपके सामने है, एक आपके सामने योजना है उसको आप धनाभाव के कारण मन्जूर न करें यह कहां तक उचित हैं ? यह क्या आपकी भेदभाव की नीति नहीं है और जयपुर जिले का शोषण नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : भेदभाव का सवाल नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ले लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 900

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

वन मंत्री (हरिदेव जोशी) : यह कृषि विभाग से सम्बन्धित है।

एक माननीय सदस्य : वह तो आई ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

901. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) व **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में जयपुर, सीकर, टोंक, झुन्झुनूं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, अलवर, झालावाड़ तथा अजमेर जिलों की विचाराधीन अपीलों, निगरानियों, फौजदारी अपीलों, रेफरेन्सेज और रिट पिटिशन्स की कुल संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा के आधे से अधिक (117) सदस्यों ने राज्य के मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन भेंट कर यह मांग की है कि जयपुर में हाई

Page No 3

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कोर्ट की बेंच स्थापित की जाये ? यदि हां, तो इस ज्ञापन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

विधि मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी : (1) 4976 हैं।

(2) ज्ञापन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप यह फरमायें कि 4976 का कम्पेरिटिव टेबल क्या है ? इस हिस्से के कितने हैं और उस हिस्से के कितने ताकि लोगों को मुकाबला करने का मौका मिल सकें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं पूरा बता दूं :

अजमेर	946
जयपुर	2010
सीकर	184
भरतपुर	460
सवाई माधोपुर	176
टोंक	92
अलवर	332
कोटा	475
भालावाड़	139
झुन्झुनू	107
	4976

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने जो पूछा था उसमें कुछ काटपीट की गई है। मैं यह जानना चाहता था और सदन को भी अवगत कराना चाहता था कि इन 11 जिलों के अलावा जो दूसरे जिले हैं उनके केसेज़ की स्ट्रेंग्थ क्या है और इन जिलों के केसे की स्ट्रेंग्थ क्या है ?

एक माननीय सदस्य : टोटल केसेज़ कितने हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : टोटल केसेज़ 9404 हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली): यह जो ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है मुख्य मंत्री के पास, उसमें हस्ताक्षर करने वाले 117 माननीय सदस्य किस किस जिले के हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह तो प्रश्न ही है। 117 सदस्यों ने मांग की है, उन सदस्यों के नाम, जिला बता दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह ज्ञापन तो आपने मुख्य मंत्री जी को दिया है, मुझे तो दिया नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : यह तो पहले ही पेश हो गया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने कहा है कि विचाराधीन है, इसको आपने स्वीकार किया है। इसका मतलब आपने देखा है। तो फिर अनदेखा कैसे कहते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने नहीं देखा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : ऐन्युअल इन्स्टीट्यूशन क्या है हाई कोर्ट का ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं प्रश्नकर्त्ता की हैसियत से दरयाफ्त करना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जिस आधार पर यह बेंच एबॉलिश की गई थी लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, वह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने रिजेक्ट कर दी और, नम्बर दो, क्या यह सही है कि उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद कई सूबों के अन्दर, जिसमें कि केरल जैसा छोटा सूबा भी शामिल है, बेंच कायम रखी गई, और तीसरा, क्या यह सही है कि आप जो कुछ भी फैसला दे रहे हैं उसका आधार रीजनल है और नेशनल इन्टीग्रेशन के काज को नुकसान पहुंचा रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने जो सवाल पूछा है उसमें यह सब नहीं आता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप तो विधि मंत्री है, आपको जानकारी होनी चाहिये लॉ कमीशन की रिपोर्ट मन्जूर हुई या नहीं। और आप यह डिनाई कर दीजिये कि आप इसको रीजनल क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह तो आप बना रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : राजस्थान गवर्नमेन्ट ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कैसे मन्जूर किया, और किस हद तक उसको लागू किया ? सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जब रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया तो उसको मन्जूर करने का आपको क्या अधिकार था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे हिन्दुस्तान ने रिजेक्ट किया। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने रिजेक्ट कर दिया और राजस्थान ने उसको मन्जूर कर दिया। ऐसी क्या खूब सूरत रिपोर्ट थी और क्या उस रिपोर्ट का जलाल था कि सारे हिन्दुस्तान से अलग होकर आपने उसको मन्जूर किया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : रिपोर्ट के कुछ भाग को राजस्थान गवर्नमेन्ट ने मन्जूर किया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कब मन्जूर किया ? डेट बता दीजिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : इस प्रश्न के सन्दर्भ में जितनी कठिनाई सामने आई है, उसको देखते हुए पांच डिवीजन्स में, दो दो जगह बेंच बिठा दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैने तीन सवाल किये थे, उनका जवाब नहीं आया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 184 के सदन में 117 की गिनती है, वह बहुमत है या नहीं ? यह भी बता दें कि यह सरकार इस बहुमत को अपनी तानाशाही से कुचलना चाह रही है या नहीं और इस प्रकार जनता को आन्दोलित कर रही है या नहीं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : That is not the question.

श्री अध्यक्ष : I am not allowing this question.

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह जो सुझाव दिया है कि हर प्रान्त में दो दो जगह रखें.......

प्रश्न संख्या 902

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया : इसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसका क्या जवाब देंगे ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : एक प्रश्न मेरा है·······

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री केदारनाथ : पार्ट 2 में यह कहा है कि विचाराधीन है·······

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मेटर को रिओपन कर दिया है, उस रोज तो क्लोज किया था। इसके लिए धन्यवाद !

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं एक मिनिट में बात कह दूं। मेरा सारा स्टेटमेंट पढ़ें, जो उस दिन दिया था, उसमें न तो यह कहा कि यह क्लोज्ड चैप्टर है और न यह कहा था कि जयपुर नगर में बैंच नहीं हो। लेकिन आप सब वकील होकर, पढ़े-लिखे आदमी होने पर भी तमाम स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं हैं·······

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पढ़ते नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : और बाहर जाकर प्रचार करते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : बेंच की घोषणा करें।

श्री शंकरलाल (पाली) : क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसे स्टेटमेंट को क्या पढ़े जो न नर है और न मादा है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ : पार्ट 2 में कहा है, 117 एम. एल. एज. ने जो मेमोरेन्डम दिया है, वह विचाराधीन है। तो क्या हाउस इससे यह समझे कि यह लिविंग इश्यू है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पोलिटिक्स में कोई भी इश्यू लिविंग इश्यू बन सकता है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या यह सही है कि यह मामला गृह मन्त्री जी के पास पहुंच गया है और राज्य सरकार का कोई जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं रहा है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है, आपका और हमारा है नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी !

फीडर का अधूरा कार्य

903. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की पंचायत समिति, जवाजा के रजियावास गांव में सुरह घाटा नामक

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)
फीडर अधूरी पड़ी है जब कि इस पर पूर्व के अकाल राहत कार्य में हजारों रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि इनके समानान्तर नयागांव, सारोठ नामक फीडर जिस पर गत अकाल में काम हो चुका था का कार्य इस वर्ष शुरू कर दिया गया है तो फिर रजियावास की सारोठ फीडर का कार्य क्यों नहीं शुरु करवाया गया ? क्या राज्य सरकार जनहित में इसे भी शुरू करवायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि शेरों का वाला फीडर जो कि शेरों का वाला बांध से लेकर राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 तक जगह जगह टूट चुकी है व धंस चुकी है तथा इसमें बरसात में पानी अवरुद्ध हो जायगा ? यदि हां, तो क्या इसकी मरम्मत व सफाई करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ करवाया जायगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां, परन्तु सूरा घाटा फीडर का कार्य लागत देखते हुए उपयोगी न होने से पुनः प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां, कार्य आगामी बरसात से पहिले पूरा करा दिया जावेगा।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : आपने नम्बर 2 में बताया लेकिन दोनों की लागत बराबर है, दोनों पर बराबर रुपया खर्च हो चुका है। प्रश्न यह है कि जब लागत ज्यादा थी तो पहले शुरू क्यों किया गया ? पहले दो फेमीन में दो बार काम हो चुका है। अब बन्द कर दिया गया है, जब कि समानान्तर सारोठ वाला काम चल रहा है। दोनों की लागत बराबर है, और पिछले दोनों साल फेमिन में काम हो चुका है, तो अब बन्द क्यों कर दिया गया है और उसे चालू क्यों नहीं किया जा रहा है जब कि मांग है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बात यह है कि सूराघाट फीडर है, वह भीलवाड़ा के केचमेंट में है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : उदयपुर के अन्दर भी उसका केचमेंट है, मैं दावे के साथ कहता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें पानी बहुत कम है। बांध को साढ़े चार फीट ऊंचा और नहीं करते हैं तब तक फायदा नहीं पहुचने वाला है, पानी डाइवर्ट होकर नहीं जायगा। भीलवाड़ा के किसान ऐतराज करते हैं कि बांध को ऊंचा करके उन्हें पानी से महरूम न किया जाय। कई दिक्कते हैं इसमें, शुरू शुरू में जितना काम है वह कटाई का है, 50 फीट नीचे चट्टान काटनी पड़ेगी। अकाल राहत में यह कार्य लिया गया था। लेकिन अकाल राहत में इतना मेटिरियल कम्पोनेन्ट नहीं मिलता, इसलिए मजदूरी बहुत कम मिलती है। काम सारा कटाई का और दूसरा है, मजदूरों को पूरा काम नहीं दे सकते। इसलिए यह महंगा पड़ता है, जिससे फायदा नहीं है। आखिर में जाकर शायद तीन मिलियन क्यूसेक पानी मिलने वाला है, जिससे कुछ एकड़ सिंचाई हो सकती है। यह सारी बाते सोच कर

Page No 7

(सिंचाई मन्त्री)

इसे लेना सम्भव नहीं है। उसमें चट्टान काटते हैं तो चट्टान कट कट कर बूर देती हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : यह काम शुरू करने से पहले सर्वे नहीं कराया गया था और एस्टीमेट नहीं बनाया गया था ? अगर नहीं बनाया गया था तो उस कारण जो राज्य को नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री चिम्मनसिंह भाटी : सारोठ फीडर का काम चल रहा है, उसमें रॉक कटिंग का काम है। दोनों में रॉक कटिंग का काम है, दोनों में बराबर रुपया खर्च हो चुका है, दोनों का पानी भीलवाड़ा में इन्टरसेप्ट करता है। सारोठ का काम ले लिया गया है। पूरा घाट के लिए बता रहे है कि उसमें रॉक कटिंग का काम है, वह सारोठ में भी है। मैं निवेदन करूंगा, आप मेटिरियल कम्पोनेन्ट को छोड़ दें और रॉक कटिंग का काम शुरू करवा दीजिये। मेटिरियल कम्पोनेन्ट को कभी आगे किसी कार्य में देखा जायगा। इससे लोगों को मजदूरी मिलेगी। इसमें दोनों जिलों का प्रश्न है, उदयपुर का प्रश्न है और भीलवाड़ा जिले का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिस काम में कम खर्च लगा कर ज्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं उसको पहले ले रहे हैं। मैंने बताया कि 50 फीट नीचे रॉक कटिंग होगी, इसलिए इसे लेना सम्भव नहीं है। कभी आगे मौका मिलेगा तो इसको लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरे प्रश्न जवाब नहीं मिला।

गंगानगर-बीकानेर डिफेन्स रोड

904. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर से बीकानेर डिफेन्स रोड सूरतगढ़, तहसील के गांव ढाबां से लाखासर, लिखमीसर, धिराजवाला, सुन्दरसिंहवाला, 16 पी. बी एन. होती हुई पीलीबंगा तक की सड़क कब मंजूर हुई थी ?

(2) क्या उक्त सड़क के टेण्डर भी मांग लिये गये थे ? यदि हां, तो यह सड़क आज तक क्यों नहीं बनाई गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई।

(2) जी हां। प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य नहीं कराया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसमें काम हुआ है, अर्थ वर्क हुआ है, जो मौके पर मौजूद है।

श्री हरिदेव जोशी : बात यह है कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पी. डब्ल्यू. डी. का नहीं है इसलिए डिटेल्ड जानकारी नहीं है।

Page No 8

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्थान कैनाल क्षेत्र में नहीं है, भाखरा क्षेत्र में हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह नहीं सकता। मेरे पास जानकारी यह है। अलग से मैं जानकारी करा लूंगा। जो इन्फार्मेशन है वह इस तरह की है :

"There was a proposal of construction of road from Pili Banga to village Daba in a length of 14½ miles at a cost of Rs. 12 lakhs under Rajasthan Canal Project programme."

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अर्थ वर्क एक लाख रुपया का हो चुका है। अर्थ वर्क स्पॉट पर मौजूद है और उसके बाद क्लोज हुआ है। आप पता लगा कर कन्टीन्यू करायें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

चांदराना सिचाई योजना

905. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) दौसा क्षेत्र में चांदराना सिचाई योजना पर कितने कट्टे सीमेन्ट काम में आई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना पर सीमेन्ट में मिलावट करके काफी सीमेन्ट ब्लेक में बेची गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस बांध से भविष्य में होने वाले खतरे की जिम्मेदारी किन पर है ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सिचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) चांदराना सिचाई योजना पर 5751 सीमेन्ट के कट्टे काम में आये।

(2) जी नहीं।

(3) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द सामरिया : धन्यवाद

प्रश्न संख्या 906

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 907

श्री बीरदाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्नय संख्य 908

श्री भावरमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 909

श्रीमती जमुनासोलंकी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री रावतराम !

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

910. श्री रावतराम (छापर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल ऐरिया में अनुसूचित जाति के लोगों को जो भूमि एलॉट की जाती है उसकी निर्धारित कीमत किश्तों में जमा करवाई जाती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को काश्त के लिए किसी तरह की सहायता नहीं मिलने से वे एलॉटिड जमीन पर समय पर सुविधानुसार काश्त नहीं कर सकते हैं। और इस कारण जमीन की किश्त जमा कराने में असमर्थ रहते हैं?

(3) क्या यह सही है कि समय पर किश्त जमा नहीं कराने पर उनकी जमीन के एलॉटमेंट खारिज कर दिये जाते हैं यदि हां तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि अनुसूचित जातियों के लिए किश्तों में रियायत की जाय?

राजस्व मन्त्री : (श्री रामचन्द्र चौधरी) (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वर्तमान नियमों में जमीन की कीमत लम्बी किश्तों में देने की सुविधा पहले से है।

श्री रावतराम : कितनी किश्तों में देने का है? यह किश्त जो हैं, वह कितने सालों में जमा कराई जाती हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले दस किश्त थीं, अब 16 किश्त कर दी गई हैं। और यह भी प्रावधान कर दिया गया है पीछे, सन् 1972 में जब हम लोग मिले थे कि जिन लोगों की किश्त बकाया है उनकी किश्तें न देने के कारण जमीन खारिज न की जाय, बल्कि एक किश्त पहले की और एक किश्त अब की, दो किश्त दे देते हैं तो जमीन उनके पास रहने दी जाय और जमीन खारिज नहीं की जाय।

श्री रावतराम : मेरा निवेदन है कि इनको जो अलॉटमेंन्ट होता है, वह कीमतन होता है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कीमतन होता है।

श्री रावतराम : किश्त समय पर नहीं दे पाते हैं, आपने डिसीजन ले लिया है लेकिन फिर भी जमीन खारिज होती है। मेरा निवेदन यह है, गवर्नमेंन्ट की यह पॉलिसी नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स को जो जमीन अलॉट की जाती है, वह जमीन कीमतन है, उसमें कुछ कन्सेशन दिया जाय, कीमत में कुछ कन्सेशन दिया जाय?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कीमत में कन्सेशन नहीं दिया जाता है।

श्री रावतराम : कीमत में कन्सेशन नहीं देकर, पूरी कीमत वसूल करेंगे तो किश्त समय पर वह नहीं दे सकते क्योंकि गरीब आदमी हैं इसलिए समय पर किश्त जमा नहीं करा सकते तो आप कितने दिन उनको बचायेंगे, उनकी जमीन जायगी। इसलिए गवर्नमेंन्ट को इस पर दुबारा सोचना चाहिये।

Page No 10

श्री रामचन्द्र चौधरी : वैसे इस जमीन का, जैसा आपको मालूम है, जब नीलाम हुआ तो पचास हजार, साठ हजार की मुरब्बा कीमत आई थी। जो एकदम एक मुश्त वसूल होती है। उसके बजाय सोलह किश्तों में कीमत वसूल करते हैं, पौने अठारह हजार वसूल करते हैं तो सहूलियत से किश्तों में वसूल करते है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र !

श्री रावतराम : एक साल की दो हजार कम से कम किश्त एक मुरब्बे की होती है, एक मुरब्बे में एक हरिजन काश्तकार इतना पैदा नहीं कर सकता कि दो हजार वह बचा कर जमा करा सके। यह माना कि पचास हजार एक मुरब्बे के मिलते हैं और आपने ऑक्शन न करके वैसे ही उन्हें दी है। यह महरबानी की है। लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि दो हजार रुपये जमा करा सकें। उसके लिए रियायत बरतनी चाहिये और रियायत नहीं बरतेंगे तो जमीन का अलॉटमैन्ट किया है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं गंगानगर जिले के लिए खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जो अलॉट की है जमीन, वह गरीबों के हाथ से निकल रही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम जमीन उनके हाथ से नहीं जाने देंगे। जब हम जमीन खारिज नहीं कर सके हैं, और लेण्ड लैस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाय। हाण्डा साहब के अनुसार पचास हजार की कीमत दे रहे हैं, फिर यह दो हजार की किश्त ज्यादा नहीं है।

श्री केदारनाथ : इन्स्टालमैन्ट लम्बा कर दीजिये, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : यह आप कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ : शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए किश्त लम्बी कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पर हम विचार कर रहे हैं, और शुरू में ऐसा किया गया है कि पहले साल में किश्त न ली जाए, दूसरी साल में जब पैदावार होती है तो किश्त लेते हैं लेकिन अब जैसे आपको मालूम है विश्व बैंक की टीम आई है जिसने 100 करोड़ रुपये देने को कहा है तो हम सोच रहे हैं कि जो भूमिहीनों को हम जमीन अलॉट करें उसमें पहले लाइन वाटर कोर्सेज हों और जमीन बिल्कुल लेविल की हो, जिस दिन जमीन पैदा करना शुरू करें, उनकी जैसे हाल की तजवीज है, मकान की तजवीज है व तकावी का प्रबन्ध है, सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री रावतराम : अब 10 किश्तें वसूल होती हैं उसके बजाए 30 किश्तें करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र !

कोटपूतली में विश्राम गृह

911. **श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्या कोई विश्राम गृह का प्रबंध किया जाता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नए विश्राम गृह के निर्माण करने

(श्री सुरेशचन्द)
पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर-देहली राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 के बीच में यही एक मात्र महत्वपूर्ण कस्बा है और केवल इसी कस्बे में विश्रामगृह नहीं है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) कोटपूतली में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन विश्राम गृह है। जी हां, भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण की आशा है।

(2) सामान्य प्रशासन के अधीन विश्रामगृह है।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि जो वहां विश्रामगृह है, वह एस. डी. ओ. के काम आता है, विश्रामगृह के काम नहीं आता है। बल्कि जब वर्तमान मुख्यमंत्री पधारे थे और अचानक दिल्ली जाते हुए ठहरे तो उनको भी असुविधा हुई। मंत्री महोदय कभी पधारे होंगे, उनको मालूम होगा कि जयपुर से दिल्ली के बीच में और कोई जगह नहीं जहां अधिकारी ठहर सकें, और उनको परेशानी होती है इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जाए। समय समय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री और जो भूतपूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने भी सुझाव दिया है कि डाक बंगले को एक्वायर किया जाए और विश्रामगृह की व्यवस्था की जाए।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक जी. ए. डी. के डाक बंगलों का सवाल है, मुझे पर्सनल जानकारी नहीं है लेकिन जो कुछ जानकारी मुझे मिली है, एस. डी. ओ. उसके एक पोरशन में रहता है और उसके लिए एक हिस्सा रेस्ट हाउस में रिजर्व्ड है। मुख्य मंत्री को इन्कन्वीनियन्स हुआ, क्या हुवा मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं।

जहां तक नए डाक बंगले का सवाल है, राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया है, नेशनल हाईवेज के लिए भारत सरकार पैसा देती है, उनके पास में यह सवाल पेंडिंग है।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि पौने दो लाख रुपये की स्वीकृति हो चुकी है लेकिन कार्यवाही ढीली होने की वजह से....

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। स्वीकृति नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

ग्राम काललाल में कृषि भूमि पर मकानों का निर्माण

912. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम काललाल, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति (रेगर चमारों) ने 1955 से पूर्व खेतो की जमीन पर मकान बना लिए थे ?

(2) क्या इन अनुसूचित जाति के लोगों से इस तरह मकान बनाने के

(यशवन्तसिंह नाहर)
कारण लगभग 22,000) रुपये वसूल किए जा रहे हैं ?

(3) क्या इसको रेग्युलेराइज करने में कोई बाधा है? यदि हां तो वह क्या है।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) ग्राम कालवाल, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति (रैगर चमारों) ने 1955 से पूर्व की उनकी स्वय की खेती पर मकान नहीं बनाए हैं। किन्तु बाद में बिलानाम भूमि पर मकान बना लिए थे।

(2) जी नहीं।

(3) इनको रेग्यूलेराइज किया जा चुका है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह कब कर दिया ? यह मेरे सवाल पूछने का लाभ हुआ है ? बाकी परसों तक तो हजामत बन रही थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब किया है एक पैसा भी वसूल नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत !

जोधपुर में चिकित्सा सुविधा

913. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1947 में जब जोधपुर नगर की जनसंख्या 1,20,000 के लगभग थी, वहां जन साधारण के लिए छः डिस्पेन्सरियां थीं और अब जन संख्या 3,60,000 के लगभग हो गई तो केवल सात डिस्पेन्सरियां हैं ? यदि हां, तो क्या जनसंख्या के अनुपात के अनुसार राज्य सरकार जोधपुर में और डिस्पेन्सरीज खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में तीन मेडिकल एड पोस्ट मंडोर, सूरसागर एवं महामंदिर को डिसपेन्सरी स्तर तक अप ग्रेड करने की, और तीन नए एड पोस्ट पूंजला, काली बेरी एवं भगत की कोठी में खोलने की वर्षों से मांग है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन्हें अपग्रेड करने और नई डिस्पेन्सरीज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी नहीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में नवीन डिस्पेन्सरी खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरा हो चुका है।

(2) जी हां। योजना मद में धनाभाव के कारण फिलहाल इन पर विचार करना संभव नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रियासत के जमाने में छः डिस्पेन्सरीज थीं और 25 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद एक डिस्पेन्सरी बढ़ाई गई है जब कि आबादी तिगुनी हो गई है तो आपका सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर नई डिस्पेन्सरियां खोलते हैं ? हमको ही अलग क्यों रखा गया है ?

Page No 13

श्री हरिदेव जोशी : छोटी डिस्पेन्सरीज चाहे नहीं बढ़ी हों लेकिन बड़ा अस्पताल बढ़ा है।

श्री अमृतलाल गहलोत : वह तो पहले भी था।

श्री हरिदेव जोशी : अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। मगर जैसा मैंने निवेदन किया, चौथी योजना में अब कोई गुंजाइश नहीं इसलिए मजबूरी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : पांचवी योजना में इसको स्वीकार करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : आज मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या सिद्धांत की बात नहीं बता सकते ? मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 25 हजार मजदूर पत्थर की खानों में काम करते हों, वहां डिस्पेन्सरी ड्यू नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी : आउट ऑफ वे जाकर एक एड पोस्ट आपके कहने पर खोल दी।

प्रश्न संख्या 914

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : आउट ऑफ वे जाकर का क्या मतलब होता है ? उस इलाके में 25 हजार मजदूर काम करते हैं। मंत्री महोदय आउट ऑफ वे जाकर लाभ पहुँचाने....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी आउट ऑफ वे धन्यवाद दे रहे हो।

कोटा जिले में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

915. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में कुल कितने बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ ?

(2) उक्त मार्गों में रोडवेज की कुल कितनी बसें वर्तमान में चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण कर लिए गए मार्ग पर रोडवेज ने बस नहीं चला कर परमिट वापस समर्पित कर दिया है ? यदि हां, तो निगम किस मार्ग पर बस नहीं चला सका है और परमिट कब समर्पित किया था उसके पश्चात् उक्त मार्ग पर आने जाने की यात्रियों को क्या सुविधा प्रदान की गई ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
1. कोटा-झालावाड़-इकलेरा
2. कोटा-रामगंज मंडी
3. कोटा-चेचट

(2) 16 एकल सेवायें चलाई जा रही हैं।

(3) जी नहीं। परमिट वापस समर्पित नहीं किए अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि जो रूट्स वहां पर लिए थे, उनके परमिट्स वापस कर दिए हैं, सरेंडर कर दी हैं, बसेज नहीं चलती हैं। मैंने प्रश्न इसलिए पूछा है कि मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहती हूं कि इस समय 20 प्रतिशत रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया है। उस 20 में 90 प्रतिशत कोटा जिले के मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। हमें कोई ऐतराज नहीं। हम चाहते हैं कि 100 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करें लेकिन कोटा जिले की सड़कों के लिए स्वयं मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि राजस्थान में वर्स्ट कन्डीशन कोटा जिले की सड़कों की है, उस पर रोडवेज की बसें नहीं चल सकती हैं। ऐसी हालत में जो मेन रोड्स हैं उनसे लगे हुए लिंक रोड्स हैं वहां पर बिल्कुल रोडवेज की बसेज नहीं चलतीं। ऐसी हालत में आप विशेष ध्यान दें। अन्यथा आवागमन में लोगों को असुविधा होगी और गांवों से जिलों तक पहुंचने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एश्योर करूंगा कि जो रूट्स टेक ओवर किए गए हैं उन पर बसेज चलें।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी !

मोतीराम कमेटी सिफारिशों को क्रियान्विति

916. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) के स्थान पर : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भाखरा, गंगानहर और राजस्थान नहर परियोजना की सिचाई व्यवस्थाओं में सुधार के लिए गठित मोतीराम कमीशन की सिफारिशों पर अमल करना शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या क्या कार्य किए गए हैं ?

(2) कमीशन की सिफारिशों से भाखरा, नहर परियोजना की अमरसिंह और जसाना सिस्टम की नहरों में क्या सुधार होंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) मोतीराम कमीशन ने सिफारिश की है कि अमरसिंह और जसाना सिस्टम में हरियाणा सरकार से बातचीत करके अधिक पानी दिलाया जावे और इसके बदले राजस्थान नहर से हरियाणा सरकार को पानी दिया जावे। यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मोतीराम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए आपने कितना बजट सेंक्शन किया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह आपको मालूम है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट तभी अमल में लाई जा सकती है जब पोंग बांध में पानी भर जाए। इस साल यूनियन कैबीनेट ने डिसीजन लिया है कि उनके टनेल्स बन्द कर दिये जाएं

Page No 15

(श्री रामचन्द्र चोधरी)
पानी भरने के बाद नहरों की जो कैपेसिटी है, 25 प्रतिशत पानी से ज्यादा ले सकती हैं। इसके अलावा साल भर में 6 महीनें नहरें बन्द रहती हैं तो बन्द न करके जो पानी देने का पीरियड है उसको बढ़ाया जाए। या नहरों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए या पानी का ड्यूरेशन ज्यादा कर दिया जाए। इस साल के बाद कर सकेंगे जब खरीफ की फसल आयेगी, पानी का रिजरवायर हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपकी घोषणा है कि सन् 1973 के अन्दर आपका पोंग डेम पूरा हो जाएगा और सन् 1974 के अन्दर सतलज पूरा हो जाएगा और मोतीराम कमेटी के अनुसार 600 क्यूसेक्स पानी अधिक आप गंग कैनाल को दे रहे हैं जबकि प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स में 2,700 क्यूसेक्स कैपेसिटी गंग कैनाल में नहीं है, अनेक बॉटलनेक्स हैं। जगह जगह गंग कैनाल वियर एन्ड टियर हो गया है। बॉटलनेक्स पूरे 2,700 क्यूसेक्स पानी नहीं लेने देते, इसलिए 3,300 क्यूसेक्स पानी रन करने के लिए गंग कैनाल और भाखरा का 15 प्रतिशत राइट पूरा मिल जाता है जैसे सदन में आपने कमिट किया है, भाखरा का 6 प्रतिशत से कभी अधिक राइट नहीं मिला। अगर पूरा 15 प्रतिशत राइट लेते है और एबसॉर्प्शन हरियाणा ले रहा है वह छोड़ देता है। उस हालत में सारे का सारा भाखरा और गंग कैनाल सिस्टम को रिमेडियल करना पड़ेगा। जब 1975 में पोंग डैम वाटर सप्लाई करेगा तो फौरन नहरें....

श्री रामचन्द्र चोधरी : जो गंग कैनाल है उसकी सवा लाख एकड़ के करीब जो जमीन है वह राजस्थान कैनाल के नीचे ले ली जायगी तो सवा लाख नीचे का पानी बच जाएगा उसका ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि सवा लाख पानी राजस्थान कैनाल से लेने लगेंगे जी. बी. और रायसिंह नगर के हिस्से में। दूसरी ओर जो इसमें कोई दिक्कत होती है तो हम देख लेंगे और हम उसे पूरा पानी दे सकेंगे और मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पानी इस इलाके में सन् 59 में लगा था उसके बाद में तो आपने पूरा पानी दिया नहीं अब वहां मिट्टी जम गई होगी। अब इसमें कुछ एडीशन होगा। आपको 600 क्यूसेक्स पानी और देने की व्यवस्था करनी होगी और करीब 60 हजार एकड़ जमीन में और सिंचाई करनी होगी इस प्रकार 600+300 या आप यों समझ लीजिए कि करीब 800 क्यूसेक्स को यूटिलाईज करना पड़ेगा। इसलिए आपको काफी दिक्कत आयेगी। आपको मेन कैनाल को ब्रोड भी करना पड़ेगा और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी वो भी ठीक करना पड़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आप गंग कैनाल के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को और भाखरा कैनाल के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को बुलावें और उनसे इस बारे में बातचीत करें ताकि इसके अन्दर जो आने वाली समस्या है उसका हल हो सके।

Page No 16

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, को यह मालूम होना चाहिए कि करीब पौने तीन करोड़ एकड़ ऐरिया में आपको इरीगेशन करना है इधर हरियाणा और पंजाब ने पानी नहीं लिया तो और पानी आ जायेगा तो काफी दिक्कत हो जायेगी....

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं आप फिकर नहीं करें ऐसी कोई बात नहीं होगी। वहां से जितना भी पानी मिलेगा हम उसे काम में पूरा ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

917. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

15 अगस्त, 1971 से 31 जनवरी, 1973 तक ग्रामीण भूमिहीन एवं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कितनी आवासीय भूमि निःशुल्क आवण्टित की गई है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

पंचायत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 917 का जवाब लम्बा होने से सूचना एकत्रित नहीं हो सकी इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्रीमती मदनकौर।

बाड़मेर जिले के चारागाह

918. श्रीमती मदनकौर (पंचपदरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाड़मेर जिले में वन विभाग ने चारागाह सुधार हेतु गांवई चारागाहों को रोक रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि इन चारागाहों के रोकने से स्थानीय पशुओं की चराई पर रोक लगी है ?

(3) क्या सरकार इन चारागाहों को उसी गांव के पशुओं को चराई हेतु सुरक्षित रखने का निर्णय लेगी ?

वन मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। कुछ चारागाहों को रोका हुआ है।

(2) जी हां। केवल इन क्षेत्रों में चराई की रोक है।

(3) लगभग 5-7 वर्ष बाद ज्योंही चारागाहों में लगाया गया उन्नत किस्म का घास पूर्ण रूप से स्थापित हो जावेगा त्योंही इन क्षेत्रों को चराई हेतु खोला जा सकेगा।

श्रीमती मदनकौर : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में, कुछ चारागाहों को बाहर के पशुओं के चरने के लिए खोला गया है।

श्री हरिदेव जोशी : इसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है।

श्रीमती मदनकौर : आपने जो प्रश्न के तीसरे नम्बर के सवाल में जवाब में कहा

(श्रीमती मदनकौर)

है कि जिन चारागाहों को रोका गया है उन्हें बाद में खोला जावेगा। तो मेरा निवेदन है कि चूंकि अभी वहां पर पशुओं की हालत खराब हो रही है क्या आप वहां के स्थानीय पशुपालकों की मांग पर उन चारागाहों को खोलेंगे क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तो अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है मैंने लास्ट ईयर यह डिसीजन लिया था कि इन्हें अभी नहीं खोला जाय। इसमें ऐसा है कि जिनको एक साल खोलते हैं उसे दूसरे साल बन्द रखते हैं। लेकिन इस साल अकाल की स्थिति के कारण यह विशेष रूप से निर्णय लिया है कि इसमें कुछ उदारता बरती जाये।

श्रीमती मदनकौर : वहां के वन विभाग के अधिकारी ने वन विभाग के विभागाध्यक्ष को कुछ चारागाहों के बारे में पशुपालकों की मांग के अनुसार उन चारागाहों को खोलने की सिफारिश की है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर तो हम स्वीकृति नहीं देते हैं लेकिन इस साल अकाल की स्थिति को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है कि जहां पर बहुत अधिक जरूरी हो चारागाहों को खोलना, वहां खोले जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय !

बैराठ तहसील के ग्राम

919. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील के ग्राम रायपुरा, जागीर किशोरपुरा, अजमेरी, टटेरा एवं अजीतगढ़ की जनता एवं पंचायतें, तहसील बैराठ, जिला जयपुर में सम्मिलित होने की इच्छुक है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक निर्णय कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के पूर्व यह ग्राम तहसील बैराठ के अधीनस्थ ही थे ? यदि हां, तो अब इन्हें पुनः बैराठ तहसील में सम्मिलित किये जाने में क्या आपत्ति है ?

(3) क्या यह सही है कि भौगोलिक, सामाजिक, जनहित एवं न्याय की दृष्टि से इन गांवों को तहसील बैराठ के अधीनस्थ लगाया जना उचित है ? यदि हां, तो कब तक इनको बैराठ तसहील में सम्मिलित किये जाने का विचार है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) ग्राम रायपुरा, जागीर किशोरपुरा, अजमेरी, टटेरा एवं अजीतगढ़ की जनता एवं पंचायतें, तहसील बैराठ, जिला जयपुर में सम्मिलित होने की इच्छुक हैं इसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) यह सही नहीं है। उक्त ग्राम राजस्थान बनने से पूर्व से ही तहसील नीम-का-थाना के अधीनस्थ है।

(3) इस सम्बन्ध में अभी परीक्षण नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या 920

श्री अध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 921

श्री रमेशचन्द्र !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 922

श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी !

ग्राम सुवादिया में भूमि का आवंटन

923. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की तहसील जायल के गांव सुवादिया के ख. नं. 115 किस्म जमीन गोचर में से मौजा चोलेराव, तहसील बिलाड़ा के निवासी नारू उसके 15-16 वर्ष की उम्र के नाबालिग पुत्र भवरू, लाला, अन्ना व मोती बीणजारों को तारीख 27-11-71 को भूमि अलॉट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि तारीख 27-11-71 की बैठक की सूचना नियमानुसार भूमि अलॉटमैन्ट समिति के सब सदस्यों को नहीं दी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि गोचर भूमि बिना ग्रामवासियों की सहमति के अलॉट नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस अलॉटमैन्ट को रद्द करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि ग्राम सुआदिया, तहसील जायल में भूमि खसरा नम्बर 115 में से दिनांक 27-11-71 को सर्व श्री भंवरा, लालू, नारू, अन्ना व मोती को प्रत्येक को दस दस बीघा भूमि आवन्टन की गई। आवन्टितियों ने प्रार्थना-पत्र में उम्र तथा निवास स्थान अंकित नहीं किया था कि नाबालिग हैं अथवा कहां के निवासी हैं।

(2) जी नहीं, सभी सदस्यों को नियमानुसार सूचना दी गई थी।

(3) यह सही है कि गोचर भूमि के आवन्टन हेतु ग्रामवासियों की राय लेना आवश्यक है, परन्तु भूमि का आवन्टन गांव के मौतबिरान के रूबरू व भूमि आवन्टन सलाहकार समिति की राय से किया गया है। अतः आवन्टन को निरस्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर जिनको नोटिसेज दिये गये थे उसमें कोई तारीख और उनके पते भी तो दिये हुए होंगे। आपने उनको किस तारीख को नोटिसेज दिये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसिंह कुड़ी : तो क्या यह अलाटमेंट बिना पते के लोगों के होने से गलत नहीं हुआ। आखिर उनका पता भी तो कुछ होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिया था उसमें उनका जन्म स्थान का पता नहीं लिखा हुआ है।

Page No 19

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

ग्राम सोडियास में आबादी भूमि का नियमन

924. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील मांडल के सोडियास गांव में 10 साल पहले से भीलों के 12 घर बिलानाम भूमि पर आबाद हैं ?

(2) क्या उनसे नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर दो बार जुर्माना वसूल किया जा चुका है ?

(3) क्या नियमानुसार उनको आबादी भूमि का नियमन किया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आबादी का नियमन कराकर वसूल शुदा जुर्माने की रकम कब तक वापस लौटाने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, मौजा सोडियास सरहद में 7 भीलों के घर बिलानाम भूमि पर आबाद हैं ।

(2) उन लोगों पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही चला कर सिर्फ एक बार जुर्माना वसूल किया है ।

(3) मौजा सोडियास की सरहद में 7 भील जो बिलानाम भूमि पर आबाद हुए हैं वह अब आबादी में परिवर्तित हो चुकी है । नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण जुर्माने की रकम भीलों को वापस लौटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब यह नहीं है । मैं तो उन 12 घरों के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी जमीन दो दो बार जुर्माने लेने पर नियमन नहीं की गयी । वहां पर 20 घर भीलों के हैं । और उनमें सात घरों को नियमन हुआ हैं, लेकिन इन बारह घरों का नियमन नहीं हुआ है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं । यह क्या हुआ जो नियमन हुआ है उसके बारे में आप बता रहे हैं । जिन भीलों की जमीनों को नियमन नहीं किया गया है और उनसे आपने दो दो बार जुर्माना ले लिया है उसके बारे में कह रहा हूं····

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके लिये नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी ।

श्री विजयसिंह : उनसे जो आपने दो बार जुर्माना वसूल किया है उसके बारे में क्या होगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले जो जुर्माना ले लिया उसको वापस करने का प्रश्न नहीं उठता । हां इतना जरूर है कि सिवाय चक भूमि के बाकी अगर कोई जमीन होगी तो उसे आबादी में परिवर्तित कर दी जायेगी ।

श्री विजयसिंह : इसमें उनको फायदा कम होगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बात यह है कि उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है और ऐसे ट्रेसपास बार बार होते रहते हैं और वे जुमार्ना देते रहते हैं । बाद में बार बार ऐसा होने पर वह जायज हो जाता है ।

श्री विजयसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि जब तक सदन में प्रश्न नहीं उठाया गया तब तक नाजायज था और अब वह जायज हो जायेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब उनका नियमन हो जायेगा।

प्रश्न सं. 925

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 926

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 927

श्री जेठमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 928

श्री करणसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

स्थगित प्रश्न

दिनांक 2-3-72

सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग

250. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारिता के आधार पर जो उद्योग विभिन्न जिलों में पिछले दस सालों से चलाये गये एवं चलाये जा रहे हैं उनकी सूची प्रत्येक जिले की अलग से सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त लघु उद्योगों में से कितने सफल रहे और कितने असफल रहे ? सूची जिलेवार सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त लघु उद्योगों की असफलता के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस असफलता का मुख्य कारण सहकारिता विभाग और उद्योग विभाग में सहयोग की भारी कमी है ?

(5) क्या राज्य सरकार उन कारणों को जिनके कारण लघु उद्योग असफल रहे हैं को मिटाने के लिये गम्भीरता से सोच रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या विशेष कदम उठा रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) विभिन्न जिलों में 4211 औद्योगिक सहकारी समितियों हैं। जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रख दी है।

(2) सभी समितियों का सर्वेक्षण पूर्ण न होने के कारण सफल समितियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। अब तक किये गये सर्वेक्षण की समीक्षा के फलस्वरूप 212 समितियां सफल रही हैं।

(3) औद्योगिक समितियों की असफलता के मुख्य कारण प्रायः निम्न हैं:—

1. सदस्यों की आपस में मिलजुल कर एक स्थान पर सामूहिक रूप से उत्पादन में रुचि नहीं लेना।

2. प्रथक्-प्रथक् रह कर भी उत्पादन में रुचि नहीं लेना बल्कि प्राप्त राशि को आपस में बांटकर निजी उपयोग में कर लेना,

Page No 21

(श्री नारायणसिंह)

3. संस्थाओं की स्वयं की न तो ऐसी सुदृढ स्थिति है कि वे पूरे समय के लिये व्यवस्थापक हो रख सके और न ही पर्याप्त अनुदान इत्यादि ही प्राप्त हुआ। व्यवस्थापक व पूंजी के अभाव में कच्चे माल की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसी प्रकार तैयार माल की बिक्री की भी व्यवस्था का कोई समाधान नहीं था। न ही समितियों के हिसाब किताब अन्य कार्य की देख रेख हो सकी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। 3164 समितियों का सर्वेक्षण कराया जा चुका है। सर्वेक्षण पूर्ण होने पर असफल समितियों को पुनर्जीवित, विलीनीकरण करने अथवा अवसायन में लाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय उद्योग सहकारी समितियों की जो संख्या बताई गई है वह 4211 बतायी गयी और उनमें से सफल उद्योग सहकारी समितियों की जो संख्या बतायी गयी है वह 212 बतायी गयी है। जितनी सहकारी समितियां असफल हुई हैं उनके लिये सरकार क्या सोच रही है ? इस प्रकार सहकारी मूवमेन्ट असफल हो रहा है उसके लिये सरकार ने कोई मेजर्स लिये हैं क्या ?

श्री नारायणसिंह : इसमें आर. बी. आई. (रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया) से सेन्ट्रल बैंक्स को कर्जा दिया जाता है और वे एग्रीकल्चरल कार्य में इतने संलग्न हैं कि इस ओर धन राशि देने में असमर्थ रहते हैं इसलिये इनको नहीं दे सके। इनका सर्वेक्षण कराया गया 4211 में से 1047 का सर्वे होना शेष है। 212 उद्योग सहकारी समितियां सफलतापूर्वक चलती हुई नजर आती हैं। इनके असफल होने के कई कारण हैं। को-ऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। उनको ठीक करने के लिये प्रोग्राम हैं और उनका रिऑर्गेनाईजेशन किया जावेगा और विलीनीकरण किया जायगा जो कि सक्षम हैं उनमें स्टेट भी विचार कर सकती है कि इसमें शेयर केपिटल वगैरा का कन्ट्रीब्यूशन किया जा सके। यह भी किया जा सकता है कि सी. सी. बैंक्स में अलग विंग इसके लिये कायम करके इन समितियों को अधिक धन राशि दी जा सकती है और जो अक्षम समितियां हैं उनको लिक्विडेट किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : He has given detailed reply.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय सहकारी उद्योग समितियां असफल हो गयी हैं। 26 वर्ष हुए आजादी प्राप्त हुए उसके बाद इन सहकारी उद्योग समितियों को चलाया गया और ये असफल हो गयी हैं तो सरकार ने ऐसे कौनसे मेजर्स लिये हैं और कब तक सरकार इनका सुदृढ़ीकरण करेगी यह हम जानकारी चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 212 सफल बतायी वह किस हद तक सफल हुई है यह बतायें।

श्री नारायणसिंह : वह तो मैं ऑफ-हैंड नहीं बता सकता। असफल सोसाइटीज को पुनर्जीवित करने के लिये पंचम् पंचवर्षीय योजना में प्रोग्राम हाथ में लेने की मर्जी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रश्न संख्या 265।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Next question is taken.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-3-73 व 20-3-73)

अलवर होल सेल उपभोक्ता भण्डार की ऑडिट रिपोर्ट

265 श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर होल सेल उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड के हिसाब का ऑडिट पिछले 5 साल में कब कब कराया गया है और उनकी क्या रिपोर्ट है ? कृपया ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त होल सेल भंडार के चुनाव कब तक कराये गए हैं ?

(3) अलवर शहर में कितने सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं और उनके चुनाव कब कब कराए गए ?

(4) क्या सहकारी उपभोक्ता भंडारों में से किसी के खिलाफ धनराशि का दुरुपयोग या गबन की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो कौन से भंडार के खिलाफ कितनी धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें हैं ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) पिछले पांच वर्षों में ऑडिट कब कब कराया की सूचना व ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है :

(3) अलवर शहर में होल सेल भंडार के अतिरिक्त 13 अन्य प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार हैं प्रत्येक भण्डार का चुनाव सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जो सूची दी है उससे मालूम पड़ता है कि 60 हजार रुपयों का इन भण्डारों में गबन है। भण्डारों से 60 हजार रुपयों के गबन की वसूली के लिए क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायणसिंह : आप सही फरमा रहे हैं। 60 हजार 117 रुपये

(श्री नारायणसिंह)

42 पैसे का गबन है। 23 मामले चल रहे हैं। 1924.35 रुपये की धनराशि 3 मामलों में प्राप्त हुई है और बाकी के लिये कार्यवाही की जा रही है। एक मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और जिलाधीश से भी निवेदन किया है कि न्यायालय के फैसले का पालन कराया जाय।

श्री रामसिंह कुड़ी : पुलिस में दिया जाना चाहिये। हाई कोर्ट का भी निर्णय है तो फिर पुलिस में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नारायणसिंह : जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पुलिस में भी दिया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्नकर्ता ने भी गबन पूछा है और आपने भी गबन माना है तो फिर कॉग्नीजेबल केस तो है ही। तो क्या दिक्कत है पुलिस में देने में ?

श्री नारायणसिंह : दिक्कत तो नहीं है। 64 (ब) के अन्तर्गत जांच करायी जा रही है कि किस प्रकार का गबन है।

श्री मीठालाल (जालसोट) : एक तरफ आप गबन मानते हैं और दूसरी तरफ क्या आप गबन किया है इसकी जांच करवा रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गबन में प्रकार नहीं है ज्यादा अच्छा होता है तो गबन हो जाता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : पुलिस में दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कितने केस पुलिस में दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक प्रश्न केवल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-1973 व 23-3-73)

जिला विकास अधिकारी जालौर द्वारा दिया गया ठेका

419. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री श्यामसुन्दर भटनागर तत्कालीन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जालौर ने दिनांक 4-5-72 एवं 12-5-72 को 39 पैसे प्रति बोरी व 9 पैसे प्रति बोरी प्रति कि.मी. की दर से सी. एस एम. ठेके की मंजूरी मनाचाहे व्यक्ति को दी गई जिसमें 3,300 रुपयों को भुगतान तुरन्त कर दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश को इस मामले की जानकारी मिलने पर यह ठेका पुनः नीलाम किया गया और पूर्व के उसी ठेकेदार ने केवल 18 पैसे व डेढ़ पैसा प्रति बोरी किलोमीटर की दर से वही ठेका लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री भटनागर ने उक्त ठेके की नालामी के लिये समाचार पत्रों एवं गजट में किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी ? यदि हां

(श्री भगराज चौधरी)
तो श्री भटनागर द्वारा उक्त तरीके से अवैध कार्यवाही करने पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कब तक कर दी जावेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री की ओर से) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। श्री अमरचन्द बी. जैन, जालोर ने केअर सामग्री परिवहन हेतु अपनी दरें दिनांक 6-5-72 को प्रस्तुत की और मैसर्स श्रमिक ठेका सहकारी समिति की बोली निम्न प्रकार रही जो न्यूनतम होने से इस दर पर उसी को पुनः ठेका दिया गया :

1.	जालोर रेलवे स्टेशन से जिला गोदाम तक।	18 पैसा प्रति थैला व प्रति कार्टन प्रति किलोमीटर।
2.	जिला गोदाम से अन्य पंचायत समितियों के गोदाम तक।	1.30 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति थैला व प्रति कार्टन।

(3) रेकार्ड से समाचार पत्र मे इस ठेके के लिये प्रकाशन किया जाना नहीं पाया गया। इस मामले में जिलाधीश को जांच के लिये लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री भगराज चौधरी : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस ठेके के बारे में पत्रों में प्रकाशन नहीं करने से अन्य ठेकेदार लोग भाग नहीं ले पाये, अन्य ठेकेदार भाग ले सकते थे वे नहीं ले पाये और इस कारण ठेके की बोली ऊंची गयी और जिलाधीश के पास इत्तला मिलने पर पुनः ठेका करने के लिये हिदायत जारी की। उस स्थान के लिये ठेके की दर दी है वह बहुत कम है और उस व्यक्ति ने काफी कम रेट पर दी है फिर भी उसको नहीं दिया गया ...

श्री हरिदेव जोशी : उन सब बातों को ध्यान में रख कर लिखा गया है।

एक माननीय सदस्य : मामला काफी पुराना है और सरकार को जांच करके उचित जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-73)

ग्राम सेवा सहकारी समिति ऊदाखेड़ा

640. **श्री निरञ्जननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, ऊदाखेड़ा (तहसील मावली) का मन्त्री श्री डालचन्द्र, सरपंच ग्राम पंचायत, ढूढियां है ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1971-72 में उक्त मंत्री द्वारा समिति के सदस्यों को दी गई ऋण की रकम को वसूल किया गया ? यदि हां, तो किन-किन सदस्यों से और कब-कब ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) क्या यह सही है कि ऋण की रकम सदस्यों से प्राप्त करने पर समिति के न तो रोकड़ में जमा की और न सदस्यों के पास बुक में ही उसका इन्द्राज किया गया और न सदस्यों को रसीद दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त समिति के मन्त्री ने ऋण देने से सम्बन्धित कोई भी पास बुक किसी भी सदस्य को नहीं दी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त समिति के मन्त्री ने सदस्यों से ऋण वसूल करने के बाद न तो सदस्यों को शेयर की रकम ही दी और न ऋण ही दिया ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त मन्त्री ने समिति के लाभ हानि का विवरण कभी भी सदस्यों के सम्मुख नहीं रखा ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त समिति के हिसाब का सहकारी विभाग द्वारा कभी भी ऑडिट नहीं कराया गया ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह): (1) जी हां । श्री डालचन्द दिनांक 18-5-60 से ग्राम सेवा सहकारी समिति, ऊदाखेड़ा, तहसील मावली का मंत्री है ।

(2) जी हां । जिन जिन सदस्यों से जब जब ऋण की वसूली की है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । रोकड़ में इन्द्राज है परन्तु पास बुक में नहीं है । और न ही रसीद देना पाया जाता है ।

(4), (5), (6) जी हां ।

(7) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये तीन जी हां । एक में रसीद नहीं और कैश बुक में इन्द्राज नहीं । इन सब अनियमितताओं के लिये आपने जांच के आदेश दिये हैं ?

श्री नारायणसिंह : 70 में जांच के आदेश दिये गये और 74 में वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और 76 में आदेश का पालन हो कर आपके पास आ जावेगा ।

श्री नारायणसिंह : सेक्शन 74 की बात कर रहा हूं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : असल रकम भी है या नहीं ? वह भी गायब है क्या ? रकम वसूल की गई वह गायब है और खाली कैश बुक में इन्द्राज है क्या ?

श्री नारायणसिंह : जो जांच की रिपोर्ट हुई है......

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ दोनों सवाल हैं । ऑडिट कभी नहीं कराया गया और ऑडिट नहीं कराया और जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और जो रेलेवेन्ट डॉक्यूमैन्ट्स हैं वे भी आप सीज करेंगे ।

श्री नारायणसिंह : यह सब कार्यवाही, मैं आश्वस्त करता हूं, की जावेगी ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह रकम है भी या नहीं ? या वह शख्स खा गये यह रकम भी ?

श्री नारायणसिंह : यह एम्क्वायरी के ऊपर है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-73)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत डाक बंगलों व कार्यालय भवनों का निर्माण

718. श्री रामरघुनाथ चौधरी : (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल में स्वीकृत धनराशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डाक बंगलों का निर्माण किया व कार्यालय भवनों पर कार्य करवाया ?

(2) यदि हां, तो ऐसे समस्त निर्माण कार्यों की सूची मय राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) अकाल में स्वीकृत धनराशि से इस विभाग द्वारा डाक बंगलों व कार्यालय भवन निर्माण नहीं कराया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न सं. 900

श्री अध्यक्ष : श्री निर्मलाकुमारी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 902

श्री चेतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुमानमल लोढ़ा !

सब स्टेशन स्ट्रक्चर्स की खरीद

906. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सन् 1965-66 व 1966-67 में चम्बल स्टेज II के लिए हिन्दी गेल्वेनाइजिंग कम्पनी, कलकत्ता से सब-स्टेशन स्ट्रक्चर्स का क्रय किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने मूल्य का ?

(2) क्या यह सही है कि टेण्डर के अनुबन्धों के अनुसार कम्पनी ने निर्धारित समय में सामान नहीं दिया ? यदि हां, तो किस किस प्रकार व किस किस मूल्य का सामान कितने विलम्ब से प्राप्त हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कारण से लेखा अधिकारी द्वारा कम्पनी पर पूरी पेनल्टी लगाने की राय दी गई जब कि मण्डल द्वारा केवल चौथाई पेनल्टी ही लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) पेनल्टी कम लगाने के सम्बन्ध में किस किस अधिकारी द्वारा कब कब क्या सिफारिश की गई ?

(5) पूरी पेनल्टी लगाने से मण्डल को कितनी आय होती है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है, इसलिये इसे स्थगित करने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित हुआ।

प्रश्न संख्या 907

श्री बिरदाराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 908

श्री झाबरमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 909

श्री जमुना सोलंकी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 914

श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 920

श्री हाजी जान मोहम्मद !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 921

श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 922

श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन : यह स्थानीय महत्व का है। इसका उत्तर दिलवा दीजियेगा

श्री अध्यक्ष : विद्युत् मन्त्री जी देना चाहें तो दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : आप हुक्म देंगे तो जरूर दूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष : सदन की भावनाओं को देख कर दे दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : दे रहा हूं साहब।

लाडनूं के बिजली के बिलों का भुगतान

922. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) [श्री दीपंकर (लाडनूं) की अनुपस्थिति में]: क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं, जिला नागौर के उपभोक्ताओं की संख्या दो हजार के करीब है और उनको बिजली के बिलों का भुगतान करने 20 मील दूर जाना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बिलों का भुगतान हेतु केवल एक दिन एक मास में लाडनूं में दिया जाता है जिससे समय पर सब की रकम जमा नहीं होती है ?

(3) लाडनूं शहर की आबादी और उपभोक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लाडनूं शहर में ही रकम

(श्री फूलचन्द जैन)

जमा करने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि लाडनूं में ए. ई. एन. का पद सृजन करने का विचार सरकार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) (1) लाडनूं सब ऑफिस के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 73 तक 1782 है। इन उपभोक्ताओं को बिल के भुगतान के लिए बीस मील दूर नहीं जाना पड़ता।

(2) जी नहीं। महीने की 19 तारीख से 31 तारीख तक हर दिन बिलों का भुगतान लिया जाता है।

(3) आजकल भी लाडनूं पावर हाउस में ही उपरोक्त तारीखों में बिल जमा कराने की व्यवस्था है।

(4) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 925

श्री मनोहरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 926

श्री शंकरलाल जाट !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 927

श्री जेठमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 928

श्री करणसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मधु मक्खी पालन केन्द्र

900. श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किन किन पंचायत समितियों में मधु मक्खी पालन के केन्द्र हैं ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मधु मक्खी विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(3) यदि यह कार्य पूर्ण रूप से असफल रहा है तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

मांडोर खुर्द सहकारी समिति

902. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडोर खुर्द सहकारी समिति, (जिला भरतपुर) में कितने सदस्य हैं तथा इसमें कौन कौन सी समितियां मिली हैं ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त समिति ने अभी तक सदस्यों को लाभांश नहीं बांटा है और समिति के सचिव उस धन-

Page No 29

(श्री चेतराम)
राशि को बैंक में जमा न कराकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि बांटा गया है तो किस प्रकार और नहीं बाटा गया है तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त समिति का ऑडिट करवा कर सदस्यों को उनके लाभांश बटवाने की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या यह भी सच है कि इसके बहुत में सदस्य समिति में फैली अव्यवस्था एवं अनियमितताओं के कारण छोड़कर चले गए हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

उत्तर

(1) माण्डोर खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति, माण्डोर (जिला भरतपुर) में 263 सदस्य हैं । इस समिति में दो समितियां महाराजसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. एवं नगला करनसिंह को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी का विलीनीकरण हुआ है ।

(2) जी नहीं ।

(3) इस समिति का वर्ष 71-72 तक का ऑडिट हो चुका है। वितरण योग्य लाभ होने पर ही वितरण की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(4) जी नहीं ।

जयपुर-पाली एक्सप्रेस बस सर्विस

907. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार का जालोर से फालना, जालोर से सुमेरपुर, जोधपुर से जालोर-भीनमाल तक तथा भीनमाल से सिरोही तक राज्य पथ परिवहन निगम की बसें तथा जयपुर से पाली होती हुई जालोर एक्सप्रेस बस चलाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी जालोर से फालना व सुमेरपुर बसें चलती हैं वह बहुत समय लेती है ? क्या सरकार का जालोर से फालना-सुमेरपुर एक्सप्रेस बस चलाने का विचार है ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा फालना से जालोर, जालोर से सुमेरपुर व जोधपुर से जालोर की राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी योजनाएं क्रमशः 1-8-72 व 8-2-73 को प्रकाशित की गई हैं। अभी जालोर से भीनमाल व भीनमाल में सिरोही की कोई योजना नहीं है। जब ये योजनाएं स्वीकृत व प्रकाशित हो जाएंगी उस समय निगम जयपुर से पाली होते हुए जालोर सीधी एक्सप्रेस सेवा चलाने पर विचार करेगी ।

(2) जी नहीं । सुमेरपुर जालोर ऐरिनपुरा सुमेरपुर जालोर मार्ग पर प्रस्ताव संख्या 66, दिनांक 1-7-68 जो कि प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जोधपुर के द्वारा पारित हुआ उसके अनुसार ऐरिनपुरा-सुमेरपुर-जालोर मार्ग पर पहिले से ही अन्य समय सारिणी के साथ दो एक्सप्रेस सर्विस चालू हैं ।

ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगासी मांडासी

908. श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगासी मांडासी, जिला झुन्झुनूं की कार्य•

(श्री झाबरमल मूंडा)
कारिणी के चुनाव, कब किसके द्वारा पूर्ण करवाये गये ?

(2) क्या यह सत्य है कि निर्वाचित कार्यकारिणी को भूतपूर्व कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने अभी तक सहकारी समिति का रिकार्ड नहीं दिया है ?

(3) क्या यह भी सच है कि रेकार्ड नहीं देने की शिकायत समय समय पर सहकारी विभाग को दी गई है लेकिन अभी तक रिकार्ड नहीं दिलवाया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने सहकारी समिति का रुपया गबन कर रखा है जिसके कारण रिकार्ड नहीं दे रहा है ?

(5) यदि हां, तो सरकार नई कार्यकारिणी को कब तक रिकार्ड दिलवा देगी और भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

(6) अब तक रिकार्ड दिलवाने में जो अधिकारी असफल रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगासी मांडासी, जिला झुंझुनूं की कार्यकारिणी के चुनाव दिनांक 3-1-72 को सहकारिता प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ़ द्वारा करवाये गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) रिकार्ड दिलवाने में किसी भी अधिकारी का असफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केकड़ी-कादेड़ा सड़क

909. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी से कादेड़ा सड़क कार्य कितने साल पहले शुरू हुआ ? बीच में कितनी बार रोका गया और फिर कितनी बार चालू हुआ ?

(2) अब यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) इस सड़क का कार्य 12 वर्ष पूर्व प्रारम्भ कराया गया था दो बार कार्य रोका गया है तीसरी बार कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ है।

(2) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

मूंडत्या खेड़ी तालाब की मरम्मत

914. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मूंडत्या खेड़ी तालाब (जिला झालावाड़) की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
सका है जब कि मंत्री जी ने जून, 1972 तक पूरा करवाने का आश्वासन दिया था ?

(2) इस तालाब पर अब तक कितना खर्चा हो चुका है और पूरा होने में कितनी लागत और लग जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि तालाब पर जो ठेकेदार कार्य कर रहा था वह कार्य अधूरा छोड़कर भाग गया और मजदूरों की 5000) के लगभग मजदूरी भी नहीं चुकाई गई ? यदि हां, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा ?

उत्तर

(1) इसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(2) अब तक इस कार्य पर लगभग 2.20 लाख रु. खर्च हो चुका है। इसके पूरा होने के लिए 5 हजार रुपये और खर्च होंगे।

(3) एक ठेकेदार जो काम अधूरा छोड़ गया, उसके मजदूरों का कुछ भुगतान बाकी था। विभाग के पास ठेकेदार के जो पैसे पड़े थे उनमें से 1726.79 रु. का भुगतान मजदूरों को कर दिया गया है। बाकी मजदूरों के नाम एवं पिता के नाम न मिलने के कारण भुगतान न हो सका। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है।

पिड़ावा-कोटड़ी सड़क

920. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा-कोटड़ी सड़क निर्माण कार्य पर करीब करीब 2 लाख रुपया खर्च किया गया बताया था, जबकि वह रकम खर्च नहीं की गई तथा जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव इंजिनियर, जिला झालावाड़ को मुअत्तिल किया गया था ? यदि हां, तो उस केस का क्या हुआ ?

(2) क्या पिड़ावा-कोटड़ी सड़क फिर से बनाई जाने की योजना है ? अगर हां, तो कब से शुरु होगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिड़ावा-सुनेल रोड की कई पुलियां दो साल पहले टूट गई थी तथा जिसकी जांच कराने के लिये गत विधान सभा सत्र में कहा था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला और किन किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) 2,79,304) रुपये व्यय किये गये हैं। जांच की जा रही है। मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, के विचाराधीन है।

(2) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) टूटी हुई पुलियाओं की मरम्मत कराने के आदेश दे दिये गए है जांच के बाद ही दोषी कौन है यह कहा जा सकता है।

बूंदी जिले में बन्दोबस्त का कार्य

921. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बुन्दी जिले में गत कुछ वर्षों में कृषि भूमि का बन्दोबस्त हुआ है ? यदि हां तो कब से कब तक हुआ और इनके पर्चे तहसीलवार कब कब बांटे गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील केशोरायपाटन में पर्चे पहले वितरित हुए और लगान इस वर्ष से लिया गया जब कि हिण्डोली तहसील में पर्चे इस वर्ष बंटे और लगान गत वर्ष से लिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व मंत्री से दिनांक 24-1-73 को बून्दी का शिष्टमण्डल बढ़ी हुई 6 और 8 गुणी दरों के विवाद को लेकर मिला था ? यदि हां, तो बढ़ाई गई दरों को किन किन तथ्यों, आधारों, दृष्टिकोण और अनुपात से निर्णय लिया जा कर बढ़ोतरी की गई है ?

(4) क्या सरकार किसानों के इस असन्तोष को दूर करने के लिए तथा असमान रूप से बढ़ाये कई गुणा भूमि कर को कम करने के लिए पुनः बन्दोबस्त करने के लिए तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी हां। केशोरायपाटन में पर्चे 1966 में बंटे और लगान जुलाई, 72 से लिया जाने लगा है। हिण्डोली में पर्चे सन् 1972 में बटे और लगान जुलाई, 71 के लिए जाने के आदेश हैं।

(3) जी हां। लगान की दरें राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तथा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणा के दिनांक 25-3-70 के आधार पर निर्धारित की गई है।

(4) बन्दोबस्त सम्बन्धी कठिनाइयों का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

लाडनू के बिजली के बिलों का भुगतान

922. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं, जिला नगौर के उपभोक्ताओं की संख्या दो हजार के करीब है और उनको बिजली के बिलों का भुगतान करने 20 मील दूर जाना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बिलों का भुगतान हेतु केवल एक दिन मास में लाडनूं में दिया जाता है जिससे समय पर सब की रकम जमा नहीं होती है ?

(3) लाडनूं शहर की आबादी और उपभोक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लाडनूं शहर में ही रकम जमा करने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(श्री दीपंकर)

(4) क्या यह सही है कि लाडनूं में ए. ई. एन. का पद सृजन करने का विचार सरकार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लाडनूं सब ऑफिस के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 73 तक 1782 है। इन उपभोक्ताओं को बिल के भुगतान के लिए 20 मील दूर नहीं जाना पड़ता।

(2) जी नहीं। महीने की 19 तारीख से 31 तारीख तक हर दिन बिलों का भुगतान लिया जाता है।

(3) आजकल भी लाडनूं पावर हाउस में ही उपरोक्त तारीखों में बिल जमा कराने की व्यवस्था है।

(4) जी नहीं।

सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों से किराये की वसूली

925. श्री मनोहरलाल (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी आवासों में रह रहे अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन बिलों में से कटौती कराने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कटौती मांग-पत्र नियमित रूप से प्रति माह सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को भेजे जायं ?

(2) जयपुर शहर क्षेत्र में ऐसे कितने आवास हैं जिनके सम्बन्ध में कटौती मांग-पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रति माह सम्बन्धित विभागों को नहीं भेजे जाते और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवासों का किराया सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन बिलों से काट लिया जाता है किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग में इसको पोस्टिंग नहीं की जाती है और वर्षों बाद एरियर स्टेटमेन्ट बनाकर दुबारा किराया वसूली के लिये विभागों को भेजे जाते हैं ?

(4) कृपया यह बतायें कि इसमें से कौन कौन से आवास के किराये की वसूली की पोस्टिंग अपूर्ण पड़ी हैं और क्यों तथा इन्हें कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

(5) पोस्टिंग प्रति माह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से की जावे, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

(6) राज्य बीमा विभाग की भांति प्राप्त राशि की वार्षिक तालिका सम्बन्धित कर्मचारी या विभाग को सर्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भेजे जाने में क्या कोई कठिनाई है ?

(7) सरकार इस प्रकार की व्यवस्था किस प्रकार से करने का विचार रखती है कि कर्मचारियों को वेतन बिलों से किराया कटने के बावजूद उनके नाम दुबारा वसूली नहीं निकाली जायेगी ?

(स्थगित किया गया)

तहसील राशमी में सेटलमेन्ट का कार्य

926. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील राशमी में सेटलमेन्ट का कार्य समाप्त हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि सेटलमेन्ट के वक्त दूसरों को आराजी को दूसरे व्यक्तियों के खाते में इन्द्राज कर दी है ? क्या इस सम्बन्ध में तहसील राशमी के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार को हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उन शिकायतों पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, इस संम्बन्ध में प्रधान, पंचायत समिति, राशमी की ओर से एक पत्र प्राप्त होने पर भू-प्रबन्ध आयुक्त को इस सम्बन्ध के समस्त आवेदन-पत्रों को मौके पर रह कर जांच करने के आदेश कर दिये गये हैं एवं अग्रिम आदेश तक सम्वत् 2028 की वसूली के स्थगन के आदेश भी दे दिये गये हैं।

औषधालय के कर्मचारियों का वेतन

927. **श्री मेठमल बरवड़** (परबतसर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रमेशचन्द्र, औषधालय बाजोट, श्री महेशचन्द्र, औषधालय रोहिणी, श्री गोपाललाल औषधालय, मनाणा जिला नागौर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन तीनों कर्मचारियों की नियुक्ति किन तारीखों में को गई तथा अब तक इनका किन किन स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारी स्थाई हैं अथवा अस्थाई ? यदि अस्थाई हैं तो अब तक इन्हें स्थाई क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तीनों कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है जबकि ये नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(4) उक्त कर्मचारियों का वेतन इतने लम्बे समय तक रोकने का क्या कारण है और अब इनको वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अस्थाई है। नियुक्ति अनियमित होने के कारण स्थाई नहीं किया।

(3) जी हां।

(4) नियोजन कार्यालय से नाम प्राप्त न होने से चुकारा नहीं किया जा सका। नियोजन कार्यालय से नाम प्राप्त होते ही वेतन चुकारा किया जाना सम्भव होगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सवाई माधोपुर सिंचाई उप खण्ड में सीमेन्ट की खरीद

928. श्री करनसिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर सिंचाई उप खण्ड में पिछले दस वर्षों में कितनी सीमेंट की बोरियां प्राप्त हुई और उनको किस तरह काम में लिया गया और उनमें से कितनी बोरियां ठेकेदारों को दा ई तथा उनसे कितनी बोरियां वापिस प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1971 की बाढ़ में सवाई माधोपुर खण्ड में 2 लाख रुपये से अधिक की राशि की खाली बोरियां खरीदने के लिए व्यय की गई जबकि सिर्फ 5,000 हजार रुपये के करीब की ही खाली बोरियां खरीदी गई हैं ? यदि हां, तो क्या इसका हिसाब रखा गया है ?

(3) क्या यह सच है कि 1971 में 5 लाख रुपये के करीब से वर्षा मापक यंत्र खरीदने के नाम पर व्यय किया गया ? यदि हां, तो ये यंत्र कहां कहां कब कब काम आये और मार्च सन 1972 में कितने भण्डार में बकाया थे ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर उप खंड में 8-6-71 से 21-9-72 तक 100.75 मैट्रिक टन सीमेंट खरीदा गया जिसमें से 99.5 मीट्रिकटन विभिन्न कार्यों पर खर्च हो गया और 1.25 मीट्रिक टन इस समय स्टोक में हैं। इससे पहले सितम्बर, सन 1960 से मई, 1971 तक कुल 1938 मीट्रिक टन सीमेन्ट इस उप खण्ड में खरीदा गया। इसके उपयोग का उप खंड द्वारा ठीक प्रकार से हिसाब नहीं रखे जाने के कारण खर्च का ब्योरा उपलब्ध नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1971 में 3,40,800 रुपये के वर्षा मापक यंत्र व वर्षा मापक गिलास खरीदे गये। वर्ष 1971 और 1972 में मार्च तक 3460 वर्षा मापक यंत्र और 1920 वर्षा मापक गिलास उप जिला विकास अधिकारी एवं तहसीलदारों को पंचायत समितियों में लगाने हेतु भेज दिये गये, मार्च, 1972 में पुराने स्टॉक को मिला कर 415 यंत्र व 633 वर्षा मापक गिलास स्टोर में बकाया थे।

(4) भरतपुर फ्लड कन्ट्रोल नहर पर अभी तक कुल 35.60 लाख रुपया खर्च किये गये हैं। अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ मिट्टी का कार्य, पुल निर्माण कार्य तथा रेगुलेटर (चिकसाना बांध) का कार्य रह गया है। इस नहर को भरतपुर शहर बाढ़ नियंत्रण की पूरी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी स्वीकृति एवं आवश्यक धन राशि के उपलब्ध होने पर काम को पूरा करवा दिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम तपीपला तहसील श्री माधोपुर में विद्युत् लाइन

552. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नीम का थाना उप खण्डों में सहायक अभियन्ता श्री चिरंजीलाल अग्रवाल, ग्राम

(श्री मालाराम)
तपोपला, तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि कनेक्शन प्रायोरिटी संख्या 5, 8, 11, 28 में किस खसरा नम्बर की सिक्यूरिटी जमा की कब लाईन खींचने का आदेश जारी किया और किस खसरा नम्बर के लिए विद्युत् लाइन खींची गई और कब कनेक्शन दिये गये ?

उत्तर

वाच्छित सूचना संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्तियां

553. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत प्रधान प्रबन्धक एव मुख्य लेखाधिकारी ही राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने का प्रावधान है ?

(2) वर्तमान में निगम में किन किन पदों पर कितने कितने राज्य कर्मचारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं ? तथा इनको प्रति नियुक्ति पर रखने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम कर्मचारियों ने इस प्रतिनियुक्ति प्रथा का विरोध किया है ? यदि हां, तो कब से यह विरोध किया जा रहा है एवं इसे दूर करने के लिये निगम द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि हाल ही में निगम प्रशासन ने राज्य सरकार से निगम में प्रतिनियुक्ति प्रथा खतम करने की इच्छा व्यक्त की थी जिसके फलस्वरूप निगम प्रशासक ने निजी सहायक के रूप में सचिवालय के एक आशुलिपिक के प्रतिनियुक्ति आदेश रद्द कर दिये गये थे ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस सबके बावजूद भी अभी हाल में ही निगम में 8-10 लेखाकार प्रतिनियुक्ति पर बुला लिये हैं और अस्थाई रूप में इन पदों पर कार्य कर रहे निगम कर्मचारियों को अभी पद रिक्त होते हुए भी पदअवनत कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी पद अवनत किये गये हैं ?

(6) क्या यह सही है कि श्री हनुमान सहाय एवं अन्य 6-7 निगम कर्मचारी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लेखाकारों की परीक्षाओं में पूरे राजस्थान में अव्वल आये थे एवं निगम द्वारा पदोन्नति का अवसर न दिये जाने के कारण निगम को छोड़ कर राज्य सेवाओं में चले गये हैं ?

(7) क्या यह भी सही है कि निगम में पदोन्नति के रास्ते बन्द देखकर कई निगम कर्मचारी राज्य सेवाओं एवं अन्य संस्थानों में उच्च पदों पर जा चुके हैं एवं अब भी जा रहे हैं ?

(8) क्या यह सही है कि निगम की स्थापना हुए लगभग 8-9 वर्ष हो चुके हैं और बहुत से पुराने राज्य कर्मचारी अपना विकल्प देकर निगम सेवाओं में रह गये थे ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
यदि हां तो क्या इतने लम्बे अर्से में निगम लेखाकार के पदों पर भी अपने कर्मचारी नियुक्त करने में सफल नहीं हो सका और राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी रखे जाते हैं ?

(9) ऐसे निगम कर्मचारी जो पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं एवं जिनकी पदोन्नतियां प्रतिनियुक्ति प्रथा के कारण रुकी हुई हैं, की एक सूची उनके उक्त पद पर नियुक्ति दिनांक एवं शैक्षणिक योग्यता दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

2. वर्तमान में निगम में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं:—

क्र. सं. नाम व पद	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों की सख्या
1. उप प्रधान प्रबंधक	2
2. लेखाधिकारी	4
3. क्षेत्रीय प्रबंधक (प्लानिंग और डवलपमेन्ट) एवं जोधपुर	2
4. कार्मिक अधिकारी	1
5. सहायक अभियन्ता	1
6. लेखाकार	16
7. ओवरसियर	1

निगम, में योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों के अभाव में प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार से उपरोक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया।

3) जी हां। निगम इस विषय पर विचार कर रहा है तथा एक विशिष्ट सैल, स्टाफ की रिक्रूटमेन्ट ट्रेनिंग आदि समस्याओं पर विचार करने के लिए बनाया गया है।

(4) निगम प्रशासन की यह विचारधारा है कि यथासम्भव अधिकांश जगहों पर निगम के अपने ही कर्मचारी हों। यह सही नहीं है कि निगम में प्रतिनियुक्त आशुलिपिक को प्रतिनियुक्ति की प्रथा खतम करने के दृष्टिकोण से कार्यमुक्त किया गया।

(5) निगम के कार्य में वृद्धि को देखते हुये कुछ लेखाकारों के पद बढ़ाये गये हैं जिन पर कि अस्थाई तौर से राज्य सरकार से कुछ अनुभवी लेखाकारों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। यह सही नहीं है कि लेखाकारों के पद पर प्रतिनियुक्तियों से किसी निगम कर्मचारी को पद अवनत किया है।

(6) निगम के कुछ लेखालिपिकों ने जिनमें श्री हनुमान सहाय भी शामिल हैं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लेखाकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास की थी तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान करने पर उन्हों ने निगम सेवा में रहने (लेखाकार के पद पर) के लिये अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी अतः उन्हें निगम में

(यातायात मंत्री)

लेखाकार के पद पर कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा सका।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां। लेखाकार के पद पर पदोन्नत होने के लिये लेखाकार की परीक्षा पास करना आवश्यक है। नियम द्वारा लेखाकार परीक्षा सम्बन्धी नियम बना लिये गये हैं जो कि राज्य सरकार के पास जा चुके हैं और उन पर विचार हो रहा है। सरकार के निर्णय के पश्चात् नियम द्वारा परीक्षा ली जावेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण लेखा लिपिकों को लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जावेगा। फिर भी 3 लेखालिपिकों के पद पर पदोन्नतियां भी की है।

(9) सूचना सदन की पटल पर पेश हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

लालसोट व सिकराय तहसीलों में स्थापित ट्रान्सफार्मर

554. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ए. ई. एन., दौसा के अधीनस्थ ऐसे कितने ट्रान्सफामर हैं जिनसे स्वीकृत क्षेत्र की अपेक्षा अस्वीकृत क्षेत्रों में विद्युत् कनेक्शन अधिक दे रखे हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जो स्वीकृत होते हुए भी विद्युत् कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ट्रान्सफारमर उक्त ग्रामों से दूर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि लालसोट व सिकराय तहसील में अधिकतर ट्रान्सफारमर स्वीकृत क्षेत्र के बिलकुल छोर (किनारे पर) पदस्थापित किए गए हैं, जिनसे स्वीकृत क्षेत्र की बजाय अस्वीकृत क्षेत्र में विद्युत् कनेक्शन बड़े आराम से दे दिए जाते है ?

(4) क्या यह भी सही है कि क्षेत्र में कई कनेक्शन ऐसे भी बिना लगे हुए हैं, जो ट्रान्सफारमर से कुछ फुट की दूरी पर है? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त सारी गड़बड़ी, अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा उप खण्ड में 23 ट्रान्सफारमर ऐसे हैं जिनसे स्वीकृत ग्रामों की अपेक्षा अस्वीकृत ग्रामों में अधिक कनेक्शन हैं।

(2) जी नहीं। ट्रान्सफारमर स्वीकृत ग्रामों में ही लगाए जाते हैं और उसी ग्राम को विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। ट्रान्सफारमर स्वीकृत ग्रामों से दूर होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) लालसोट व सिकराय तहसील के 20 ग्रामों विद्युतिकृत हैं जिनमें 65 ट्रान्सफारमर लगे हैं, इनमें से केवल कुछ ट्रान्सफारमर ऐसे हैं जो स्वीकृत ग्रामों में एक तरफ स्थित हैं।

(4) कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर ही दिए जाते हैं न कि किसी कुए की ट्रान्सफारमर से दूरी के आधार पर इसमें ट्रान्सफारमर से दूर होते हुए भी

(विद्युत् मंत्री)
पहले आये प्रार्थी को पहले कनेक्शन दिया जाता है, जो नियमानुसार है।

ग्रामीण विद्युतिकरण पर व्यय की गई धनराशि

555. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 10 वर्षों में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए कितना धन व्यय किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) गत दस बर्षों में विद्युत् मंडल द्वारा विद्युत के उत्पादन व वितरण में कितना धन व्यय किया गया ?

(स्थगित किया गया)

विकास अधिकारियों की नियुक्तियां

556. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विकास अधिकारियों की नियुक्तियां सीनियोरिटी के आधार पर की जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वरिष्ठतम कृषि व पशुपालन प्रसार अधिकारियों को आज तक भी विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ऐसे कितने प्रसार अधिकारी हैं जो जूनियर मोस्ट होते हुए भी विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं ? तथा इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि आर. एस. आर. में ऐसा प्रावधान है कि जूनियर अधिकारी एवं कर्मचारी सीनियर से अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर सकता ? यदि हां, तो जूनियर प्रसार अधिकारी जो विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं क्या उनको सीनियर मोस्ट से अधिक वेतन नहीं दिया जा रहा है ? अगर दिया रहा है तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है ?

(5) क्या राज्य सरकार ने विकास अधिकारी के चयन हेतु कोई नियम बनाए हुए हैं ? यदि हां, तो क्या विकास अधिकारी का चयन इन नियमों के अनुसार किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार अब विकास अधिकारियों का चयन नियमों के अन्तर्गत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक चयन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विकास अधिकारियों के चयन के नियम बने हुये हैं। उनके अन्तर्गत उनकी नियुक्तियां की जाती हैं।

(2) अभी तक कृषि प्रसार अधिकारियों का चयन विकास अधिकारी पद हेतु नहीं किया गया है अतः तदर्थ नियुक्तियां यथासंभव उनकी वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही हैं। पशुपालन प्रसार अधिकारियों की चयन सूची

(सामुदायिकविकास मंत्री)
तैयार हो रही है, अन्तिम रूप देना शेष है।

(3) जब तक नियमों के अनुसार चयन नहीं होता है तब तक एडहोक नियुक्ति दी गई है उनमें से कुछ जूनियर भी हैं।

(4) विकास अधिकारियों का पद पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति का पद है। अतः जूनियर द्वारा अधिक वेतन पाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां। विकास अधिकारियों के चयन हेतु नियम बनाये हुए हैं। नोन केडर विकास अधिकारियों का चयन किया जा चुका है। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के चयन की कार्यवाही चालू है।

(6) जी हां! विकास अधिकारियों के चयन की कार्यवाही विचाराधीन है और शीघ्र ही चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी।

हिन्डौन से खरेट होते हुए मासलपुर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य

557. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन से सीधी खरेट होते हुए नई मासलपुर जाने वाली सड़क बनाने का आश्वासन दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस वर्ष इस सड़क के कार्य पर क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) आश्वासन की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जालोर जिले के ग्राम जसवन्तपुरा व रानीवाड़ा का विद्युतिकरण

558. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के ग्राम जसवंतपुरा एवं रानीवाड़ा पंचायत समितियों के मुख्यावास हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों के आसपास काफी तादाद में कृषि कुए आये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में शीघ्र विद्युत् पहुंचाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जालोर जिले के ग्राम जसवन्तपुरा व रानीवाड़ा पंचायत समितियों के मुख्यावास हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1971-72 व 72-73 में तहसील जसवन्तपुरा और रानीवाड़ा के 16 ग्रामों का विद्युतिकरण हेतु सर्वे किया गया था। सर्वे रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि इन ग्रामों में काफी तादाद में कृषि कुए हैं। ग्रामों की सूची कुओं की संख्या के साथ संलग्न है। इन ग्रामों के विद्युतिकरण के बारे में उस समय तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा

Page No 41

(विद्युत् मंत्री)
जा सकता जब तक जालोर को 132 के. वी. लाइन द्वारा उदयपुर सिरोही 132 के. वी. सिस्टम से जोड़ नहीं दिया जाता।

(कृपया परिशिस्ट 6 देखिये)

चिकित्सा विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति

559. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के चिकित्सा विभाग, जयपुर में कितने वरिष्ठ लिपिकों के पद सरकार द्वारा स्वीकृत हैं? और इन पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने कितने व्यक्ति हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति ऐसे स्थानों पर ही की जाती है जिससे वे वहां न जा सकें और उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सके?

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों की पदोन्नति बाड़मेर, झालावाड़, जालोर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर में ही की जाती है? यदि हां, तो कितने लोगों की इन जिलों में पदोन्नति किस किस साल में की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं तो किन किन जिलों में कितने कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? सूची वार ब्योरा देवें।

(4) क्या यह भी सही है कि 28 प्रतिशत सुरक्षित स्थानों पर पद वाईज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों की पदोन्नति होनी चाहिए? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?.

(स्थगित किया गया)

पेवर मशीन

560. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भारत सरकार के ट्रान्सपोर्ट मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार को इस आशय का आदेश कब प्राप्त हुआ था कि राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माणार्थ एक पेवर मशीन खरीदनी चाहिए? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक यह मशीन नहीं खरीदी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में किसी एक ठेकेदार ने इस मशीन को खरीदा है? यदि हां, तो उस ठेकेदार का नाम व पता क्या है?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर-देहली रोड (नेशनल हाई-वे) पर 1.40 करोड़ का निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कब से कब तक के लिये किस ठेकेदार को किस पर्सेन्टेज पर यह कार्य दिया गया?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(5) क्या यह सही है कि यह कार्य केवल एक ही ठेकेदार को पांच वर्ष के लिये दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिये वर्तमान ठेका देने से पूर्व ही निविदायें आमंत्रित की गई थीं ? यदि हां, तो कब तथा उन निविदाओं में सबसे कम पर्सेन्टेज की निविदा कितने परसेन्टेज की थी तथा उस कम पर्सेन्टेज वाले को यह ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

(7) क्या यह भी सही है कि पेवर मशीन से ही सड़क निर्माण करना आवश्यक नहीं है ?

(8) वर्तमान ठेका किस पर्सेन्टेज पर दिया गया है तथा पहले आमन्त्रित निविदाओं में सबसे कम पर्सेन्टेज वाली निविदा से इस निविदा को स्वीकृत करने से सरकार को कितना अधिक व्यय करना पड़ेगा ?

(9) क्या यह सही है कि इसी अवधि में जयपुर अजमेर नेशनल हाई-वे का निर्माण सम्बन्धी जो कार्य चल रहा है वह पेवर मशीन से नही हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और किसकी स्वीकृति से यह कार्य हो रहा है ?

(10) क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य अभियन्ता का पेवर मशीन वाले ठेकेदार से साझा है ?

उत्तर

(1) कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी हां।

(3) विभाग को जानकारी अनुसार मैसर्स भारत कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, मोहन सदन, रेजीडेन्सी रोड, जयपुर ने यह मशीन खरीदी है। अन्य फर्म की सूचना विभाग को नहीं है।

(4) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां।

निविदायें 18-5-71 को प्राप्त हुई थीं। तीन खण्डों में से 2 खण्ड न्यूनतम प्रतिशत वाले ठेकेदार को दिये गये हैं। तीसरा खण्ड दूसरे ठेकेदार को 5.65 प्रतिशत कम की न्यूनतम दर पर दिया गया गया है।

(7) जी हां।

(8) कार्य नये स्पेसिफीकेशन पर आईटम रेट पर दिया गया है। ठेका परसन्टेज आधार पर नहीं दिया गया है।

(9) जी हां।

भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार कार्य हो रहा है।

(10) यह सही नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

निगम के भण्डार में शोर्टेज

561. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के उप भण्डार

(श्री केशरीमल)
निरीक्षक श्री के. बी. शर्मा के अधीन स्टोर में अगस्त, 1964 में भौतिक सत्यापन के समय उनके विरुद्ध लगभग 700 रुपये की शॉर्टेज निकली थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री के. बी. शर्मा की मृत्यु मई, 1965 में किसी दुर्घटना में ड्यूटी देते समय हुई थी ? और क्या यह दुर्घटना कार्यशाला के प्रादेशिक यात्रिक अभियन्ता के स्कूटर पर हुई थी ? और क्या घटना के समय प्रादेशिक यांत्रिक अभियन्ता भी उस समय उनके साथ थे ?

(3) क्या उक्त दुर्घटना में हुए श्री शर्मा की मृत्यु के कारणों की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि श्री के. बी. शर्मा की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् जब उनके अधीन स्टोर का भौतिक सत्यापन करवाया गया था उस समय लगभग 31,111/- रुपये की शोर्टेज निकाली गई थी ? क्या इस सत्यापन के समय उनके किसी पारीवारिक प्रतिनिधि को साथ रखा गया था ? यदि हां, तो किसको और क्या वह इस शॉर्टेज से सहमत था ? और यदि नहीं, तो क्यों ? और ऐसे प्रतिनिधि के अभाव में सत्यापन के समय निकाली गई शोर्टेज वैध है और यदि वैध है, तो किस नियम के तहत ?

(5) क्या यह सही है कि इस शोर्टेज के कारण स्वर्गीय श्री शर्मा का पेन्शन केस अभी तक तय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक तय किया जाकर उनके परिवार को राहत पहुँचाई जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

562. श्री फारूकहसन (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई माधोपुर जिला प्रोडक्शन कमेटी ने जिले में विद्युतिकरण के लिये कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में ?

(2) क्या सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों की जो सिफारिश हुई उनमें से किसी भी गांव में बिजली पहुँचाई गई है ?

(3) प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिशानुसार सवाई माधोपुर तहसील के गांवों में पूरे तौर पर कब तक विद्युतिकरण हो जावेगा ?

(4) सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की बस्तियों में बिजली पहुँचाने हेतु समाज कल्याण विभाग से क्या कोई प्रस्ताव विभाग को दिया गया ? यदि हां, तो कहां कहां पर ऐसी बस्तियों में बिजली पहुंचाई गई ?

(5) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर पावर हाउस में गत वर्ष ट्रान्सफार्मर आदि के जल जाने से नुकसान

(श्री फारुकहुसेन)
हुआ ? यदि हां, तो कितनी मालियत का और यह नुकसान किस कारण हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची 'अ' संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र के गांवों की जानकारी विद्युत् मंडल को नहीं है। यद्यपि सवाई माधोपुर जिले की जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा 1972-73 में सिफारिश किये गये 198 ग्रामों में से 29 गांवों पर विचार किया जा चुका है। जिनकी स्थिति की सूची 'ब' संलग्न है।

(3) सवाई माधोपुर तहसील के सिफारिश किये गये ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक हो जावेगा यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(4) निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी विद्युत् मंडल को नहीं है यद्यपि सवाई माधोपुर जिले के 9 गांवों की बस्तियों के लिये 52835.00 रुपयों की स्कीमों की सिफारिश समाज कल्याण विभाग से प्राप्त हुई थी जिनमें से दो गांवों की रु. 4281.00 रुपयों की स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं और बाकी के लिये वर्ष 1973-74 में विचार कर लिया जायगा। सूची 'स' संलग्न है।

(5) जी हां, चार ट्रांसफार्मर खराब हुए थे। नुकसान का अन्दाजा लगाया जा रहा है। खराब होने के कारणों के सम्बन्ध में सप्लायर्स से बात चीत की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चेसिस की खरीद

563. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कितनी चेसिस वर्ष 72-73 में खरीदी हैं और कितनी चेसिस खरीदने का प्रावधान था ? यदि इससे कम ली गई है तो क्या कारण था ?

(2) उक्त चेसिस पर बॉडी बनाने का ठेका किन किन को दिया गया था और किन किन शर्तों पर ? पूरी डिटेल्स सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उक्त चेसिस की बॉडी में सामान निर्धारित शर्तों के अनुसार ही लगाया गया है, जैसे चद्दर, शीशा, सीट के लिये डनलप, रेग्जीन ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सामान घटिया दर्जे का लगा दिया गया है ? और जिस किस्म का तय किया गया था वह नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो निगम ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

(4) निगम द्वारा लोकल खरीद के क्या नियम हैं और क्या निगम की क्रय नीति के अनुसार लोकल खरीद की जा सकती है ?

उत्तर

(1) निगम ने वर्ष 1972-73 में कुल 145 चेसिस खरीदे हैं। इस वर्ष में इतने ही चेसिस खरीदने का प्रावधान था।

Page No 45

(यातायात मन्त्री)

(2) उपरोक्त 145 चेसिस में से 145 चेसिस मार्च, 73 के पहिले खरीदे गये हैं। उन पर बॉडी बनाने का ठेका निम्न प्रकार से दिया गया है:—

(1) मैसर्स गुलाबचन्द जगदीश नारायण, जयपुर 22 चेसिस

(2) मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी, जयपुर 15 चेसिस

(3) मैसर्स ऑटो बॉडी सेन्टर, जयपुर 8 चेसिस

मार्च, 73 में प्राप्त हुये चेसिस पर बॉडी बनाने का ठेका अभी विचाराधीन है। ठेका देने की शर्तें सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त चेसिस की बॉडी में सामान निर्धारित शर्तों के अनुसार ही लगाया गया है, घटिया दर्जे का नहीं।

(4) निगम द्वारा लोकल खरीद दो प्रकार से की जाती है:—

1. लिमिटेड टेन्डर, 2. रेट कॉन्ट्रेक्ट निगम की क्रय नीति द्वारा लोकल पर्चेज की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्वरूप शहर-रायसिंह शहर सड़क पर पुल का निर्माण

564. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्वरूप शहर-रायसिंह शहर सड़क पर 23 माइल पर एक पुल का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य का ठेका कब व कितने रुपयों में तथा किस ठेकेदार को दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि इस ठेकेदार को ठेके की रकम के अतिरिक्त एकस्ट्रा आइटम्स के रूप में भी काफी रकम का भुगतान किया गया? यदि हां, तो किस किस आइटम के लिये और कितना कितना भुगतान किया गया?

(3) क्या यह सही है कि भुगतान करने से पूर्व एक्स्ट्रा आइटम्स के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्य के पूर्ण होने का वास्तविक सत्यापन कराया जा कर इसके प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये थे? यदि हां, तो ऐसे प्रमाण पत्र किस किस अधिकारी द्वारा कब कब दिये गये?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भुगतान करने से पूर्व अधीक्षक अभियंता एवं अतिरिक्त अभियंता की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी? यदि नहीं, तो इस विषय में कब कब स्वीकृति प्राप्त की गई?

(5) उपरोक्त एक्स्ट्रा आइटम्स को मूल ठेके में क्यों नहीं शामिल किया गया?

(6) क्या इन एक्स्ट्रा आइटम्स के लिये ठेकेदार ने पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली थी? यदि हां, तो कब कब?

(7) इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार का कितने रुपयों का बिल भुगतान के लिये विभागीयस्तर पर विचाराधीन है?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी, हां।

24-1-72 को, 21,28,093) रु. का ठेका मैसर्स जसपालसिंह एण्ड कम्पनी को दिया गया था।

(2) 136.83 घनमीटर मिट्टी की अतिरिक्त लीड और लिफ्ट के रु. 12.31 पैसे का भुगतान किया गया है।

(3) सत्यापन कर भुगतान किया गया है।

(4) आवश्यक नहीं था।

(5) एस्टीमेट बनाते समय ध्यान नहीं आया।

मैसर्स मुन्नीलाल एण्ड कम्पनी को ठेका

565. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर-सम-धनाना सड़क का माइल से 25 माइल तक निर्माण का ठेका मैसर्स मुन्नीलाल एण्ड कम्पनी को दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों का ?

(2) इस कम्पनी को अब तक किन किन तारीखों में कितना कितना भुगतान किया जा चुका है ? और इसमें एक्स्ट्रा आइटम्स का कितना भुगतान किया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए भुगतान करने से पूर्व उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि नहीं, तो किस किस भुगतान के लिये ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी और कब कब ?

(4) क्या ऐसे अनाधिकृत भुगतान के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इन एक्स्ट्रा आइटम्स के सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उनके उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(6) ठेकेदार को ठेकों की शर्तों के अतिरिक्त कितना कितना एडवान्स तथा अन्य प्रकार का कितना कितना सामान एवं सुविधा कब कब दी गई ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क का ठेका

566. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क पर सूरतगढ़

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
की ओर से 0 माइल से 13 माइल तक के निर्माण कार्य का ठेका किस ठेकेदार को कितने रुपयों में कब दिया गया था ?

(2) उक्त ठेकेदार को ठेके की रकम के अतिरिक्त किस किस आइटम्स के लिये किस किस तारीख को कितने कितने रुपयों का भुगतान किया गया ? और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भुगतान करने से पूर्व एक्स्ट्रा आइटम्स के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्य के पूर्ण होने का वास्तविक सत्यापन कराया जाकर इसके प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे प्रमाण-पत्र किस किस अधिकारी द्वारा कब कब दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भुगतान करने से पूर्व अधीक्षक अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि नहीं, तो इस विषय में कब कब स्वीकृति प्राप्त की गई।

(5) उपरोक्त एक्स्ट्रा आइटम्स को मूल ठेके में क्यों नहीं शामिल किया गया ?

(6) क्या इन एक्स्ट्रा आइटम्स के लिये ठेकेदार ने पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो कब कब ?

(7) इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार को कितने रुपयों का बिल भुगतान के लिये विभागीय स्तर पर विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) मेसर्स कुलदीप सिंह एण्ड कम्पनी को 7,78,123) रुपये का ठेका दि॰ 21-1-71 को दिया गया था।

(2) निम्नलिखित आइटम्स का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

1. मिट्टी कमपेक्शन	7,20,986) रु.
2. मिट्टी की ढुलाई	1,14,970) रु.
3. ईंटों की अतिरिक्त ढुलाई	20,842) रु.
4. झामा की अतिरिक्त ढुलाई	15,789) रु.
5. झामे की साईज 25 से 40 एम. एम. कराई	18,790) रु.

(3) जांच कराई गई है, जो विचाराधीन है।

(4 से 6) जांच कराई गई है, विचाराधीन है।

(7) फाईनल बिल बनने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि कितने रुपये का भुगतान करना है।

चोहटन ग्राम की भूमि

567. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की चोहटन ग्राम की जमीन कुडियावाला बाड़ा के बारे में श्री हेमसिंह वल्द श्री सुलतान सिंह साकिन चोहटन ने डिप्टी कलेक्टर जागीर को अपनी निजी संपत्ति

Page No 48

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
करा देने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चोहटन ने उक्त आवेदन-पत्र के विरोध में उज्रदारी प्रस्तुत की ?

(3) क्या यह सही है कि श्री हेमसिंह ने अपने उक्त दावे को लिखित तौर से प्रार्थना-पत्र डिप्टी कलेक्टर जागीर को प्रस्तुत कर विथड्रा किया जिस पर उनका आवेदन-पत्र खारिज हुआ ? उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त दावे के विथड्रा करने के बाद ग्राम पंचायत चोहटन ने उक्त जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने के लिये श्री हेमसिंह के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की ? यदि हां, तो वह तहसीलदार चोहटन द्वारा कब दर्ज की गई ?

(5) उक्त कार्यवाही का तहसीलदार, चोहटन द्वारा कब फैसला किया गया ? उक्त फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त फैसले के बाद में अभी तक श्री हेमसिंह का कब्जा नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण रहे ? अब कब तक कब्जा हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, श्री हेमसिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपने उक्त दावे को विथड्रा किया। निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(4) जी हां दिनांक 20-2-68 को दर्ज की गई।

(5) फैसला दिनांक 5-7-71 को दिया गया। फैसले की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां, अभी तक श्री हेमसिंह का कब्जा नहीं हटाया गया। इनको बेदखल करने के लिये तहसीलदार, चोहटन मौके पर गये परन्तु वहां श्री हेमसिंह लड़ाई झगड़े को तैयार हो गये। झगड़ा होने की स्थिति उत्पन्न होने से पुलिस की सहायता लेने को लिखा गया परन्तु यह मामला पंचायत समिति की स्थाई समिति में भी चलने के कारण तथा विकास अधिकारी के स्टे आ जाने से कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। पंचायत समिति के निर्णय होने तक जो स्थिति होगी उस पर विचार कर यथोचित कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

किसानों को पास बुकों का वितरण

568. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों को पास बुकें वितरण करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक राज्य में कितनी पास बुकों का वितरण

Page No 49

(श्री जयकिशनलाल)
किया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि हर जिलों से पास बुकों की मांग आती है पर सरकार मांग के अनुसार पास बुकें नहीं दे पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य में कब तक पूर्णरूप से सब खातेदारों को पास बुकें दे दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक राज्य 13,23,589 पास बुकों का वितरण काश्तकारों को किया जा चुका है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि जिलाधीश अपने जिले की आवश्यकतानुसार पास बुकों के आवन्टन के लिये मांग भेजते हैं। अब तक 22,10,094 पास बुकें छपवाई जाकर जिलाधीशों को काश्तकारों में वितरण हेतु आवंटित की जा चुकी हैं, जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) वर्तमान आदेशानुसार पास बुकों का वितरण काश्तकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि कोई काश्तकार पास बुक लेने का इच्छुक हो तो ही उसे पास बुक दी जाती है। पास बुकों का वितरण शीघ्र ही किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की नदियां

569. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) राज्य में नदियों की संख्या कितनी है व उनका कितना प्रतिशत पानी सिचाई कार्यों के उपयोग के लिये लिया जा रहा है ?

(2) सन् 1954 में उन नदियों की संख्या कितनी थी व उनका कितना प्रतिशत पानी सिचाई कार्यों के प्रयोग के लिये लाया जाता था ?

(3) वर्तमान में उपयोग के पश्चात् में कुल कितना पानी है और उससे कितनी भूमि को सिंचित किया जा सकता है ? क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो कब ? कृपया योजना का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य में नदियों की संख्या 59 है। सिचाई कार्यों के लिए कुल उपलब्ध पानी का 41 प्रतिशत पानी इस समय उपयोग में लाया जा रहा है।

(2) सन् 1954 में राज्य में नदियों की संख्या 59 ही थी। सिंचाई कार्यों के लिये लगभग 25 प्रतिशत पानी उपयोग में लाया जाता था।

(3) वर्तमान में राज्य की कुल सिंचाई उपयोग के पश्चात् 380 टी. एम. सी. पानी शेष रह जाता है। इतने पानी से कितनी भूमि सिंचित हो सकती है। यह

(सिंचाई मंत्री)

योजनाओं पर निर्भर करता है। इसमें से 66 टी. एम. सी. पानी को उपयोग में लेने के लिए योजनायें प्रगति में हैं। या सर्वेक्षण में हैं। इसके अतिरिक्त 26 टी. एम. सी पानी का उपयोगी भविष्य में लेने के लिए सर्वेक्षण करना बाकी है। शेष 288 टी.एम.सी. पानी का उपयोग साधारण स्कीमों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

अधिग्रहीत भूमि

570. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 90 स्टैन्डर्ड एकड़ में से अधिक भूमि को अधिग्रहण करने के क्या राज्य सरकार ने कोई आदेश प्रसारित किये हैं? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त आदेश के जारी होने से 28 फरवरी, 1973 तक राज्य सरकार द्वारा कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त अधिग्रहीत भूमि में से कितनी भूमि पर राज्य सरकार का फिजीकल कब्जा है?

(4) क्या यह सही है कि अधिग्रहीत भूमि केवल कागजों में ही है वास्तविक रूप में अभी तक भूमि पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनकी कि वह भूमि थी? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त आदेश दिनांक 7-6-68 को जारी किए गए थे।

(2) उक्त आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही चल ही रही थी कि राज्य सरकार ने दिनांक 7-3-70 को आदेश प्रसारित कर 30 स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दे दिए। इन आदेशों के अन्तर्गत अब तक 1,26,050 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा कर कब्जे में ली गई है जिसके जिलेवार आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(3) उक्त समस्त भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा है।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

वाटर कन्ट्रोल सैल

571. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वाटर कन्ट्रोल सैल फार राजस्थान चण्डीगढ़ में कब कायम किया गया? क्या इसकी कोई शाखा फिरोजपुर में भी कार्य करती है? इस सैल में सिंचाई विभाग का स्टाफ क्या क्या काम करता है? पूर्ण विवरण दें तथा इस सैल पर प्रतिमाह कितना खर्च आता है? एवं इसके कायम होने से आज तक कितना खर्च हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि इस सैल का मुख्य लक्ष्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
प्रदेश की सरकारों से गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल नहर परियोजनाओं के लिये राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करना एवं पानी के रोटेशन की यथोचित व्यवस्था करना है? यदि हां, तो इस दिशा में यह सैल कहां तक कामयाब हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सैल कायम होने के बाद भी तीनों नहर परियोजनाओं का पानी का रोटेशन पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा ही कन्ट्रोल किया जाता है? एवं नहरों का जो ग्रुपिंग (ए) (बी) व (सी) में किया गया है उसमें भी इस सैल का कोई दखल नहीं माना गया है? यदि हां तो, क्या सैल के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को समय समय पर लिखा है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार को सन्देश भेजने या राजस्थान सरकार द्वारा सैल को भेजे गये सन्देशों के लिये पंजाब और हरियाणा सरकारें अपना सिलाई टैलीग्राम सिस्टम भी प्रयोग में नहीं लाने देती तथा सन्देशों के आदान-प्रदान के लिये भारत सरकार का पी. एण्ड टी. सिस्टम प्रयोग में लाना पड़ता है जो काफी मंहगा पड़ता है?

(5) इस सैल को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्तर्प्रान्तीय स्तर पर तथा भारत सरकार के स्तर पर राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं?

(6) इस सैल के स्थान पर उपरोक्त तीनों वृहद् परियोजना का उपरोक्त समस्त प्रान्तों से तथा भारत सरकार का जोइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम कायम करने के लिये राजस्थान सरकार प्रयत्नशील है? यदि हां, तो इस दिशा में किस किस लेवल पर क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं?

उत्तर

(1) (अ) चण्डीगढ़ में वाटर कन्ट्रोलर सैल, मई, 1970 में कायम किया गया।

(ब) जी हां, फिरोजपुर में भी एक खण्ड कार्य करता है।

(स) स्टाफ की सूची संलग्न है।

(द) इस सैल पर प्रतिमाह लगभग 30 हजार रु. खर्च होता है। 31-1-73 तक लगभग 8 लाख 50 हजार रुपये खर्च हुये हैं।

(2) (अ) जी हां।

(ब) सैल इस कार्य में काफी सफल रहा है।

(3) (अ) जी हां।

(ब) जी हां, इस विषय में भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को अवगत करा दिया गया। यह अभी बोर्ड के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। परन्तु सूचनायें जल्दी पहुंचे, इस विचार से पोस्टल तार प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है।

(5) सैल काफी प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है।

(सिंचाई मंत्री)

(6) इस विषय में अभी नोर्थ कौन्सिल की मीटिंग में विचार हुआ था और यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई एवं विद्युत मन्त्रालय इस विषय पर राज्य सरकारों से सहमती प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही करें।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

पेन्शन का मामला

572. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सहीराम राजस्व अधिकारी दिनांक 1-4-1955 को सूरतगढ़ तहसील, जिला गंगानगर से ऑफिस कानूनगो के पद से रिटायर हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजस्व अधिकारी को अभी तक बावजूद तकाजा के पेन्शन नहीं मिली है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) उपरोक्त पेन्शन के मामले में देरी करने की जुम्मेदारी किसकी है तथा अब उक्त कर्मचारी को कब तक पेन्शन मिल जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री सहीराम का सेवा अभिलेख पूरा नहीं होने के कारण पेन्शन केस तैयार नहीं हुआ है। सेवाकाल 19-12-25 से 30-12-28 व 22-11-43 से 30-9-44 व 8-3-51 से 31-3-55 तक का प्रमाणीकरण नहीं हो रहा था। जिसमें से 8-3-51 से 31-3-55 तक की सेवाकाल प्रमाणित करा दिया गया था। सत्यापन हेतु चाहे गये रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। सम्बन्धित रिकार्ड की तलास की जा रही है। सेवा अभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण बिलम्ब हुआ है।

(3) श्री सहीराम का अपने पेन्शन के लिए 1-4-55 से लेकर 1966 तक कोई प्रार्थना-पत्र देना रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। पेन्शन के लिए उस कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करवाता। जब तक इस कर्मचारी की सेवा पूर्णरूप से प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक इसे पेन्शन दी जानी सम्भव नहीं। कोलेट्रियल एवीडेन्स के आधार पर सेवा काल प्रमाणित करवाने के लिए श्री सहीराम को नोटिस दिया गया है। आशा है कि पेन्शन केस तीन माह में तय हो जावेगा। पेन्शन केस में देरी के लिए जिम्मेदारी के बाबत जांच व छानबीन की जा रही है। क्योंकि इस अवधि में अनेकों कर्मचारी तबदील हो चुके हैं। पूरी छानबीन के बाद ही किसी पर जिम्मेदारी कायम की जा सकती है।

ग्राम नासीरदा की चारागाह की भूमि

573. श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही कि ग्राम नासीरदा तहसील देवली में चारागाह भूमि को सिवाय

(श्री चतुरभुज)
चक में कन्वर्ट किया गया है? यदि हां, तो कब तथा क्या इस भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि ग्राम नासीरदा तहसील देवली में दिनांक 13-11-67 को 756 बीघा 9 बिस्वा भूमि का परिवर्तन सिवाय चक में किया जाकर 190 व्यक्तियों को अब तक 750।।) 4 भूमि आवंटन की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुनः आदेश दिनांक 31-12-69 द्वारा 335 बीघा 8 बिस्वा चारागाह एवं 20 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन नाडियों को सिवाय चक में परिवर्तन किया गया। किन्तु जिलाधीश के आदेश की अपील राजस्व मण्डल में हो जाने के कारण भूमि का आवंटन नहीं किया जा सका। अब राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 24-10-72 को हो गया है जिसके अनुसार अब अतिक्रमियों को बेदखल किया जा कर; शीघ्र ही आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

भूतपूर्व ठिकानों के कर्मचारी

574. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि जागीर के खालसा होने के पश्चात् दूदू तहसील के ठिकानों के भू. पू. कर्मचारियों को राज्य सेवा में लिया गया है? यदि हां, तो कितने और किस किस व्यक्ति को?

(2) क्या यह सही कि दूदू तहसील के ठिकानों के अनेकों व्यक्तियों को ठिकाने के कर्मचारी मानते हुए मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है? यदि हां तो किस किस व्यक्ति को कब से? सूची नाम व तिथि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति की ऑडिट रिपोर्ट

575. श्री जियिन (कुशलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि., आमेर रोड, जयपुर का ऑडिट किन किन वर्षों का किन किन तिथियों में हुआ था? ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन ऑडिट रिपोर्टों में समिति पर सरकारी स्टेम्प की बचत तथा अन्य प्रकार के गबन, घोटालों का आरोप लगाया गया? यदि हां, तो विभाग द्वारा पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या इस समिति की जांच के समय विभाग के अधिकारी द्वारा हिसाब के कोई कागजात जब्त किये गये हैं? यदि हां, तो क्या क्या कागजात जब्त किये गये और उनकी जांच के बाद क्या पाया गया?

(श्री जिंघिग)
आप रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बूंदी जिले की ग्रामीण समितियां

576. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में कितनी ग्रामीण सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बूंदी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ने 1972-73 में उक्त सहकारी समितियों को कितना कितना ऋण दिया ? तथा कितना कितना खाद व बीज दिया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों से कितनी कितनी राशि 1972-73 में वसूल की गई तथा कितनी कितनी राशि बकाया है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया।)

तहसील जयपुर, सांगानेर व आमेर की कृषि भूमि

577. श्री केदारनाथ, (गंगानगर), **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला अन्तर्गत तहसील जयपुर, सांगानेर व आमेर की कुछ कृषि भूमि को गृह निर्माण समितियों ने खरीद कर लिया है ? यदि हां, तो तहसीलवार ब्योरा सदन के पटल पर रखें कि कौन कौन से खसरा नम्बरान को (मय रकबा व किस्म जमीन दर्शाते हुए) किस गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा खरीद किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, जयपुर द्वारा उक्त तहसीलदारों को यह आदेश दिए गए थे कि गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम कृषि भूमि के नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किए जायें ? यदि हां, तो यह आदेश कब प्रसारित किए गए थे ? आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) जिलाधीश जयपुर के आदेश के बाद, क्या उक्त तहसीलों में कोई कृषि भूमि का नामान्तरकरण गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम भरा गया है ? यदि हां, तो किस तहसील में ? किस तहसीलदार के आदेश से ?

(4) क्या तहसील जयपुर के ग्राम नाहरगढ़, विजयमहल, सन्तोषसागर, ताल कटोरा की किसी कृषि भूमि का नामान्तरकरण किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम पर भरा गया है ? यदि हां, तो किस ग्राम में ? किस खसरा नम्बरान का ? और किस सहकारी समिति के नाम ?

(5) क्या उक्त भरे गए नामान्तरकरण, जिलाधीश कार्यालय के उस आदेश

(श्री केदारनाथ)
(श्री निरंजननाथ आचार्य)
के बाद भरे गए हैं जिसके अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरना चाहिए था ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील जयपुर व सांगानेर में गृह निर्माण सहकारी समिति ने कृषि भूमि क्रय की है। सूची इच्छित ब्यौरे सहित परिशिष्ट "क" संलग्न है ?

(2) जी हां। यह आदेश तहसीलदार जयपुर व सांगानेर को दिनांक 5-3-69 को दिए गए थे। आदेश की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। तहसील सांगानेर में श्री सूरजप्रकाश, श्री सूरजमल गुप्ता व श्री शन्तुलाल तहसीलदार तथा श्री मनोहर सिंह, नायब तहसीलदार के आदेश से।

(4) जी हां। ग्राम नाहरगढ़ में संख्या नम्बर 212/3, 214/1 व संतोषसागर में खसरा नम्बर 41, 42, 43 व 44 गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति का नामान्तरकरण श्री जगदीश नारायण गर्ग तत्कालीन तहसीलदार द्वारा तस्दीक किए गए हैं। ग्राम तालकटौरा व विजय महल की कोई भूमि का नामान्तरकरण गृह निर्माण सहकारी समिति के हक में तस्दीक नहीं हुए हैं।

(5) जी हां। खरीददारान से अंडरटेकिंग लेकर कि वह कृषि भूमि को कृषि कार्यों में काम नहीं लेंगे, यह नामान्तरकरण स्वीकार किए गए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:—

(1) श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा ने सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में शुद्ध पेय जल उपलब्ध न होने से श्रमिकों को पीलिया होने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव सदस्य, विधान सभा ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में आज से धरने पर बैठने के विषय में एक स्थगन की सूचना दी है।

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने गत 29 मार्च को गोपालबाड़ी में रहने वाली एक आयकर अधिकारी की पत्नी की कार से कुचल कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने तहसील करणपुर के एक चक में श्री गुरदीपसिंह द्वारा पिछड़ी जन जाति की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने गेहूं का थोक व्यापार गत एक अप्रेल से लागू होने पर भी उसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह प्रश्न राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है और ये अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री मोहम्मद गफ्फार अली और श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर जिले के 500 किसानों को कृषि विभाग को बेचे गये संकर बाजरा और ज्वार के बीज की कीमत न चुकाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा ने बीकानेर व नागौर रेलवे स्टेशनों के बीच पुलिस की हिरासत में से एक कुख्यात डकैत के चलती रेल से भाग जाने में सफल हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर में क्षतिग्रस्त इलाके में किसानों से मालगुजारी आदि वसूल करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर सदन में दिनांक 27 मार्च, 1973 को राजस्व मन्त्रीजी द्वारा एक वक्तव्य दिया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों से संकर बाजरा और ज्वार बीज के लिए सरकार ने खरीदा है उनका पेमेन्ट नहीं करने से वे किसान बैंकों की किश्ते नहीं दे पाये हैं जिनसे इसके लिये किसानों ने लोन लिया था और इस कारण बैंक उन को परेशान कर रहे हैं। उनकी हालत अच्छी नहीं है। अकाल के कारण वे और भी बुरी हालत में हैं पर बैंक वाले उनको फिर भी तंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार के पेमेन्ट की उम्मीद में किसानों ने बैंक वालों से उनकी किश्त चुकाने का वादा कर लिया था और सरकार से पेमेन्ट नहीं मिलने से उनके वादे फेल हो रहे हैं और लाखों रुपया, जो बैंकों ने उनको दिया है तो वे और बैंक दोनों संकट में फंस गये हैं। इसके लिये मन्त्री महोदय तुरन्त कार्यवाही करके उनका पैसा दिलावे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसी बारे में।

श्री अध्यक्ष : ये बोल तो चुके हैं। कुछ और कसर रह गई है क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आज सरकार ने अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया है मगर किसानों को इसी

Page No 57

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
तरह से लेट पेमेन्ट करने या न करने की आदत रखी और पेमेन्ट में पूरी सतर्कता नहीं बरती तो सरकार की साख उठ जायेगी और सरकार को गेहूं की वसूली में दिक्कतों का सामना करना होगा। इसका न जाने क्या हस्र होगा, यह सरकार सोचे।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में बोर्डर के गांवों में से बोर्डर से लगे हुए एक एक, आधा आधा और दो दो मील के गांवों में से आज मालगुजारी वसूल की जा रही है। लोग परेशान और हैरान हैं। आपने फरमाया था इसके बारे में कि इसमें पहले विचार हो चुका है। पर कहने के बाद भी सरकार ने अभी कुछ नहीं किया है। वहां तो मुआवजे का सवाल था। कुर्कियां हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन कुर्कियों की वसूली तुरन्त बन्द की जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने उस पर नीति का प्रश्न कह कर टाल दिया। पर अब जबकि गेहूं खुले बाजार से मिलना बन्द हो गया और सरकार ने कोई आल्टरनेट अरेन्जमेन्ट नहीं किया तो लोग गेहूं कहां से खरीदेंगे ? वितरण की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? सरकार की सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या अपर्याप्त है। दो किलो अनाज देने की बात भी गलत है। उसकी एवज में अब आठ किलो होना चाहिये। सरकार किस तरह से वितरण करेगी, क्या वार्ड वाइज करेगी ? राशन कार्डों पर करेगी ? ऐसा लगता है अब तो शक्कर, गेहूं, घासतेल सभी राशन कार्डों पर मिलेगा और राशन कार्ड तैयार करने की भी सरकार की व्यवस्था नहीं है। लोग आठ आठ रुपया आने जाने में और राशन कार्ड बनवाने में खर्च करते हैं। फिर भी नहीं मिलते। महीनों टप्पे खाते हैं। तो इस दृष्टि से राशन कार्ड भी जिनको मिलना चाहिये उनको तुरन्त मिले इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। जिनके राशन कार्डों में बढोतरी होनी चाहिये घर के बढ़े हुए व्यक्तियों के हिसाब से उस हिसाब से रद्दोबदल भी तुरन्त हो जाय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। सदन में इन सब व्यवस्थाओं के बारे में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं और आगे क्या उठाने जा रही है इसकी जानकारी दी जानी चाहिये।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव 29 तारीख को गोपालबाड़ी में अजमेर की पुलिया के पास आयकर अधिकारी की पत्नी की कार दुर्घटना के बारे में है.... "

श्री अध्यक्ष: जानकारी चाही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: माननीय अध्यक्ष जी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह खेद का विषय है। लोगों में निराशा है....

श्री अध्यक्ष: I again request the honourable member that adjournment motions in which I request the Government to send information should be distinguished from the adjournment motions which

Page No 58

(श्री अध्यक्ष)
have been rejected. I have drawn attention of the honourable member to the point.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तीसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव सवाई मानसिंह अस्पताल में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, उनको साप्ताहिक अवकाश देने की, राज्य सरकार ने घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : Same is the case with this adjournment motion. In this also information has been sought from the Government.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 9-9 महिने से वेतन नहीं मिला। उनको सप्ताहिक अवकाश मिले और चौथा स्थगन प्रस्ताव सवाई माधोपुर में 25 "

श्री अध्यक्ष : Same is the case with this adjourment motion.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : Same is the case with this adjournment motion.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन स्थगन प्रस्ताव थे। इन तीन में से दो को आपने जानकारी के लिये भेजा है और एक को रिजेक्ट किया है····

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट वाला तो छोड़ दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये जो अनाज का टेक ओवर सारे भारतवर्ष में चार स्टेट में हुआ है–1 अप्रेल से उसमें हमारी राजस्थान की भी स्टेट है और कल हजारों मजदूर मेहनत करने वाले मशक्कत करके रोज का दाना रोज खरीदते है और खरीद कर शाम की रोटी पकाते हैं वे सारे के सारे अनाज नहीं मिलने से मायूस हुये हैं। उनको कोई जगह नहीं मिली। अनाज की खरीद की सरकार ने घोषणा की है, जो खुदरा व्यापारी थे उनको अनाज की बिक्री के लिए लाइसेन्स देने की बात भी सरकार ने कही है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कुछ राजनैतिक दल के लोग अनाज के थोक व्यापार का विरोध कर रहे हैं, उस विरोध स्वरूप प्रदर्शन भी हो रहे हैं। चेम्बर ऑफ कामर्स में कल ही हमारे राज्य की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का भाषण हुआ है जिसमें यह बात जोर से कही गई है कि हम हर कीमत पर अनाज का थोक व्यापार लागू करेंगे·······

श्री अध्यक्ष : आप क्या फरमाना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं हमारा जो एक वर्ग विशेष है, उसकी विचारधारा के लोग और दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग है, वे अनाज के थोक व्यापार को असम्भव बनाना चाहते हैं, नाकामयाब बनाना चाहते हैं और इस विषय में कई कदम उठाये है। खुदरा व्यापारियों को अनाज का लाइसेन्स लेने नहीं दे रहे है····

श्री अध्यक्ष : बहुत डिटेल में नहीं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिना कोई ऐजेन्सी कायम किये अनाज की बिक्री जो फेयर प्राइस ग्रेन शॉप है वह केवल 3-4 हजार के बीच में है। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के लिए ये 3-4 हजार चीप ग्रेन शॉप; उनकी आवश्यकता को मीट नहीं कर सकती है और कल ही अनाज नहीं पहुँचा इसलिए राजस्थान के हजारों मजदूरों को, हजारों मेहनतकश लोगो को दाना नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कोई स्पष्ट नीति और स्पष्ट घोषणा नहीं की है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में कोई घोषणा करे। कोई डिस्ट्रिब्यूशन की ठोस एजेन्सी कायम करे और उसको फास्ट करने के लिए कुछ कमेटी कायम करे और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम तुरन्त कायय नहीं किया गया तो प्रतिक्रियावादी तत्व जो अनाज के थोक व्यापार को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, फेल करना चाहते हैं वे अपने लक्ष्य में कामयाब हो जायंगे। अभी पहले पहले दिन ही मेहनत करने वाले लोगों को दाना नसीब नहीं हुआ है तो सारी जगह निराशा का वातावरण फैल गया और प्रतिक्रियावादी लोग अपने उद्देश्य में कामयाव हो गए। राज्य के मंत्री हैं और सदन के नेता हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा आज ही निश्चित प्रोसेस की, निश्चित सिस्टम की घोषणा करें जिससे कल से हमारे देश के मेहनत करने वाले लोगों को सही ढंग से अनाज मिल सके।

दूसरा जो स्थगन प्रस्ताव है, जानकारी के लिए भेजा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा वह जानकारी का प्रश्न नहीं है। एक साल पहले भी इस सदन में यह प्रश्न आ चुका है....

श्री अध्यक्ष : वह पूछ ा ही नहीं चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ; अध्यक्ष महोदय, साहू सीमेन्ट फैक्टरी, जो सवाई माधोपुर में है, उसमे किस प्रकार सरकारी धन का बड़े मैनेजमैंट वाले उपयोग कर रहे हैं और करोड़ों रुपया लोन का जो दिया गया उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज वहां पर पानी, जो मजदूरों को दिया जाता है, उसमें गटर का पानी एड हो जाता है। वहां के 25 हजार मजदूर पीलिया और आन्त्रशोथ की बीमारी के शिकार हो गये हैं। इस प्रकार उनमें बीमारी फैल गई है जिससे 25 हजार मजदूरों का जन-जीवन खतरे में पड़ गया है.....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : साढ़े तीन करोड़ जो बिग इन्डस्ट्रियलिस्ट को दिया है जिसमें सबसे बड़ा शेयर साहू जैन का है उसमें हमारे श्रम मंत्री और हमारी सरकार इतना भी मजबूर नहीं कर सकती है कि शुद्ध पानी मजदूरों को दे सकें। इससे ज्यादा हार हमारी नीतियों की क्या होगी ? अध्यक्ष महोदय तीसरा प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : You should not follow your friend, Shri Bhargava.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी से मुझे ऐतराज है। इस प्रश्न पर स्टेटमैंट आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी की जरूरत नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : स्टेटमेन्ट की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : This is no occasion for that.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप दो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं....

श्री अध्यक्ष : और आप दोनों में एतबार नहीं करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चूंकि अध्यक्ष महोदय, कम से कम गंगानगर में 25 हजार ऐसे लोग हैं जो कर्मियों का काम करते हैं, बाकायदा उनका संघ है—नाई वगैरह उसमें अधिक हैं जिनकी तादाद करीब 22-23 हजार है। आज गंगानगर के बड़े भू-पति इन कर्मियों पर भयंकर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी स्त्रियों के सतीत्व को लूटा जा रहा है, उनकी इज्जत को लूटा जा रहा है। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है ऐसे 30 केस हुये हैं जबकि 8 केस रजिस्टर हुये हैं और 6 केस........

श्री अध्यक्ष : हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे सदन में डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। सोलाहों में महेन्द्र सिंह की स्त्री जोगेन्द्र कोर के साथ अत्याचार किया, व्यभिचार किया। उनके रिश्तेदार, भू-पति ने वहां के हायर सैकेन्ड्री के प्रेसीडेन्ट के यहां व्यभिचार किया इनके भू-पति, रिश्तेदार ने सतराहों में इसी प्रकार का व्यभिचार किया। यह रोज का प्रोसेस हो चुका है........

श्री अध्यक्ष : सदन समाप्त हो उसके पहले शायद कार्यवाही करेंगे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं राज्य के गृह मन्त्री और मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़े भू-पति गंगानगर में रहते है जहां हरिजनों की स्त्रियां किसी प्रकार सुरक्षित नहीं हैं। कोई कांक्रीट कदम उठायें। 107, 151 में हरिजनों की जमीनों को इजेक्ट करते हैं। बड़ा गम्भीर प्रश्न है। स्टेटमेंट आना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आर्डिनरी तौर पर तो जवाब नहीं देना चाहता हूं, बिना जानकारी किये लेकिन फिर भी ऐसे मुद्दे उठाये गये हैं जिसमें थोड़ी बहुत जानकारी है। सबसे पहला मुद्दा तो अनाज बंटा या नहीं बंटा। जहां तक मैं दिल्ली में था बराबर टेलीफोन करता रहा और मुझे यह बताया गया है कि चीप ग्रेन शॉप्स द्वारा बांटने की कोशिश की जा रही है। जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है, गवर्नमेंट यह मानती है कि थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया है, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों को परमिट दिये हैं जिससे कारोबार चलता रहे। इसी प्रकार फेयर प्राइस शॉप्स ज्यादा खोलने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही रबी को क्रॉप आयेगी फेयर प्राइस शॉप से इसकी व्यवस्था की जायगी तो जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसकी तस्वीर राजस्थान सरकार के सामने

(श्री बरकतुल्ला खां)
क्लियर है और भारत सरकार ने भी यह माना है कि खुदरा व्यापारियों को खत्म नहीं करना है। उसी को लेकर हम चल रहे हैं और खुदरा व्यापारियों और फेयर प्राइस शॉप्स दोनों को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक हो जायेगा। कल कोशिश की है और मैं बराबर टेलीफोन पर कोशिश करता रहा हूं।

श्री मीठालाल : करते रहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : करता रहूंगा और क्या बात है।

श्री शंकरलाल : जवाब आने दीजिए। बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : दूसरा मौलिक सवाल था वह हरिजनों के बारे में था। इसमें केसेज आये हैं और इन्क्वायरीज हुई हैं। एक स्पेशल सैल खोला गया है जो कि तमाम चीजों को देखता है हरिजन, आदिवासी और माइनोरिटी क्लासेज हैं उनके बारे में स्पेशल तरीके से इन्क्वायरी करता है। यह फिर कहता हूं कि बराबर गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश की है कि जहां भी जरा सा सबूत मिला है हमने कोशिश की है कि प्रोसीक्यूट किया जाये और जो हरिजनों पर जुल्म करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से जो कानून के जरिये कार्यवाही हो सकती है, की जाये कोई ऐसी बात नहीं है कि हरिजन या आदिवासियों के इन्ट्रेस्ट को छोड़ना चाहते हैं या वीकर सेक्शन के इन्ट्रेस्ट को छोड़ना चाहते हैं। बाकी डिटेल में जब स्टेटमेन्ट दूंगा तब दे दूंगा।

शासकीय व्यक्तव्य
ब्लैक दिसम्बर सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य !

गृह राज्य मंत्री !

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लैक दिसम्बर से संबंधित माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए कटौती प्रस्तावों के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार से हैं:—

"समाचार भारती के प्रतिनिधि एवं दैनिक गंगानगर पत्रिका के संपादक श्री हरिस्वामी शिल्पी को एक पोस्टकार्ड द्वारा यह धमकी दी गई कि यदि गंगानगर में हुई हत्याओं को ब्लैक दिसम्बर द्वारा की गई हत्याएं घोषित नहीं किया गया तो उनकी हत्या कर दी जावेगी। जांच से यह पाया गया है कि इस पत्र के टिकिट पर डाकखाने की मोहर अंकित नहीं है। यह पोस्ट कार्ड संभवतया गंगानगर के किसी स्थानीय डाक घर से ही पोस्ट किया गया है। इस संबंध में स्थानीय जिला पुलिस एवं सी. आई. डी. जोन अधिकारी को सतर्क किया जा चुका है एवं पूर्ण निगरानी रखी जा रही है।

श्री मोहन पूनमिया को एक पत्र द्वारा धमकी दी गई कि सी. पी. एम. द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन में यदि पार्टी ने पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की रिहाई की मांग न रखी तो उनकी एवं उनकी पार्टी के अन्य दो प्रमुख कार्यकर्त्ताओं सर्व श्री प्रेमकिशन व श्योपतसिंह की हत्या कर दी जावेगी। अभी तक इस पत्र के लिखने वाले का कोई पता नहीं चल सका है एवं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
सिटी पुलिस व सो. आई. डी. जोन द्वारा जांच जारी है।

माननीय सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा को भी एक पत्र में ब्लैक दिसम्बर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। यह पत्र उन्हें जोधपुर जाने पर मिलना ज्ञात हुआ है जिसमें 30 तारीख तक ब्लैक दिसम्बर द्वारा कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है। जांच के दौरान श्री लोढ़ा ने अपना शक जाहिर किया कि यह पत्र किसी विद्यार्थी का लिखा हो सकता है जो अखबारों में ब्लैक दिसम्बर के बारे में पढ़ते रहते हैं। इस सबंध में सी. आई. डी. जोन एवं स्थानीय पुलिस को सतर्क किया जा चुका है एवं जांच जारी है।

राजस्थान में अब तक ब्लैक दिसम्बर नाम की किसी संस्था का होना जाहिर नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शरारती लोग इस किस्म को धमकी भरे पत्र लिख देते हैं और अपना नाम छिपाने की गरज से ब्लैक दिसम्बर लिख देते हैं, क्योंकि आजकल अखबारों में इस प्रकार की काफी खबरें ब्लैक दिसम्बर के नाम से आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अनुसरण शरारती लोग अन्य स्थानों पर भी कर रहे हैं। इस किस्म की किसी संस्था का होना मालूम नहीं हुआ है। ब्लैक दिसम्बर आतंकवादी नीतियों को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को सतर्क किया जा चुका है। राज्य सरकार इस संबंध में पूर्णतया जागरूक है और ऐसे पत्रों की असलियत के बारे में जांच जारी है।''

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के अन्दर जो पत्र लिखा गया है ''गंगानगर पत्रिका'' के सम्पादक को उसका सम्बन्ध गंगानगर में हथोड़ों द्वारा हत्यायें किए जाने से है और पांच हत्याओं के बाद दूसरी घटनायें हुई और उसके बाद भी कुछ हुई और रायसिहनगर में हाल में ही हुई और जिसके बारे में कन्फ्यूजन है कि वह हथोड़े वालों ने की या किसी दूसरों ने। कोई ट्रेस अभी तक पुलिस हथोड़े वालो हत्याओं के बारे में नहीं कर सकी। नॉर्मली हमारा इन्टेलिजेन्स, हमारी स्पेशल ब्रांच कोई कार्यवाही सफलता से नहीं कर सकी। एक काम जरूर किया है कि चूनावाटी के टीबों के अन्दर एक कैम्प बना लिया है जैसे कि सरमथुरा और धोलपुर के क्षेत्रों में बनाते हैं और रोज पन्द्रह बीस आदमियों को पकड़ लाते हैं उनको उल्टा लटकाते हैं और पिटाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री और राज्य के गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ओर तो यह घटनायें हो रही हैं और दूसरी ओर पाकिस्तानी स्पाइज का इनफिलट्रेशन गंगानगर में हो रहा है और स्मगलिंग की घटनायें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं।

अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन के ऊपर मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरों ने बाकायदा सूचना दी कि पांच स्मगलर पाकिस्तान से

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

बाई ट्रेन बीकानेर आए हैं और वह पाकिस्तान में पास-ओन करेंगे। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पान गिर गए और पान स्मगलर पाकिस्तान के अन्दर पार हो गए। उनके ऊंट पाकिस्तान में पार हो गए और वह पान बेचने के लिए पाकिस्तान ले जाए गए। इसी प्रकार की स्मगलिंग की घटनायें हुइ और वहां पर मोला बक्श और गुलाम कादिर जैसे नोटोरियस स्मगलर मौजूद हैं जो कि डी. आई. आर के तहत जेलों में रहे हैं, जिन्होंने इन्डो-पाक वार के दौरान पाक स्पाईज का लगातार काम किया है, उनके बारे में हमारी पार्टी द्वारा सूचनाएं दी गइ लेकिन वहां की पुलिस खास तौर से स्मगलर्स को और पाक स्पाईज को नहीं पकड़ सकी। आज कन्फ्यूजन यह हो रहा है कि ब्लैक दिसम्बर और हथोड़ों से हत्यायें, और स्मगलिंग और पाक स्पाईज के इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, और बोर्डर के क्षेत्र में जब कि पाक फौजों का जमाव पाकिस्तान में सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है; यह बड़ी ही शोचनीय और चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से और सदन के नेता महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में इनवेस्टीगेशन ज्यादा तीव्र होने चाहिएं, इस सम्बन्ध में व्याप्त कन्फ्यूजन को समाप्त किया जाना चाहिए। आखिर यह कोई व्यक्ति का काम है या यूनाइटेड तरीके से पाकिस्तान के स्पाईज अपनी एक्टीविटीज को तीव्र करने में कामयाब होते चले जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ सारे के सारे बॉर्डर के ऊपर पाक फौज का कन्सन्ट्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि जैसा राज्य मन्त्री महोदया ने स्टेटमेंट में कहा कि कोई ऐसा आर्गेनाईजेशन हिन्दुस्तान में या राजस्थान में नहीं है मगर जो लेटर्स दिए गए हैं और भी लेटर्स की चर्चा आई है, न्यूज मिली हैं उससे मालूम पड़ता है कि कोई न कोई गैंगस्टर ग्रुप, जो एक्टिवली काम कर रहा है उसका मकसद यह हो सकता है कि बोर्डर के इलाकों में कन्फ्यूजन और टेन्शन पैदा किया जाये, लोगों के दिमागों में अनईजीनेस पैदा की जाये और इसके अलावा उनके कई मकसद हो सकते हैं। इसका पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता क्योंकि जनसंघ के लीडर को दिए, लोकल कांग्रेस वर्कर, जो गंगानगर पत्रिका के सम्पादक हैं उनको लेटर दिए गए और भी लेटर्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यह कोई वायोलेंस की फिलासफी में विश्वास करते हैं। जो भी ऐसा ग्रुप काम करता है हिन्दुस्तान के अन्दर जो कि डायरेक्टली वायोलेन्स में थोडा प्रीच करते थे, उसके साथ अभी तक वास्ता नहीं है। इसका वास्ता अमेरिका या पाकिस्तान के सी. आई. डी. से लिंक करना है। यह भी मैं नहीं कह सकता जब तक कि कोई चोज क्लियर न आजाये। जो लोग ऐसे देश में हैं, जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन है या जान बूझकर ऐसे इलाकों के अन्दर नरवसनेस पैदा करना है। तो सी. आई. डी. एक्टिव हो जाये, सिक्योरिटी मैजर्स लिए जाए और विजिलेंस में रखा जाये जैसा कि मन्त्री महोदया ने बताया कि हमने काफी इन्तजाम किए हैं। मान्यवर, गंगानगर का इलाका हो, बाड़मेर का इलाका हो, जैसलमेर का इलाका हो

Page No 64

(श्री केदारनाथ)
चाहे सिटीज का हो कोई न कोई ग्रूप इक्टिव जरूर है, यह मानकर हमें चलना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा और न मुनासिब होगा कि पाकिस्तान की फौजों का कितना कन्सेन्ट्रेशन भारत की बोर्डर पर है, क्योंकि इसकी इनफर्मेशन देने का मतलब यह होगा कि हम उनको पहले से चेतावनी दे देंगे कि हमें मालूम है कि कितनी फौजे वहां पर हैं, इस चर्चा पर बहस करने की जरूरत नहीं है।

हमने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर ब्लेक दिसम्बर जैसे ऑर्गेनाईजेशन का पता नहीं लग रहा है। हर तरफ से, हर कोने से यह अन्दाजा लगाने की कोशिश की कि कोई ऐसा ऑर्गेनाईजेशन है लेकिन ऐसे मसले अक्सर पेश्तर आते रहे हैं और बीच के अन्दर भी मध्य प्रदेश के अन्दर डाकुओं का सरेण्डर हुआ था उस समय मेरे पास बहुत से खत आए थे और कुछ खून के दस्तखतों के थे मैंने उनको इग्नोर किया और आपकी सेवा में अभी तक जिन्दा खड़ा हुआ हूं। इसी तरीके से बराबर कोशिश जारी है कि कोई आर्गेनाइजेशन है या व्यक्ति है। तो वह ब्लेक दिसम्बर वाले हैं या मखौल करने वाले। या वे सब मिसचीफ फैलाना चाहते हैं। अभी तक किसी को हम ट्रेस नहीं कर पाये हैं, लेकिन कोशिश जारी है और कोशिश जारी रहेगी। और यह इस वक्त कहना कि हथोड़े से मारने वाले लिंक अप है या नहीं यह कहना भी दुश्वार होगा। यह मैं नहीं कहता कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता कि दिक्कत है। तो सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से सूझ-बूझ के साथ जहां भारत सरकार भी अपने तरीके से जांच कर रही है, हम भी कह रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं और जो हमने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर ब्लेक दिसम्बर की तरह से कोई चीज नजर नहीं आती है तो किसी आधार पर कहा था। अगर कोई सामने आयेगी तो मैं सदन के सामने ले आऊंगा। लेकिन आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि कुछ मिसचीवियस एलीमेंट्स हमेशा खतरा पैदा करना चाहते हैं, और यह घबराहट पैदा करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि कहीं न कहीं कोई हल चल मचे। सब लोगों को अन्दाजा होगा कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो किस 2 तरह से उन्होंने किया पाकिस्तान रेडियो ने लोगों को घबराने की कोशिश की। जौहरी बाजार में लड़ाई करा दी। भरतपुर में पाकिस्तानी फौजें पहुँचा दी। अर्ज यह है कि इस तरह की बातें होती हैं। इसको मैं ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता और नहीं अनड्यू इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। यह मान कर चलना चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़ी ताकतें भी हैं जो यह न समझें कि आखिर इस तरह से हम में बहुत ज्यादा कमजोरी है। इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। महात्मा गांधी पर गोली चला दी गई, और भी मर्डर हो सकते हैं, जैक मोरिल जैसे भी खूनी हो सकते हैं और एक स्वामी ने बम्बई में भी बहुत बड़े 2 खून किए थे। लेकिन यह सब चीजें हमने मीट की और आगे भी कोई दिक्कत

(मुख्य मंत्री)

आने नहीं पायेगी। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यह जो ब्लैक दिसम्बर की बात है उसको उसी कन्सेप्ट के साथ डील करना चाहिए जो वह डिजर्व करता है।

श्री. यशवन्तसिंह नाहर : कहीं यह ब्लैक अप्रैल की तरह से ही तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा।

आधे घण्टे की चर्चा

श्री मोहिन्द्रसिंह आई. ए. एस. के इलाज के लिए विदेश जाने के संबंध में।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) माननीय अध्यक्षजी, इससे पूर्व कि चर्चा हो मैं तथ्य प्रस्तुत कर दूं जिससे माननीय सदस्यों को सहूलियत रहेगी।

श्री अध्यक्ष : रख दीजिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार से हैं:—

श्री मोहिन्द्रसिंह आई. ए. एस. जो उस समय जयपुर में नियुक्त थे, अगस्त, 1965 में दाहिनी आंख में रेटीनल डिटेचमेंट से ग्रस्त हो गए। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन वह असफल रहा। वहां के डॉक्टरों ने उन्हें सीतापुर जाकर वहां के प्रसिद्ध आई हॉस्पिटल में आंख का पुनः ऑपरेशन कराने की सलाह दी। सीतापुर अस्पताल में अक्टूबर, नवम्बर, 1965 में उनको दाहिनी आंख का ऑपरेशन फिर किया गया लेकिन यह ऑपरेशन भी दुर्भाग्यवश कामयाब नहीं हुआ। इस पर सीतापुर आई हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सलाह दी कि श्री मोहिन्द्र सिंह को इंग्लैंड या जर्मनी के किसी अस्पताल में तुरन्त ले जाया जाए तथा फोटो को आगुलेशन मशीनों की सहायता से आपरेशन किया जाए। इससे उनकी दाहिनी आंख की ज्योति भी शायद बच जाये और बाई आंख की भी सुरक्षा हो सके क्योंकि उसके रेटिना में भी खराबी पैदा हो चुकी थी। उस समय सीतापुर हॉस्पिटल की फोटो को आगुलेशन मशीन खराब थी और भारत में और कहीं ऐसी मशीन उस समय नहीं थी। इस प्रकार सीतापुर अस्पताल के अधिकारियों तथा अधीक्षक, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर की सलाह पर श्री मोहिन्द्र सिंह को इस इलाज के लिए लन्दन रवाना होने की अनुमति दी गई। आल इण्डिया सर्विसेज (मेडिकल एटेंडेन्स) रूल्स के अधीन स्पेशल केस के रूप में इस प्रकार के इलाज कराने की इजाजत दी जा सकती है। ऐसी अवस्था में जब कि उनकी दोनों आंखों पर पट्टियां बंधी थी तथा चलना फिरना भी सम्भव नहीं था, उनके साथ किसी एक अटेंडेंट का रहना लाजिमी था। एक रेगुलर डॉक्टर या नर्स की बजाय अटेन्डेंट के रूप में सरकार ने उनकी पत्नी को जाने की अनुमति दी है, क्योंकि उन हालात में यही उचित समझा गया। नियमों के अनुसार इस कार्य के लिए श्री मोहिन्दरसिंह को 20,000 रुपये एडवांस के रूप में स्वीकृत किए गए और भारत सरकार को सिफारिश की गई कि श्री मोहिन्दर सिंह को 13,000 रुपये तक की विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे दी जाए। राज्य सरकार ने जो सिफारिश भेजी थी उस पर भारत सरकार की फाइनेंस (इकोनॉमिक अफेयर्स) मिनिस्ट्री

Page No 66

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

तथा हैल्थ मिनिस्ट्री, नई दिल्ली ने जांच पड़ताल की, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली ने उन्हें इजाजत दे दी कि वे 975 पौंड तक की विदेशी मुद्रा किसी शिड्यूल्ड बैंक से खरीद सकते हैं।

उनकी दाहिनी आंख का ऑपरेशन लंदन में किया गया किन्तु दुर्भाग्य वश वह भी असफल रहा तथा उनकी दाहिनी आंख की ज्योति सदा के लिए चली गई। लेकिन उनकी बांई आंख को बचाने के लिए जो ऑपरेशन करना पड़ा था वह सन्तोषजनक रहा ऐसा डॉक्टरों का अभिमत था। लंदन से वापिस लौटने पर, उक्त अधिकारी ने उक्त चिकित्सा पर किए गए सारे व्ययों का हिसाब पेश किया। जो व्यय सरकार द्वारा मेडिकल रिएम्बर्समेंट के रूप में स्वीकार्य हो सकता था उसका जोड़ 13,266 रुपये 17 पैसे बना। 5 मई, 1966 को सरकार ने एक आदेश के द्वारा उक्त इलाज के व्यय के लिए उन्हें 13,266 रुपये 17 पैसे की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की। एडवांस दिए हुए 20,000 रुपये में से इस राशि को काट कर शेष राशि 6,733.83 उन्होंने सरकार को तत्काल जमा करा दी। 13,266.17 की वह शासन की स्वीकृति इस प्रकार थी जिसमें स्वीकार्य मदों का विवरण है:—

"In exercise of the powers conferred under rule 14 of the All India Services (Medical Attendant) Rules, 1954. read with rule 7 (3) ibid. I am directed to convey sanction of the Governor to the reimbursement, as a special case, to Shri Mohinder Singh, I.A.S., Special Secretary to Government, Appointments (A) Department, of the expenditure incurred by him, as detailed below, in connection with the treatment of his eye at the Moorfield Eye Hospital, London, on the advice of the authorised medical attendant:—

1.	Road mileage of fortyfive miles from Sitapur Eye Hospital to Lucknow Airport, as train times were unsuitable.	Rs.	22.50
2.	Air fare form Lucknow to Delhi for self and attendant.		198.00
3.	Actual fare for travel by Air (economy class) from Delhi to London for self and attendant, and back.		6954.00

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

4.	Actual Ambulance expenditure incurred from London Airport to Moorfield Eye Hospital.	42.00
5.	Fare for return journey to airport	13.00
6.	First class rail fare for self and attendant from Delhi to Jaipur on return journey.	50.00
7.	Daily allowance for the halt at London from 12-1-66 to 25-1-66 for treatment as certified by the authorised medical attendant at 'all inclusive rates' as applicable to Central Government employees during their stay in London (@ £ 2 Sh. 14 a day for 14 days)	504.00
8.	Doctors' fees and hospital charges paid in U. K. (subject to production of original vouchers or their true copies)	
	Doctors' fees	2800.00
	Hospital charges	2692.67
	Total.... Rs.	13266.17

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I. D. No. 2409/FD/Exp. I/66, dated 4-5-66."

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

दिनांक 6 जून, 1966 के एक अन्य आदेश के द्वारा सरकार ने उनके एटेन्डेंट के लिए, जो उनकी पत्नी थी, दैनिक भत्ते की स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति दिनांक 20-12-65 से 25-1-66 तक लन्दन में ठहरने की 36 दिनों की अवधि के लिए दी गई थी। आदेश इस प्रकार था:—

"I am directed to say that Shri Mohinder Singh, I.A.S., has been allowed travalling allowance as well as daily allowance for halt at U. K. His wife has also been allowed travelling allowance but no daily allowance for halt in U. K. was sanctioned. Shri Mohinder singh's position was that of a blind person and if his wife could not take the responsibility of attending upon him, Government might have faced the problem of sending another Government servant to attend upon Shri Mohinder Singh which would have been more expensive. Government have. therefore, decided to grant daily allowance for the halt of Shrimati Mohinder Singh in U. K.

In exercise cf the powers conferred under rule 14 of the All India Services (Medical Attendant) Rules, 1954, read with rule 7 (3, ibid. I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of daily allowance @ £ 2.14 Sh. for 36 days from 20-12-65 to 25-1-66 for the stay of Shrimati Mohinder Singh at London during the period of Shri Mohinder Singh illness."

दैनिक भत्ते की स्वीकृति इस आधार पर दी गई थी कि यदि एटेण्डेन्ट के रूप में उनकी पत्नि के अलावा अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को भेजा जाता तो उसे भी उतनी ही अवधि के लिए लन्दन में ठहरने का दैनिक भत्ता देना पड़ता।

बाद में यह प्रश्न लोक लेखा समिति के सामने भी आया तथा उसके फलस्वरूप सरकार ने यह तय किया कि श्री मोहिन्द्रसिंह को अपने स्वयं के 14 दिनों के दैनिक भत्ते की राशि, जो 504 रुपये बनती थी क्योंकि 22 दिन अस्पताल में रहने की अवधि में डी. ए. नहीं मिलता एवं अपने एटेन्डेन्ट अर्थात् अपनी पत्नी के 36 दिनों के दैनिक भत्ते की राशि 1296 रुपये सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए। अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1970 द्वारा सरकार ने उक्त राशि वापस लौटाने के आदेश दिए।। श्री सिंह उस समय हैप वर्ग में कौन्सिल जनरल ऑफ इन्डिया के पद पर पदस्थापित थे। यह पत्र पाते ही उन्होंने दिनांक 25 सितम्बर, 1970 के अपने एक पत्र द्वारा तुरन्त यह राशि लौटाना स्वीकार किया और पूछा कि क्या यह

Page No 69

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

राशि चेक द्वारा भेज दूं ? इनके द्वारा लिखा गया पत्र इस प्रकार से है:—

"With reference to Appointments (A. I) Department letter No. F. (iii) Appointments (A) / 53, dated 18th September, 1970, I am required to reimburse a sum of Rs. 1,800/-. Please let me know whether this amount should be sent to your office by a crossed cheque drawn on an Indian bank where I have my account. Necessary action will be taken on hearing from you."

सरकार से इसका उत्तर मिलते ही उन्होंने तुरन्त 1800 रुपये की पूरी राशि एक मुश्त दिनांक 14-12-70 के एक चेक के जरिए लौटा दी।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है श्री मोहिन्द्रसिंह ने स्वयं के तथा अपने अटेन्डेंट के लिए दैनिक भत्ते की जो राशि ड्रा की थी वह राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई नियमित स्वीकृतियों पर आधारित थी। नियमों के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं प्राधिकृत राशि को ड्रा करने में किसी भी अधिकारी पर किसी भी प्रकार की अनियमितता के सन्देह का प्रश्न नहीं उठता। यह भी स्वतः स्पष्ट है कि महालेखाकार पूरी तरह नियमित सरकारी स्वीकृति के बिना कोई रकम उठाने की ऑथोरिटी जारी नहीं करता। इस प्रकार राशि उठाने के बाद ज्यों ही सरकार ने उन्हें यह सूचित किया कि उन्हें इतनी राशि लौटा देनी चाहिए तो उन्होंने इस राशि को तत्काल बिना हीलो-हुज्जत के लौटा दिया।

मैं यहां यह भी उल्लेख कर दूं कि राज्य सरकार ने उक्त अधिकारी को कोई विदेशी मुद्रा स्वीकृत नहीं की क्योंकि यह कार्य पूर्णतया रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया का है। राज्य सरकार ने तो केवल मात्र रुपयों में ही इस सम्बन्ध के नियमों के मुताबिक एडवान्स की राशि स्वीकृत की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया ने मामले की आवश्यकताओं की भली भांति जांच कर चिकित्सा पदाधिकारियों की सिफारिशों पर 975 पौंड की विदेशी मुद्रा खरीदने की इजाजत दी। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार विदेशी मुद्रा खरीदने की इजाजत दी जाती है उसे लौटते ही उसका हिसाब देना पड़ता है। इसी नियम के अनुसार श्री सिंह ने विदेश से लौटने पर 17 मार्च, 1966 को रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा का लेखा प्रस्तुत किया तथा उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास भेजी। इतना ही नहीं उन्होंने अपने पास शेष बची 150 पौंड की विदेशी मुद्रा को, जो ब्याज सहित 153 पौंड बन गई थी स्वयं ही वापिस लौटा दिया तथा इसे ऑफिसियल बैंकिंग चेनल्स के जरिए हस्तान्तरित कर दिया। इसकी पुष्टि रिजर्व बैंक के एक पत्र से होती है, जो उन्होंने महालेखाकार, राजस्थान द्वारा जानकारी चाहे जाने पर उन्हें लिखा था। उनके शब्द हैं:—

"With reference to your endt. No. A. A 11-6-68/67/1599

Page No 70

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

dated 5th August, 1967 it is observed from our records that a sum of £ 153/- was surrendered by Shri Mohinder Singh on his return to India."

विदेशी मुद्रा के उपयोग के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी की नेकनीयति का कुछ अनुमान इस बात से सदन लगा सकता है। विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग तो क्या बची हुई मुद्रा खुद ही उन्होंने वापस कर दी।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि श्री मोहिन्द्रसिंह ने अपने व्यक्तिगत खर्चों पर जो विदेशी मुद्रा व्यय को उसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। ऐसे खर्चे उन्होंने अपने स्वयं की ओर से किए। राज्य सरकार ने तो केवल वास्तविक चिकित्सा व्यय व आने जाने के किराये की प्रतिपूर्ति नियमानुसार रुपयों में स्वीकृत की थी जिसका विवरण स्वीकृति में आ चुका है। उनके अपने पास से किए हुए विदेशी मुद्रा के व्यय में भी रिजर्व बैंक ने फौरेन एक्सचेन्ज के कायदों के तहत खर्चे की मदों की जांच कर उनका दिया हुआ स्टेटमेन्ट मन्जूर कर लिया। किस काम पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई, यह रिजर्व बैंक देखता है। राज्य सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। आया एक भारतीय यात्री दिसम्बर की कड़ाके की सर्दी में इंगलेण्ड पहुंचने पर कुछ आवश्यक गरम कपड़े खरीद सकता है या नहीं, टिप देने में कितना खर्चा किया जा सकता है, यह सब निर्धारित करना रिजर्व बैंक का काम है। राज्य सरकार केवल इतना कह सकती है कि श्री सिंह ने उसके पास खर्चे का ब्यौरा भेजा था तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री सिंह द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा के बारे में आज तक कोई अनियमितता या त्रुटि राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने 13266 रुपये 17 पैसे की राशि चिकित्सा के लिए तथा 1296 रुपये की राशि अटेंडेंट के दैनिक भत्ते के लिए, कुल मिला कर 14562 रुपये 17 पैसे की राशि श्री मोहिन्द्रसिंह को स्वीकृत की थी इसमें से 1800 रुपये की राशि, जो उनके स्वयं के तथा अटेंडेन्ट के दैनिक भत्ते के रूप में स्वीकृत की गई थी, सरकार में वापस जमा हो गई। इस प्रकार जो राशि इलाज के लिए उन्हें मेडिकल रिएम्बरसमेंट के रूप में मिली वह केवल 12762 रुपये 17 पैसे थी जिसका मदवार विवरण स्वीकृति में पढ़ा जा चुका है।

जहां तक विदेशी मुद्रा में किये गये खर्चों का सम्बन्ध है संभवतः इस बारे में कुछ भ्रम फैला हुआ है अतः उस पर भी स्थिति स्पष्ट करना उचित होगा। उक्त अधिकारी ने 13,000 रुपये की जो विदेशी मुद्रा खरीदी थी उसमें से 2035 रुपये की विदेशी मुद्रा वापस कर दी गई। शेष 10,965 रुपये की विदेशी मुद्रा का जो खर्चा हुआ उसमें राज्य सरकार द्वारा मैडिकल रिएम्बर्समेंट के रूप में दिए हुए केवल 5551 रुपये 67 पैसे ही थे जो निम्नलिखित केवल चार मदों पर ही व्यय हुए। अस्पताल की फीस पर 2696 रुपये 67 पैसे, डॉक्टर की फीस का 2800

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

रुपये, एयरपोर्ट से एम्बुलेंस में अस्पताल जाने का 42 रुपये, अस्पताल से एयरपोर्ट आने का 13 रुपये।

राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ विदेशी मुद्रा के रूप में हुआ खर्चा केवल यही था। इन सबकी रसीदें अधिकारी ने बिल के साथ महालेखाकार, राजस्थान को भी प्रस्तुत कर दी थी। 504 रुपये का दैनिक भत्ता, जो उक्त अधिकारी को मिला था वह भी उन्होंने वापस जमा करा दिया। इस अधिकारी ने बाकी विदेशी मुद्रा में जो भी खर्चा किया वह उसकी स्वयं की व्यक्तिगत धनराशि थी। राज्य सरकार ने उसमें एक भी पैसा उसे नहीं दिया। इस प्रकार की मदों पर जैसे गर्म कपड़े, ऐनक, लोकल ट्रांसपोर्ट तथा टिप इत्यादि पर जो भी खर्चा विदेशी मुद्रा में हुआ वह उक्त अधिकारी का निजी पैसा जो रुपयों में 5413.33 बनता है इसमें राज्य सरकार का एक पैसा भी नहीं था। कोई अधिकारी अपनी स्वयं की धनराशि किस प्रकार व्यय करता है यह मुख्यतः उसका निजी मामला है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग जैसा कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

सारे मामले को राज्य सरकार ने भली भांति लिया है और कहीं ऐसी कोई बात नहीं पाई है जिससे कि उक्त अधिकारी के आचरण या सत्यनिष्ठा में किसी संदेह की संभावना हो। अतएव राज्य सरकार अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय,......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा हाफ एन आवर.......

श्री अध्यक्ष : पूछिये प्रश्न हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा है।......

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने....

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे तब ही तो स्पष्टीकरण होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो वक्तव्य दिया है और जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया था उसमें कुछ कन्ट्राडिक्शन है वह सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

मंत्री महोदय ने सदन में जो 29 तारीख को जवाब दिया था वह आज की सूचना से काफी कन्ट्राडिक्ट्री है। वैसे मैंने सचिव महोदय से 29 तारीख की प्रोसिडिंग्स मांगी थी ताकि मैं सदन में उसको पढ़ कर सुना सकूं। परन्तु पता नहीं वह मुझे क्यों नहीं सप्लाई की गई, लेकिन जो उन्होंने 13 हजार रुपये का खर्चा बताया था उस रोज, उस प्रोसिडिंग्स को मैं खुद देख कर आया हूं कि उसमें चार आइटम्स मुख्य थे, एक तो कास्मेटिक्स का खर्चा, ड्रेसिंग का खर्चा, टिप्स देने का और उसके अतिरिक्त गर्म कपड़े का खर्चा और ये चार प्रकार के खर्च उसके अतिरिक्त किये गये। टिप्स, गर्म कपड़े और कास्मेटिक्स.......

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसमें सूची में जो टॉयलेट्स लिखा हुआ है उनकी

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
श्रीमती के आईटम्स में लिखा हुआ नहीं है। उनके स्वयं के आईटम्स में लिखा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टॉयलेट्स कास्मेटिक्स में कवर हो जाते हैं। टॉयलेट्स फीमेल के थे या मेल, इसको डिफ्रेरेन्शियेट करना मुश्किल होगा। दोनों ही होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी. ए. चार्ज करने का प्रश्न है, उन्होंने अपना डी. ए. चार्ज किया और अपनी मिसेज का डी. ए. चार्ज किया। मोहिन्दर सिंह जी सीनियर ग्रेड के आई. ए. एस. ऑफिसर हैं और सुपर टाइम स्केल के हैं, और इस राजस्थान के अन्दर उनकी सर्विसेज बहुत पुरानी है। यह कैसे माना जाय कि उनको यह ध्यान नहीं है कि वे अपना डी. ए. चार्ज नहीं कर सकते, अपनी वाइफ का डी. ए. चार्ज नहीं कर सकते? इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि वह एपॉइन्टमैंट्स डिपार्टमैंट के अन्दर सेक्रेटरी थे जो कि एक मुख्य डिपार्टमैंट है और अधिकारियों के सम्बन्ध में जांच करता है। यह प्रश्न एपाइन्टमैंट डिपार्टमैंट के सम्मुख आते रहते हैं सारे राजस्थान के गजेटेड एम्प्लॉईज के टी. ए., डी. ए. के इसलिए मोहिन्दर सिंहजी को डे-टू-डे की जानकारी है किसी भी अन्य अधिकारी से अधिक कह सकते है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाय कि उनको जानकारी नहीं थी–मान लें कि एक बार गलत सैन्क्शन भी हो गया लेकिन इतने बड़े सीनियर आई. ए. एस. ऑफिसर की यह मोरल ड्यूटी थी कि वह आपको कहते कि वह अपनी वाइफ का डी. ए. नहीं लेंगे, अपना डी. ए. नहीं लेंगे ?

फिर, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान और माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कितने ऐसे आई. ए. एस. ऑफिसर हैं, कितने ऐसे पोलिटिकल लीडर्स हैं या इस सदन के सदस्य हैं या पार्लियामैंट के सदस्य हैं जिनको इस प्रकार की फैसिलिटीज दी गई है। 62 से लगाकर 68 तक यहां डिप्टी मिनिस्टर थे श्री नन्दवाना उनको मद्रास भेजा गया जिनको कि किडनी की सीरियस डिसीज थी, लेकिन उनको इगलेंड नहीं भेजा गया ......

श्री फूलचन्द जैन एवं कई माननीय सदस्य : भेजा गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाद में भेजा गया है।

श्री फूलचन्द जैन : पहले भेजा गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाद में भेजा गया। और दूसरे भी अधिकारी हैं उन पर इतना खर्चा नहीं किया गया। अगर भेजा गया तो इतनी बड़ी धनराशि उन पर खर्च नहीं की गई, और आई. ए. एस. ऑफिसर कितने गये हैं इस प्रकार की स्पेशल फैसिलिटी लेकर। यह कहा गया कि उनको कोई बड़ी गम्भीर बीमारी थी। आंख में गम्भीरतम बीमारी क्या थी। डॉक्टर ने यह कहा कि हिन्दुस्तान की धरती पर आंख की बीमारी का इलाज नहीं है, मैं तो समझता हूं कि यह कहना कि हिन्दुस्तान में कोई आई स्पेशियेलिस्ट नहीं है और इंगलैण्ड के अन्दर आई स्पेशियेलिस्ट हैं वह हमारे ऊपर एक रूलर हैं। प्रेसीडेन्ट राधाकृष्णन ने इन्कार कर दिया था इस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बात से कि मैं इंगलैण्ड में जाकर ट्रीटमैंट नहीं कराऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं यह नहीं मानता कि हमारे कन्ट्री के अन्दर स्पेशियेलिस्ट नहीं हैं जो इस बीमारी को चेक अप नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां पर बहुत बड़े बड़े आई स्पेशियेलिस्ट पैदा हुए हैं और मोहिन्दर सिंहजी को आई के ऑपरेशन के लिए यू. के. भेजा है, यह कोई समझने वाली बात नहीं है।

इसके अतिरिक्त उनकी वाइफ क्योंकि वह ब्लाइंड थे इसलिए एज अटेन्डेन्ट गई व ह्यूमेनिटेरियन पॉइन्ट ऑफ व्यू से यह बात जस्टीफाई की जा सकती है, उनकी वाइफ अटेन्डेन्ट के रूप में जा सकती है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो एक्सपेन्डीचर वाइफ ने इन्कर किया है जो डी. ए. चार्ज किया है तो क्या उनकी वाइफ गवर्नमैंट सर्वेन्ट है, क्या उनको डी. ए. चार्ज करने का अधिकार था? इसका निपटारा तब भी हो जाता जबकि एक हजार से अधिक डी. ए. चार्ज करने के लिए जबकि वे खुद जानकार थे कि चार्ज नहीं कर सकती, इन्कार कर देते। यह क्लियरकट बात है कि उनकी वाइफ डी. ए. किसी भी हालत में चार्ज नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, फिर जिस प्रकार का प्रोटेक्शन यह राज्य सरकार मोहिन्दर सिंह जी को दे रही है मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित है।

हमारी एकाउन्ट्स कमेटी ने इसमें सीरियस फाल्ट्स फाइन्ड आउट किये हैं, सीरियस ऑब्जेक्शन्स हुए हैं, एकाउन्ट्स कमेटी के द्वारा और एकाउन्ट्स कमेटी के ऑब्जेक्शन सारे रिड्रैस नहीं हुए हैं, सारे रिप्लाई नहीं हुए हैं एकाउन्ट्स कमेटी के पूरे.....

श्री फूलचन्द जैन : यह प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप एकाउन्ट्स कमेटी का हवाला नहीं दे सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं मेम्बर नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह सकता हूं। जो मेम्बर हो वह नहीं कह सकता है। मेरा अधिकार है कहने का। मैं एकाउन्ट्स कमेटी का मेम्बर नहीं हूं। मैंने एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है। मैंने सारे ऑब्जेक्शन्स को पढ़ा है और कमेटी में जो रिप्लाई आये हैं उनको पढ़ा है। और जो रिप्लाई दिये गये हैं एकाउन्ट्स कमेटी में उनसे एकाउन्ट्स कमेटी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुई है। एकाउन्ट्स कमेटी मोहिन्दर सिंह जी को रेस्पॉन्सिबल होल्ड कर रही है।

फिर, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि मोहिन्दर सिंह जी एक पार्टी विशेष का अपने को आदमी समझते हैं। यह प्रश्न इस सदन के अन्दर अनेक बार आया है, और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे हैं। आदर्श विद्या मन्दिर जो आर. एस. एस. का ब्रीडिंग ग्राउण्ड है, आर. एस. एस. को ब्रीड करने की इन्स्टीट्यूशन है, मोहिन्दर सिंह जी ने उसको टेक्निकली, इल्लीगली हर तरह से आदर्श विद्या मन्दिर को ग्रान्ट इन एड दिलवाई है। उन्होंने हर तरह से आदर्श विद्या मंदिर को डिफेन्ड किया है, आदर्श विद्या मंदिर को अनुचित लाभ पहुंचाया है उनकी

Page No 74

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जानकारी में यह बात होते हुए भी कि आदर्श विद्या मंदिर वह केवल आर. एस. एस. डोमीनेटेड बॉडी हैं।

फिर मोहिन्दरसिहजी का जिस प्रकार का ब्यूरोक्रेटिक केरेक्टर है....

श्री अध्यक्ष : आप रेलेवेन्ट बात कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : This is very relevant issue। इस सदन में प्रश्नों के अंदर यह बात कई दफा उठी है।

श्री अध्यक्ष : This is not your question.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने जो आब्जेक्ट्स पेश किये हैं मैंने उनमें इन इश्यूज को लिखकर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि उनका इस प्रकार का एटीट्यूड रहा है कि वे डेमोक्रेसी की चिन्ता नहीं करते हैं। खुद शिक्षा मंत्रीजी के आदेश महीना, दो महीना और चार-चार महीनों तक मोहिन्दसिंहजी की टेबल पर दबे पड़े रहते हैं....

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं तो, ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लेकिन ...

श्री फूलचन्द जैन : बोलना है आपको इसलिए बोल रहे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बोलना नहीं है तथ्यपूर्ण बात है।

श्री फूलचन्द जैन : आपका प्रश्न है नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपकी बारी आये तो आप कह सकते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : हमको भी अधिकार है बोलने का।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप भी बोलिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं माफी चाहता हूं। मैं बीच में इन्टरप्ट इसलिए कर रहा हूं कि दूसरे माननीय सदस्य बोले तो यह क्लियर हो जाय कि माननीय शिक्षा मंत्री ने एक ऑर्डर लिखा था किसी एक कागज के ऊपर उसके बाद में फाइल सबमिट की गई तो उसके ऊपर यह किया था। रीजिनल कमिश्नर ने इसके बारे में रिपोर्ट लिखी कि यह नहीं होना चाहिए तो फिर आर्डर लिखा कि वह फाइल सबमिट की जाय, तो दोनों मौकों पर भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने उसको माना और एग्री कर लिया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक सूचना और मैं अर्ज कर दूं....

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे और अधिक नहीं कहना है....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा सा एक मिनिट। I shall give you further time. जो रेलेवेन्ट पोरशन है वह निवेदन कर दूं गाइडेन्स के लिए सब के लिए-

"There shall be no formal motion before the House nor

Page No 75

(श्री अध्यक्ष)

voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact."

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अन्त में कुछ नहीं कहते हुए केवल यही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कि अखबारों में काफी समाचार आये हैं। कई कटिंग्स मेरे पास हैं ..

श्री अध्यक्ष : We have twelve minutes more for this.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चीफ-मिनिस्टर यह भी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के आधार पर डेमोक्रेसी को कन्डेम करते हैं। फिर एक घटना हुई कि शिक्षा मंत्रीजी से उनका पोर्टफोलियो छीन लिया गया। चाहे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यह....

श्री बरकतुल्ला खां : यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : डेमोक्रेसी के मुकाबले में ब्यूरोक्रेसी की इम्पॉर्टेन्स उनके सामने ज्यादा है। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी उठा है उसकी तह में जाना चाहिए। मोहिन्दर-सिंहजी ने जो हिसाब पेश किया है तो उन्होंने दो हिसाब पेश किये हैं। एक राजस्थान सरकार को हिसाब दिया चीफ सेक्रेटरी को और दूसरा हिसाब रिजर्व बैंक को दिया। मोहिन्दरसिंहजी को फॉरेन एक्सचेन्ज 13 हजार का राज्य सरकार ने रिकमण्ड किया था उसके आधार पर फॉरेन एक्सचेन्ज रिजर्व बैंक ने सेंक्शन किया है। उनकी इन्डिपेन्डेन्ट एप्लीकेशन नहीं गई थी। राज्य सरकार ने इलाज के लिए बाहर जाने के लिए उनको रिकमण्ड किया था उसके बेसिस पर उनको 975 पौंड स्टर्लिंग रिलीज किये गये थे। एक आस्पेक्ट तो यह हुआ। दूसरा आस्पेक्ट यह है कि उनको 7000 रु. इन्डियन रुपी में दिये। तो 7 हजार रुपये तो उनके आने-जाने में खर्च हुए तो 6900 रु. तो एयर इंडिया को गया या किसी को गया। क्या बीमारी थी या नहीं थी इसमें मुझे नहीं जाना है। यह पूरा 6900 रुपया या 7000 रुपये का पेमेन्ट था। अब रहा 13 हजार रुपया जो स्टर्लिंग पौंड के लिए दिया गया था उसका अलग हिसाब चाहिए था। यह चालाकी क्या की गई या मैन्यूपुलेशन कैसे किया गया ? सारे का सारा हिसाब चला गया उसका राज्य सरकार को 13 और 7 हजार का वह दोनों मिक्स कर दिये गये, और उसको स्वीकृत मान लिया गया और मानकर पूरे के पूरे एमाउन्ट का पेमेन्ट कर दिया गया। राज्य सरकार ने फॉरेन एक्सचेन्ज, स्टर्लिंग पौंड रिलीज किया है वह अलग से रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि 7 हजार तो आने-जाने के ट्रेवलिंग एलाउन्स देते तो वह

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

खर्च दिया गया, लेकिन 13 हजार स्टर्लिंग पौंड है उसका युटिलाइजेशन किस मैनर में हुआ है यानी आपको पूरा हिसाब 13 हजार स्टर्लिंग पौंड युटिलाइज करने का दिया है चाहे वह टिप्स में हो चाहे ठहरने के वास्ते हो मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका जिस तरह से एकाउन्ट पेश किया है उसमें स्टर्लिंग पौंड का एकाउन्ट नहीं दिया है । सेपेरेट एकाउन्ट रिजर्व बैंक में भेजा गया । मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पौंड स्टर्लिंग का सेपेरेट अकाउन्ट मिलना चाहिए । ऑडिट पार्टी ने इसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाया है । लगातार सतत रूप में ऑडिट ऑब्जेक्शन्स उठे हैं कि जिस तरह का डिसपोजल स्टर्लिंग पौंड का मोहिन्दर-सिंहजी ने किया है वह ठीक नहीं है और उसी हिसाब से यह चिट्ठी लिखी है ऑडिट दफतर ने और उसकी कापी राज्य सरकार को भेज दी है कि मोहिन्दर-सिंहजी हैम्बर्ग और मोम्बासा में बैठे हुए हैं और खर्चा यहां उठाया है । जो चिट्ठी लिखी है ऑडिटर ने वह है कि उसका खर्चा required to be surrendered by Shri Mohindar Singh.

उसकी कॉपी रिजर्व बैंक को एन्डोर्स की है ।

Vide its letter no.....;dated 19-8-67 copy enclosed a sum of £. 153 only was surrendered........

वह बीमार थे । मोहिन्दरसिंह जी बीमार थे । वह आई. ए. एस. हैं, वह सक्षम है, अपना इलाज कराने के लिए, इस बारे में दो राय नहीं रखता हूं । लेकिन फॉरन एक्सचेंज है, उसका रेग्युलेशन बना हुआ है । जो परसों असेम्बली में हिसाब दिया है; उस हिसाब को ऑडिटर नहीं मानता है । आप मूल में जायें तो फॉरन एक्सचेंज की व्यवस्था आप की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ने की है । सवाल यह उठता है कि परसों जो अकाउन्ट दिया है । परचेज ऑफ क्लाथ आदि का तो सवाल यह है कि हमारे पास 50 लाख रुपया है । अगर रिजर्व बैंक हमको देती है तो हम चाहे जैसे करें, उसका तो कुछ नहीं है लेकिन यह एक पर्टीक्यूलर परसन के लिए हुआ है । वह किस प्रकार से यूज करते हैं । उनकी वाइफ है, वह किस तरह से यूज करती हैं । परचेज ऑफ क्लोथ करती है जो परमेसेबिल नहीं है । दूसरे 20-12-66 से 25-12-66 तक एक्सपेन्डीचर ऑफ बोर्डिंग एण्ड लोजिंग का बिल भी नहीं दिया है । हमें मालूम है, किस जगह किस होटल में वह ठहरे हैं । उनकी पत्नी कहां ठहरी थी । हाई कमिश्नर लन्दन से यह पता कर सकते हैं । क्योंकि फॉरन एक्सचेंज स्केयर्स कमोडिटी है । इस बारे में पूरा नियम हैं । वह मोम्बासा भी रह कर आए हैं । वह हैम्बर्ग भी रह कर आये हैं । फॉरन में जहां चाहे वहां वह घूमते रहे हैं । एक्सपेन्डीचर ऑन केबिल एण्ड ट्रंककाल भी किया जाये । ट्रांसपोर्टेशन पर 2907.... ... roughly 6300 have not been accounted for.

अध्यक्ष महोदय, यह अकाउन्ट फॉर नहीं हुआ है । इस प्रश्न को मेनली ह्यूमेटेरियन पॉइन्ट नहीं बनायें । कल को मैं मुख्य मन्त्री जी से लेकर 500 रु. खर्च कर दूं ।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री जी से ।

श्री बरकतुल्ला खां : अजी, मैं कहां से लाऊंगा ......

श्री मोहनलाल छंगाणी : अकाउन्ट फॉर पूरा हुआ है या नहीं, उन्होंने नहीं किया है । फॉरन एक्सचेन्ज जो मंजूर हुआ है । उसके साथ साथ यह खरा उतरता है ? तो, अध्यक्ष महोदय, मोहिन्द्रसिंह के इन मामलों के बारे में, माननीय मुख्य मन्त्रीजी सदन में मौजूद हैं; उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मैं अर्ज करना चाहता था....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सवाल यह करेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं श्री मोहिन्द्रसिंह की पत्नी ने अटेण्ड किया तो उनको भी फॉरन एक्सचेंज दिया जाता है । क्या वह उनको दिया गया है ? दूसरा यह है कि क्या उनको अटेण्डेन्ट करने की स्वीकृति दी गई है ? राज्य सरकार के द्वारा उनको अटेण्डेन्ट स्वीकार कर लिया गया है ? क्या उनके लिए डी. ए. भी स्वीकृत माना जाता है । अगर माना गया है तो कमिश्नर एजूकेशन ने उनको डी. ए. देने के लिए कोई पत्र मूव किया, जिससे डी. ए. स्वीकार किया गया है । तीसरा यह है कि डी. ए. उन्होंने लिया है या उनकी पत्नी ने लिया है । और क्या उसकी स्वीकृति ली गई है, कन्सर्निग ऑफिसर से ? क्या वह मुख्य मन्त्री के सम्मुख लाया गया है, चौथा यह कि जो एक्सट्रा एक्सपेन्डीचर हुआ है, यह एक्सपेन्डीचर कमिश्नर एजूकेशन की तरफ से हुआ है या उनकी पत्नी की तरफ से हुआ है ? उनको सैंक्शन विद इन लिमिटेशन हुई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं निवेदन करूंगा, यह रिएम्बर्स हुआ है। टी. ए., डी. ए. बनाया गया । वह स्वीकृत करा लिया गया है । रिजर्व बेंक से एयर का 6,954 रु., 504 उनको और 1,296 रुपया उनकी पत्नी को दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आई. ए. एस. को इतना और आई. ए. एस. की पत्नी को इतना जैसे वह आई. ए. एस. से भी आई. ए. एस. हो । उनकी पत्नी को उनसे ज्यादा दिया गया है । और, वहां का इलाज कराने के लिए 5,549 रु. हैं। ये तीनों फिगर है । टोटल 7,348 रु. होता है । सीतापुर से लखनऊ ट्रेवल किया है। उसका भी अमाउन्ट होता है । एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, उसका तो जवाब दे दें । यह रुपया जो दिया गया, उसके लिए लीगल ओपीनियन ली गई या नहीं । इस प्रकार के मुझे कई केसेज मालूम है । एल. डी. सी., यू. डी. सी., जमादार और चपरासी को जो वाजिब मिलना चाहिए, उनको 13-14 वर्ष लग जाते हैं। जो जायज था । यह उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की कि उन्होंने कहा कि मैं लौटाता हूं। आपने लीगल ओपीनियन ली है या नहीं कि वह एनटाईटिल हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी अध्यक्ष महोदय, कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं, यह एक ह्यूमन प्रश्न है, एक माननीय प्रश्न है। अगर एक व्यक्ति बीमार है और वह करीब करीब उसकी आंखों की रोशनी खो चुका है, वह सीतापुर जाता है, यह ज्ञात होता है कि वहां पर भी उसका इलाज नहीं हो सकता। हमारे देश के अन्दर आजाद सोसाइटी है, फ्री सोसायटी है, जिसके अन्दर बाहर जाने की भी व्यवस्था है। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर चिकित्सा, और आंखों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध है। लेकिन उसके साथ अगर कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहे अपना इलाज कराने को तो वह व्यक्ति खुल्लम खुल्ला, बाजाब्ता तौर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके, सरकार की इजाजत प्राप्त करके, रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 975 पौंड विदेशी मुद्रा प्राप्त करके वहां पर जाता है। अगर उनकी धर्मपत्नी उनके साथ साथी के रूप में जाती हैं, जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वह अकेले जाने की स्थिति के अन्दर नहीं थे, तो यह मानवीय और कॉमनसेंस का प्रश्न है कि दूसरा आदमी उनके साथ जाता, उसकी अपेक्षा उनकी धर्मपत्नी उनके साथ गई, तो इसमें, मेरे ख्याल में, आश्चर्यजनक बात नहीं हुई है। मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं, इस समस्या को लेकर बाल की खाल निकाली जाय और लिटरेरी विच हण्ट ऑर्गेनाइज किया जाय तो सदन की गरिमा के लिए, मैं समझता हूं, शोभाजनक नहीं होगा। सदन मत मतान्तर का है, माननीय सदस्य इस पर आपत्ति उठायें, तो उन्हें पूरी आजादी है; जी चाहे जो कह सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई राजनीति भी नहीं है; राजनीति भी हो और प्रतिक्रिया के रूप में आक्षेप लगाये जायं, तो मैं उसका स्वागत् करता हूं। हम तो प्रतिक्रियावादी हैं ही, हम प्रगतिशील कब बने ? मेरे ख्याल में इसमें राजनीति को डूग करना सदन की गरिमा की दृष्टि से समझने जैसी बात है। सब बातों को देखने के लिए जब हिसाब स्पष्ट रूप से दिया गया है, रिजर्व बैंक से हिसाब की स्क्रुटिनी हो चुकी है। दिसम्बर में फॉग लन्दन का और वहां की कड़कड़ाती सर्दी, और ट्रापीकल कन्ट्री से वहां जायं""

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी परम्परायें अलग रही थीं, आपका तो पानदान अगर रह जाता था तो उसे लेकर जाते थे।

श्री लक्ष्मणसिंह : पानदान ले जायं, पान लगाने के लिये ले जायं "" "

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गंगाजल जाता था।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके लिए पान ले जाया जाता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : लन्दन में जो भी चाहें मिल सकता है। अब लन्दन और इन्डिया में वैसी बात नहीं रही है।

मैं व्यक्ति विशेष की वकालत नहीं करता हूं। मैं यह समझता हूं, साधारणतया यह कॉमन सेंस का प्रश्न है, हम उदारता के तौर पर टॉलरेंन्स के साथ, एक सिक मैन की परिस्थिति के साथ सिम्पैथी और सहानुभूति के साथ इस पर विचार करेंगे तो हमारे लिए शोभाजनक होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने भी आधे घण्टे की चर्चा का प्रश्न उठाया है। दो मिनिट में भी प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में ही पूछें। टाइम हो गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो सवाल मैं भी पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : सबको इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मीठालाल : मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : होगा यह हो जाय। But if your friends take more time, I cannot help.

श्री मीठालाल : दो घण्टे भी लगें, लेकिन जिनका नाम है उनको तो बोलना है।

श्री अध्यक्ष : I shall allow only half an hour.

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे अलाऊ हो गया है।

श्री मीठालाल : मेरा नाम है, दूसरा ने बोल लिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : स्पष्टीकरण के रूप में मैं पूछना चाहूंगा।

श्री मीठालाल : व्यवस्था करना आपके हाथ में है, किसको आप इजाजत देते हैं, किसको नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप उठते नहीं हैं, तो बोलने के लिए मैं कैसे कहूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अब बोल लेने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : You never stood. I never refused.

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्वश्चन ही पूछूंगा स्टेटमेंट दिया था उसमें बताया कि तीन पौण्ड पहले जमा करा दिये और 150 बाद में जमा कराये। मैं जानना चाहता हूं, 150 जमा कराये, बैंक में पौंड जमा थे, वह ट्रान्सफर कराये? एक यह जानना चाहता हूं, 150 पौंड बाद में जमा कराये, जो बैंक अकाउन्ट खोला गया, उस बैंक अकाउन्ट को खोले जाने की स्वीकृति ले ली गई थी। एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, मैं यह जानना चाहता हूं, जब टी. एन. चतुर्वेदी अपनी वाइफ, अपने लड़के को लेकर बंगलौर इलाज कराने गये थे, तो दैनिक भत्ता उनको अलाऊ नहीं किया गया था। उसके बाद में मोहिन्द्र सिंह, और मोहिन्द्रसिंह की वाइफ को, मुझे मोहिन्द्रसिंह के बारे में कुछ नहीं कहना, जैसा महारावल साहब ने फर्माया, वह बीमार पड़े और उनकी आंखों की बात सामने आ जाती है, सारी बात सही है, मैं जानना चाहता हूं, जब वाइफ, मिसेज प्रकाश चतुर्वेदी को अलाऊ नहीं किया गया, तो इन्हें क्यों अलाऊ किया गया? पी. ए. सी. में जब यह इश्यू उठाया गया तो 1970 में वापिस कर दिया। दो मुख्य बातें हैं, एक तो बैंक अकाउन्ट की परमिशन, पहले उन्होंने जमा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

क्यों कराये, दूसरे टो. एन. चतुर्वेदी की वाइफ को अलाऊ नहीं किया तो इन्हें क्यों अलाऊ किया ?

श्री अध्यक्ष : दो क्वेश्चन आप भी पूछ लें।

श्री मीठालाल (लालसोट) : मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा 150 पौंड वापिस लिये थे और तीन रुपये ब्याज के ले लिये। 1966 में यात्रा की थी और इलाज के लिए गये थे, तो बीच में लिखा पढ़ी कितनी बार की गई कि डी. ए. का आपकी वाइफ के नाम निकला है, इसको वापिस जमा कराइये। 1966 के बाद 1970 में जमा कराया है, तो महीने के तीन रुपये ब्याज के जमा करा दिये लेकिन चार साल के ब्याज की उनसे मांग की गई ?

श्री अध्यक्ष : (श्री मोहम्मद गफ्फार अली से) आप भी पूछ लें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जो फेसिलिटी उनको एक्सटेण्ड की गई थी, क्या वह फेसिलिटी अटेंडेन्ट की उसके मुताबिक जायज होती है ? नम्बर एक। नम्बर 2, जो रुपया वापिस किया, उसका फारेन एक्सचेंज का दुरुपयोग नहीं हुआ ? तीसरा, यह कि क्या ऑफिसर की इन्काम्पोटेन्स नहीं है कि उसने रुपया ले लिया, उसके बाद उसको रुपया वापिस देना पड़ा इन तीन सवालों का आप स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री !

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें पत्नी का जहां तक बाहर जाने का संबन्ध था, वह फाइनेन्स सेक्रेटरी ने 28-5-66 को रिकमन्ड किया, चीफ सेक्रेटरी ने 31-5 को किया, फाइनेन्स मिनिस्टर ने 1-6 को किया। मुख्य मंत्री ने 5-6-66 को किया। तो जहां तक इनकी पत्नी का साथ जाने का संबन्ध था, इसकी परमिशन दी।

दूसरा सवाल यह है कि पत्नी का डेली अलाउन्स क्यों हुआ ज्यादा और उनके पति का डेली अलाउन्स कम क्यों हुआ ? वह यह था कि पत्नि को होटल में रखना पड़ा, यह अस्पताल में रहते थे....

श्री मोहनलाल छंगाणी : होटल में नहीं रही।

श्री श्रीराम गोटेवाला : होटल में नहीं रहीं, हमारे पास प्रमाण है।

श्री बरकतुल्ला खां : होटल में नहीं रहती हों, बोर्डिंग हाउस में रहती हों। बहरहाल अस्पताल में नहीं रहती थी। अस्पताल का ऑल इन्क्लूडेड था, दवाई का, खाने का पीने का सब इन्तजाम था।

रिजर्व बैंक का जहां तक संबन्ध था, जो रुपया हमने दिया, उसका अकान्ट हमें दे दिया। रिजर्व बैंक का जहां तक संबन्ध है, कोई कसूर होता तो बाद में रिजर्व बैंक पुल अप कर लेती। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती है।

यह सवाल नहीं है कि अनड्यू प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। रूल में यह है, कोई बीमार हो, उसका इलाज हिन्दुस्तान में नहीं हो सके तो बाहर जा सकता है, और उसके साथ अटेंन्डेन्ट जा सकता है। अटेन्डेन्ट नर्स या दूसरा डॉक्टर जाता,

(श्री बरकतुल्ला खां)

जाता तो भी उसको डी. ए., टी. ए. देना पड़ता। लेकिन उसके बाद प्रश्न उठा, वैसे यहां से, गवर्नमेंट से सेंक्शन हो चुका था, जब पी. ए. सी. में प्रश्न उठा तो उन्होंने लौटा दिया जो एक्सेस लिया था, वह लौटा दिया। जो रिजर्व बेंक को अकाउन्ट दिया, उसमें डिटेल दी है, वह रिजर्व बेंक अपने नियमों के अनुसार देखती है और नाजायज चीज होती है तो उसके बारे में फौरन चर्चा करी जाती है।

राजस्थान गवर्नमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध इतना ही है कि जो रुपया हमने अलॉट किया था, वह रुपया सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं और उसकी रसीद आयी या नहीं।

मैं यह समझता हूं कि पोजीशन काफी क्लीअर हो चुकी है और इसके अन्दर अब ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बेंक अकाउन्ट के बारे में निवेदन किया था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारे काफी प्रश्न रह गये बिना उत्तर के।

श्री अध्यक्ष : रह गये तो adopt another remedy according to the rules.

श्री मोहनलाल छंगाणी : दूसरी रेमेडी नहीं है। सदन के अलावा दूसरी रेमेडी क्या हो सकती है, अध्यक्ष के पास रेमेडी है।

श्री अध्यक्ष : I am ready to give you any relief under the rules.

राज्य की अकाल स्थिति पर विचार

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राज्य की अकाल स्थिति पर विचार किया जाए।"

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अकाल के संबंध में राज्यपाल

(1.11 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

महोदय, के अभिभाषण के दौरान जो बहस हुई उस समय भी मैं बोल चुका हूं और बजट के समय भी मैंने अकाल के संबंध में अपने विचार इस सदन के समक्ष रखे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य प्रचुर मात्रा में इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। लेकिन मैं प्रमुख मुद्दे सरकार को सीधे रूप से ही निवेदन करना चाहूंगा ताकि सदन का बहुमूल्य समय नष्ट न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डूंगरपुर जिले का संबंध है, मैंने जानकारी प्राप्त की और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उस इलाके का भ्रमण किया। मेरा यह अनुभव है कि अनियमततायें अब के अकाल राहत कार्यों के अन्दर कम हैं, बहुत कम हैं। इतने विस्तृत कार्य के अन्दर जहां करोड़ों और लाखों रुपए का व्यय हो, जहां हजारों आदमियों की मजदूरी का संबंध हो, यह स्वाभाविक है और इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कुछ अंशों में

(श्री लक्ष्मण सिंह)

भ्रष्टाचार तो होगा ही किन्तु पहले के जो अकाल के समय में अनियमिततायें, आपाधापी और भ्रष्टाचार थे, उसके मुकाबले में अब जो भ्रष्टाचार है भी तो भी नगण्य है, और इस संबंध में मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं कि मैं सरकार के समक्ष कोई शिकायत करना चाहूँ। मैं जरूर चाहूंगा उसके साथ साथ कि सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए और कम से कम जो मजदूरी चुकाने की व्यवस्था है, वह इस आदिवासी क्षेत्र के अन्दर विशुद्ध ढंग से होनी चाहिए और सतर्कता बरती गई और समय पर मजदूरी बराबर मिलती रही तो मैं समझता हूं सरकार के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। मैं सरकार को इन आपत्तियों के अन्दर, इन विषम परिस्थितियों के अन्दर अनुचित लाभ नहीं लेना चाहूंगा, राजनैतिक दृष्टिकोण से भी मैं कायरता समझूंगा और सरकार को जहां पर कमियां होगी उचित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर उनकी कमियां है और मेरी भावना इस अकाल की घड़ी के अन्दर सरकार के प्रति, क्योंकि मैं विरोधी पक्ष में बैठने वाला हूं, सहयोगी भावना रहेगी, ताकि हम सब मिलकर जनता के इस मानवीय प्रश्न का हल निकाल सकें। तो सीधी सीधी बातें मुझे निवेदन करनी हैं।

एक महत्वपूर्ण विषय घास के सम्बन्ध में है। सरकार से मैंने बार बार कहा है कि हमारे क्षेत्र में खास तौर से घास के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार कर सकती है अगर चाहे तो घास की गंजियां और गोदाम बना सकती है। अगर ऐसा हो तो 5-6 साल तक वह घास नहीं बिगड़ेगी और हजारों मवेशियों के लिए वहां पर जीवन की व्यवस्था होगी तो सरकार को चाहिए कि वनों के अन्दर यथा-संभव मवेशियों को घुसने नहीं दें। घास का उगान जब अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर में होता है तब घास की पैदावार होने दें, मार्च में पहले घास को कटने दें उसके बाद मवेशियों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो मवेशियों को भी राहत मिलेगी और गंजियों की भी व्यवस्था हो सकेगी।

डेयरी फार्म के बारे में एक बार मैं निवेदन कर चुका हूँ कि डूंगरपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहां गरीब आदिवासियों को कोई पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। पहले के जमाने में तो पौष्टिक आहार भी था, हजारों हिरन थे उनको मारकर आदिवासी खा सकते थे। आज यह डेयरी की समस्या है। अगर आप श्वेत क्रांति देश में लाना चाहते हैं तो डेयरी के सम्बन्ध में चाहे सहकारिता के क्षेत्र में क्यों न हो, सरकार विचार करे। लेकिन सहकारिता के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सहकारिता आन्दोलन में करोड़ों रुपए का अपव्यय हो रहा है, बहुत ही बोगस समितियां हैं। आज ही प्रश्नोत्तर काल के समय यह प्रश्न सामने आया। कम से कम बोगस सहकारी समितियों को तो वाइंड अप कर दीजिए, ताकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा, प्रोसेस ऑफ कम्पिटीशन एण्ड कम्पेरीजन के द्वारा, आप इस निर्णय पर पहुंच सकें कि कितनी सोसाइटीज अच्छी नहीं हैं लेकिन उनको जीवित रखने के लिए औचित्य है, कितनी बिल्कुल बोगस हैं, उनको खत्म करना चाहिए……

एक माननीय सदस्य : तो नेता लोग कहां जायेंगे ?

श्री लक्ष्मणसिंह : कमल बांध का कार्य अगर प्रारम्भ होता है तो सलूम्बर और आसपुर को लाभ मिलेगा। करीब 100 वर्गमील के अन्दर ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि अगर अकाल भी पड़े तो वहां पर उसका विशेष प्रकोप जनता अनुभव नहीं करेगी ।

आदर्श ग्राम के बारे में मेरा निवेदन है कि अगर किसी ग्राम को आदर्श ग्राम की संज्ञा देते हैं तो वहां कम से कम पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं स्पष्टत: निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम है उसको आदर्श ग्राम घोषित किया गया लेकिन वहां आदर्श ग्राम के कुए के अन्दर जांय तो कबूतर गुटरगूं बोल रहे हैं लेकिन कुए में पानी नहीं। अगर आदर्श गांव है तो पेय जल की भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

हमारा आजाद देश है, हमारा शासन जनतन्त्र के सिद्धांत पर आधारित है लेकिन इसके साथ साथ परिवार नियोजन का भी एक महत्व है। इसके अन्दर कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिये चाहे परसूएशन से, चाहे समझदारी से। जहां आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, इस अभियान में तो अति उत्तम होगा अन्यथा अंततोगत्वा यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है आदिवासी क्षेत्र की जैसे पाकिस्तान युद्ध के अन्दर आपको अन्धाधुन्धु खर्चा करना पड़ा, वैसे ही यहां पर अगर पॉपूलेशन एक्सप्लोजन होता है और जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक अनर्थ उत्पन्न हो सकता है। डूंगरपुर में आखिरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह आप क्या कोटा निर्धारित करना चाहते हैं ? गत मास एक किलो मक्का और एक किलो गेहूं दिया। उसके बाद मैं स्वागत करता हूं कि आपने व्यवस्था की 2 किलो गेहूं और दिया जाए तो 4 किलो कि आपने व्यवस्था की लेकिन 4 किलो पर्याप्त नहीं है खास तौर से आदिवासियों के लिए। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि हैव्ज और हैव नाट्स के बीच में कोई समन्वय लाने के लिए वहां पर डूंगरपुर में व्यवस्था की गई है। वह भी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अच्छी है। अगर क्रियान्विति सही रूप से की जाती है तो उसका भी लाभ आदिवासियों को और गरीबों को ही मिलेगा और जो हैव्ज हैं जिनके पास अनाज है, कम से कम उन लोगों को भी थोड़ा बहुत त्याग करना चाहिए। उन लोगों से हो सके तो 5-10 आदमियों को रोजाना और कुछ न हो सके तो मुफ्त खिलवायें। अगर यह भी नहीं हो सकता तो उनका कोटा गरीबों को दें। अगर ऐसा होता है तो भावात्मक एकता उत्पन्न होती है। उसके अन्दर सरकार के हाथ मजबूत होंगे और सरकार को सुचारू ढंग से काम करने का मौका मिलेगा तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कम से कम प्रति व्यक्ति आठ किलो अनाज आदिवासी क्षेत्र में वितरित किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जरूरत के मुताबिक अनाज देने की व्यवस्था करवायें माननीय सदस्य जो मेरे सामने विराजमान हैं वे भी आदिवासी क्षेत्र के ही हैं और उन्हें आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं का अच्छा ज्ञान है। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से यह कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के लोगों

(श्री लक्ष्मणसिंह)

की वाइटेलिटी एक प्रकार से समाप्त हो चुकी है, उनकी वाइटेलिटी ह्रास हो चुकी है। उनकी वाइटेलिटी इतनी ह्रास भूख से उत्पीड़ित होकर हो गयी है कि वहां सैंकड़ों की संख्या में ऐसे व्यक्ति आपको जवान लोगों में मिलेंगे जो कि काम करने में व चलने फिरने में लड़खड़ा जाते हैं। वह लोग घबरा जाते हैं। उनमें एक प्रकार का भय पैदा हो गया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, अप्रेल और मई के महीनों में जबकि भयंकर गर्मी पड़ेगी उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जावेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके खाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर काम करने वाले हों वहां पर उनकी चिकित्सा के लिए कोई न कोई व्यवस्था तो सरकार के द्वारा करनी चाहिये। इसके अलावा आपने जो वहां पर टॉस्क बेसिस पर मजदूरी देने की व्यवस्था की है उसको मैं अच्छा मानता हूं। इसमें अलग अलग लोगों की दो राय हो सकती है लेकिन मैं इतमें यह कह सकता हूं कि इससे कम से कम भ्रष्टाचार तो कम होगा, और इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर कुछ न कुछ नियन्त्रण जरूर होगा। लेकिन अगर आप इस पर एक्सट्रीम पर चले जायेंगे तो इसमें दिक्कत आ जायेगी। क्योंकि इससे तो मानवीय दृष्टिकोण फिर नगण्य हो जायेगा अगर आप टॉस्क बेसिस सिस्टम पर लकीर के फकीर की तरह ही काम करते गये तो यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसलिये इसमें कुछ सुधार या कन्सेशन करें तो ठीक रहेगा। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनावे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ सरकार ने जो मक्का देने का कहा था वह तो मिली नहीं और माईलो जो आयी थी वह खराब थी इसलिये वह भी नहीं मिली तो मेरा निवेदन है कि आप गेहूं ही दे दीजिये क्योंकि जो माईलो है, फीड है, फूड नहीं है। और समाचार-पत्रों में भी इस माईलो के बारे में समाचार छपे थे। हमसे अमेरिका ने फर्स्ट रेट फूड की कीमत लेकर हमें सैकण्ड रेट माल सप्लाई कर दिया। और वह माईलो जो सप्लाई की हुई है वह सैकण्ड क्लास फूड की है, वह फीड है, फूड नहीं। इसका मतलब यह है कि फीड तो उसे कहते हैं जो मवेशी के खाने के काम आती है। इसलिए वह फूड नहीं है दूसरे सैकण्ड क्लास माईलो में तो धतूरे के बीज वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बारे में मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उस माईलो को बीन कर काम में ली जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पांच मिनट जैसलमेर के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यहां पर जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं और इस सम्बन्ध में जो मैं अपने विचार प्रकट करूं और जो जानकारी मुझे मिली है उसमें अगर कोई फर्क हो तो वह अपने भाषण के दौरान उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहा गया है कि जैसलमेर में मजदूरों की संख्या अभी तक सिर्फ दस हजार ही है। पहले वाले अकाल के समय मजदूरों की संख्या 75 हजार थी। आज बाजरे का भाव वहां पर 150 रुपये से लेकर 140 रुपये प्रति क्विन्टल है जबकि उस जमाने में 100 रु. प्रति क्विन्टल था।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आज वहां पर रो रोकर सिर्फ 8 किलो अनाज दिया जा रहा है। उस समय अकाल के समय में 12 किलो अनाज वहां पर दिया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां पर 50 मील के घेरे में आपको सस्ते अनाज की दूकानें नहीं मिलेंगी। इससे लोगों को काफी परेशानी वहां पर है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि वहां पर सस्ते अनाज की दुकानें ज्यादा से ज्यादा खोली जावें। अनाज की दुकानों की सख्या में वृद्धि की जावे। मैं आपको उदाहरणार्थ सीमावर्ती इलाके के क्षेत्र की बात बताता हूं एक शेरगढ गांव है जिसके आसपास पचास मील तक कोई सस्ते अनाज की दुकान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले वहां पर पाकिस्तान से सात ऊंट अनाज के लदे हुए आये तो उन ऊंटों को बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया। खैर उनका तो यह काम है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि अगर आप उन्हें अनाज नहीं दे सकते हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं दे सकते हैं और उन्हें अगर इधर उधर से चाहे पाकिस्तान से ही अनाज मिल सकता तो मैं इसके लिये राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि नियमों में कुछ थोड़ी बहुत तो छूट होनी चाहिये अगर भारतवर्ष में पाकिस्तान से अनाज आता है तो आने देने में हमें रुकावट नहीं करनी चाहिये। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की भी बहुत समस्या है। आज भी वहां पर दस दस मील की दूरी से लोग माथा मार कर पानी लाते हैं। इस बारे में भी राज्य सरकार को चाहिये कि पीने के पानी की उस ऐरिया में व्यवस्था की जानी चाहिये। आज वहां पर अनाज नहीं और पीने के पानी की समस्या बहुत बनी हुई है और ऐसी ही हालत अक्टूबर तक रहेगी तो इतना समय कैसे कटेगा अभी तो दिल्ली दूर है।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं एफ. सी. आई. के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, एफ. सी. आई. को अनाज के बारे में खरीद का पूरा अधिकार है और वह तो अनाज की खरीद के लिये सर्वेसर्वा है। वह तो अनाज खरीदती ही है। उसके साथ मैं राज्य सरकार को भी निवेदन करना चाहूंगा वह अनाज का जखीरा इकट्ठा करे जिससे कि राज्य सरकार को उस क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी हो, राज्य सरकार को उस क्षेत्र की समस्याओं का अनुभव हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार और फूड कर्पोरेशन ऑफ इन्डिया के बीच में समन्वय व सामंजस्य हो ताकि इसमें अगर कुछ भी गलतियां हों तो वह दूर हो सकें। इसमें अगर कुछ एरर्स हों तो ठीक हो जावें। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक दफा जो आपने भाव निर्धारित कर दिये हैं उन पर आपको कायम रहना चाहिए, इसमें अगर आपको घाटा भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए और उसके लिये आपको सब्सिडाइज भी करना चाहिए। एक दफा जो आपने भाव तय किये हैं वह कम से कम चार छः माह तो रहने चाहियें। इसमें आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि उपभोक्ता और काश्तकार दोनों को नुकसान नहीं हो। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने वहां पर काम करने वाले स्त्री,

(श्री लक्ष्मण सिंह)

पुरुषों के लिये छुट्टी की व्यवस्था की वह तो ठीक है। लेकिन मैं आपका ध्यान विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों को तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर आज हजारों की तादाद में लोग अकाल के कारण दूसरे प्रदेशों में जैसे कि मध्यप्रदेश ही चले गये हैं, लेकिन वहां जो आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें आप खाने को तो पूरा दें अन्यथा ऐसा हो सकता है कि वहां पर लॉ एण्ड आॅर्डर मेंन्टेन करना बहुत मुश्किल हो जायेगा, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खतरा है कि वहां पर अनाज के लिये लूट-पाट न हो जाये। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार की यह नीति है कि वह बार बार छोटे कर्मचारियों के ट्रान्सफर नहीं करेंगे आज यह कहा जाता है कि छोटे कर्मचारी जिसमें लिपिक वर्ग आता है उनको एक जिले से दूसरे जिले में ट्रान्सफर नहीं किया जायेगा। यह तो ठीक है लेकिन एक आदमी को आप तीन साल, चार साल या पांच साल तक नहीं ट्रान्सफर करें कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे 8-8 साल तक वहीं रहने दें और उसका अगर ट्रान्सफर नहीं होता है तो मैं समझता हूं इससे भ्रष्टाचार बढ़ता ही है। अगर आप कुछ समय के बाद ट्रान्सफर कर देते हैं तो इससे स्वस्थ परम्परा कायम होती है आज लोग दस दस साल नहीं अपितु बीस बीस साल से वहां पर लगे हुए हैं यह तो बहुत बुरी बात है। आज वहां पर ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कि वहां पर एक रुपया तक नहीं बचाते हैं और वहां पर ऐसे भी कर्मचारी हैं जो लोग हजारों रुपया कमाते हैं। आज से 15 या बीस साल पहले जिनके पास खाने को अनाज नहीं था और पहनने को कपड़ा नहीं था वह आज लक्षाधिपति बन कर बैठ गये हैं खैर उस पचड़े में तो मैं पड़ना नहीं चाहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव शिथिलता आती है और उससे रेडटेपिज्म बढ़ता है, लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आज वहां पर अकालग्रस्त एरिया है, जनता अकाल से त्रस्त है तो फिर आप ऐसे शिथिल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से अकाल से लड़ाई किस प्रकार लड़ सकेंगे। और मैं यह आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष से भी जो सद्भावनापूर्ण, खरे, ठोस विचार आपके समक्ष आयें उसके ऊपर निष्पक्षता के साथ विचार करें और उनकी बातों को आप मानेंगे तो इसमें जनता का भी लाभ है और राजस्थान का भी लाभ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी के प्रति निश्चय ही सहानुभूति है। उनके संकल्प, उनकी चिन्ता और मेहनत के बावजूद भी जो अकाल के सम्बन्ध में उन पर भार पड़ा हुआ है यह उनके चिन्तन का विषय ही नहीं है परन्तु हमारे चिन्तन का भी विषय है। परन्तु इनकी मेहनत के बावजूद भी हम किस तरह से नियन्त्रण इस अकाल पर कर पाये हैं और इसकी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

विकरालता आगे क्या हो सकती है इसका विश्लेषणात्मक विवेचन करना जरूरी है।

मैं इस प्रश्न पर अपने ही जिले उदयपुर की स्थिति का विवेचन करूंगा। उस सन्दर्भ में सारे राजस्थान में जो अकाल राहत व्यवस्था की गयी है उसका भी विश्लेषण करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इसकी 18 लाख की आबादी है। उसमें छः उपखंड हैं। करीब 18 पंचायत समितियां हैं और 3178 गांव हैं। प्राय: सब ही फ़ैमीन एफेक्टेड हैं। हालांकि इस डिस्ट्रिक्ट की बड़ी प्रशंसा है कि यह बड़ा सरस है, हरियाली वाला है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 78 पर्सेन्ट इस डिस्ट्रिक्ट का भू-भाग पहाड़ी है और पहाड़ी होने के अतिरिक्त 80 पर्सेन्ट इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का खेती पर जीवन आधारित है और 40 प्रतिशत इसमें आदिवासी हैं। यह मैंने इसलिये अर्ज किया कि सारा डिस्ट्रिक्ट अभाव से ग्रसित है और पूर्व में भी रहा है। आदिवासी जिनकी जमीन अगर देखी जाय तो 0.5 एकड़ प्रत्येक के पास औसतन आती है और जिनकी आबादी प्रतिवर्ष बढ़ती हुई है जिनकी वन संपदा नष्ट हो गयी है जो कि उनके जीवनोपार्जन के लिये आवश्यक थी, ऐसे लोगों की आबादी सम्पूर्ण 18 लाख में से 8 लाख है। अकाल राहत मंत्री का इस पिछड़ी अवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जो उन्होंने राहत कार्य किये हैं उस सम्बन्ध में उनको सजग करना चाहता हूं।

यह पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट को अकाल ने घेरा हो यह बात नहीं है। मैं ये आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकें। आर्थिक शक्ति इनकी अस्थिर हो चुकी है, क्रय शक्ति इनकी नष्ट हो गयी है, नष्ट इसलिये कि निरन्तर अकाल पड़ते रहते हैं। निरन्तर अकाल से स्वास्थ्य भी जिनका नष्ट हो गया है आर्थिक स्थिति नष्ट हो गई और क्रय शक्ति भी नष्ट हो गयी है। उसके मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा।

64 में 452 गांवों में अकाल पड़ा।

65 में 2011 गांवों में अकाल पड़ा।

66 में 1856 गांवों में अकाल पड़ा।

68 में 2684 गांवों अकालग्रसित हुए।

69 में 2237 ,, ,,

71 में 1065 ,, ,,

72 में 2996 ,, ,,

और इस वर्ष में 3178 गांव अभावग्रस्त हैं।

यदि इस ओर आपकी सहानुभूति न हो तो उसको आकर्षित करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में जब कि यहां के अकालग्रस्त कई साल से रहे हैं जिनकी क्रय शक्ति नष्ट हो गयी है, जिनके आदमियों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया है, और जिनका जीवनोपार्जन का आधार नहीं रहा है उस डिस्ट्रिक्ट की ओर आपका ध्यान अधिक सक्रिय होना चाहिये।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मैं इस सन्दर्भ में यह भी कहने की स्थिति में हूं कि इस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख व्यक्ति बेकार हैं जो चाहते हैं कि हमें काम मिले। और उनमें से 10 लाख से अधिक शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्युल्ड कास्ट्स के लोग हैं या जो लैंडलेस लोग हैं। आकांक्षायें काम लेने की जिनकी है वे 15 लाख हैं। उनमें से 10 हजार उन आदमियों को छोड़ दिया है जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। दस लाख व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं जिनके पास कोई रोजगार है ही नहीं और वे रोजगार चाहते हैं।

इसके साथ ही खाद्यान्न की विषम स्थिति का उल्लेख आपके सामने रखना चाहता हूं। 18 लाख जनसंख्या, प्रति व्यक्ति छः किलो और प्रति माह 11 हजार टन अनाज की आवश्यकता है और इस वक्त आप जो दे रहे हैं वह मार्च में तो मुझे मालूम है 3 हजार टन अनाज दिया और मैंने बार बार निवेदन किया कि जहां आवश्यकता है 11 हजार टन की वहां 3 हजार टन दिया गया। इस तीन हजार टन का वितरण प्रॉयोरिटीज के आधार पर किया जा रहा है। पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स को और उनके अतिरिक्त किसी को अब तक अनाज नहीं दिया गया। पेपर एलॉटमेन्ट जरूर हुआ है कोटा से और बड़ी चर्चा थी कि मार्च के प्रथम सप्ताह में 2॥ हजार टन प्राप्त होने वाला है। यह एक दो दिन में अलॉट हो गया हो तो मुझे पता नहीं उस पेपर एलॉटमेन्ट से उम्मीद नहीं है कि प्रॉयोरिटी मिल जाय और दूसरों को भी नाज मिल सके लेकिन मंत्री महोदय प्रॉपर एलॉटमेन्ट की कार्यान्विति अब तक नहीं हो सकी है। मैंने जैसा निवेदन किया कि इतने वर्षों का अकाल और इससे निरन्तर यह डिस्ट्रिक्ट दबता हुआ चल रहा है। इस डिस्ट्रिक्ट के दस लाख, जो अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग हैं, उनका स्वास्थ्य गिर गया है और आप उनके ऐसे स्वास्थ्य से इस अकाल को भी निकालना चाहते हैं। जो ऑब्जर्वेशन्स मेरे पास आये हैं उनका उल्लेख मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं। उन अधिकारियों द्वारा आब्जर्वेशन्स दिये गये हैं जो गांव 2 फिर कर, उन लोगों में बैठ कर, उनके दर्द को सुन कर और महसूस कर ये ऑब्जर्वेशन्स दिये गये हैं और उन ऑब्जर्वेशन्स को कन्ट्राडिक्ट करने के आपके पास कोई प्रमाण नहीं हैं। उन्होंने ओब्जर्वेशन्स दिये हैं कि "निरन्तर अपौषक तत्व मिलने से उनकी शक्ति कमजोर हो गयी है। अधिक काम वे नहीं कर सकते हैं। ज्यादा समाज की संख्या ऐसी है जिनको गांव में एक टाइम भी भोजन नहीं प्राप्त होता। दस लाख शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनकी वन संपदा नष्ट हो गयी है और अकालग्रसित रहे हैं।" इस मान्यता के आधार पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, टास्क बेसिस पर जो श्रम रखा है उसकी ओर।

इसी के साथ मैं और आगाह करना चाहता हूं कि पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलने से अशक्त तो वे हो ही गये हैं और आगे के लिये जिनमें भय पैदा हो रहा है कि उनमें इस प्रकार की एपीडेमिक्स न पैदा हो जाय, ऐसे रोग न फैल जांय कि जिन पर नियन्त्रण करना राज्य सरकार के लिये

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मुश्किल हो। जिले के अधिकारियों के इस सम्बन्ध में और उनके जो ऑब्जर्वेशन्स हैं वे यह बताते हैं कि अपोषक पदार्थ मिलने के कारण जिस प्रकार से वे पीड़ित हैं और अशक्त हैं उस कारण किसी भी महामारी के फैल जाने की आशंका है। आपके अधिकारियों के ये ऑब्जर्वेशन्स हैं। इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि श्रमिक कमजोर हैं और उनको निरन्तर अपोषक आहार मिलने के कारण और आगे कड़े दिन आने वाले हैं। वे किस प्रकार से मुकाबला करेंगे। इस सन्दर्भ में मैंने ये तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास किया है।

उनके साथ ही मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं। जैसे बार बार निवेदन किया है कि चारे की व्यवस्था को तो अभी से दिमाग से निकाल देना चाहिये। आपने जो नोट दिया है इसमें अन्न के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। चारे के सम्बन्ध में भी अधिक कुछ नहीं कहा है। कुछ जगह नाम मात्र के लिये चारे की व्यवस्था जमाने का प्रयत्न किया है। चारे के डिपो भी खोले हैं, अधिकारी भी वहां हैं और कुछ चारा भी है। पर चारा इतनी कम मात्रा में है जिसका वितरण करना उपयुक्त नहीं। अगर वितरण करना उसका आरम्भ कर दिया जावे तो मेरा विश्वास है गांवों के लोगों में आपस में तनातनी होना सम्भव हो सकता है। इसलिये उदयपुर जिले में चारा कहीं वितरित होगा इसकी सम्भावना नहीं है। आगे भी कभी होगा इसकी सम्भावना भी नहीं है। अभी तक छः हजार क्विन्टल चारा जिले में है और साथ ही यह इण्डीकेशन भी है कि इसका वितरण न किया जावे, नहीं तो रायट्स पैदा हो जावेंगे। इसलिये आदमी तो अब भूख से मरेगा नहीं, और मई जून में भी नहीं मरेगा क्योंकि आपका कलेक्टर सक्रिय और सतर्क हो गया है। पर पशुओं के सम्बन्ध में एलान कर दीजिये कि यह नियम इसके सम्बन्ध में लागू न हो। उनका मरना निश्चित सा दिखता है। चारे की व्यवस्था आप कर पावेंगे ऐसा नहीं लगता।

अब मैं उदयपुर और कुछ अन्य जिलों का सन्तुलन, अकाल की व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, कहां तक रह गया है इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। नहीं करता हूं तो सम्भव है उदयपुर जिले की तरफ आपकी हमदर्दी, जो सम्भवतः हो सकती है, नहीं हो और जो हो सकती है तो वह अधिक हो, इस नीयत से कुछ बातें रखना चाहता हूं।

आपके इस नोट में निरन्तर स्केअरसिटी से प्रभावित क्षेत्रों के लिये यह बहुत सुन्दर योजना का उल्लेख 70-71, 71-72 और 73-74 तक की योजना का इसमें है। दस जिलों के लिये यह योजना है। इसमें उदयपुर नहीं है। प्रत्येक जिले पर दो करोड़ व्यय करने का प्रावधान रखा है। इसका अर्थ हुआ दस जिलों पर कुल बीस करोड़ का प्रावधान है। इसमें से अब तक आपने व्यय किया है 9 करोड़ और 52 लाख रुपया विदिन दो स्पैन आफ थ्री ईयर्स। तीन सालों के अर्से में आपने 9 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च किया। 8 करोड़ दस लाख रुपया खर्च करने से रह गया है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इसमें कट कर दिया है भारत सरकार से और शायद अब छः या सात करोड़ ही मिलने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वाला है। मैं इस विषय में नहीं जाता कि उदयपुर जिले को इसमें क्यों नहीं रखा गया ? पर अगर बीस करोड़ में से 15 करोड़ खर्च कर देते तो मेरा ख्याल है यह प्रोपोरशनेट कन्जम्पशन होता है और यह जो आगे कट की बात हो गई उस स्थिति से बच जाते। तो अगर हम यह कहें कि 9 करोड़ 52 लाख तीन साल में खर्च किया और आगामी सालों में आठ दस करोड़ खर्च करना चाहते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको कैपेसिटी खर्च करने की नहीं थी और न आगे हो पावेगी। क्योंकि तीन साल में आप 9 करोड़ खर्च कर सके हैं। तो इस सन्दर्भ में मैंने यह कहा है कि 73-74 में जो बाकी की रकम खर्च करना आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है वह गलत हुआ है।

आपने अपने नोट में अब उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और भीम जैसे अकाल पीड़ित स्थान शामिल किये हैं। अगर तीन साल पहले इनको इन्क्लूड कर लिया जाता तो उनको राहत मिलती, और आप 15 लाख खर्च भी कर सकते थे। नहीं खर्च कर पाने से जो कट हो गया उससे भी बच सकते थे। आपने चौथे साल में उस रकम को शामिल किया इसलिये भारत सरकार ने कट कर दिया। इससे कट हुआ और आपकी इनएफीशियेन्सी भारत सरकार के सामने जाहिर हुई सो तो हुई ही, हमेशा अकाल से ग्रस्त रहने वाले एरिया भी राहत से वंचित रह गये. उनको लाभ नहीं हो पाया। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें जो अकर्मण्यता और शिथिलता बरती है वह शायद आपके ध्यान में न हो, पर निश्चयपूर्वक इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि सम्यक् व्यय और सम्यक वितरण इस धनराशि का नहीं हो पाया वह तो सुनिश्चित है।

व्यय के सम्बन्ध में अकालग्रस्त एरिया में अकाल राहत हेतु दी गई रकम के फरवरी, 73 तक के व्यय का हिसाब आपके नोट में दिया गया है उसमें उदयपुर जिला कहां बैठता है यह बताता हूं। मैं जोधपुर जिले से प्रारम्भ करता हूं। जनसंख्या वहां की जो अकाल से ग्रस्त है वह है सात लाख पचास हजार और व्यय हुआ है वहां पर 70 लाख 50 हजार। अब चूरू को लीजिये। वहां के फेमीन अफेक्टेड लोग हैं 69 हजार और खर्चा हुआ है 30 लाख 10 हजार। अब उदयपुर लीजिये। वहां 14 लाख 25 हजार लोग अफेक्टेड हैं फेमीन से और खर्चा वहां हुआ है 34 लाख 82 हजार।

अब इनका कम्पेरीजन करिये। जनसंख्या के हिसाब से उदयपुर आगे है। चूरू जनसंख्या के हिसाब से उदयपुर से कम, और जोधपुर से भी कम। उसमें तीस लाख 10 हजार व्यय हो चुका अभी तक और उदयपुर में हुआ है 34 लाख 82 हजार। इस तुलनात्मक दृष्टि से उदयपुर को देखेंगे तो पावेंगे कि उसके साथ उदासीनता बरती गई है या इतने सतर्क नहीं रहे हैं, जितने चूरू के प्रति हैं। आपके प्रति तो नहीं कह सकता। जोधपुर में ठीक ही हुआ है। ऐसा कहने से फायदा होता है। नहीं तो उदयपुर का नुकसान होने की सम्भावना हो सकती है इस डर से भी नहीं कहता। कम्पेरेटिव स्टेडी से देखें, उनसे मुकाबला उदयपुर का किया

(श्री निरंजननाथ आचार्य)··

जावेगा तो व्यय जोधपुर और चूरू में बहुत ज्यादा हुआ है, दूसरी जगह जो हुआ है उसके मुकाबले उदयपुर में बहुत कम रेशो में हुआ है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभावग्रस्त जनसंख्या के अनुपात में श्रमिक प्रत्येक जिले में कितने लगे हैं। उदयपुर जिले में 14 लाख 25 हजार लोग डिक्लेयर हुए हैं अक्टूबर, 72 से मार्च, 73 के अन्तिम सप्ताह तक के श्रमिकों की संख्या वहां 83 हजार रही काम करने वालों की। अब झुंझुनूं का मुलाहिजा कर लीजिये। अफेक्टेड लोग हैं 4 लाख 91 हजार और काम कर रहे हैं केवल 11 हजार। सीकर में 9 लाख अफेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं वहां भी 11 हजार। इसके मुकाबले भीलवाड़ा में अफेक्टेड लोग हैं 76 हजार और काम कर रहे हैं 42 हजार। अब जोधपुर लीजिये। अफेक्टेड हैं 7 लाख 50 हजार और मन्त्री महोदय, काम कर रहे हैं 1 लाख 20 हजार। चूरू में सात लाख अफेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं 69 हजार।

इसलिये यह डिसप्रोपोर्शनेट एम्प्लॉयमैंट जनसंख्या के आधार पर चूरू, जोधपुर में मालूम होता है 100 यार्ड की रेस में केवल चूरू और जोधपुर ही चले आ रहे हैं और उनको एक मैडिल मिलने वाला है।

श्री परसराम मदेरणा : चूरू पीछे रह चुका है। उदयपुर में भी 114 हजार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर हमारी बुजुर्गी रह गई है। बाकी जवान थे तब तक तो चलते रहे। अक्टूबर से मार्च, 73 तक किस किस जिले में कितने कितने श्रमिक लगाये गये। यह मैं क्यों कहना चाहता हूं, यह क्रम अक्टूबर से प्रारम्भ हुआ है। अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में किस किस की अवहेलना हुई है और किस किस को लाभ पहुंचा है उन को मैं तुलनात्मक दृष्टि से देना चाहता हूं। बाड़मेर की जनसंख्या अफेक्टेड है 5 लाख 12 हजार 343। अक्टूबर में श्रमिक 1174 काम करते रहे, अक्टूबर में काम प्रारम्भ हुआ। बाड़मेर में नवम्बर में कुछ कोई श्रमिक नहीं लगाये, दिसम्बर में कुछ नहीं, जनवरी में 395 और फरवरी में 16 हजार 929 और मार्च में 20 हजार है। इससे मेरा कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है······

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सबसे कम बाड़मेर जिले में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। आप तो मुझे बजाय धन्यवाद देने के डिस्टर्ब कर रहे हैं। बून्दी में 1 लाख 52 हजार 62 जनसंख्या अफेक्टेड हुई। इसमें अक्टूबर में कोई श्रमिक नहीं लगाये गये, नवम्बर में कुछ नहीं, दिसम्बर में कुछ नहीं, जनवरी में कुछ नहीं और फरवरी में 968 और मार्च में आकर 2334। अब बांसवाड़ा की तरफ आता हूं, जनसंख्या अफेक्टेड है 6 लाख 54 हजार 922। न मालूम यह जिला कैसे निकल गया निगाह से। इसकी तो तीसरी पोजीशन आनी चाहिये। बांसवाड़ा में अक्टूबर में कुछ नहीं, नवम्बर में कुछ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
नहीं, दिसम्बर खाली, जनवरी में 65 फरवरी में 65 से लगाकर 24 हजार और फिर यहां से और छलांग मारी है तो मार्च में 32 हजार श्रमिक पहुंच गये।

अब डूंगरपुर का प्रश्न मैं रखना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि बांसवाड़ा में अकाल नहीं था, अकाल था। डूंगरपुर 3837 में 22 लाख की अकालग्रस्त जनसंख्या है, अक्टूबर में कुछ नहीं, नवम्बर में कुछ नहीं, दिसम्बर में कुछ नहीं, जनवरी में 4367 और फरवरी में 32 हजार और मार्च में 38 हजार है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कर्मचारियों को इसमें शिथिलता रही है। अभी 38 हजार श्रमिक लगे हुये हैं, लेकिन तीन महिने तक ओवर लुक करके चला जाय, यह उचित नहीं था।

अब टोंक, उदयपुर का प्रश्न लेता हूं। 14 लाख 25 हजार की आबादी अफेक्टेड है, अक्टूबर में 1352, नवम्बर में 8 हजार 455, दिसम्बर में 12 हजार 460, जनवरी में 26 हजार 287 और फरवरी में 60 हजार 220 और अब 83 थाऊजेन्ड—उदयपुर ने प्रोग्रेस की है और प्रोग्रेस साहस के बल पर की है। धीरे धीरे की है। किसी के आशीर्वाद से नही की। ज्यों ज्यों श्रमिक मिलते गये त्यों त्यो प्रोग्रेस की। कोई छंगाल नहीं मारी।

अब चूरू में लीजिये 7 लाख की आबादी अफेक्टेड है। अक्टूबर में 4695, नवम्बर में 6671, दिसम्बर में 17,540 और जनवरी में 32,533 और फरवरी पूरा रेकार्ड तोड़ा गया 58,074 का और आखिर में 69 241....

श्री परसराम मदेरणा : 77 हजार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप करेक्ट करते हैं तो मैं 77 हजार कर देता हूं। मुबारकबाद देता हूं कि इस संख्या को कहां से कहां पहुंचाया। आबादी कितनी है। अब मैं जोधपुर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। 7 लाख 50 हजार की आबादी है। अभी काम कर रहे हैं, यह आप जानते हैं। रेशो आप जानते हैं। जोधपुर वालों की शिकायत नही है, उदयपुर वालों की भी कोई शिकायत नहीं है। हम मौन हैं चूरू....

श्री परसराम मदेरणा : एक मुझ से गलती हो गई है। उसको स्वीकार करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर में जब कभी अकाल पड़ा है. सूखे की स्थिति रही है। उन वर्षों में जोधपुर में क्या हुआ उन पिछले सालों के आंकड़े भी पहुँचा दूंगा ताकि उसको भी देख सकें। यह गलती हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have missed the bus and you have also missed the bus.

अब मैं परिशिष्ट (4) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परिशिष्ट (4) में दिनांक 28-3-73 तक अकाल राहत कार्य और उन पर लगे श्रमिक हैं, आपकी घोषणायें रही हैं और बार बार कहते रहे हैं अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट हम नहीं लेंगे। और प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई और भू-संरक्षण है रोड्स लास्ट हैं। केन्द्र का भी लगातार बराबर यही उद्देश्य रहा है सार्वजनिक निर्माण पर लगे श्रमिक कुल 4 लाख 10 हजार 366 है। ये 4 लाख

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
10 हजार 366 सार्वजनिक निर्माण पर लगे हैं। रोड्स पर कुल श्रमिक अभी लगे हुये हैं 7 लाख 64 हजार 756 जिसका अर्थ हो गया कम से कम 7 लाख में से 4 लाख 10 हजार 366 रोड्स पर हैं। प्राथमिकता का प्रश्न खतम हो गया और चूरू में तो सवाल ही नहीं है—सारी रोड्स पर हैं और पहले पानी के तालाबों पर थी। जोधपुर में भी ऐसी स्थिति मालूम होती है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूं।

उदयपुर में सिंचाई पर 11 हजार 921, भू-संरक्षण पर 12 हजार 379, सार्वजनिक निर्माण में 43 हजार 65—यहां तो प्रॉयोरिटी ठीक दे रखी है लेकिन दूसरी जगह प्रॉयोरिटीज नहीं हैं। चूरू में सफाया है-सार्वजनिक निर्माण विभाग और तोनों मिलाकर 37 हजार 823 ……

श्री परसराम मदेरणा : चूरू में 43 थाऊजेन्ड है। सबसे ज्यादा शायद इसी पर है……

श्री निरंजननाथ आचार्य : सबसे ज्यादा जोधपुर……

श्री परसराम मदेरणा : पी. डब्ल्यू.डी. वर्क उदयपुर में है, इरिगेशन और ……

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप सिंचाई को देख लीजिये। भू-संरक्षण में 12 हजार, सार्वजनिक निर्माण में 43 हजार और मुकाबला करिये जोधपुर चूरू से। यहां तो न्याय किया है। प्रपोर्शनेट स्थिति है। आगे सफाया होता है घोषणा का, इसलिये निवेदन किया। अब मैं इस प्रश्न पर यह निवेदन करना चाहता हूं यह टास्क बेसिस पर जो मजदूरी चल रही है और इस पर आपके अधिकारियों के ऑब्जर्वेशन्स हैं। आपके अधिकारी टास्क बेसिस से आदमी को खतम कर देगा। आज टास्क बेसिस से भ्रष्टाचार तो मिटा है। किन्तु आदमी की हालत क्या है? पहले से स्वास्थ्य खराब हो गया। आपने लीनियन्सी दी है, टेन पर्सेन्ट दी है, 20 पर्सेन्ट की है, कम से कम काम करने की दी है ऐसी स्थिति में भी उदयपुर जिले के अधिकारियों ने यह मान्यता प्रकट की है। $1\frac{1}{2}$ रुपया से लेकर 2 रुपया तक किसी मजदूर को अभी तक नहीं मिल रहा है और कोठड़ी के रॉक एरिया में उन्होंने कहा है कि 4 आने याने 40 पैसे से ज्यादा नहीं मिल सका है यह एनाउन्समेन्ट रेडियो से भी जो अकाल राहत कार्यों की प्रशंसा की जा रही थी, यह प्रसारित हुआ है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस टास्क के बेसिस को छोड़ दिया जाये। आपने कहा है कि छाया का प्रबन्ध किया है लेकिन वह प्रबन्ध नहीं है, आपने कहा कि पानी का प्रबन्ध है वह हो सकता है, आपने कहा औषधियों का प्रबन्ध है तो वह बड़े बड़े केन्द्रों पर हो सकता है, लेकिन हम मानकर चलें कि छोटे केन्द्रों पर जहां 300-400 श्रमिक रहते हैं और जहां एपेडेमिक की सम्भावना है, जहां छाया नहीं है, जहां महिलाओं के बच्चे धूप में पड़े रहते हैं या कोखों में डालकर मजदूरी करती हैं, इस सारे सन्दर्भ में जब आदमी स्वयं टूट गया है, उस आदमी से आप ऐसे कठोर लेबर की अपेक्षा रखें यह समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने निवेदन किया कि टास्क बेसिस को मिनिमम कर दीजिए।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
पहले यह घोषणा हुई थी कि 2 रुपया, $2\frac{1}{2}$ रुपया या 3 रुपया प्रत्येक श्रमिक को मिलेगा। इसमें ज्यादा राहत मिल सकती थी लेकिन आगे चलकर मई और जून के भयंकर महीने आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई कन्टस्ट्राफी हुई तो यह ऐसे महीनों में होगी जिनका मुकाबला करना मुश्किल हो जायेगा इसलिए आपको टास्क बेसिस वाली बात पर पुनर्विचार करके उसमें गुंजाइश रखनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति खतम हो गयी है। मैं पहले ठीक बोल लेता था.................

श्री उपाध्यक्ष : अकाल का असर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : .... लेकिन अब लिखना भी बन्द हो गया, बोलना भी बन्द हो गया क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। अतः मेरी तो अभिव्यक्ति खराब हो गयी और हमारे माननीय मिर्धाजी के लिए भी उन्होंने कह दिया कि उनको गाना नहीं आता, नाचना नहीं आता तो मेरी तो क्या बिसात हो सकती है ? वित्त मंत्री के अभिप्राय का पता नहीं लगा। क्योंकि नाचना, गाना तो संगीत अकादमी का सवाल है। और चित्रकला का विषय वह रामनिवास जी के पास है। इसलिए उनको इस दायरे में न लीजिए। मैं अपना स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। राजनीति में राजनीतिज्ञ वही होता है कि जो या तो वह जनता की पिटाई कर दे या फिर जनता उसको पीटेगी। वह राजनीति में सबसे ऊंचा होता है। मैंने अभी तक उपाध्यक्ष महोदय, कभी किसी को पीटा नहीं। और न जनता ने मुझे पीटा, न मैंने जनता को पीटा, न मेरे सामने स्ट्राइक हुआ, और न लाठी चार्ज हुआ। मैं इससे अलग रहता हूं। अतः राजनीतिज्ञ मैं नहीं हूं, सफल भी नहीं हूं। लिखने की ही हॉबी जरूर है और लिखता रहता हूं इसलिए यहां की लाइब्रेरी भी मुझ से किताबें मांगती रही है..........

श्री दीपंकर : चिन्तन में जरूर पिटे हैं आचार्य जी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बोल रहे हैं तो आपका भी वही हाल होगा। नहीं हुआ तो हो जायेगा।

यह पुस्तकें हैं जिसमें से एक को साहित्य अकादमी का पुरष्कार मिला है। एक पुस्तक पर जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका है। एक पर श्री जैनेन्द्र जी ने तारीफ लिखी है। यह पुस्तकें मैं सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं आज मुझे मौका मिल गया इसलिये मैं पुस्तक हाउस की टेबल पर रख देता हूं ताकि यह लाइब्रेरी में पहुंच जाये। इसके अलावा मेरे ख्याल में वित्त मंत्रीजी को मुझसे थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि मैं कभी कभी चूरू का मामला उठा लेता हूं इसलिए वह परेशानी में बोल दिया करते हैं। मेरे सम्बन्ध में बोलें ठीक हैं लेकिन उस व्यक्तितत्व के सम्बन्ध में नहीं बोलें जिनका कोई सरोकार इस प्रांगण से नहीं है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं और वह उसके मंत्री हैं इसलिए उनके सबआर्डिनेट हैं। इसलिए उनसे कुछ कहा गया था। बिना प्रेजुडिसेज के मैं डिसक्लेम करता हूं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि मैं साहित्यकार हूं, लेखक नहीं हूं। मैं यह क्लेम करता हूं कि मैं अपने घर में लिखता हूं। मैं क्लेम करता हूं कि कोई पढ़ने वाले आते हैं तो मेरे पास से पुस्तकें ले जाते हैं। बाकी मैंने अभी अपने आपको साहित्यकार होना कहा। आपने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चुने हैं बहुत अच्छे चुने। अब तो कुम्भकार भी अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि वह साहित्य अकादमी नहीं है।

इन शब्दों के साथ आपका, उपाध्यक्ष महोदय, आभार मानता हूं और मेरा ख्याल है कि मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा !

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट देखी और समय समय पर इस सदन में माननीय मंत्री जी ने इस बारे में वक्तव्य दिये उनको भी सुना। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी मैंने इस संबंध में कुछ विचार प्रकट किये थे और अभी भी मेरे से पूर्व माननीय दो वक्ता पिछले उन्होंने इस संबंध में जिक्र किया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं अपने आपको उदयपुर जिले की स्थिति तक ही सीमित रखता हुआ माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

भारत सरकार की अकाल के संबंध में जो टीम राजस्थान का दौरा करने के लिए आई, मनचन्दा कमेटी दो बार आई और सौभाग्य से दोनों ही बार वह टीम उदयपुर जिले में भी गयी। पहली बार भी उन्होंने महसूस किया और दूसरी बार जब उदयपुर जिले के अन्दरूनी भागों में वह सदस्य गये तो उन्होंने यह महसूस किया कि वास्तव में राजस्थान में यह सही है कि अकाल इस बार भयंकर स्थिति में है लेकिन उसमें यह अकाल की गम्भीरता और भयंकरता को देखी जाये तो उदयपुर जिले में उन्होंने महसूस किया कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति, सबसे भयंकर स्थिति इस बार उदयपुर जिले की है। वर्षा की दृष्टि से जो आंकड़े आपने दिये वह आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि उदयपुर जिले में इस बार कितनी वर्षा हुई। अभी अभी सदन में यह कहा गया कि उदयपुर जिले में लगातार सन् 64 से कहीं न कहीं अकाल पड़ता रहा है, उस बैक ग्राउण्ड में जब इस वर्ष में हम देखते हैं तो उदयपुर जिले की स्थिति और भी गम्भीर स्थिति हमारे सामने आती है। मैं माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि एक बार वह उदयपुर जिले में आयें और वहां की स्थिति को देखें तो उन्हें स्वयं महसूस होगा कि इस बार वहां की क्या परिस्थिति है, किन कठिनाइयों से वहां के लोग गुजर रहे हैं। राज्य सरकार ने अकाल का मुकाबला करने के लिए जो प्रयत्न किये, जिन परिस्थितियों में प्रयत्न किये हैं उनकी सराहना किये बिना मैं नहीं रह सकता। मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जैसे अभी कहा गया तुलनात्मक दृष्टि से मैं उतने विश्लेषण में नहीं जाना चाहता, उतने अधिक तुलनात्मक आंकड़े मैं नहीं देना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में जहां की 18 लाख की जनसंख्या

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है लगभग 15 लाख को जनसंख्या अकाल से प्रभावित आपने मानी है। 3175 गांवों में से लगभग 2994 गांव आपने अभावग्रस्त माने हैं और वह अभाव-ग्रस्त कोई बहुत लेट स्टेज पर माने हों यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत प्रारम्भ से ही जब यह रिपोर्ट्स आई थी तब से आपने इस बात को स्वीकार किया है। उस स्थिति में जो मजदूरों की संख्या आज उदयपुर जिले में काम कर रही है उसको आप देखें तो निश्चित् यह स्पष्ट होगा कि उदयपुर जिले में दूसरे जिलों की अपेक्षा मैं समझता हूं कि, सभी जिलों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ जिले हैं जिनकी अपेक्षा काफी कम मजदूर वहां पर रखे हुए हैं। अभी यह कहा गया कि जोधपुर जिला या पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले, जहां पर हमेशा अकाल पड़ता रहता है, वहां पर काफी मजदूर हमेशा काम करने के लिए आते रहते हैं।

मैं इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 68-69 के आंकड़े आप देखें और उनके साथ में उदयपुर जिले में इन महीनों में उस अकाल की परिस्थिति में जितने मजदूर काम पर लगे हुए थे और इस महीने में कितने मजदूर काम पर लगे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहां वर्तमान में उदयपुर जिले में जितने मजदूर काम पर लगे हैं उनकी संख्या कम है और जितने मजदूर काम पर लगने चाहिए थे वे नहीं लग पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले के अन्दर यह नहीं है कि मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं। आज मजदूर काम चाहते हैं, वहां के आदिवासी और वहां के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग काम चाहते हैं, वहां के गरीब किसान काम चाहते हैं। काम से इन्कार नहीं किया जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वहां पर व्यवस्था में कमी है। वहां पर एक प्रेक्टिस कर रखी है कि मजदूरों की भर्ती पहली तारीख को और 15 तारीख 'को करते हैं। पहली तारीख को नई मस्टर रोल आती है और 15 तारीख को सैकिंड मस्टर रोल लेते हैं। उस समय अगर मजदूर आ गया तो उसको काम पर ले लेते हैं और अगर उस समय नहीं आता है, बीच के समय में आता है तो उसको काम पर नहीं लेते और उसके 15 दिन का गैप, दस दिन का गैप रह जाता है। उसको कह दिया जाता है कि हमारे पास मस्टर रोल नहीं है हम तुमको मजदूरी पर नहीं ले सकते। जिस रोज नया मस्टर रोल शुरू होता है उस दिन आ गए तो काम पर लिया जाता है नहीं तो वापस लौटा दिया जाता है। यह स्थिति है। माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और वहां पर जो मजदूरी पर आना चाहते हैं उनको बराबर मजदूरी पर लिया जाता रहेगा यह व्यवस्था वे करेंगे।

अभी मंत्री महोदय ने बताया था और इसमें, जो रिपोर्ट आपने दी है उसमें 83,717 मजदूर बताए हैं और अभी आपने बताया कि अब तक 1,14,000 मजदूर हो गए हैं। तो मैं यह मानता हूं कि जहां उदयपुर में 1 लाख 14 मजदूर हुए हैं तो उसी अनुपात में दूसरे हिस्सों में भी, दूसरे जिलों में भी मजदूरों की संख्या बढ़ी है। उदयपुर जिले में संख्या बढ़ी

(श्री हीरालाल देवपुरा)
है तो दूसरे जिलों में भी संख्या बढ़ी है। लेकिन उदयपुर जिले में जो प्रभावित जनसंख्या है 15 लाख की उसके अनुपात में आप देखेंगे कि उदयपुर जिले का पर्सेन्टेज, जो मजदूर काम कर रहे हैं वह बहुत नीचा पर्सेन्टेज आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर खास तौर से ध्यान दें और खास तौर से इस लिए कहना चाहता हूं कि, जैसा अभी बताया कि, कम से कम दस लाख व्यक्तियों की जनसंख्या, जिसमें दस लाख आदिवासी और अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्ति हैं, वे प्रभावित हुए हैं और इन दस लाख के हिसाब से जो संख्या 1 लाख 14 हजार मजदूरों की बनी है वह बहुत कम है। काफी लोग मजदूरी चाहते हैं, उनको मजदूरी दिलाई जावे और इसकी व्यवस्था की जावे।

साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि मजदूर लगाने की आपने जो व्यवस्था की है, काम भी खोले हैं आपने, और यह भी कहा है कि रोड्स पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कामों पर संख्या अधिक है। सिंचाई के कामों पर मजदूर कम हैं, भू-संरक्षण के कामों पर मजदूर कम हैं। मैं मानता हूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो काम का पोटेंशल होगा उसी पर मजदूर लगेंगे। मेरी यह कतई शिकायत नहीं है कि दूसरे कामों पर क्यों नहीं लगाते या दूसरे कामों पर न लगा कर सड़कों पर संख्या ज्यादा क्यों लगाई जाती है? यह कतई मेरी शिकायत नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि उदयपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण के कामों पर ज्यादा काम हो रहा है। यह सही है कि सिंचाई के कामों में भी हमने लिए हैं और दूसरे कामों पर भी लगाए हैं, लेकिन सिंचाई के कामों पर भी जो काम हो रहे हैं वे छोटे 2 हैं, उनके सीमित साधन हैं जिनके कारण वहां पर मजदूर अधिक लगाए नहीं जा सकते। वहां आपके खुद इंजीनियर यह कहते हैं कि हम ज्यादा मजदूरों को लगाना चाहते हैं, लेकिन इन कामों पर ज्यादा मजदूर नहीं लगा सकते। जब उनको काम पर नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से डाईवर्ट होंगे और दूसरे कामों पर जायेंगे। यही स्थिति भू-संरक्षण के कामों की है, यही स्थिति वन विभाग के कामों की है और वहां पर मजदूरी की लिमिटेशन है। जितने काम इनसे करवाना चाहते हैं, जितने इन कामों के जरिये कवर करना चाहते हैं, वे कवर नहीं हो पाते हैं और इसलिए आपको रोड्स पर मजदूर लगाने होंगे। हम चाहते हैं कि जो उदयपुर जिले की सिंचाई की बड़ी योजनाएं हैं उनको आप प्रारम्भ करें। जैसे देवास की योजना है, जोखम की योजना है और इसके साथ जयसमन्द फीडर की योजना है इन पर आप काम प्रारम्भ करावें ताकि इन सिंचाई के कामों पर मजदूर डाईवर्ट किए जा सकें। हम यह चाहते हैं कि अकाल के समय में जो भी काम हों वे स्थायी किस्म के काम हों, परमानेंट नेचर के काम हों, चाहे इर्रिगेशन के काम हों, चाहे सड़कों के काम हों लेकिन परमानेंट काम हों ताकि आगे अकाल कभी आवे तो उस अकाल का हम मुकाबला कर सकें। और भी काम हो सकते, हैं इर्रीगेशन के। हम उनसे काम करवाना चाहते हैं लेकिन जो इर्रीगेशन के काम लिए हैं वे ऐसे काम हैं जो छोटे हैं। बड़े काम लिए भी नहीं जा सकते और इन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

छोटे कामों पर लिमिटेड संख्या मजदूरों की रहेगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज इर्रीगेशन के बहुत से काम अधूरी स्थिति में बन्द पड़े हुए हैं। जो इन कामों के लिए मैटिरियल कम्पोनेन्ट चाहिए, आपने मैटिरियल कम्पोनेट के लिए स्वीकृति दी हैं लेकिन वह लिमिटेड है। आज परमानेन्ट कामों के लिए जो सीमेंट चाहिए वह मिलती नहीं है। जो दूसरी चीजें चाहिए वे नही मिल रही हैं। इर्रीगेशन के कामों में भी मिट्टी का काम करवा दिया और बाकी जो पक्का कराने का काम हैं, नाली का काम है वह नहीं हो सकता क्योंकि सीमेंट नहीं है और सीमेंट और दूसरी चीजें नहीं होने के कारण मजदूरों की संख्या कम की गई है। वहां पर मजदूरों की संख्या कम कर देने से जो आस पास में काम चल रहे हैं मजदूर वहां पर जाते हैं और वहां पर आप उनको काम नहीं दे सकते तो फिर मजदूर कहां पर जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इर्रीगेशन के काम के लिए पूरी व्यवस्था कराइये। उसके लिए सीमेंट की आवश्यकता हो तो सीमेंट की व्यवस्था कराइये। जो दूसरा मैंटिरियल कम्पोनेन्ट चाहिए तो उसकी पूर्ति कराइये। यह स्थिति इर्रीगेशन के कामों की ही नहीं है, सड़कों के कामों की भी यही स्थिति है। सड़कों पर मिट्टी डालने का काम करवाया गया है और जब यह मिट्टी बह जायेगी तो भारत सरकार आप से पूछेगी, आप वहां के कार्यकर्ताओं से पूछेगे कि आपके क्षेत्र के अन्दर काम ठीक नहीं हुआ, सब खराब हो गया और पैसा बर्बाद गया। उनको जब तक आप पूरी व्यवस्था नही करेंगे कि उन सड़कों के बीच में जो छोटी 2 पुलियां हैं, छोटी 2 नालियां हैं, पक्के काम जो सड़क पर होने चाहिए, वह नहीं देंगे तब तो सड़क भी टिकने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर आप ये सारे काम कर रहे है वहां पर मैटिरियल कम्पोनेन्ट की पूरी व्यवस्था करें तो यह ठीक हो जावेगी और आप इस अकाल के अन्दर लोगों को मजदूरी भी दे पायेंगे और व्यवस्थित स्थायी काम भी कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मजदूरी चुकाई जा रही है उस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम भी यह चाहते हैं कि जो भी वर्क किए जावें वह जॉब ओरियेटेन्ड वर्क हों, कॉस्ट बेसिस पर कार्य करवाये जायं, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आज आपकी वेरियस एजेन्सीज जो चुकारा करती हैं, पी. डब्ल्यू. डी. जो चुकारा करती है इर्रीगेशन जो चुकारा करती है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को आप देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को आप देखिए, इनके अन्दर अलग 2 रेट्स के कार्य हैं। जो काम होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दो रुपये की मजदूरी चुकाई जाती है। एक ही गांव के आदमी, एक ही तरह की कैपेसिटि है, आउटपुट भी काम का एक सा ही है फिर भी विभिन्न एजेन्सीज के माध्यम से जो टास्क केलकूलेशन किया जाता है उसमें उनको अलग 2 मजदूरी आती है। ओन एन एवरेज दो रुपये से कहीं पर भी अधिक नहीं है। आपने तीन रुपये, ढाई रुपये

(श्री हीरालाल देवपुरा)
और दो रुपये मजदूरी कर दी, लेकिन कम से कम मजदूरी चालीस पैसे प्रतिदिन तक मजदूरी आई है। जो मैंने पहले निवेदन किया कि यह स्थिति वहां पर है। आपने ग्रेटीट्यूट रिलीफ के अन्दर एक रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब देने की घोषणा की है। यहां पर आप यह मानते हैं एक व्यक्ति को प्रति दिन आप कम से कम एक रुपया देना चाहते हैं तो यहां पर भी कम से कम यह व्यवस्था करिये कि एक रुपया रोज से किसी को भी कम नहीं मिलेगा। आप आउटपुट देखिए लेकिन कम से कम आप यह भी ध्यान में रखिये कि लोगों की कण्डीशन किस तरह की है। आपने बी. एस. आर. के आधार पर आउट पुट केलकूलेट करने का प्रावधान रखा है लेकिन बी. एस. आर. के अन्दर जो केलकूलेशन है वह स्किल्ड लेबर के आधार पर है। साधारण समय में जो मजदूर मजदूरी करते हैं, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के हों, चाहे इर्रीगेशन के हों, चाहे किसी और एजेन्सी के माध्यम से काम करने वाले हैं। वे लोग हमेशा मजदूरी करते हैं। उस काम को समझ गए हैं कि कितना काम करना है और किस प्रकार से करना है। लेकिन आज जो अकाल के समय में मजदूर काम करने गए हैं वे रेगुलर मजदूर नहीं है, रेगुलर मजदूरी का काम करने वाले इस प्रकार के नहीं हैं, वह खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं और दूसरे धन्धे और व्यवसाय में काम करने वाले हैं। आज वे इतने होशियार नहीं है कि उतना आउट पुट वे दे सकें। आपने घोषणा तो यह कर दी कि हमने तीन रुपया, ढाई रुपया और दो रुपया मजदूरी कर दी है और अनाउन्समेंट कर दिया कि इतना पैसा दे रहे हैं और लोग भी समझते हैं कि काफी पैसा मिल रहा है लेकिन वास्तव में उनको मिल क्या रहा है ? जो आपने अनाउन्समेंट किया वह उनको मिल नहीं रहा है। आपने अनाउन्समेंट किया कि टास्क के आधार पर मजदूरी देंगे लेकिन इस अकाल के समय में वह उनको मिल नहीं पायेगी। आज जो अकाल की स्थिति है और मजदूरों की जो स्थिति है उसमें आप कोई ऐसा रास्ता निकालिये कि जिससे अकाल के समय में सबको पूरी मजदूरी मिल सके।

मैं चारे के लिए विशेष नहीं कहना चाहता हूं। आप इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और जितना उपलब्ध हो सकता है, कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनाज के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने अभी अनाज के बारे में स्टेटमेंट दिया था तब आपने बताया था कि इस महीने में हमें कुछ विशेष अनाज मिला है और हमने सोचा था कि अनाज की व्यवस्था इस महीने में ठीक होगी लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में अभी भी किसी भी क्षेत्र में तीन किलो से ज्यादा अनाज किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। टास्क कार्य में तीन किलो अनाज देना और उधर पेमेन्टस समय पर नहीं हो तो यह तीन किलो अनाज भी कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। देर से पेमेन्ट करेंगे तो निश्चित रुप से उस व्यक्ति को बाजार में जाकर मंहगा अनाज खरीदना पड़ेगा और वह सस्ते गल्ले की दुकान से अनाज खरीदने के लिए सक्षम नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए

(श्री हीरालाल देवपुरा)
वे अनाज समय पर नहीं खरीद पाते हैं और उनको मंहगा अनाज खरीदना पड़ता है। 6 किलो कम से कम अनाज देने की आपने जो बात कही है, कम से कम वह तो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर ने 11 हजार टन की आवश्यकता बताई है। उसकी अगर आप पूर्ति करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो राहत हम देना चाहते हैं, वह उनको दे सकेंगे वरना यह कठिनाई हमारे सामने रहेगी ही।

इसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था की ओर भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य आपने प्रबन्ध किया है। गांवों के अन्दर जो पुराने कुए हैं उनको गहरा करने के लिए आपने पैसा दिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं परन्तु हमारे कुछ म्युनिसिपल क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भिन्डर, सलूम्बर, नाथद्वारा, देवगढ़ ये स्थान हैं जहां पर ड्रिन्किग वाटर की प्रॉब्लम हो गई है। हमने जन स्वास्थ्य मन्त्री जी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अकाल राहत मन्त्री जी मदद करेंगे। पर कुछ कार्य नहीं हुआ है। वहां पर जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट के जो कुए हैं वे काम में नहीं आते हैं। वे पुराने कुए है उनको ही गहरा करवा दिया जाए ताकि पानी मिल सके। वाटर वर्क्स के कुए गहरे हो सकते हैं। यह व्यवस्था करना ही बहुत आवश्यक है। इसके लिए खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : कौन से नाम बताए हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : भीन्डर, सलूम्बर, नाथद्वारा, देवगढ़, कानोड़ वहां पर म्युनिसिपेलिटी नहीं है। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी की भयंकर समस्या है। इसलिए इस समस्या की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले की तरफ भी वे अपनी दृष्टि रखें जैसी कि दूसरे जिलों की तरफ रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपकी दृष्टि नहीं है लेकिन यह जो कम्पेरेटिव आंकड़े हैं वे यह बताते हैं। ऐसी ही आशा के साथ कि आप उदयपुर का ध्यान रखेंगे मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति का असहयोग और भीषण प्रकोप जो सामने आया है, जिसके कारण अकाल की गहरी छाया केवल हमारे राजस्थान में ही नहीं समूचे देश के अधिकांश भाग में छाई हुई है, वह सबके सामने है। ऐसा संकट जहां भी हो उससे सब परेशान है। यह स्वभाविक ही है। इससे चिन्ता होना भी स्वाभाविक है और इससे सरकार को ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ना भी स्वाभाविक है। मगर यह मुश्किल दूसरी है। यदि सीमा कोई पर संकट हो, केन्द्र पर संकट हो तो सारी शक्ति बटोर कर एक जगह लगाई जा सकती है, किन्तु आज घर घर में यह आग लग रही है, गांव गांव उससे पीड़ित हैं। घर घर में यह रोग फैल गया है और इससे पड़ौसी धर्म निभाना भी मुश्किल हो गया है। अकाल की हालत इस तरह की सामने

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

आती है. यह स्थिति पैदा हो जाती है कि किनको क्या कहें ? इस समय कोटा के बारे में यह सोचना कि वहां पर चम्बल नदी बहती है, चम्बल पर बांध बन्धा हुआ है इसलिए किसी के दिमाग में यह कल्पना भी नहीं आ सकती है कि कोटा में भी अकाल हो सकता है । इस बार अकाल की चपेट में कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ोती क्षेत्र काफी ग्रस्त हुआ है । यहां पर मैं कोटा जिले की बात ही निवेदन करना चाहती हूं ।

कोटा के अन्दर इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहबाद का जो क्षेत्र है वह पठारी है, पहाडी है और उसके अन्दर अकाल है और उससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहां पर पीने का पानी नहीं है । जानवरों के लिए भी पानी नहीं है। पठारी क्षेत्र होने के कारण वहां पर जानवर ही अधिकतर रह रहें हैं। थोडी सी ज्वार ही वहां पर होती है। थोडा सा क्षेत्र ऐसा जरुर है जहां पर कि बहुत पैदावार होती है । परन्तु कुछ क्षेत्र शाहबाद की तलहटी का ऐसा है जहां बड़ी मुश्किल है। वहां पर अकाल के कारण जो हालत हैं वह आसानी से नहीं कही जा सकती है। शाहबाद की जो स्थिति है उसके बारे में हम एक दम से ऐसा नहीं सोच सकते हैं परन्तु पंचायत समिति लाडपुरा, मंडाना क्षेत्र में, जो झालावाड़ की दाहिनी तरफ बसा हुआ हैं, वहां पर स्थिति ऐसी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पीने के लिए पानी कुओं में नहीं हैं। अभी 31 तारीख को मैंने स्वयं ने वहां का दौरा किया था। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहती हूं। वहां पर अकाल होने के बावजूद राज्य सरकार ने गजट में इन गांवों के नाम नोटिफाइड अभी तक नहीं कराए हैं। इनके अकाल ग्रस्त होने की घोषणा अभी तक नहीं की गई हैं और इसलिए वहां पर अकाल राहत कार्य शुरु नहीं किए गए हैं। यह दिक्कत है । यह किस का दोष है? मुझे याद है जिला परिषद की मीटिंग कोटा में हुई थी और उस समय जिलाधीश महोदय ने डेढ महीने पूर्व मीटिंग में यह बताया था कि पंचायत समिति, लाडपुरा के 52 गांव में साढ़े छः आना के लगभग फसल नहीं होने के कारण अकाल-ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर आ चुके हैं। कहां गई वह बात ? पंचायत समिति, सुलतानपुर में भी ऐसा ही है। वहां पर चम्बल से सिंचाई होती है इसलिए कैसे कहें कि वहां पर अकाल है। मैंने स्वयं ने क्षेत्र को देखा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। यह बदकिस्मती हमारी ही है। जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भीषण अकाल है। वर्षों से वहां पर अकाल पड़ता आ रहा है । मन्त्री महोदय का उधर ध्यान है इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। उनके ऊपर इसका भार है यह हम महसूस करते हैं और वे इस भार को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। दूसरे काम के लिए उनको फुरसत नहीं है परन्तु उसके बावजूद हमारे पास भी दूसरा चारा नहीं है। कहां जावें? अगर मन्त्री महोदय ने कोटा जिले का दौरा कर लिया होता तो यह सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती। मन्डाना क्षेत्र वह है जहां पर कि अधिकांश हजारों की संख्या में जोधपुर मारवाड़ के इलाके से आये हुए गूजर लोग बसे हुए हैं। और स्थायी रूप से उन्होंने

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

पशुधन को भी बसा लिया है। यह क्षेत्र पठारी इलाका है। वहां पर चारा होता है। अधिकांश पशु वहां पर बस गये हैं। इसलिए उनको चारे की जरूरत है और पीने के पानी की। न वहां पर आज चारा है और न पीने का पानी। जो मारवाड़ से आने वाले लोग हैं वे तो अपने पशुधन को लेकर कहीं चले जायेंगे केवल वहां का पशुधन ही बचा रह जाएगा। अभी 31 तारीख को उधर की तरफ से मारवाड़ के लोग लौट रहे थे। वे मुझे रास्ते में मिले, बात हुई। उनको एक दिक्कत थी। जो रास्ते में चल रहे थे, लौट रहे थे उनके खाने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई थी। उनको आटा नहीं मिल रहा है। दूसरी दिक्कत उनको यह थी कि अकाल होने की वजह से मजदूरी नहीं मिलती है ताकि वे मजदूरी कर लेते, शाम को खा लेते और आगे के लिए चल देते। अब वे इसलिए लौट रहे थे कि उनको मजदूरी मिल जाएगी। इन्दौर की तरफ से लोग लौट रहे थे इसलिए कि उनको यह मालूम हो गया था कि मजदूरी मिल रही है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि डेढ़ महीने पहले जिला परिषद् की मीटिंग में जिन गांवों के नाम तय किये गये थे वे नाम क्यों नहीं आये गजट में? यह मन्त्री महोदय की गलती नहीं है। जिनको इन्चार्ज बनाया गया है, वे इसके लिए जिम्मेदार है। उनको यह देखना चाहिए था कि इन गांवों के नाम क्यों नहीं आए हैं। जिला अधिकारी ने यह आश्वासन दिया था। इसमें अब दिक्कत की क्या बात है? वहां पर अकाल है। हमें अब घोषणा की आवश्यकता नहीं है न किसी गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता है आप तो भूखे आदमी को रोजी दें वहां पर काम शुरू करवा दें जिससे लोगों को राहत मिले। अकाल के काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएं। डेढ़ महीने पहले काम शुरू होता तो आज आधा काम समाप्त हो गया होता। यह भी बात हमारे सामने आती है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों का काम यदि पूरा नहीं हो या कोई आ रह जाय तो कलंक का विषय रह जाता है। अकाल के नाम से पैसा लेते हैं, अकाल के नाम से इलाके को मदद दी जाती है और वहां पर काम पूरा नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहती थी कि वहां पर जो कुए हैं जिनमें इस समय पानी नहीं है और वहां के लोगों को चार-चार, पांच-पांच मील दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। उनका कथन यह था कि हमारी बैलगाड़ी और हमारे परिवार के लोग केवल पानी लाने के काम में लगे हुये हैं। यदि यह स्थिति बरसात तक हुई तो हमारा काम यह पानी लाने का रहेगा। कैसे हम फसल का काम करेंगे और दूसरा काम करेंगे? कैसे रोजी पैदा करेंगे? अगर हमारा धन्धा नहीं है तो मजदूरी का काम कर नहीं सकेंगे अगर पानी लाने की ही व्यवस्था करते रहे तो कमा कर क्या खायेंगे। ऐसी सूचना है कि वहां पर कुओं में पत्थर तोड़ने में दिक्कत आ रही है और बगैर ब्लास्टिंग मशीन के और बोरिंग मशीन के बगैर काम नहीं हो सकता है। हम यह कहते हैं कि ब्लास्टिंग मशीन दी जाय तो कहा जाता है कि ब्लस्टिंग मशीन फलां इलाके में लग रही है या हमारे पास नहीं है। हम यह जवाब नहीं चाहते हैं।

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)
आप दूसरी मशीन मंगा सकते हैं या किराये पर ले सकते हैं। तो आप अधिकारियों से कहें कि इसकी व्यवस्था करें और ब्लास्टिंग मशीन लाकर वहां के पत्थर तोड़े जायं। मैंने उनसे बातचीत की तो जब तक ब्लास्टिंग मशीन आये तब तक हम बारूद से पत्थर तोड कर पत्थर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह काम शुरू कर दें।

राज्य मन्त्री जी अभी वहां पर दौरे पर गये थे। सारे अधिकारी वर्ग उनके साथ में थे। वहां पर कुए हैं और कुछ तालाब भी हैं। वहां पर तालाब इरिगेशन के हैं। वहां पर तालाब ऐसे भी हैं जहां पर 30-30, 40-40 गांवों के मवेशी उन तालाबों में पानी पीने आते हैं। खेती का काम नहीं होता है। अधिकांश मजदूरों को कुए के काम से मजदूरी नहीं मिलती है। कुए खुदेंगे तो दो आदमी लगेंगे। एक तरह से पीने के पानी के लिए कुओं का काम बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमन्त्री बने थे तो प्रधानमन्त्री बनने के बाद जो उनकी पहली स्पीच थी, जो पहला भाषण था उसकी पहली लाइन यह थी कि मैं कोशिश करूंगा कि भारत के प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध हो जाना चाहिये। आज 25 वर्ष की आजादी के बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। अब अकाल की बात करते हैं लेकिन पानी की स्थिति गांवों में बहुत खराब है। अकाल के अन्दर बिलकुल पानी नहीं रहता है कुओं के अन्दर और वहां के लोग बड़े दुःखी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश और जिले के और भी अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू विभाग के हों या और विभाग के हों मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सरकारी मशीनरी इसलिए वहां पर बैठी हुई है कि वह व्यवस्था करे। उनको वेतन इस बात का मिलता है कि वह जनता का काम करें। उनको तनख्वाह इस बात के लिए मिलती है कि वह व्यवस्था करें। जिले का अधिकारी हर बात के लिए सरकार की तरफ देखे कि उनका क्या संकेत मिलता है तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आज मेरे घर का काम है तो बेचैन नहीं होना चाहिए और रात के 12 बजे तक जग कर भी काम करूं। सरकार अमुक आदेश देगी तो तुम क्या कर रहे हो ? लिखा सरकार को और मंगवा लो आदेश। खुदाई कुओं की कराओ यह काम शुरू कराओ। ईमानदारी और मेहनत से कोई अधिकारी रिस्क लेकर कोई काम शुरू करे और वह जनता को राहत देने का काम हो तो मैं सोचती हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि कोई यह शिकायत करे कि तुमने क्या कर दिया। हिम्मत नहीं रखते हैं और हर बात के लिए सरकार की तरफ ताकते बैठे रहें तो फिर आप किस मर्ज की दवा हैं ? छबड़ा शाहबाद, इन्द्रगढ़, मन्डाना और सुलतानपुर में काम शुरू नहीं हुआ, मगर रामगंज मंडी, जो राज्य मंत्रीजी का अपना क्षेत्र है, वहां पर काम शुरू हुआ। शाहबाद में काम शुरू हुआ है क्योंकि गवर्नर साहब वहां पर दौरा करने वाले हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां जाने वाले हैं, लेकिन दूसरे इलाकों में आपने क्या किया ? वहां कौन जायेगा ? इसका मतलब यह हुआ

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

कि अकाल मंत्री या गवर्नर साहब को ले जाओ या और किसी को लेजाइए तो काम शुरू होगा। यह कोई तरीका नहीं है। मैं जिस क्षेत्र का दौरा करके 27 तारीख को लौटी हूं उसमें लोगों की क्या हालत थी। झुण्ड का झुण्ड औरतों का मुझे मिला। उन्होंने कहा कि बहनजी हमें मजदूरी तो कर दो कम से कम रोटी तो खा लें। यह उनका कथन है कितना पीड़ा देने वाला है ? मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि कोटा जिले के अन्दर जो भी क्षेत्र ऐसे हैं, खास तौर से जो पठारी क्षेत्र हैं, शाहबाद और मंडाना उनके अन्दर ब्लास्टिंग मशीन की व्यवस्था करें। जिलाधीश को आदेश दिये जायें कि जैसे भी हो वह करें। जब दूसरे लोग किराये पर ले सकते हैं तो क्या सरकार को वह किराये पर नहीं मिल सकती है ? वहां पर इमीजियेटली काम शुरू करायें।

पंचायत समिति, लाडपुरा में इस संबंध में प्रायोरिटी देकर काम कराने का एस्टीमेट था जिसमें कुछ तालाबों की खुदाई, कुछ सड़कें और अधिकांश में कुए थे। उनके लिए 5 लाख का एस्टीमेट था जो कि प्रायोरिटी बेसिस पर था। मेहरबानी कर यह काम शुरू करा दें। एक तरफ तो आप कहते हैं और आपके आदेश हैं कि जो भी अकाल राहत के कार्य शुरू करावायें वह पूरे होने चाहिए और दूसरी तरफ उनकी मंजूरी नहीं आती है। लगभग अकाल का कार्यकाल समाप्त होते होते तो वह समाप्त हो जाने चाहिए और ऐसी स्थिति में समाप्त होना चाहिए कि यह दिखाई दे कि कुछ काम हुआ है। कुए खुदें तो पानी होना चाहिए, सड़क बने तो रास्ते होने चाहिए, तालाब खुदे तो पानी आना चाहिए वर्ना पैसा लगाया और काम पूरा नहीं हुआ तो क्या राहत हुई ?

अकाल के बारे में जो बात आती है और इस सम्बन्ध में अधिकारियों के बारे में और प्रशासन के बारे में दिमाग में यह बात आती है तो लोग हमसे कहते हैं, तो मैं कहती हूं कि हम से क्या कहते हो तुम जिम्मेदार हो, ईमानदार और मेहनती हो तो सारी दिक्कत दूर हो जाय। हमारी जिम्मेदारी तो केवल यह रहती है कि हम देखकर यह बतादें कि अमुक जगह पर नहीं पहुंच रहा है। लेकिन सरकारी अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही आपके सामने आती है और उसकी वजह से दिक्कत आती है।

65 में चुनाव के बाद जब विधान सभा समाप्त हुई तो मुख्य सचिव अपना पूरा लवाजमा लेकर कोटा गये। उनका जाना एक तरह से ठीक था। उनका सोचना भी ठीक था। प्रशासन में सुधार लाने के लिए, भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए उन्होने यह तरीका सोचा कि जिला स्तर पर जा जा कर दो एक दिन का स्टे किया जाय और मीटिंग की जाय और अधिकारियों को साथ लिया जाय ताकि उनसे सारी बातचीत करके उसको समझ कर जितने काम जिला स्तर पर निपटाये जा सकते हैं वह निपटाये जायं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सरकार के सक्यूंलरस् अधिकारियों के दिमाग में स्पष्ट नहीं होते हैं और लिखा-पढ़ी में इतना

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

समय लग जाता है कि वह काम पूरा नहीं होता है। इस सारी स्थिति को समाप्त करने के लिए वहां पधारें। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि जिला परिषद् में मुख्य सचिव ने स्वयं ने यह कहा कि मैं इतने उच्च अधिकारियों के साथ आपके सामने आया हूं ताकि जिले के काम को समय पर निपटाया जा सके। उसके बारे में व्यवस्था कर दूं और प्रत्येक विभाग के बारे में दिक्कत हो तो यहां पर ही दिक्कतें दूर कर देना ठीक समझता हूं। यह दोनों के सहयोग से होगा। जनता का सहयोग नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं सुनने को तैयार हूं। आखिर में दो दिन का दौरा करके मुख्य सचिव रवाना हो गये। हूजा साहब, जो चेयरमैन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड थे, जो अब रिटायर हो गये और विकास विभाग के मि. रावत थे जो अभी भी मोजूद हैं। यह दोनों वहां पर सरकिट हाउस में थे तो मैंने उनसे कहा कि आप से जरूरी काम है। ठहरना 5 मिनट में आ रही हूं बात करेंगे। मैं सरकिट हाउस में पहुंची और हूजा साहब से कहा कि हूजा साहब मुझे एक ईमानदार तहसीलदार चाहिए। दो तहसीलें मेरे क्षेत्र में हैं। एक तहसीलदार तो मेरे पास ईमानदार है और एक ईमानदार तहसीलदार और चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। सरकारी कर्मचारी अगर ईमानदार और मेहनती होता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि काम उन्हीं को करना होता है जनता का, हम तो बीच बीच में जाकर देख लेते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हम तो पांच साल के लिए आते हैं तो 5 साल मैंने देख लिया तो पांच साल दूसरे ने देख लिया तो सारा सीधा कार्य तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा होता है। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा वह बात भी सही है कि प्रशासन में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयत्न प्रशंसनीय हैं और आवश्यक भी है, लेकिन इसके बावजूद सुधार कितना आ रहा है यह भी साथ-साथ देखना पड़ेगा चन्द लोगों की प्रशंसा करके ही बैठ जायं तो उससे काम नहीं चलने वाला है। हूजा साहब से मैंने कहा कि एक ईमानदार तहसीलदार चाहिए तो हंसकर बोले कि आप कैसी बात करते हैं। बड़ा मुश्किल है यह कहना। बता दें आप नाम। मैंने कहा कि नाम हो याद होता तो आप से क्यों कहती ? आप तो राजस्थान की सारी रेवेन्यू एजेन्सी को लेकर बैठे हैं आप उसके मुखिया हैं और आप यह कह रहे हैं कि तहसीलदार ईमानदार मिलना बड़ा मुश्किल है। मैंने रावत साहब से कहा, रावत साहब एक ईमानदार विकास अधिकारी दें क्योंकि मेरे क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं। एक विकास अधिकारी आपने दे रखा है उसकी वजह से जो मिलने वाली राहत है उससे मुझे महसूस होता है कि दूसरा विकास अधिकारी भी अच्छा दें तो इस क्षेत्र का काम हो। तो कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है यह कहना कि कौन अच्छा और ईमानदार है। मुझे हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई। मैंने कहा कि फिर इतना बड़ा लवाजमा लेकर हमारे यहां आप खर्चा करके आये हैं भ्रष्टाचार के बारे में पूछने के लिये, जब कि आप खुद एग्री करते हैं कि आपके पास

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
कोई ईमानदार विकास अधिकारी और ईमानदार तहसीलदार नहीं है। तो भ्रष्टाचार कहां है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिला है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगी। अब भी मैं यही कहती हूं कि आप अधिकारी कहां से भी लाइये, अकाल के क्षेत्र में काम होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है। यों तो मुझे पूरी आशा है कि मन्त्री महोदय उस इलाके में काम शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि वह व्यस्त हैं और उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि काम रह जाये। क्रैश योजना के अन्तर्गत 127 लाख कोटा को मिले। जयपुर में आप कितना खर्चा कर रहे हैं और जोधपुर में कितना कर रहे हैं इसमें हमको ऐतराज नहीं है, लेकिन हम एक ही योजना को लेकर चल रहे हैं। कम से कम वह तो हमारी पूरी हो जाये। आप एक इलाके को बहुत ही सुन्दर बनायें, उस पर बहुत ही खर्चा करें, लेकिन दूसरे इलाके के बजट में आप कटौती कर दें तो यह तो अनुचित है। साढ़े बारह लाख का आपने बजट दिया और उसमें से भी आपने साढ़े चार लाख कम कर दिये। पिछले बरस भी साढ़े बारह लाख लैप्स हो गये कोटा जिले में। क्या सजा देंगे आप उस अधिकारी को जिसने यह पैसा लैप्स करवाया ? कोई काम शुरू नहीं हुआ, हमारे यहां सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, स्कूलों की बिल्डिंग अधूरी पड़ी हैं, कुओं में पानी नहीं है, लेकिन अधिकारियों को कौन पूछे ? और आज इस वर्ष में सब विधायक कांग्रेसी हैं। हाड़ौती के 16 ही विधायकों ने आग्रह किया और कोटा के 8 विधायकों ने आग्रह किया, कलेक्टर को भी मजबूर किया कि काम होना चाहिए और फिर साढ़े चार लाख काट दिये। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी......

श्री परसराम मदेरणा : इसका तो विकास विभाग से सम्बन्ध है। फिर भी मैं जवाब दूंगा।

श्री गौरीशंकर मुनीम : झालावाड़ के भी साढ़े पांच लाख कम किये हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सरकार ने अल्प बचत के लिये एक इनाम की योजना बनाई। इसमें 1970-71 में पंचायत समिति, लाडपुरा इनाम की भागीदार हुई और 40 हजार का इनाम उस समिति को मिलना चाहिये। 1971-72 में 55 हजार का इनाम उन्होंने जीता, लेकिन आज तक उसका इनाम का पैसा नहीं मिला। अगर यह इनाम का पैसा भी हमें मिल जाता तो हम उससे कुछ पानी के कुए बना सकते थे। जिस चीज की जरूरत होती वह कर देते चाहे पैसा किसी का भी हो, वह बाद में एडजेस्ट हो सकता है। यह 95 हजार का इनाम का रुपया, जो हमको मिलना चाहिये था विकास विभाग से और जो हमारे कुछ काम आ सकता था, वह हमको नहीं मिला। यह क्यों नहीं मिला इसका भी कारण बताया जाये ?

एक बात का मुझे ताज्जुब है कि एक तरफ तो लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिल

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

रही, मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन ऐसे क्षेत्र में आप शराब की दुकानें चला रहे हैं। आज हर तरफ नशाबन्दी का सवाल चल रहा है। अगर इस समय गांधी जी होते तो हमको कहते कि सबसे पहला काम शराबबन्दी का करो। आज हम नशाबन्दी की व्यवस्था नहीं करना चाहते। सदन में वित्त मन्त्री जी ने बताया कि मस्जिद और मन्दिर, स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये, लेकिन आज वह भी वैसा का वैसा चल रहा है। आप अकाल के क्षेत्रों में शराब की दुकान चला कर एक हाथ से रोटी देकर दूसरे हाथ से वह छीनना चाहते हैं। मेरी गोकुल भाई जी से बात हुई। उन्होंने प्रधान मन्त्री को चिट्ठी लिखी और उसमें यह लिखा है कि योजना के अनुसार आप जो कहते हैं कि 12 करोड़ का घाटा सरकार को होता है, वह 12 करोड़ का नहीं रह कर, करीब एक करोड़ का रह जाता है। मुख्य मन्त्री जी से आप बात करलें, उसके बाद कोई ऐसी चीज हो तो हमारे वित्त मन्त्री व्यवस्था कर देंगे। प्रधान मन्त्री ने उनको लिखा। यह कोई बुरा नहीं। यह एक ऐसी चीज है, जिनके पास पैसा है वह पीये उनके पीने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। पूर्ण नशाबन्दी में मैं नहीं जाना चाहती, आप परमिट सिस्टम कर दीजिए, जो पीना चाहें वह परमिट ले लें, पीना चाहें, पीयें, मरें—उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भूखे हैं, गरीब हैं, जो समझते नहीं हैं, वह सुबह से शाम तक कमा कर लाते हैं और शाम के वक्त बच्चे के दूध के पैसे को, बीबी-बच्चों के लिए रोटी के पैसे को नशे में डाल देते हैं—उनको आप बचाने की कोशिश कीजिये। यही मेरा निवेदन है····

एक माननीय सदस्य : नशाबन्दी नहीं तो नसबन्दी कर दीजिये। यह आपके सोचने की बात है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह अकाल मंत्री से सम्बन्धित नहीं है, मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है अकाल, मेरे इलाके में अकाल की समस्या विकट रूप धारण किये हुए है।

इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, उसका एक हिस्सा शहर से लगा हुआ है और एक हिस्सा गांवों से लगा हुआ है। आस पास के गांव लगे हुए हैं। ऐसे समीप के गांवों में सीटू वाले लोग बिना कारण भोले लोगों को भड़का-कर फसाद करवाते है जिससे लोगों को परेशानी होती है। जैसा मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ लोग हैं जो ऐसा वाता-वरण पैदा करते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिये। मैं कहना चाहती हूं कि इस वातावरण से कैसे बचें ? फरवरी के महीने में, जहां तक मुझे ख्याल है, मुख्य मंत्री जी की यात्रा हुई कोटा में। जे. के. फैक्ट्री है, वह अल्प बचत के अन्दर प्रथम आया था, इस वजह से मुख्य मंत्री को निमंत्रण दिया था। मजदूरों की इच्छा थी कि मुख्य मंत्री जी से इनाम लेना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने उदारतापूर्वक, सहृदयतापूर्वक उसे स्वी-कार किया। मुख्य मंत्री जी कोटा गये मजदूरों के फंकशन में। वहां सीटू, जिसे मजदूरों से मतलब नहीं, न शांति से उन्हें मतलब है, न समाज व्यवस्था से मतलब है, न सम्पन्नता से मतलब है, उन्हें किसी से मतलब नहीं—उनको इस बात से मतलब है कि किसी न किसी प्रकार झगड़ा-फसाद

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

और डिस्टर्बेन्स क्रियेट हो, जिसकी वजह से उनका बोलबाला हो। उन्होंने उस फंक्शन में झगड़ा-फसाद किया। उसके बाद मुख्य मंत्री जी रवाना हो गये। फंक्शन में झगड़ा-फसाद के बाद अधिकांश मजदूर हमारे पास आये। उन्होंने कहा, या तो आप यहां की व्यवस्था सम्भालो, या सीधे सीधे हम अपने हाथों से सम्भाल लेंगे लेकिन फिर वहां पुलिस न पहुंचे। मुख्य मंत्री जी को हम मजदूरों ने बुलाया था, हमारे फंक्शन में इस तरह हंगामा खड़ा किया यह उचित नहीं। उस वक्त हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि मुख्य मंत्री जी बैठे हुए थे। हम लोग चुप बैठे रहे। हम बोलते तो झगड़ा बढ़ जाता इसलिए हम चुप रहे। यह शर्म की बात है। दुःख की बात है। मैं मुख्य मंत्रीजी तक इस बात को इसलिए पहुंचाना चाहती हूं कि दूसरे दिन, आठ बजे का समय होगा, जे. के. फैक्ट्री के एस. के. अग्रवाल मैनेजर हैं। उनसे मैं बात करना चाहती थी कि उन्होंने कोई विचार किया है या और कोई शिकायत उनके पास आई है। मजदूर मेरे पास आये थे। वैसे उनसे न मेरा परिचय है, न मिलना जुलना होता है। तो जिस समय टेलीफोन नम्बर मांगा, तो टेलीफोन वाले कई दफा एंगेज होने पर भी अड़ा देते हैं, वैसे ही कर दिया। उस समय दिल्ली से लाला सिंघानिया का टेलीफोन आ रहा था। मैंने कानों से वह सुना, मैं अपनी जुम्मेवारी से कह रही हूं। वह कह रहे थे, यहां क्या गड़बड़ी हुई? मुझे मैसेज मिल गया था। इनकी तरफ से पहुंच गये होंगे। उन्होंने कहा, दुःख का विषय है। एक आध सेन्टेन्स मुश्किल से वह बोले, अग्रवाल, तुम लोगों को मैनेजमैन्ट नहीं आता है। पूनमिया से बात करो ढांडा से बात करो। लाला सिंघानिया ने कहा, ढांडा से बात करो, पूनमिया, ढांडा से बात करो। यह वहां की हालत है।

गांवों की हालत मैं आपको बताऊं, वहां लाल साफे वाले गूजर जाट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जाकर वह भड़काते हैं, उनके सेन्टीमेन्ट्स को उभारते हैं। उन लोगों को भड़का कर, उनके सेन्टीमेन्ट्स को उभार कर उनको ऊट-पटांग कामों को करने में उपयोग में लाते हैं। वह गरीब लोग जेल में चले जाते हैं। पिछले दिनों चार आदमियों को फंसा कर जेल में डलवा दिया। उनकी औरतें दुःखी हैं, उनके बच्चे दुःखी हैं। प्रश्न यह आता है कि जहां इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है, झगड़ा-फसाद होता है, वहां पर बीच में पुलिस न पड़े, पुलिस मौके पर न पहुंचे और जनता के ऊपर ही छोड़ दे तो जनता तैयार है उनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन पुलिस आती है तो चार आदमी उनके पकड़ती है और चार दूसरे लोगों को पकड़ लेती है। मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति इस तरह की कार्यवाही करते हैं उनको पुलिस पकड़े। इस समय अकाल की स्थिति है, इस अकाल के समय के अन्दर मैं निवेदन करूंगी कि यह क्राइम हैं, यह गुनाह है कि लोगों को भुलावे में डाल कर, राजनीति में फंसा कर, गुमराह करके ऐसी परिस्थिति में उन्हें फंसा दें जिससे उन्हें जेल हो जाय और उनके परिवार भूखे मरें। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसमें घबराने का प्रश्न नहीं है, डरने का प्रश्न नहीं है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिये। अगर हमारी बात गलत हो तो हमें सजा दें। ऊट-पटांग बात को सदन में

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

उठाने में न हमें मजा आता है न रुचि है। यह सारी बातें विशेष तौर पर अकाल राहत मंत्री से सम्बन्धित नहीं हैं, अकाल से इन-डाईरेक्ट सम्बन्धित हैं। नशाबन्दी का प्रश्न, वह मिला जुला प्रश्न है और सीट्ट का भी मिला जुला प्रश्न है। यह लोग गांवों में जाकर लोगों को भड़काते हैं। और फैक्ट्री वाले अपने चेम्बर में बुलाकर इनसे हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे आदमियों के साथ हाथ मिलाकर रहते हुए भी झगड़ा फसाद या हंगामा होता है तो कहते हैं सरकार से कि व्यवस्था करो। सरकार क्यों करे ? करे लाला सिंघा-निया या फैक्ट्री करे और फैक्ट्री चलायें। उपाध्यक्ष महोदय, वहां फर्टीलाइजर फैक्ट्री में डिस्टर्बेन्स नहीं होता है, वहां के मजदूरों में ऐसा वातावरण नहीं है। लेकिन जे. के. फैक्ट्री में गड़बड़ी हो गई तो उसमें भी हो गई। मेरा निवेदन है कि इन मामलों से न तो शांति आयेगी, न मजदूरों की भलाई होगी, न समृद्धि आयेगी और न समाजवाद आयेगा और न समाजवाद आने वाला है। इसलिए ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो झगड़ा फिसाद कराने वाले हैं, उनको रोकना पड़ेगा। आज विरोधी दल के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, प्रजातन्त्र में कई पार्टीज होती हैं इसमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रजातन्त्र का युग है, प्रजातन्त्र में समान अधिकार होता है लेकिन हम जनता के हित में काम करें, जनता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इस तरह के नारों से, इस तरह के झगड़ा फिसाद से लोगों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करें—ऐसा नहीं होना चाहिए, और होता है तो गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम बात कहना चाहती हूं। मैं समय अधिक नहीं लूंगी, क्योंकि आपका मेरी तरफ ध्यान है और समय भी अधिक हो गया है। मैं अकाल राहत मन्त्री जी से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहती हूं। मेरी शिकायत नहीं है, जैसा मैंने कहा, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। लेकिन जहां पर तकलीफ है, दुःख है, संकट है उसके निवारण के लिए आपको नहीं कहेंगे, उसकी शिकायत आप से नहीं करें तो दूसरे किस से करेंगे ? मेरा निवेदन है कि पीने के पानी की व्यवस्था उस इलाके में हो जाय। जो एस्टीमेट बनकर प्रायोरिटी बेसिस पर योजनाएं बनी हैं, उनकी आप सेंक्शन भेज दें। जो रेवेन्यू एजेन्सी है, उसकी पूरी सर्वे के बाद, पूरी जानकारी और जांच के बाद, जो गांवों की लिस्ट आई है, जहां साढ़े चार आने, छः आने से फसल ऊपर नहीं है, वहां के कागजों के आने जाने, लौटाने और उन पर जानकारी मंगाने में समय लग जायेगा जबकि तथ्य वही है, चीज वही हैं। इसलिए उचित यह होगा कि काम महीने दो महीने बाद शुरू न करें। क्योंकि काम महीने दो महीने में शुरू होगा तो महीने दो महीने के लिए उनके पास मजदूरी के लिए कोई धन्धा नहीं है, न उनके पास साधन हैं, न उनके पास पीने का पानी है, न अनाज है। जंगल में से जलाने के लिए लकड़ी लाने की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। उनका आज क्या हाल है, यह देखिए। इसलिए मेरा निवेदन है, दया कीजिए उस क्षेत्र पर और काम शुरू करवाने के लिए आप शीघ्रता कीजिए।

Page No 110

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के विषय को लेकर हमने पहले भी सदन में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(2.55 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

आज जब अकाल की विभीषिका आने वाले कुछ मास के अन्दर तीव्र होकर बढ़ती जा रही है, गर्मी के दिनों में पेय जल की समस्या का संकट भीषण होने वाला है। इसलिए हम इस पर फिर विचार कर रहे हैं। सभापति महोदय, अकाल जैसे मानवीय प्रश्न के ऊपर राजनैतिक दलों के दल बदल को छोड़ कर सदन के अन्दर और सदन के बाहर जितने भी राजस्थान की जनता के साथ में अपनापन महसूस करने वाले व्यक्ति हैं, वह सब सजग होकर कार्य करें इसमें दो राय नहीं हो सकती। परन्तु मेरी मान्यता है कि राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में भी जो सामाजिक क्लाईमेट बनाना चाहिए था, वातावरण बनाना चाहिए था, वह नहीं बनाया गया है।

मेरी सबसे पहली अर्ज तो यह है कि राजस्थान में माननीय अकाल राहत मन्त्री ने अकाल सहायता समिति का निर्माण किया, राजस्थान प्रदेश के लिए सब राजनैतिक दलों के लोगों को साथ में लेकर। लेकिन दुर्भाग्य है, सभापति महोदय, आज लगभग तीन माह उस समिति का निर्माण किए हुए हो गए, एक भी बैठक उसकी नहीं बुलाई गई। मैं नहीं समझ सका, उसका निर्माण करने का क्या आधार था? क्या समाचार पत्रों में सुर्खियों में छापने का था या राजस्थान के बाहर रहने वाली जनता के अन्दर यह भ्रम पैदा करने का था कि राजस्थान में सब एक होकर अकाल की विभीषिका का मुकाबला करने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं यह तो नहीं मानता कि प्रशासन इस समिति की बैठक नहीं बुलाये और हमारे माननीय मन्त्री को इसका पता भी नहीं लगे। मैं यह भी नहीं मानता कि उसका निर्माण केवल कागजों पर करने के लिए ही किया गया है। परन्तु मैं इस बात के लिए विवश हूं कहने के लिए कि राजस्थान अकाल सहायता समिति का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया, उसकी एक भी बैठक न बुलाकर, सक्रिय न करके, किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेकर, सब लोगों को कॉन्फीडेन्स में न लेकर, मैं समझता हूं, अकाल राहत कार्यों में जो गति, जो तीव्रता जिस प्रकार से राजस्थान में आ सकती थी, उसको हमने अवरुद्ध किया है। मैं समझता हूं, अकाल सहायता समिति की बैठक केवल राज्य सरकार बुला सकती थी, इसलिए राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जिला स्तर के ऊपर जो समितियों का निर्माण किया गया, उसमें तीन सदस्य अकाल राहत मन्त्री के द्वारा मनोनीत किए जाने थे और मैंने जानकारी की है, कई स्थानों के ऊपर मुझे पता लगा है कि उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण से जो जिला स्तर के ऊपर तीन और दो तहसील के स्तर के ऊपर जिनको मनोनीत किया गया है, उसमें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राजनैतिक दृष्टिकोण रखा गया है और पक्षपात किया गया है। अकाल के मानवीय प्रश्न को भी राजनैतिक स्तर के ऊपर, राजनैतिक रूप में उसका लाभ या नुकसान उठाने की बात की जाय तो मैं समझता हूं, यह भी आपत्तिजनक है और इस बारे में अपेक्षा यह थी और मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जब अपना उत्तर दें तो इन दो मुद्दों को स्पष्ट करें। जो नोट हमारे पास भेजा गया है, उसमें मनोनीत सदस्यों के नाम नहीं हैं शायद भीलवाड़ा जिले में तीन के तीन व्यक्ति हैं। उसमें एक तो श्री रामप्रसाद लड्ढा, दूसरे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के भाई और तीसरा भी एक कांग्रेस नेता है, तीनों को मनोनीत किया गया। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी मनोनीत किया गया। तो मेरा निवेदन है कि इसमें राजनीति को लेना, यह वास्तव में राजस्थान की 1.38 करोड़ जनता, जो अकाल पीड़ित है, उसके साथ विश्वासघात करना है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं एक विशिष्ट पॉइंट जो एम्फेसाइज करना चाहता हूं वह यह कि इस समय जो राजस्थान में अकाल की विभीषिका है, जिसके बारे में राजस्थान सरकार की ओर से राहत कार्य खोले जा रहे हैं और वहां कार्य करवाये जा रहे हैं, उसमें टास्क बेस्ड नाम की जो चीज है उस कारण से, कल मैं उदयपुर में था, वहां पर राजस्थान भर के जनसंघ के कार्यकर्ता अपने अपने अकाल क्षेत्रों का दौरा करके आये थे। हमने अकाल सहायता संघों का निर्माण किया और लोगों को राहत कार्यों का लाभ दिलवाने के लिये जगह जगह दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में यद्यपि राज्य सरकार ने 3), 3½), 2) रुपये मजदूरी देना तय किया है, लेकिन टास्क बेस्ड का यद्यपि राज्य सरकार ने 70 प्रतिशत ही मापदंड रखा है लेकिन वह मापदंड अकाल से पीड़ित जिस व्यक्ति की ताकत क्षीण हो चुकी है, उन व्यक्तियों को 4-4, 5-5 मील से आना जाना पड़ता है, जिनको धान के लिए धतूरे का मिला हुआ माइलो भी उपलब्ध नहीं होता है और आने वाली गर्मी, ज्येष्ठ के अन्दर पूरी गति में होगी, पानी की कमी होगी उस समय केवल टास्क बेसिस पर पेमेंट किया गया तो आज भी शिकायतें हैं। उदयपुर जिले में रिखवदेव में एक सम्मिलन हुआ था, 8-10 हजार लोग इकट्ठे हुये, उन्होंने बताया कि पहले तो व्यक्तियों को काम नहीं है जिनको मिला है तो किसी को 1½), किसी को 2½) और किसी को एक रुपया मजदूरी मिलती है।

हमारा टास्क क्या है ? नाप क्या होनी चाहिये ? क्या अकाल से जीर्ण शक्ति वाले जितनी रेत खोद कर मिट्टी लाते हैं यह नाप होनी चाहिये, 1.35 करोड़ जनता, जो पीड़ित है भूख के कारण से, पानी के अभाव में उनको राहत मिलनी चाहिये इसलिए हम राहत के नाम पर उनसे काम करवाकर पैसा देना चाहते हैं, मेरी मांग है कि टास्क और नो टास्क, नाप किसी प्रकार का हो, वह चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का हो चाहे किसी का हो, but the question was why the amount which was available, was not being spent. जो अकाल के कारण लोग पीड़ित हैं उनको कम से कम मिनीमम वेजेज तीन रुपये मिलें, इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बात की राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिये। नाप एक होनी चाहिए, मापदंड एक होनी चाहिये, राजस्थान की धरती पर जो दलित और अकाल के कारण परेशान हैं उनको कम से कम तीन रुपये मिलें जिससे वह अपना जीवन निभा सकें। हमने इस बात को कहा है और आज भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता और फेमिन स्ट्रिकिन पीपुल, अभाव से ग्रस्त जनता है, उनको तीन रुपये मजदूरी यदि नहीं दी गई तो राजस्थान के 1½ करोड़ लोग ही नहीं बल्कि 2½ करोड़ लोग जो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, वे उठ खड़े होंगे, इसके लिए आन्दोलन होंगे, जनता इस अन्याय को सहन नहीं करेगी। जनता इस बात के लिए सरकार पर दबाव डालेगी जनतांत्रिक तरीके से कि इस धरती पर पैदा हुए हर व्यक्ति को अकाल के समय मिनीमम वेज तीन रुपए दिया जाय यदि हम नीड-बेस्ड वेज की बात करते हैं, मीनिमम वेज की बात करते है, राज्य सरकार इसके लिए प्रावधान बनाती है चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे केन्द्रीय सरकार का मिनीमम वेज हो, चाहे प्रेस का मिनीमम वेज जब हम कहते हैं कि मिनीमम वेज मिलना चाहिये, जब राज्यपाल महोदय, अपने अभिभाषण में कहते हैं कि इस राज्य में किसी व्यक्ति को 100) से कम नहीं मिलेगा तो क्या कारण है कि जो व्यक्ति अकाल के कारण से त्रस्त है और 4-5 मील से काम करने के लिए आता है और एक परिवार में दो व्यक्तियों को काम मिलता है, उनसे कहा जाय कि इतना खड्डा खोद नहीं सकोगे तो इतना पैसा कम मिलेगा। मुझे बताया गया कि उदयपुर में पहाड़ी भूमि है वहां पर मिट्टी खोदने की नाप, वह मापदंड उन लोगों की परेशानी का कारण बनता है। इसलिए राज्य सरकार निर्णय ले और मेरी मांग है कि टास्क और नो टास्क, मापदंड यह होना चाहिये कि कम से कम तीन रुपये उनको मिलें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें जो आंकड़े बताए गए, उसके हिसाब से लगभग 7 लाख लोगों को हमने काम दिया है। 7 लाख से कुछ अधिक हैं, पहले 2 लाख था जब विधान सभा प्रारम्भ हुई फिर 3 लाख, फिर 5 लाख और अब 7 लाख और यह बताया गया है कि 1.35 करोड़ लोग अभावग्रस्त हैं अकाल पीड़ित हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि 1.35 करोड़ लोग अभावग्रस्त हैं, अकाल पीड़ित हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि 1.35 करोड़ लोग पीड़ित हैं और उनमें से केवल 7 लाख लोगों को काम दिया है तो यह अपर्याप्त है। एक परिवार में 10 आदमी हैं उनमें से आप तीन को काम दें और वह टास्क बेसिस पर और बच्चे व स्त्री के बीच भेदभाव, किसी को ढाई किसी को दो रुपए। मेरी समझ में नहीं आता हम सब स्थानों पर महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं करते हम महिलाओं को अग्रणी करना चाहते हैं, लेडीज फर्स्ट कहते हैं, हमारी प्रधान मन्त्री महिला है, लेकिन हमारी सरकार महिलाओं व पुरुषों के बीच भेद रखती है। एक व्यक्ति खड्डा खोदता है और उस रेत को महिला सर पर लेकर आगे जाकर डालती है इसलिए

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बेज में फर्क रखा गया है। यह भेदभाव समाप्त करना चाहिए। भेद केवल इस नाम पर है कि एक व्यक्ति मिट्टी खोदकर लाता है, दूसरा व्यक्ति मिट्टी लादकर ले जाता है, यह समाप्त होना चाहिए, इसका औचित्य नहीं।

इसके अलावा 7 लाख की जो आज फिगर है, वह बढ़कर सब प्रकार से कितनी भी हो, स्थाई हो चाहे अस्थाई हो, पी. डब्ल्यू. डी. हो, सिचाई हो, एफौरेस्टेशन हो, सोइल कन्जर्वेशन हो या सड़कें हों, इससे कोई सरोकार नहीं। यह राज्य सरकार का काम है, लेकिन कम से कम वास्तव में यदि आने वाले अप्रेल, मई और जून जिस समय अकाल की विभीषिका बढ़ेगी उस समय 30 लाख लोगों को काम प्रोवाइड करना चाहिए, यह असंभव नहीं है। महाराष्ट्र में हुआ है जहां पर इतना भीषण अकाल नहीं है, वहां पर लोगों को काम प्रोवाइड किया गया है। तो राजस्थान में 7 लाख का जो फिगर बताया गया है उसकी पुष्टि या खण्डन तो राज्य सरकार बाद में करेगी लेकिन मुझे बताया गया है कि पिछले अकाल में जिन लोगों को काम दिया गया था यद्यपि उस समय 24 जिले अकालग्रस्त नहीं थे पर उन लोगों का नम्बर जिनको हमने काम दिया था, वह अधिक था। इस समय महाराष्ट्र में 30 लाख लोगों को काम दिया गया है। यह श्री शिन्दे का स्टेटमेंट है 7-3-73 का। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 30 लाख लोग इस समय काम कर रहे हैं। हमसे ज्यादा गुजरात में 8.90 लाख काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी छोटे छोटे स्थानों पर मैसूर जैसे छोटे स्थान पर करीब चार लाख मजदूर काम कर रहे हैं। और राजस्थान में जहां कि सर्वत्र अकाल है वहां पर पहले तो पांच लाख मजदूरों के काम की व्यवस्था थी लेकिन अब सात लाख कर दी गयी है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान के भीषण अकाल को देखते हुए जो खर्च हमारी राज्य सरकार कर रही है वह बहुत ही थोड़ा है क्यों कि दूसरे प्रदेशों में जहां कि पार्शियल फेमीन है वहां पर भी ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं तो राजस्थान तो पूरा ही अकाल से प्रभावित है वहां तो अकाल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब भी सदन में अकाल के कार्य के लिये खर्च की बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि केन्द्र से धन नहीं मिलता है। लेकिन अभी लोक सभा में एक हाफ एन आॅवर डिस्कशन के जवाब में केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री श्री शिन्दे साहब ने बताया कि केन्द्र तो पैसा देने को तैयार है और जो बजट में है उससे ज्यादा देने को तैयार है लेकिन राज्य सरकार अकाल राहत कार्य नहीं खोल रही है और केन्द्र जो पैसा देता है उसका उपयोग राज्य सरकार करने में असमर्थ रही है। राज्य सरकार के पास अभी तक कोई निश्चित प्रारूप तैयार नही है जिससे कि वह यह कह सके उसे कहां पर पैसा और किस प्रकार से पैसा, कितना पैसा खर्च करना है। वह अभी तक प्रोग्राम नहीं बना सकी है इस बारे में। सभापति महोदय, यह जानकारी मेरे पास जो है वह मेरी खुद

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की या अखबारों के माध्यम से इक्ट्ठी की हुई नहीं है बल्कि यह तो लोक सभा में हाफ एन आवर डिस्कशन राजस्थान के संसद सदस्य श्री मूलचन्द डागा द्वारा उठाये गये प्रश्न पर है इसमें जो खास बात है वह मैं आपको बताना चाहता हूं श्री शिन्दे साहब ने कहा है कि राजस्थान में ....

"20 Crores for the Plan were available and only Rs. 8.14 crores had been spent up to December. For this year itself, Rs. 7.14 crores were available but the sum spent has been, Rs. 3.47 crores. In fact we told the Rajasthan Government to go ahead with the expenditure on this head even beyond the budget limits."

भारत सरकार तो इस अकाल के लिये बीस करोड़ रुपया देने को तैयार है वह चाहती है राजस्थान सरकार अकाल पीड़ितों के लिये बीस करोड़ रुपये खर्च करे लेकिन राजस्थान की सरकार यहां की डेढ़ करोड़ अकाल से ग्रसित जनता के लिये इन्तजाम करने के लिए बिलकुल असफल रही है। जैसा कि मावली से आने वाले सदस्य ने कहा कि वहां पर दो वक्त नहीं बल्कि एक वक्त लोग खाना खा रहे हैं और कई इलाके तो ऐसे हैं, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं और घास की रोटियां बना कर खा रहे हैं। लोग भूखे पीड़ित होकर चिल्ला रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं और इधर केन्द्र सरकार कह रही है कि हम बीस करोड़ रुपया देने को तैयार हैं लेकिन राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि वह इस रुपये का उपयोग कर सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के प्रशासन के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का प्रशासन इस अकाल से निबटने में असफल रहा है, बिलकुल अकर्मण्य रहा है, और उसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान का प्रशासन अकालग्रस्त जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। इसी में आगे शिन्दे साहब ने कहा है :

"As regards crash employment scheme, out of 3.24 crores which was the actual amount available, only Rs. 2.54 crores had been spent. The main point was that the Government of India was very much concerned not only for Rajasthan but all over the country. But whenever we took up their relief operations, large amounts were spent on non-productive schemes."

उन्होंने बाद में यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय से उनकी बातचीत हुई है लेकिन वह राज्य सरकार केन्द्र के द्वारा दिये हुए धन का उपयोग नहीं कर पा रही है आगे उन्होंने यह भी कहा कि "As regards Rajasthan Canal, according to our own estimates, about 1 lakh people could find

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

employment on roads, but only 50,000 were being employed. We were asking them to try to employ maximum number of people."

अब तो यह बात है कि केन्द्र सरकार तो अकाल से ग्रसित लोगों को, बेरोजगार लोगों को करोड़ों रुपये देने को तैयार है। वहां तो यह कहा जा रहा है कि बजट की कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहो उतना लो और चाहो जहां पर उपयोग करो अकाल के लिये। लेकिन अब राज्य सरकार हर बार केन्द्र से धन प्राप्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है तो अब इसमें कौनसी बात सही है ? जो शिन्दे साहब ने लोक सभा में अपना वक्तव्य दिया वह सही है अथवा राज्य सरकार कहे वह सही है ? या यों समझ लें कि शिन्दे साहब ने सिर्फ राज्य सरकार को एक आश्वासन मात्र ही दिया है। मगर मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का प्रशासन इसका उपयोग करने में असफल रहा है। केन्द्र की तरफ से कोई गफलत नहीं है। क्योंकि आगे शिन्दे साहब ने यह भी कहा है

"In Minor Irrigation works about a lakh persons could be employed. but only 29,000 persons were employed. As regards soil conservation schemes about 1½ lakh persons could be employed, whereas only 16,000 people had been employed.

In afforestation 50,000 persons could be employed on afforestation.

Let them take up these productive schemes and we would give them full support.

यह जो मैं आंकड़े या जो बात पढ़ कर सुना रहा हूं यह बात समाचार पत्रों की खबर नहीं है। यह तो शिन्दे साहब ने राज्य सभा में जो स्टेटमेन्ट दिया है उसको पढ़ कर सुना रहा हूं। सभापति महोदय, केन्द्र राज्य सरकार को धन देने को तैयार है लेकिन राजस्थान का निकम्मा प्रशासन अपना दायित्व निभाने में असफल हो रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में यह पहले से ही प्रसिद्ध है कि राजस्थान का प्रशासन जो कुछ भी काम करता है वह राजनैतिक आधारों पर कार्य करता है। उन्होंने जो भी काम अकाल के वक्त कराये वह सभी कार्य नॉन प्रोडक्टिव प्लान पर खर्चा किया है। जहां पर भी अकाल होता है वहां पर काम समय पर नहीं चला है....

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य ने जो यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार पैसा देने को तैयार है लेकिन राज्य सरकार अपने दायित्व को नहीं निभा सकी है ये कैसे कहा आपने ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जो भी कह रहा हूं वह सभी जो शिन्दे साहब ने जवाब दिया है वही पढ़ रहा हूं आप कहें तो मैं आपको समर्पित करने को तैयार हूं आप चाहें तो देख लें।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो वह मुझे दे देने की कृपा करें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मेरी पहले यह राय थी इस स्टेटमेन्ट के आने के पहले कि केन्द्र सरकार धन देने में असमर्थ है और राज्य सरकार इसलिये काम नहीं चला रही है । मैंने इस बारे में पिछले सेशन में भी यह कहा था कि इसके लिये एक लॉबी तैयार की जाये जिससे राज्य सरकार को अकाल के काम के लिये अधिक से अधिक धन दिया जाय । लेकिन जब यह शिन्दे साहब का स्टेटमेन्ट मैंने देखा तो इसमें साफ है कि केन्द्र तो बजट के अनुसार धन देने को तैयार है, केन्द्र तो अकाल राहत कार्यों के लिये धन खर्च करने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हैं । इसका मतलब यह है राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों के बीच में तालमेल नहीं है । कहीं न कहीं कमजोरी जरूर है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री व राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय को भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां तो सर्वत्र अकाल है लेकिन जहां पर महाराष्ट्र में सिर्फ पाशियल अकाल है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा काम दिया गया है और आन्ध्र सरकार को केन्द्रीय सरकार ने इस अकाल के लिये 44 करोड़ रुपये दिये । और बिहार को 29 करोड़ रुपये दिये यह जो सूचना मैं आपको दे रहा हूं वह राज्यसभा के प्रश्नोत्तरकाल में जो कि 7-3-73 को मन्त्री महोदय ने जवाब में पढ़ा उसके बारे में बता रहा हूं । इसमें यह भी आगे बताया गया कि आज तक किस किस को कितनी अकाल सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी वह इस प्रकार है:—

महाराष्ट्र	85 करोड़ रुपये
मैसूर	22 करोड़ रुपये
आन्ध्रा	44 करोड़ रुपये
यू. पी.	23 करोड़ रुपये
वेस्ट बंगाल	21 करोड़ रुपये
बिहार	29 करोड़ रुपये

सभापति महोदय, ये सभी ऐसी जगह हैं जहां पर सभी क्षेत्रों में अकाल नहीं है वहां पर केन्द्रीय सरकार ने इतनी धनराशि दी है । लेकिन राजस्थान सरकार को सिर्फ 6-7 करोड़ रुपये ही मिले । राजस्थान में केन्द्र से दो टीमें आकर चली गयीं और तीसरी टीम अभी गयी है और अभी उनको गये करीब एक माह होने को आया है पर उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट इस बारे में नहीं दी । अभी हमारे मुख्य मन्त्रीजी दिल्ली गये थे और वहां पर राजस्थान दिवस धूमधाम से मनाया गया । वहां पर हमारे भारतवर्ष की प्रधान मन्त्री भी आयी थीं । मैंने सोचा कि इस मौके पर भारत की प्रधान मन्त्री राजस्थान में अकाल के बारे में कुछ घोषणा करेंगी लेकिन कुछ भी घोषणा नहीं हुई । हमारे यहां पर बार बार अकाल की वजह से हाय हाय मची हुई है लेकिन अकाल की स्थिति को देखते हुए कुछ भी काम नहीं हो रहा है । लेकिन महाराष्ट्र में 30 नहीं 40 नहीं 50 करोड़ रुपये से अधिक मिला । लेकिन हमारे यहां पर वहां के अकाल को देखते हुए स्थिति बहुत खराब है, फिर भी सभापति महोदय, महाराष्ट्र में चार चार रेलवे लाईन बिछाई जा रही हैं और उसके साथ

(श्री गुमानमल लोढा)

साथ और भी काम हो रहा है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यहां पर ऐसा स्थायी काम क्यों नहीं किया जा रहा जब कि हमारे सदन में लोगों ने मांग की थी चाहे कहीं की भी यह मांग बार बार हुई कि बीकानेर, जैसलमेर में रेलवे लाईन का काम हो, चाहे बीकानेर से और कहीं लाईन का काम हो या रेलवे लाईन को मीटर गेज ब्रोड गेज कराने के काम जो कि प्रोडेक्टिव काम थे उनकी सैंक्शन ग्राज तक नहीं हुई। इसके लिये केन्द्रीय सरकार चाहे तो अपने डिफेन्स डिपार्टमैन्ट या ग्रौर किसी से यह काम करा सकती है । राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार करे। सभापति महोदय, श्री फकरुद्दीन अली अहमद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार हर मदद करने को तैयार है लेकिन राजस्थान सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। सभापति महोदय, ऐसे विचार भारत के दो मन्त्रियों के हैं। सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस का राज्य है और राजस्थान का प्रशासन भी कांग्रेस के हाथ में है राजस्थान में भी इन्दिरा जी के द्वारा भेजे हुए मुख्य मंत्री बैठे हैं। राजस्थान की जनता को राहत मिलनी चाहिये। 1 करोड़ 32 लाख जनता राजस्थान की ग्राज अकाल से पीड़ित है। खाने को अन्न नहीं है, खेतों में धान नहीं है। कोई भी यह कार्य करे चाहे स्वयम् सेवी संस्थायें करें, चाहे प्रदेश की सरकार करे या केन्द्र की सरकार करे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद का विषय नहीं है।

इस संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है फेमीन पर विचार विमर्श के दौरान खाद्यान्न स्थिति पर नोट ग्राना चाहिये था वह सक्यूं-लेट नहीं किया गया है। राष्ट्रीयकरण तो आपने कर दिया है। उसका प्रश्न भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले भी इसकी मांग की थी और जोरों से कर रहा हूं। राष्ट्रीयकरण गेहूं का 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। कम से कम जहां अकाल राहत कार्य हो रहे हैं, गांवों में रहने वाले लोग अकाल राहत कार्यों पर जाते हैं, पांच-सात-ग्राठ मील पर जाते हैं उनको कम से कम अधिक नहीं तो 8 किलो धान देना चाहिये और यह राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको धान दे, बाजरा दे, ज्वार दे। लेकिन भगवान के नाम पर उनको धतूरा मिला हुआ माइलो न दें। अमेरिका में जानवरों के लिए यह काटा जाता है। अमेरिका ने हमको जानवर समझ कर धतूरा मिला हुआ माइलो हमारे लिए भेजा। अमेरिका सरकार का कमाल है। हिन्दुस्तान के लोगों को जानवर समझा है। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर ने राय दी है कि यदि धतूरे के बीज खा भी जाये तो मरेंगे नहीं। थोड़े समय के लिये बेहोश हो जावेंगे। हमारे साथ कितनी मजाक हो रही है। अकाल के समय में। हमारे लोगों की पाचन शक्ति क्षीण हो चुकी है। टास्क बेसिस पर काम लिया जाय अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले लोगों से और फिर उनको खाने के लिए धतूरा मिला हुआ माइलो दिया जाय, वे उनको खायें और बेहोश हो जायं। डॉक्टर के हिसाब से। जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि दम लगाओ दम और बोलो शंकर भगवान की जय।

श्री दीपंकर : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर प्लीज । सदन में माइलो पर चर्चा हो चुकी है और फिर इस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री दीपंकर : जो निर्णीत बात है उसको पुनः उठाना उचित नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : विधायक महोदय दम लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं तो ग्राम जनता की बात करता हूं। सिद्धान्त की बात कहता हूं और वह यह है कि कस्बों को टाल दिया गया है जबकि वहां पर भी फेमीन के वर्क्स की आवश्यकता है चाहे छोटासा भी कस्बा हो, शहर हो, उसमें उतनी ही आवश्यकता है, जैसे पीपाड़ है। लेकिन आपने तो एक क्राइटेरिया बना दिया है। वहां पर फेमीन का पैसा काम में नहीं आ सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कोई भी वहां पर रिलीफ के वर्क्स नहीं हो सकते हैं। जो नगरपालिका के क्षेत्र में नहीं आवेंगे वहां तो उनको काम मिलेगा जबकि नगरपालिका की परिधि में आने पर नहीं मिलेगा जबकि राजस्थान की सारी इकोनोमी इस दृष्टि से है। कस्बों के इर्द गिर्द काम चल सकेंगे लेकिन उससे सम्बन्धित क्षेत्र में नहीं। इस पर सैद्धान्तिक तरीके से विचार किया जाय। सारा राजस्थान अकाल से ग्रस्त है शहर और गांव का भेद भाव मिटा कर अकाल राहत के कार्य किये जायें। कस्बों या गांवों से शहरों से जो घिरे हुए आस पास के क्षेत्र हैं वहां पर अकाल राहत के कार्य न खोले जायें यह एक भेदभाव पूर्ण बात है। चाहे आप बोरिंग करवायें, चाहे टांकों को खुदवायें या सड़कें बनवायें, जो भी हो ये सारे कार्य कराये जाने चाहिये यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आस पास के लोगों को मदद नहीं मिलती है। फोडर डिपोज भी खोले जाने चाहियें। जोधपुर में तांगे वाले हैं जिनके पास घास का साधन नहीं है। गांवों में जो गायें और भैंसे रखते हैं उनको घास मिलता नहीं। इसके लिये जिलाधीश से निवेदन किया कि डिपो खोल दिये जायें तो वे कहते हैं कि फेमीन राहत के जो प्रोविजन हैं उनमें इसका प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, इस पर विचार किया जाय। कस्बों, गांवों और शहरों के अन्दर छोड़ कर जो पीड़ित जनता है उसको राहत देने की कार्यवाही की जाय। पहले भी किया गया था जब अकाल पड़ा था। पोकरण में आन्दोलन हुआ फिर इसकी घोषणा की गई थी।

मैं उदयपुर में गया। वहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है। वहां पर पीलिया फैल रहा है। एक दिन में 80 मरीज आये। लोग कहते हैं कि पिछोला में चार पांच फीट पानी है लोग पानी के बगैर तरस रहे हैं। पानी आता है, उसमें मिट्टी आती है। उसको गरम करके छान करके पीओ। गरम करने के लिए लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए। लकड़ी नहीं, कोयला नहीं। कोयले की कीमतों में अनाप शनाप बढ़ोतरी। जंगल कट चुके लकड़ी मिलती नहीं। अब लोगों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के पीने का पानी नहीं । जो आता है उससे पिलीया फैल रहा है । गुलाब बाग में तीन ट्यूब वेल खोदे गए । एक्सपर्ट्स को 300 फीट जाकर एक पानी का स्रोत मिला। 15 हजार गैलन पानी का स्रोत गुलाब बाग में निकल गया । बोरिंग कम्पलीट हो गया । पानी उपलब्ध है. पाताल में, नीचे पानी है, सांइटिस्ट पहुंच गए, लेकिन पम्पिंग सेट नहीं हैं । इस वजह से आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं । जनता पानी पानी कर रही है । बोरिंग हो चुका, लेकिन पानी उसमें से नहीं निकाला जाता क्योंकि पम्प नहीं है । कार्यकर्ताओं ने पूछा तो कहते हैं कि तीन खोदे हैं वह साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट देने के लिए हैं। ताकि लोगों को विश्वास हो कि पानी निकाला जा रहा है । यह जले पर नमक छिड़कना है । घास, पानी, रोजी, रोटी उपलब्ध कराना यह लोकतन्त्रीय सरकार का कर्तव्य है । यदि पम्पिंग सैट उपलब्ध हो जाय तो 300 फीट पर गुलाब बाग में जो पानी का स्रोत मिला है उससे पानी निकाला जा सकता है और जनता को पीने के लिए उपलब्ध हो सकता है । चाहे पाइप हवाई जहाज से मंगवाये या और किसी तरीके से मंगायें । लेकिन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय । लोगों को पानी के बिना नहीं मरने दिया जाय । यदि व्यवस्था नहीं करेंगे तो पानी के बिना लोग मरेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय सभापति महोदय, एक दो मिनिट और निवेदन करना चाहता हूं ।

इस समस्या को लेकर और राजस्थान भर में खाद्यान्न के मामले में विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा । पहले भी कहा था । 1 लाख 20 हजार टन प्रति माह की हमारी डिमान्ड है। जबकि हमको 30 हजार, 60 हजार, 65 हजार टन मिला है। एक व्यक्ति को 1 किलो $1\frac{1}{2}$ किलो धान महीने का आवेगा, और उसके बाद हम क्या अपेक्षा करते हैं ? 8 किलो धान हर व्यक्ति को मिलना चाहिये । यह सरकार कहीं से मंगाये । फूड कार्पोरेशन से ले या पंजाब से ले जनता यह देखना चाहती है कि कम से कम 8 किलो अनाज एक व्यक्ति को मिल जाय एक माह में । और यदि यह धान, पानी चारा नहीं मिलता रोजगार नहीं मिलता, तीस लाख लोगों को और तीन रुपया प्रति दिन नहीं मिलता तो निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमने अपने पूरे समर्थन और सहयोग का हाथ सरकार की ओर बढ़ाया है और अपना दृढ़ संकल्प प्रकट किया है कि अभावग्रस्त-अकाल पीड़ित जनता को राहत देने दिलाने के लिये हम रात दिन कन्धे से कन्धा मिलाकर सरकार के साथ काम करेंगे और ऐसे आदेश हमने प्रान्त भर में अपने समस्त कार्यकर्ताओं को दिये हैं; उनमें सरकार भी इसी भावना से काम करे। छः तारीख को सदन स्थगित हो रहा है तो इधर के एम. एल. ए. और उधर के सब मिल कर अकाल पीड़ित क्षेत्रों के दौरों पर निकलें, और उनमें विश्वास की भावना पैदा करें, और मौके पर स्थिति का अध्ययन कर के उसके निराकरण के लिये प्रयत्न करें।

आज तो यह भी देखा जा रहा है कि इस टाइम का भी लोग दुरुपयोग कर रहे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हैं। हालांकि इस टास्क के कारण भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। पर इसके साथ मानवीय समस्या भी जुड़ी हुई है। इसलिये मौसम के हिसाब से इस टास्क के पर्सेन्टेज में हमें और घटोतरी करनी होगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लोगों की काम करने की शक्ति क्षीण होती जावेगी। तो इस हालत को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए टास्क का पर्सेन्टेज आप पचास और चालीस कर दें। यह भी तरीका है। मैं नहीं चाहता कि सरकार का पैसा आंख मींचकर दे दिया जाना चाहिये। जिम्मेदारी समझने वाला आदमी पैसा बिखेरने की बात नहीं कह सकता। पर फिर भी यह तो है कि उनको वेजेज के रूप में तीन रुपया कम से कम रोज का मिलना चाहिये ताकि वह अपना पेट अच्छी तरह भर सकें और अगले दिन ताजा दम होकर टास्क बेसिस पर भी अच्छे पर्सेन्टेज से काम कर सकें। अब इस तीन रुपये को जरूरत समझें तो आप टास्क के साथ रेगुलेट करें या कैसा भी करें। अगर उसको तीन रुपया रोज मजदूरी नहीं मिलती है और आठ किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति को राशन नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता राज्य सरकार के ऊपर जनतान्त्रिक दवाव इसके लिये डालने के लिये आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी। अपने कार्यकर्त्ताओं से हमने इसके लिये कहा है कि इसके लिये वे हाथ जोड़ कर, प्रार्थना करके, विनती करके सभी प्रकार के जनतान्त्रिक तरीकों को अपनाते हुए सरकार को तीन रुपया और 8 किलो की बात के लिये मनावें, और अगर तब भी नहीं मानती है सरकार तो फिर कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वे मजदूरों से यह कहें कि वे अपनी मांगों पर डटे रहें और जब तक उनको तीन रुपया और आठ किलो राशन नहीं मिलता है तब तक अपने अपने स्थान पर डटे रहें, अपने अपने स्थान नहीं छोड़ें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय, उदयपुर की बैठक में हमारे सामने यह बात आई कि आज इस टास्क के नाम पर भी शोषण चल रहा है। इसमें कोई बड़े राज्य अधिकारियों का हाथ है, यह तो मैं नहीं कहना चाहता पर छोटे तबके के कर्मचारी आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। झुंझनू के एक गांव टिटनवास का जिक्र आपको सुनाता हूं कि वहां पटवारी पुलिस के लोगों को लेकर गया और काम करते हुए श्रमिकों को डराया धमकाया और कहा कि एक रुपया, डेढ़ रुपया और बारह आना या दस आना जो हम देंगे उसे तुमको लेना पड़ेगा। और इसी हिसाब से उनको लेने के लिये मजबूर किया।

एक उदाहरण और दूंगा। अलसीसर में पानी का भयंकर अभाव है। चारा नहीं है। न चारे का डिपो वहां कोई है। टास्क के नाम पर पूरा पैसा उनको भी नहीं दिया जाता। इसी तरह से अन्य कई उदाहरण हैं। समयाभाव से सभी का उल्लेख यहां नहीं करना चाहूंगा। अगर ईमानदारी से एक होकर हम सबने इस स्थिति का मुकाबला किया तो इस कठिनाई से हम पार हो सकते हैं। पर इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा।

इसमें एक तो हमें राजनीति को दूर रखना होगा। जो जिला समितियां हैं या

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रदेश समिति है या काम देने का स्थान जो है वहां किसको कैसे दिया जावे कैसे नहीं दिया जावे इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिये।

मैं एक स्थान विशेष का उल्लेख इस सन्दर्भ में करने से नहीं रुकूंगा। आसीन्द के पास बरालियों का बाड़िया है। अब उस गांव में काम इसलिये नहीं खोला गया कि चूंकि वे सभी लोग एक अन्य पार्टी का वहां समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस का साथ नहीं देते। तो यह स्थिति टालनी होगी हमें।

इतना ही नहीं, मैं और बताऊं आपको कि भोजपुरा फीडर के नाम पर जिन अकाल पीड़ित लोगों को तीन रुपया रोज की बात तो अलग रहो, पर दो ढाई रुपया और दो रुपया रोज भी मिलता था और किसी को तो डेढ़ रुपया ही दे रहे थे उन रुपयों में 1100 रुपयों की माला बनाकर, पीड़ित मजदूरों की मजदूरी से कांट कर राजस्थान की कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गिरधारीलालजी व्यास को नोटों की माला पहनाई गई। मैं कहता हूं कि इस तरह के उदाहरण ये एक दो हो नहीं हैं कई हैं। इसे रोका जाना चाहिये और व्यापक रूप से लोगों को अपनी इमेज इम्प्रूव करनी चाहिये। पहिले से काफी काले धब्बे चेहरों पर पड़े हैं इसके लिये कमीशन के लोग कहते हैं, एम. पीज. कहते हैं, सेन्टर के अधिकारी कहते हैं उन धब्बों को मिटाना चाहिये। मानवता के नाम पर; राजस्थान की डेढ़ दो करोड़ जनता के नाम पर मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि इन कारनामों से वे बाज आवें। और इसके स्थान पर उनके हित के लिये, उनके कष्टों को दूर करने के लिये हम सब लोगों को एक जुट होकर इस काम में जुट जाना चाहिये। तीस लाख लोगों को हम तीन रुपया रोज देकर काम पर लगावें। इसमें अगर पैसे की आवश्यकता हो और हमें इसके लिये दिल्ली जाना पड़े तो 'दिल्ली चलो' का भी नारा लगावें। मन्त्रि-मण्डल के लोग वहां जावें, विरोधी दलों के लोगों को भी आप साथ लेकर जावें, हम सभी इस काम के लिये आपके साथ कन्धे से कन्धा लगाकर काम करना चाहते हैं. और अगर इस काम के लिये वहां धरना देकर बैठना पड़े तो हम सभी इसके लिये तैयार हैं। आप भी तैयार हों।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपने काफी भावनाएं अपनी व्यक्त कर दी हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अन्तिम प्रश्न रख रहा हूं। मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था सत्र के प्रारम्भ में कि सात करोड़ की लिमिट दिल्ली से समाप्त करवा कर रहूंगा, और जितना पैसा राजस्थान को अकाल में चाहियेगा, लेकर आ जाऊंगा। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, प्रशासन के मुख्य नेता की हैसियत से कि सदन का सत्र छः तारीख को समाप्त होने जा रहा है और अभी तक जो स्थिति है वह सात करोड़ से अधिक हमें नहीं मिला है, यह है, जब कि महाराष्ट्र को आज भी सत्तर-अस्सी करोड़ रुपया मिला है और हम इसमें अधिक लेने में असफल रहे हैं। हम उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर वे इसमें सक्षम नहीं रहते हैं और डेढ़

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करोड़ लोगों को राहत नहीं दिला पाते हैं, तीन रुपया रोज नहीं दे पाते हैं, और दो किलो राशन के स्थान पर आठ किलो राशन प्रति व्यक्ति की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको अपना वायदा निभाना चाहिए जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर मैं यह नहीं कर सका तो अपने स्थान से हटकर पीछे की पंक्ति में बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : सभापति महोदय, आज हमें राजस्थान में व्याप्त अकाल की स्थिति पर विचार करने का अवसर मिला है, इसकी प्रसन्नता है। वैसे इस पर बहुत पहले विचार करना चाहिये था। अकाल राजस्थान में एक ऐसा महत्वपूर्ण मसला है जो किसी भी सूरत में युद्ध जैसे महत्वपूर्ण विषय से कम नहीं कहा जा सकता। पहले भी प्रस्ताव आया था और कहा गया था कि अकाल की स्थिति का दृढ़ता के साथ मुकाबला किया जावेगा।

इस बार एक नोट अकाल सहायता विभाग की तरफ से भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि अकाल में सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था हुई है। मैं इसका स्वागत करती हूं। व्यवस्था जो की गई है इसकी भी प्रसन्नता है। पर इसके बावजूद जो व्यवस्था हुई है वह इस भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुए नाकाफी है ऐसा मेरा मानना है। बहुत सी बातें अलग अलग जिलों की अलग अलग होते हुए भी मूल समस्या करीब करीब सबकी एक सी है। इसलिये अन्य जिलों की बात नहीं दोहराती हुई मैं खास तौर से बीकानेर जिले के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगी।

जैसलमेर जिले के बाद अगर अकाल की भीषणता कहीं है तो बीकानेर का नम्बर इसके बाद ही आता है। यह यहां के लिये पहलो ही बार हुआ हो, ऐसा नहीं है। यह यहां हमेशा की स्थिति बनी हुई है। कभी कुछ कम जिलों में पड़ जावे तो कभी ज्यादा जिलों में पड़ जावे। यह हमारे लिये हमेशा की समस्या है।

यह बात सदन में भी बार बार मैं कहती आई हूं कि इस स्थिति को देखते हुए हमें स्थाई समाधान इसका निकालना चाहिये। परमानेन्ट डवलपमेंट बोर्ड बनाकर इस डेजर्ट जोन को समाप्त करना चाहिये या कुछ और प्रयत्न करके इसे करना चाहिये। पर यह आपने अच्छे दिनों में बैठकर विचार नहीं किया और न इसके लिये प्रयत्न प्रारम्भ किये। इसके बदले में जब स्थिति भयंकर रूप में हमारे सामने आ जाती है तब उसके तात्कालिक निराकरण के लिये और उसमें मानव को बचाने के लिये हमें काफी कुछ करना पड़ता है जिसका स्थायी लाभ कुछ नहीं होता।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं। बीकानेर में लोगों की हालत आज अत्यन्त खराब है, इस बात को स्वयं ही नहीं कह रही हूं पर यहां से मन्त्री महोदय दौरे में वहां गये थे उनको भी सारी हालत रूबरू दिखाई थी, अधिकारियों को दिखाई गई थी। कड़कती सर्दी के मौसम में लोगों के पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, न पर्याप्त मात्रा में कपड़े ही थे

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

लोग घोरों में गड्ढे खोद करके उनमें निवास करते थे। जमीन उन के बिस्तर थे और आकाश छत थी।

लेकिन उस सबके देखने के बावजूद राजस्थान सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जो अब गुजर चुका, वह गुजर चुका लेकिन अब तीन महीने गर्मी के आने वाले हैं। बीकानेर जिले में अकाल सहायता मंत्री जी द्वारा यह कथन कहा जाता है कि बीकानेर के लोग राजस्थान कैनाल पर जायं। मैं भी चाहती हूं राजस्थान कैनाल जल्दी से बने, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन एक सीमा है। बीकानेर जिले से जितने लोग राजस्थान कैनाल पर जा सकते थे, गये हैं। लेकिन वहां का एक स्पेशल फीचर है। बीकानेर जिले में खेती नहीं होती है, वर्षा का अभाव रहता है। बीकानेर निवासी अधिकतर पशुधन पर निर्भर करते हैं। आज राजस्थान नहर पर जायें तो उनको अपना पशुधन ले जाने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए वहां कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और सारे अकाल से पीड़ित लोग राजस्थान कैनाल पर जा नहीं सकते हैं। कितनी भी कोशिश की जाय लोग मर जायेंगे लेकिन स्थिति यह है कि अपने घरों को छोड़ कर नहीं जायेंगे।

इसमें दो राय नहीं हो सकती, पहले राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया था, पांच मील की दूरी पर हम काम दे देंगे ताकि अकाल पीड़ित लोग आसानी से अपना काम कर सके लेकिन आज स्थिति यह है कि 15-15, 20-20 मील की दूरी पर गांवों में अकाल राहत के कोई साधन नहीं हैं वहां पर काम नहीं खोले गये हैं। लोग भूखे मर जायेंगे। मानदाता पंचायत समिति है तहसील कोलायत में वहां पर 10 मील की दूरी में नगरासर है वहां पर कोई काम नहीं है। 10-12 मील की दूरी में कोई अकाल राहत का काम नहीं खुला हुआ है। हमने हमेशा विश्वास दिलाया, अकाल राहत कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें 17 काम सेंक्शन हुये थे। हमने उसकी स्वीकृति की काफी कोशिश की, लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उन कामों की स्वीकृति नहीं दी और यह कहते हुये नहीं दी कि बीकानेर जिले के लोग राजस्थान कैनाल पर जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगी, बीकानेर जिले ने कोई गुनाह नहीं किया है। जब दूसरी जगह पर काम खोलते हैं तो बीकानेर जिले के लिये भी एक मापदण्ड होना चाहिये। बीकानेर जिले में राजस्थान नहर आयेगी इसलिये बीकानेर जिले को अभी भूखों मरने दें यह कोई तर्क संगत बात नहीं है। अकाल के काम नहीं खुलवाना बीकानेर जिले के साथ अन्याय करना है। मैं निश्चित तौर से अकाल सहायता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि जितने लोग वहां जा सकते थे उनको भेजा है, और फिर भी कोशिश की जा रही है, और भेजे जायेंगे, लेकिन वहां की स्थिति को देखकर बूढ़ी स्त्रियां हैं, बूढ़े आदमी हैं वे जाने में असमर्थ हैं। जवान आदमी चले गये और इस मंहगाई के जमाने में काम नहीं दिया तो निश्चित रूप से वे मर जायेंगे।

हम रोज रोज कहते हैं हमारे यहां भूख से नहीं मरने देंगे और दलील देते हैं लेकिन पॉपुलेशन को देखें तो यह निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है फिर यह कैसे

Page No 124

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

कहेंगे कि भूख से नहीं मरने देंगे। पॉपुलेशन एक दूसरी बात है। भूख से मरने वाली बात अभी सत्य नहीं है, लेकिन उनकी जो शक्ति है वह दिनोदिन नष्ट होती जा रही है। इसलिये जब भूख होती है और कोई साधन नहीं होता है तो सब कुल मिलाकर मौत होती है। वहां 12 मौतें हुई हैं, हम यह नहीं कहते कि भूख से मौत हुई है लेकिन भूख भी एक कारण है। इसलिये मैं माननीय अकाल राहत मंत्री से निवेदन करूंगी, जहां 8 मील और 10 मील की दूरी पर अकाल राहत कार्य नहीं है वहां निश्चित रूप से खुलवाने की व्यवस्था करें।

दूसरी बात पेय जल के बारे में निवेदन करूंगी। हम 25 साल की आजादी के बाद, 25 वर्ष की रजत जयन्ति मनाने चले हैं। उदाहरण के तौर पर नोखा में तैया गांव है वहां पर एक आदमी ऊंट पर कोडमदेसर 10 मील जाता है, पानी लेने के लिये दिन भर लगा कर चार घड़े पानी के लाता है। 10 मील पानी लेने जाता है और 10 मील पानी लेकर आता है। इस भयंकर गर्मी में जब पानी लेने जाता है तो दो घड़े तो वह रास्ते में ही पी लेगा और दो घड़े पहुंचा सकेगा और किसी आदमी के पास ऊंट नहीं हो तो 10 मील पानी लेने जाना और 10 मील ही वापिस आना कोई आसान काम नहीं है। वह तो प्यास के मारे वैसे ही मर जायगा। आज भी कोलायत में ब्लेकिश वाटर है जो पीने के लायक नहीं है। इस ओर सरकार का बार बार ध्यान दिलाया गया है लेकिन बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया। बरसात का जो पानी होता है वह वहां कुण्डों में जमा कर लेते हैं और उसको पीते हैं। वे सूख जाते हैं तो कुण्ड में भी पीने का पानी नहीं बचता है। ब्लेकिश वाटर में कुछ मीठा पानी मिलाकर, कुछ खारा पानी मिलाकर पीने के योग्य बनाने की बात भी ध्यान में लानी चाहिये। बीकानेर को 6 टेंकर दिये हैं, पानी ढोने के लिये। यह अपने आप में बहुत कम है और इसमें भी कभी कोई आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो कभी कोई होता है। कभी कोई टेंकर दूसरी तहसील में चला जाता है तो कभी क्या होता है। मेरा निवेदन है माडासर, नगरासर, रानेरी में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी इसलिये कि वहां टेंकर की कमी है। लेकिन जब पानी नहीं पहुंच पायेगा तो वहां के रहने वालों की क्या स्थिति होगी, इसका भी अन्दाज लगाया जाना चाहिये।

जो कुये हैं वे भी चालू नहीं हैं। किसी की मशीन खराब है तो किसी की क्या है। मिडकियां गांव में कुये हैं, रानेरी में कुये हैं वे वहां 1965 में जब लड़ाई खतम हो गई तो मशीन उठाकर ले गये। उसके बाद आज तक वहां मशीन की व्यवस्था नहीं हुई। एक कुआ चालू होने से 5-7 गांवों को पानी मिल सकता है। बार बार अकाल सहायता मन्त्री जी का, वाटर वर्क्स का ध्यान, अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन इन सबको ध्यान दिलाने के बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। कुन्जू और केसर देसर में चार साल से मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
ट्यूबवैल वहां चालू नहीं कर सके। और वहां के पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर सके।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जी मन्त्री महोदय है पब्लिक हैल्थ में उन्होंने कलेक्टर साहब को लिखा है, एक कापी मुझे भी मिली है। यह अक्टूबर, 72 की है—

"Shrimati Kanta Khaturia has written to me that due to scarcity condition the tubewell at Kunju and Kesar Desar may be operated for drinking water purposes for these Villages and adjoining villages. In case you feel it necessary, you may please instruct the Executive Engineer for the operation of these tubewells. A copy of this letter is being sent to the Executive Engineer for compliance of the orders."

इनके ऑर्डर्स होने के बावजूद भी····

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आज बताना चाहूंगी, आज भी वे कुये चालू नहीं हो सके। ऐसी सूरत में कब पानी देंगे? 25 वर्ष के बाद भी पानी नहीं दे सके? ब्लेकिश वाटर होने से मैंने बार बार सुझाव दिया है रीजनल पाइप स्कीम लगायें तो बार बार जो खर्चा वहन करना पड़ता है, पानी रो रो कर पहुंचाना पड़ता है वहां पर एक रीजनल पाइप लाइन डाल देंगे तो ब्लेकिश वाटर भी इस्तेमाल हो सकेगा और बार बार होने वाला एक्सपेन्डिचर भी बच जायगा। इसी तरह गड़ियाला गांव है, वहां मीठा पानी उपलब्ध है। उसके चारों तरफ मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। वहां पर एक रीजनल पाइप लाईन सैंक्शन हुई थी, लेकिन वह अभी तक भी चालू नहीं हुई है तो इसको भी सरकार को देखना चाहिये। अगर पाइप की कमी हो तो उसकी कोई दूसरी व्यवस्था हो। मोनोपोली बताई जाती है इसलिये कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। इसलिये जो भी पाइप अवेलेबल है उससे पहले पानी की लाइन बिछाई जाय।

तीसरी बात मैं फूड ग्रेन्स के बारे में कहना चाहूंगी। माननीय चौधरी जी, रामचन्द्र जी चौधरी, जो हमारे जिले के इन्चार्ज हैं उन्होंने अकाल का दौरा किया और जनता को विश्वास दिलाया कि आपको इस बार 8 किलो अनाज दे दिया जायगा और आगे 15 किलो अनाज देंगे लेकिन खेद की बात है शासन की तरफ से विश्वास दिलाया जाय और फिर अनाज उपलब्ध न हो तो बड़े दुःख की बात होती है इसलिये मेरा निवेदन है जो विश्वास दिलाया उसको क्रियान्वित करना होगा। 15 मिलो का विश्वास जो वहां के कलेक्टर साहब हैं, एम. एल. ए. साहब हैं और वहां की जनता के सामने बराबर दिलाया था उसकी आज तक क्रियान्विति नहीं हुई। 15 किलो के बजाय 8 किलो भी नहीं पहुंचा रहे हैं। आप 8 किलो अनाज तो कम से कम देने की व्यवस्था करें। जो सस्ते धान के डिपो हैं उनके

Page No 126

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

मार्फत वितरित कराया जाय। कुछ गांवों में सहकारी समितियों द्वारा वितरित होता है और सहकारी समितियां कहे नहीं साहब हम तो नहीं लेंगे, तो इन्डिवीज्युअल डीपो होने चाहिये। नोखा पंचायत समिति में आधासर गांव है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एक इन्डीवीज्युअल को डीपो दे दिया गया। उसकी शिकायत हुई और वह दुकान केन्सिल हो गई और सहकारी समिति को दी गई फिर चन्द लोगों के कहने से उस समिति को आधा कोटा करके इन्डिवीजुअल को दिया गया। यह भी क्या व्यवस्था है? इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। यह कथन है कि इन्डिवीजुअल को नहीं देंगे, इन्डिवीजुअल के खिलाफ चार्जेज हैं। उसको बहाल करके वापिस डीपो दें, यह व्यवस्था कहां तक उचित है? मैं और निवेदन करना चाहूंगी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर 5-7 मिनट में ही समाप्त कर दूंगी।

श्री सभापति : 2 मिनट में।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : 2 मिनट ही सही।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बोर्डर का हमारा एरिया है और जिस तरह से आज पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई किये जा रहे हैं तो जो बंगाल की साइड है वह ज्यादा सेफ है। आज कोई लड़ाई होगी तो वेस्टर्न बोर्डर पर उसके ज्यादा चान्सेज हैं इसलिए इस वेस्टर्न बोर्डर को सुरक्षित रख सकें, उसका प्रोटेक्शन कर सकें तो वहां के लोगों को अधिक सुविधायें देनी पड़ेगी। हम उन लोगों का ध्यान करें इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि आज माइग्रेशन की बात हम करते हैं तो साथ ही साथ इन बातों को भी देखना पड़ेगा। इसलिए जो बोर्डर पर स्थित गांव हैं वहां के लोगों को पानी मिलना चाहिए, अनाज की व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं तीसरी बात कहना चाहूंगी मेडिकल फसिलिटिज के बारे में। वहां के लोगों को निश्चित मेडिकल फेसिलिटीज मिलती हैं लेकिन स्पेशल दवाइयां वहा पर उपलब्ध नहीं हो पाती। पी. एच. सी. में सफीशियेन्ट दवाइयां नहीं हैं इसलिए मेडिकल फेसिलिटीज जैसे बुखार के लिए, डायरिया के लिए जो दवाइयां जरूरी हैं वह वहां पर उपलब्ध कराई जायें ताकि लोगों को टाइमली दवाइयां मिल जायें और वह मरने से बच जायें। मेरे एरिया में काफी मौतें हुई हैं और मैं उनके ब्योरे में नहीं जाना चाहती लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और यह कहना कि भूख से नहीं मरते इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। एक दिन ऐसा आयेगा कि वहां के लोगों की हालत क्षीण होती जा रही है और आन्दोलन के सिवाय वह दूसरी स्थिति नहीं ले पायेंगे। इसलिए यह तीन महीने ऐसे निकलने वाले हैं जिसमें लोग बेमौत मरेंगे। आज अनाज की पोजीशन पहले से बदतर हुई है, जहां सुधरने की सम्भावना थी वह सुधरी नहीं है। अगर इस तरफ आज भी ध्यान नहीं दिया गया तो मैं निश्चितरूप से कह सकती हूं कि वहां की जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी, और निश्चित रूप से आन्दोलन करेगी, और इसके बाद में गवर्नमेन्ट को बहुत दिक्कतें आयेंगी। इसलिए मैं निवेदन

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

करना चाहूंगी कि इतनी सब बातों को देखते हुए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पॉलिसीज के लिहाज से भी कहना चाहती थी लेकिन मैं उस पर नहीं जाकर अपने क्षेत्र तक ही महदूद रहती हूं। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ध्यान रखें और अकाल का समय है उसको निकालने में सहयोग करें।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह !

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर बड़े व्यापक रूप से अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन जो जैसलमेर जिला है उसमें अकाल क्रम में 11 वें साल पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि वहां की जनता की क्रय शक्ति बिलकुल नष्ट हो चुकी है। यही नहीं वहां के हर कुटम्ब को अपना कुटम्बयापन ही नहीं करना पड़ता है बल्कि जो पशु हैं, जो उसके आर्थिक जीवन का आधार है, उनको भी बचाना है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसलमेर में हर कुटम्ब की दोहरी जिम्मेदारी है और इस समय इन बढ़ती हुई कीमतों के अन्दर जो मौजूदा भाव चल रहे हैं उसमें 3 रुपया प्रति मजदूर प्रतिदिन मिलता है, उसमें आप यकीन करें और सोचें कि क्या वह अपने कुटम्ब को बचा सकता है और पशुओं को भी बचा सकता है ? यह कभी सम्भव नहीं हो सकता और विशेषकर उस हालत में भी जहां 1 लाख 67 हजार की जनसंख्या है। वहां पर कुल 23 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया था कि वहां केवल 10 हजार ही श्रमिक काम कर रहे हैं, यह बात गलत है। हकीकत में वहां करीब 23 हजार मजदूर काम कर रहे हैं जिनमें से 5 हजार तो राजस्थान कैनाल पर और बाकी जैसलमेर में हैं। उसके अलावा एक हजार के करीब एफ. सी. आई. पर भी चल रहे हैं लेकिन वहां करीब 35 हजार कुटम्ब रहते हैं। हम सोचें कि हर कुटम्ब के 5 में से 2 लिखाये और कुछ आदमी शहरों में रहते हैं उनको निकाल दें तो भी 25 हजार कुटम्ब ऐसे हैं कि जिनको राहत चाहिए। ऐसी हालत में करीब 50 हजार श्रमिकों के लिए राहत कार्य खोलने चाहिए। उस समय यह और भी जरूरी हो जाता है जबकि उनको दोहरी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा है, अपने कुटम्ब को बचाना पड़ता है और पशुओं को भी बचाना पड़ता है, यह उनके लिए बहुत मुश्किल है।

अभी हाल ही में मन्त्री जी ने वहां पर 4 लाख रूपये पशुओं के लिए तकावी के दिये हैं, उसके लिए मैं आभारी हूं और उनका स्वागत करता हूं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पशु मौजूद हैं वह बहुत अच्छी नस्ल के हैं और उन पर भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में, सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में और गौसेवा संघ भी सब्सिडी के रूप में स्वयं गोपालक का पिछले कई सालों में बहुत कुछ पैसा खर्च हो चुका है और अगर यह पशु मर गए तो आगे चलकर बरसात भी हो जायेगी तो भी वहां इतनी बरसात नहीं होने वाली है कि खेती हो जाये। न वहां के लोगों का एटीट्यूड है कि वह खेती कर सकें। ऐसी हालत में बरसात होते हुए भी पशुओं के अभाव में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं होने वाला है,

(श्री भोपालसिंह)

और उसकी जगह फिर भी राहत के लिए वहां के लोग मांग करते रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि इन पशुओं को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि वहां के लोगों को बचाना। जो 4 लाख रुपये तकावी के रूप में दिये गये हैं वह पशुओं की संख्या को मद्देनजर रखते हुए मैं नाकाफी समझता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि इसमें बढ़ोतरी की जाय।

जहां तक राहत कार्य है वहां पर सड़कों का काम चल रहा है। वहां सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि वहां पर और तो किसी तरह के भ्रष्टाचार वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जो गरीब आदमी काम करते हैं उनको बराबर पैसे नहीं मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मान लें कि 25 का गेंग है जैसाकि 60 को तोड़ कर 25 की गेंग बना दी है। उसमें भी बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि जो कार्य नहीं करते हैं और हर व्यक्ति का काम अलग से नापा नहीं जाता है। जो कार्य नहीं करते हैं वह पूरे कार्य को नापने के बाद उसमें शेयर करते हैं। इसलिए जो पूरा टास्क करता है और जो कार्य नहीं करता है उसका शेयर करने के बाद में टास्क में कमी आ जाती है, उसी हद तक उसको पैसा कम मिलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका भी इन्तजाम होना चाहिए कि जो जितना टास्क करे उसी हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। नहीं तो जो गरीब है उसका शोषण होती है और जो होशियार आदमी होते हैं और काम नहीं करते और नाम लिखा लेते हैं और गरीब आदमी होते हैं उनके अन्दर शेयर करते हैं इसलिए पहले से एक तो वह गरीब है और दूसरी तरफ काम नहीं करते हैं उनके साथ में पूरा पैसा नहीं मिलने से उनके साथ दोहरा अन्याय हो जाता है।

दूसरी बात पखालें चलती हैं उस संबंध में है पखालों के लिए पहले से $1\frac{1}{2}$ रुपया पखालये का रखा हुआ था और $4\frac{1}{2}$ रुपया पखाल का था, ऊंट की पखाल के लिए। लेकिन जब यहां पर दरें बढ़ी तो $1\frac{1}{2}$ रुपये के तो 3 रुपये हो गये लेकिन पखाल का वही 6 रुपया चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि अब बढ़ती हुई कीमतों के साथ भी ऊंट पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और उस आदमी के 3 रुपये हो गए हैं तो उस हिसाब से ऊंट की पखाल के $7\frac{1}{2}$ रुपये हो जाने चाहिएं और ऊंट के खर्चे को भी ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अभी ज्योंहि गर्मी बढ़ जायेगी, पानी की मात्रा जो एक लीटर प्रति श्रमिक दी जाती है और अब गर्मी के समय में दो लीटर प्रति श्रमिक से कम पानी मिला तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ में उनके बच्चे भी चले जाते हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है, उस हालत में पर्याप्त रूप में पानी मिलना जरूरी है। साथ में बहुत गर्मी होने के साथ में वहां पर उन लोगों को शेल्टर मिलना जरूरी है। नहीं तो हैजे की बीमारी हो सकती है, सन्-स्ट्रोक और गैस्ट्रोएनटाइटिस वगैरा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और किसी भी हालत में फेमिन कोड के

(श्री गोपालसिंह)

तहत भी शेल्टर का प्रावधान होना चाहिए और आने वाली गर्मी में इन्तजाम सरकार की तरफ से पूरा पूरा होना चाहिये।

जहां तक खाद्यान्न का सवाल है, सरकार की ओर से जैसलमेर के अन्दर काफी मात्रा में चीप ग्रेन शॉप्स चल रही हैं, यह इन्तजाम केवल इस अकाल में ही नहीं किया गया है, लेकिन सन् 65 से चल रही है और वहां के लोग इसके आदी है। वहां पर धान नहीं होने के कारण हमेशा बाहर से आता है और सरकार का बहुत अच्छा इन्तजाम सब जगह पर रहता है। अकाल रहता है तो धान बाहर से आता है और पिछले सात सालों से जैसलमेर जिले के बारे में यही स्थिति रही है यह बात सही है सरकार की जैसलमेर सम्बन्धी एक विशेष नीति रही और सन् 68-69 के अन्दर 12 किलो भी दिया गया जब कि धान की इफरात थी और राजस्थान में पूर्ण रूप से ऐसी कमी नहीं थी जैसी की आज है। उसके बाद 10 किलो प्रति व्यक्ति दिया गया जबकि दूसरी जगह 8 किलो प्रति व्यक्ति दिया गया। अब 8 किलो प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। यह बात भी सही है कि 8 किलो प्रति व्यक्ति अगर इस हालत में हमें दिया जाता है, हम समझते हैं कि दूसरे जिलों में जहां कहीं पर दो किलो और कहीं पर एक किलो दिया जाता है, कहीं पर चार किलो दिया जाता हैं तो वहां पर 8 किलों देते हैं तो इसमें हमें कोई शिकायत सरकार से नहीं है। 8 किलो या सात किलों दिया जाता है यह कम है उसके मुकाबले में जबकि 12 किलो दिया जाता था लेकिन मौजूदा हालत में इसके लिए हमारी शिकायत नहीं है। जैसा कि डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया, लेकिन यह मेरा जरूर निवेदन है कि चूंकि वहां पर फ्री मार्केट में एक किलों भी धान मिलने की गुंजाइश नहीं है, अगर दूसरी जगह से लाना चाहें तो जैसलमेर में डेढ़ सौ, 160) रुपये में प्रति क्विंटल धान पड़ता है और साथ में उस दुकानदार को भय रहता हैं कि यहां पर चीप ग्रेन शॉप पर कभी भी धान आ सकता है, ऐसी हालत में कोई बनिया वहां पर धान ले जाने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में अगर 8 किलो प्रति व्यक्ति से कोई कमी हो गई तो उस हालत में वहां लोग भूख से मर सकते हैं। क्योंकि फ्री मार्केट में एक किलो भी धान मिलने की गुन्जाइश नहीं है। कोई सब्सीडियरी फूड भी नहीं है। कोई फ्रूट या फूड, न फिश न मीट है। अभी अकाल में मवेशी बाहर चले गये हैं, भेड़ बकरी चली गई हैं बाहर, ऐसी हालत में जो 8 किलो प्रति व्यक्ति की रेट है यह कम से कम जैसलमेर कि स्थिति को देखते हुए वहां धान उसी रेट पर बराबर मिलनी चाहिये। आज तक धान मिल रही है लेकिन अब पोजिशन यह है कि वहां इस अप्रेल महीने के लिए बराबर व्यवस्था नहीं है सिवाय माईलो के। मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि किसी न किसी तरह से अगर कोई दूसरा धान मिल सके तो हमें उपलब्ध करावें। अगर नहीं कर सकें तो हम माईलो भी लेने को तैयार है और इस बात पर फिर वापिस सोचें कि भूख से मरने के बजाय हम उसे धतूरे के दाणे सहित भी लेने को तैयार हैं आप माईलो दे सकें तो आप सबको आगाह

Page No 130

(श्री भोपालसिंह)

कर दें, जो सम्बधिन्त टीम है आपके ऑफिसर्स की, उनको आप कहदें कि सब लोगों को, सब ग्रेन ग्रॉप्स को सावचेत करके माईलो भी पहुँचावें। अगर नहीं पहुंचायेंगे तो जैसलमेर में भूख से भी मौतें हो सकती हैं। आप इस बात को गम्भीरता से सोचें और जबकि आज स्टेट ट्रेडिंग का नारा लागू हो गया है और काम भी शुरू हो गया है उस वजह से बाजार के अन्दर कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं उन्होंने यह भी सोचा है कि कोर्स ग्रेन भी बाजार में नजर नहीं आवे ताकि यह जो सरकार का प्रोग्राम है वह खत्म हो जाय। इस हालत में हमारे वहां पर कोई तरह से मोटा धान नहीं मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप हमें धतूरे के दाणे समेत भी माईलो दे देंगे तो the sense of survival, the sense of preservation is so strong upon the man, कि वो लोग उसको साफ भी कर लेंगे और वे कभी ऐतराज नहीं करेंगे और उनको सावधानी से सावचेत करने के बाद उसको साफ करके काम में ले लेंगे। लेकिन इस स्थिति को मैं बरदाश्त कभी नहीं कर पाऊंगा और कोई भी समझने वाला सहन नहीं कर पायेगे। कि वहां पर धान नहीं पहुँचे और हम बहुत दूर दूर जगह पर बैठे रहें इस भरोसे कि सरकारी धान आएगा और भूख से मर जायं। इस सम्बन्ध में डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी संकेत दिया कि जैसलमेर के अन्दर......

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूँ क्लेरिफिकेशन के तौर पर। अगर हम उसको जो धतूरे के बीज हैं उनको हम साफ नहीं करवायें और उसके पहले ही दे दें तो लोग उसको बीन लेंगे और किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। अभी जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि दम लगायेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे जैसे साधू लोग करते हैं। तो वे धतूरे को साफ कर लेंगे और इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं रहेगी और साफ करके काम में ले लेंगे और कोई खतरा भी नहीं रहेगा यह आपको भरोसा है, यह विश्वास है आपको।

श्री भोपालसिंह : मेरा निवेदन है कि हम सरसरी तौर पर बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन यदि आप लोगों को सावचेत करके कि यह आपके सामने धान है जिसमें कुछ खतरे की भी गुंजाइश है, कुछ धान में धतूरे के बीज भी हैं और इसके अलावा आपके पास में कुछ नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हम सावधान करके, सावचेत करके अगर लोगों को धान मिल जाय तो हमारे लिए यह कोई नई चीज नहीं है, हर औरत धान साफ करती है और काफी सावचेती बरतने के बाद में भी वह यह मानती है और हर औरत उसको साफ किए बिना काम में नहीं लेती है पहले से ही।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वैसे भी हर मामूली धान को भी साफ करके ही काम में लेते हैं तो जब उनको यह जाहिरा हिदायत हो जायेगी तो और भी अच्छी तरह से बीन करके, छान करके उसको साफ करके खा लेंगे लेकिन भूखों मरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं तो यह रिस्क लेने को तैयार हूं। हम सब

(श्री भोपालसिंह)

कुछ धान साफ करने से सम्बन्धी सहन कर लेंगे लेकिन यह सहन नहीं होगा कि हमें धान नहीं मिले। कम से कम हमें माईलो ही दे दें, हम साफ करके खा लेंगे। लेकिन हम भूखे नहीं रह सकेंगे। हमारे वहां पर दूसरा धान मिलने की गुंजाइश नहीं है।

दूसरी यह बात कही जाती है कि जैसलमेर जिले मे पचास मील के अन्दर कोई भी दुकान नहीं है, यह बात भी सही नहीं है। शाहगढ़ के बारे में कहा गया है। यह बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला गांव है, काफी एरिया है लेकिन आबादी नहीं है। कुछ चन्द घर रहते हैं और कुल मिलाकर आबादी सौ और सौ के आस पास है लेकिन वहां पे 32 मील की दूरी पर सुईयाली के अन्दर दुकान है। जैसलमेर के अन्दर सप्लाई की तरफ से दुकान चलती है और वह ठीक ढंग से चल रही है। काफी अर्से से दुकान चल रही है और जो लोग वहां रहते हैं वे इसके आदी हैं। इसके सिवाय वहां पर इसकी कोई शिकायत नहीं है, वहां पर न ऐसी पॉपुलेशन है और न कोई मांग ही है। हो सकता है कि कोई स्मगलर धान पड़ोस में सस्ता होने से वहां लाते हों और पकड़े गए हों लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर कोई बदइन्तजामी नहीं है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एक तो छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज हमारे जिले में हैं वह करीब करीब गांव जैसे हैं और वहां के लोग जो वहां रहते हैं उनका जीवन रूरल एरिया से हो सम्बन्धित है। अगर रूरल एरिया में पैदावार हो जाती है घी, ऊन वगैरा तो उनको भी कमाई हो जाती है। लेकिन रूरल एरिया की इकोनॉमी अफेक्टेड हो जाती है तो यहां पर भी असर पड़ता है जो छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं जैसे जैसलमेर, पोकरण आदि छोटे छोटे कस्बे हैं वहां म्युनिसिपैलिटी तो जरूर हैं लेकिन उनको लेबर को कुछ कार्य आस पास में देना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पी. आई. है अब जब कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो जो पी. आई. का उपाय सोचा है और पी. आई. के रूप में दस साढ़े दस रुपये पॉलिसी के रूप में देना सरकार ने तय किया है तो वह शुरू कर देना चाहिए। गर्मी के साथ ही पानी की दिक्कत भी बढ़ जाएगी, उस हालत में क्योंकि पशु थके हुए हैं, कुछ बाहर चले गये हैं, उस हालत के अन्दर हमको पैसा मिलना चाहिए पी. आई. के रूप में।

एक बात टास्क के बारे में कही गई कि टास्क से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए वेजेज का। इस बात को मैं मानता हूं कि तीन रुपया मिलना चाहिए। आप टास्क हटा दें, और काम का कोई माप दण्ड नहीं रखें तो मानव स्वभाव है कि सब लोग आकर के नाम लिखा देंगे और जैसलमेर में और जगह भी और नामों की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन काम कोई नहीं करेगा, सब पैसा ले जायेंगे। इससे तो आप जो ग्रेचुअस रिलीफ ही दे दीजिए, घर बैठे पैसा मिल जाएगा, कैम्प लगाने की जरूरत ही क्या है और एक तरफ तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट यह कहती है कि आप अच्छा काम करिये ? सड़कें अच्छी होनी चाहिए ? कभी कहते हैं कि सड़के उड़ जाती हैं। यूटिलिटी के कार्य

(श्री भोपालसिंह)

होने चाहिएं। यह भी कहा जाता है कि ...क नहीं रखना चाहिए। फिर कार्य भी हो और टास्क नहीं रखे जायं, ये दोनों बातें जमती नहीं हैं। इसलिए टास्क होनी चाहिए। अगर आप यह समझते हैं कि जो काम किया है वह काफी नहीं है तो और 30% इसमें कम कर दीजिये, तो इसको 40 पर्सेन्ट कम कर सकते हैं, लेकिन टास्क अवश्य रखना चाहिए और टास्क से ही वेजेज का सम्बन्ध होना चाहिए। ऐसी हालत है कि श्रमिक कमजोर हैं तो कितना वह काम कर सकते हैं, यह देख लेना चाहिए। उसके अनुसार ही उसको एडजस्ट कर देना चाहिए परन्तु यह भी समझना चाहिए कि टैक्स पेयर के पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। ग्रेटोट्यूट रिलीफ की तरह देते रहेंगे तो लोग यह समझेंगे कि सरकार हमारा पालन पोषण कर रही है। इसलिए वे काम नहीं करेंगे, और अगर कभी काम आप चाहेंगे तो सत्याग्रह करेंगे। यह भी कहा गया है कि राजस्थान कैनाल पर काम करने के लिए लोगों को जाना चाहिए। हमारे लोग वहां पर गये हैं। मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन एक दफा ऐसा मौका भी आया है, जब जो माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि राजस्थान कैनाल पर लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने उसके बिलकुल विपरित किया है। राजस्थान कैनाल पर पूरा इन्तजाम था। तीन करोड़ का प्रावधान किया गया था। वहां पर कमाने, रहने के अच्छे सेन्टर खोल दिए गए थे। इन्तजाम भी पूरा था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) फिर बाद में लोगों को जाने के लिए कहा गया। फ्री ट्रान्सपोर्ट भी दिया गया परन्तु उस वक्त माननीय सदस्य की पार्टी के लोगों ने सत्याग्रह किया जो माननीय सदस्य वहां आये उन्होंने कहा कि राजस्थान कैनाल को लोगों की भूख से नहीं जोड़ना चाहिए इसलिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। वहां किसी को नहीं जाना चाहिए ? आज वे यहां सौभाग्य वश कुछ और कह रहे हैं। मैं इसके पक्ष में हूँ कि राजस्थान कैनाल पर लोगों को काम करने के लिए जाना चाहिए। चार पांच क्या सालों तक इसका काम चलेगा। यह एम्प्लायमेन्ट का एक जरिया हो सकता है। यूटिलीटी का कार्य है इसलिए लोगों को जाना चाहिए। अकाल नहीं हो तब भी लोगों को काम करना चाहिए जो सेमी-एम्प्लाईड हैं, वे वहां पर काम करने के लिए फुर्सत में जा सकते हैं। जितना भी इन्तजाम हो वह सरकार को अच्छा करना चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय मैं सबसे पहले तो अपने जिले के लिए कहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय ने जो अकाल राहत कार्यों की रिपोर्ट दी है उसके ऊपर जो कन्क्लुजन निकलता है, वह मैं उनके सामने रखना चाहूंगा।

मेरे जिले के लिए एक निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में करीब सवा नौ लाख लोग इफेक्टेड हैं परन्तु मन्त्री महोदय के दिए हुए आंकड़ों के अनुसार आज तक करीब 13,306 लोगों को रोजगार मिला है। सभापति महोदय, जो खर्चा किया गया है, फरवरी तक के फीगर हैं, 6 लाख

(श्री पी. के. चौधरी)
47 हजार का खर्चा किया गया है। इस 6 लाख 47 हजार में से एस्टेब्लिशमैंट पर करीब 4 लाख 81 हजार रुपया खर्च किया गया है। सारे राजस्थान के फेमिन वर्क के चार्ट में आपके अपेन्डिक्स नम्बर 6 में, सारे राजस्थान का एस्टेब्लिशमैन्ट का खर्चा है दस लाख रुपया, और जयपुर जिले के एस्टेब्लिशमैंट का खर्चा है 4 लाख 81 हजार रुपया, 6 लाख 47 हजार रुपयों में से। यह खर्चा किया गया है अकाल राहत कार्यों पर जिसमें कि सवा नौ लाख व्यक्ति हैं। इन सवा नौ लाख व्यक्तियों के ऊपर, जो खर्च किया गया है, उनमें से 4 लाख 81 हजार तो केवल एस्टेब्लिशमैंट पर ही व्यय किया गया है। याने 5 लाख रुपया एस्टेब्लिशमैंट पर खर्च किया गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कार्य किस प्रकार चल रहा है ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने परिशिष्ट में यह कहा है कि जयपुर जिले में 36 इरिगेशन के काम हैं और 44 सड़कों के काम और 76 राजस्व के काम बताये हैं। इसमें जो राजस्व के काम हैं वे तो सारे काम हो रहे हैं। जो 36 काम आपने इरिगेशन के दर्शाए हैं उनमें से 19 लाख रुपया खर्च होगा। इन 36 कामों के लिए अकाल सहायता कमेटी ने जनवरी में सिफारिश की थी कि इनको लिया जाय। अब जो पिछली 17 मार्च को मीटिंग हुई थी तब यह जानकारी दी गई कि इनका सर्वे तक नहीं हुआ है। काफी गर्मागर्मी इस मीटिंग में हुई थी। 36 की सिफारिश की थी, मंजूरी की गई थी।, मगर गवर्नमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनकी सर्वे तक नहीं की। लागत ज्यादा होगी इसलिए सर्वे नहीं किया गया। यह अकाल सहायता कमेटी को रिपोर्ट की गई थी। यह बात 17 तारीख की है उस दिन तक ये 36 काम मन्जूर नहीं किए गए थे।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो सूची है उसकी स्वीकृति प्रशासनिक और वित्त विभाग ने दी है। सर्वे का काम इरिगेशन विभाग का है मैं इसकी जानकारी करूंगा कि सर्वे नहीं हुई है तो एस्टीमेट बनाकर कैसे दिए हैं ? कलेक्टर ने कैसे इसको पास कर दिया है। मैं इसके लिए एक्सप्लेनेशन काल करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : 17 मार्च के बाद सेंक्शन्ड किए गए हैं उसके पहले नहीं थे ...

श्री परसराम मदेरणा : जो लिस्ट में दिए गए हैं वे सब स्वीकृत शुदा हैं।

श्री पी. के. चौधरी : अकाल राहत कमेटी की 17 तारीख की प्रोसिडिंग्स को आप चैक कर लें। एक दो काम ही मंजूर थे। बाकी के लिए इरिगेशन वालों ने यह बताया है कि उनका सर्वे नहीं हुआ है। उनको रिपोर्ट नहीं दी है क्योंकि रकम ज्यादा होती है।

इसी प्रकार 44 जो सड़कों के काम बताए जाते हैं उनमें से बहुत से काम उस समय तक, 17 तारीख तक नहीं हुए थे। 27 काम ही चालू थे। बाकी की मंजूरी हो सकता है इसके बाद दी गई हो। जहां सवा नौ लाख इफेक्टेड हैं वहां कितने काम हैं। यह बात भी खासतौर से

(श्री पी. के. चौधरी)

मन्त्री महोदय जानते है कि सांभर डिवीजन इस समय बैडली इफेक्टेड है। हमारा सांभर डिवीजन, अजमेर, नागौर, सीकर जिलों से मिलता है। हम यह मानते हैं कि लोग वहां पर काम चाहते हैं लेकिन इसके लिए वे दिक्कत महसूस करते हैं। फेमीन वर्क की रिपोर्ट हमें महीने में एक दफे ही मिल पाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और खास कर मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि अनएम्प्लॉइड लोग काफी गांवों में हैं। वे एम्प्लॉयमेन्ट चाहते हैं। एक दिक्कत की वजह से वर्क कम्पलीट नहीं हो रहे हैं। हमने सड़कों की सिफारिश मन्जूरी के लिए भेजी जनवरी में। 17 तारीख की मीटिंग में भी हमने कहा सड़कों का काम शुरू करो। 12-13 मील की सड़क है उसके एक पॉइन्ट पर कार्य शुरू हुआ है। हम यह चाहते हैं कि तीन पॉइन्ट पर काम शुरू हो। मीटिंग में दो तीन पॉइन्ट पर काम करने की बात तय हुई थी। मौके पर गये, वहां पर रिपोर्ट निकलती है। एक खाली रा-मेटेरियल का स्टेटमैन्ट दिया है। एक 16 किलोमीटर की सड़क मंजूर हुई है। जिस समय लास्ट फेमीन वर्क हो गया था, उस हिस्से पर पत्थर डालने की स्वीकृति मी है। यह बात तय हो गई कि दुबारा सर्वे करके रिपोर्ट दी जाए। वह रिपोर्ट कब आएगी? कब हमारी मीटिंग होगी और तब जाकर हम सिफारिश करेंगे, और सरकार मंजूरी भेजेगी। यह हमारी दिक्कत है। मैं यह चाहता हूं कि कुछ वाया मीडिया इसका निकाला जाए। जो मिनिस्टर इन्चार्ज हो वह इसकी स्वीकृति दे दे। कलेक्टर इसकी सैंक्शन निकाल दे। वहां पर ऐसी स्थिति है कि फेमीन वर्क के लिए जो मीटिंग है वह, एक महीने में एक दफा होती है। बराबर वहां पर इसका रिव्यू नहीं हो पाता है। एक महीने बाद उसकी सारी स्थिति मालूम हो पाती है कि काम नहीं हुआ है। इसका पता ही नहीं चलता है। इसलिए ऐसे वर्क के लिए मिनिस्टर इन्चार्ज को ऑथोराइज्ड कर दें। एसे जो काम हैं, फेमीन कमेटी की मीटिंग के अन्दर तय होंगे और आपके पास सर्वे की रिपोर्ट नहीं आयी है इसलिए उसकी सेंक्शन नहीं होगी तो उसकी मिनिस्टर इन्चार्ज कम से कम रिपोर्ट दे दें इन एन्टीसिपेशन ऑफ सेंक्शन ताकि वहां पर काम शुरू हो सके।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यह देखेंगे हमारे जिले में जो खर्चा हुआ है फरवरी तक वह 6 लाख 47 हजार रुपया और उसमें से 4 लाख 81 हजार रुपया एस्टेब्लिशमैन्ट में खर्च किया गया है। इसमें से इतना रुपया खर्च हो गया एस्टब्लिशमैंट पर तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितना रिलीफ वर्क हो रहा है।

सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे विकास के बारे में इम्बैलेन्स की बात हम करते हैं, फेमीन वर्क के अन्दर यह देख कर दुःख होता है कि यहां भी इम्बैलेन्स होता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि सवा नौ लाख व्यक्ति फेमीन से इफेक्टेड हैं और उसमें से केवल 13 हजार तीन सौ व्यक्तियों को ही रोजगार दिया गया है। याने 70 व्यक्तियों के पीछे एक

(श्री पी. के. चौधरी)

व्यक्ति को रोजगार दिया गया है। चूरू जिले में 7 लाख व्यक्ति फेमीन से इफेक्टेड हैं और 69 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है अर्थात् चूरू में तो 10 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला है और जयपुर जिले में 70 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला। इसी प्रकार से जोधपुर में, सभापति महोदय, 7,50,000 आदमी इफेक्टेड हैं जिनमें से में 1,20,914 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिला यानी प्रत्येक 6 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति को एम्पलॉयमेंट मिला है यानी हर इफेक्टेड फेमिली में हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला जब कि हमारे यहां 15 फेमिलीज में एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इस प्रकार से, सभापति महोदय, नागौर में 11,04,000 आदमी इफेक्टेड हैं उनमें से 39211 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट। मिला इसका मतलब यह है कि 30 आदमी में से एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला। पाली में 26 आदमियों के पीछे एक आदमी को मिला. उदयपुर में 14,25,000 इफेक्टेड हैं उनमें से 83,517 को मजदूरी मिली जिसका मतलब है कि 17 आदमियों में से एक आदमी को काम मिलता है। इसका मतलब यह है कि 3 फेमिजीज में से एक आदमी को काम मिला है। सीकर में 9,08 000 इफेक्टेड हैं जिनमे से 11,000 को एम्प्लायमेंट मिला यानी 82 आदमियों के पीछे एक फेमीन इफेक्टेड आदमी को इम्प्लायमैन्ट मिला। झुन्झुनू में 7,98,175 आदमी इफेक्टेड हैं उनमें से 11,400 को एम्प्लायमेन्ट मिला मतलब 70 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आंकड़े जो दिए हुए हैं वह बोलते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं कि या तो जो आपकी मशीनरी है वह काम नहीं करती है या आप ध्यान नहीं देते हैं। अजमेर जिले की तरफ तो आपने ध्यान दिया है ठीक ठीक, जोधपुर का ठीक ठीक किया है, जैसलमेर का ठीक ठीक किया है उदयपुर में कुछ किया है, बाकी किसी जिले की तरफ आपका जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं गया है। बाड़मेर में 5,12,000 आदमी इफेक्टेड हो चुके हैं जिसमें से 20 हजार आदमियों को काम मिला है। उसका अर्थ है कि 25 आदमियों के पीछे एक को काम मिला है। डूंगरपुर में 5,22,835 इफेक्डेड हैं जिनमें से 38,678 आदमियों को मिला, मतलब 13 आदमियों में से एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला है। बांसवाड़े में 6,64,000 ईफेक्टेड हैं जिनमें से 32 हजार को एम्प्लॉयमेंट मिला है, यानी 20 आदमियों के पीछे एक आदमी को। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयपुर, सीकर इनमें तो 70 आदमियों के पीछे एक इफेक्टेड आदमी को एम्प्लायमेंट मिला है। झुन्झुनू में 82 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लायमेंट मिला है। इससे मालूम होता है कि फेमीन में भी इम्बैलेन्स नजर आता है। फेमीन वर्क्स खोलने में भी इम्बैलेन्स हो रहा है।

दूसरी बात, सभापति महोदय, भीलवाड़े में 7,61,000 में से 42 000 को एम्प्लायमेंट मिला है मतलब 68 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लायमेंट मिलता है।

(श्री पी. के. चौधरी)

अब, सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एमाउन्ट जो सेंक्शन हुआ, एमाउन्ट जो खर्च हुआ वह इस प्रकार है। जयपुर जिले में 1,13,85,000 रु. अकाल के कार्यों के लिए मन्जूर किया है और फण्ड्स अलॉट हुए हैं 22,49,000 रु. के यानी जितना काम सेंक्सन हुआ उसका 1/5 का फन्ड अलॉट किया गया है जब कि हम देखते हैं कि जोधपुर में काम मन्जूर हुआ 3,79,36,940 रु. का और एलॉट हो गया 1,87,74,000 रु. मतलब जितना काम सेन्क्शन हुआ है उसका 50 पर्सेन्ट यानी 2 : 1 का रेश्यो होता है। जितना काम मन्जूर हुआ उसका आधा पैसा अलॉट हो गया और जयपुर जिले में जितना काम मन्जूर हुआ उसका 1/5 हिस्सा फण्ड अलॉट हुआ, 20 पर्सेन्ट पैसा आपने दिया है। सीकर में मन्जूर किया है 34,04,000 रुपये और 29 मार्च, 1973 तक 2,18,000 रु. एलॉट किया है, झुन्झुनू में 25,39,000 रु. मन्जूर हुआ और फण्ड अलॉट हुआ और रुपया जो दिया गया है वह 3,11,400 रुपया दिया है। जालौर में, सभापति महोदय, 1,49,19 000 का काम मन्जूर हुआ और रुपया जो दिया गया है 29 मार्च तक वह 16,46,000 रु. मतलब 16 पर्सेन्ट का फण्ड अलॉट हुआ है। जितना रुपया मन्जूर हुआ है उससे अन्दाजा लगता है कि मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया है, इस तरफ पूरी तरह से नहीं देखा गया है। सब जिलों की बात तो नहीं कहूंगा। डूंगरपुर में 71,68,000 रु. का काम मन्जूर हुआ और 26,26,000 रु. दिया गया है वह 15 पर्सेन्ट के करीब आपने फण्ड अलॉट किया है 29 मार्च तक। यह जो फीगर्स आपने दिये हैं तो इस स्टेटिस्टिक्स से कन्क्लूजन निकाल लें कि उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? वह क्या बताता है कि फैमीन वर्क किस तरफ जा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : You are twisting the facts.—इसमें प्रश्न यह है कि कितना लेबर लग रहा है जयपुर डिस्ट्रिक्ट को कम दिया है। 31 मार्च तक वह 13 लाख का। कलेक्टर ने एमाउन्ट सरेन्डर किया है। लेबर की स्ट्रेन्थ पर एमाउन्ट दिया है। सेन्क्शन वाज दी एस्टीमेटेड कास्ट, लेकिन उसमें लेबर कितना लगा हुआ है। वेजेज का पेमेन्ट किया है वही तो होगा। ज्यादा लेने देने से क्या मतलब था?

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने इतना फण्ड मन्जूर किया लेकिन काम शुरू नहीं हो सका डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी द्वारा। वहां पर फेमीन कमेटी बैठती है और वह जो काम तय कर देती है, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. से एस्टीमेट आता है। इरिगेशन की मैंने मिसाल दी कि जनवरी की मीटिंग में तय किया और 17 मार्च की मीटिंग में हमें बताया जाता है कि सरकार को नहीं भेजा है क्योंकि आपका एस्टीमेट ज्यादा हो गया है। लेबर कम लगा है इसलिए हमने नहीं भेजा है। मैंने निवेदन किया है कि सड़क का निर्माण मन्जूर किया उसका एक छोर पर काम शुरू किया और हम चाहते थे कि 3-4 पॉइन्ट्स पर जब तक काम नहीं होता है तबतक लेबर कहां पर लगेगा? लोग ज्यादा दूर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। लेबर

(श्री पी. के. चौधरी)

क्या लगेगा ? एक्सप्लाइंग मशीनरी की गलती है। एक महीने के बाद हमको बताया जाता है कि सैन्क्शन नहीं आई है। हम समझते हैं कि सैंक्शन आती है, सैंक्शन आती है, लेकिन सैंक्शन नहीं आती है। 15-20 दिन और महीना भर हो जाता है फिर दूसरी मीटिंग में मालूम होता है कि एस्टीमेट नहीं गया है। खुद ने ही फैसला कर दिया कि 30-40 पर्सेन्ट एस्टीमेट ज्यादा हो गया इसलिए नहीं भेजा। इन बातों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को आपको मानकर चलना पड़ेगा, आखिर प्रोपोर्शन आपको देखना पड़ेगा। इसके देखने पर इम्बैलेन्स नजर आता है, डिस्पेरिटी नजर आती है। चूरू, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर इनके अलावा बाकी किसी जगह पर प्रोपोर्शनेट एम्प्लॉयमैंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि लेबर एवेलेबल नहीं है। लेबर इसलिए एम्प्लॉय नहीं हो रहा है कि वहां की मशीनरी में को-ऑर्डिनेशन नहीं है, कलेक्टर, पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन में को-ऑर्डिनेशन नहीं है और परवाह कम करते हैं।

दूसरी बात यह है कि अब ठेके का काम नहीं रखा गया है। आज जो सिस्टम किया गया है कि पेमेन्ट पी. डब्ल्यू. डी. का तहसीलदार करेगा तो उससे चैकिंग हुआ है, गड़बड़ी का चैकिंग हुआ। यही वजह है कि कम सुनते हैं लोग। फैमिन में करप्शन रुका है, लेकिन करप्शन रुकने के साथ साथ यह सारी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। जिले के लोग काम नहीं करते हैं और लेबर एम्प्लॉय नहीं होते हैं। हमने पिछली 15 तारीख को दौरा किया और लेबर को जाकर देखा कि मस्टर रोल नहीं है। हमने देखा कि मस्टर रोल खत्म हो गये। कोरे कागज उनको देते हैं नाम लिखने के लिए। मस्टर रोल है नहीं। कुल 200 आदमियों का मस्टर रोल है। मस्टर रोल जब खत्म हो गये तो उसके न होने में एम्प्लॉयमैंट नहीं हो पाता है। कोई काम करे तो उसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेबर इसलिए एम्प्लॉय नहीं हो रहा है कि लेबर नहीं है बल्कि यह है कि लेबर काफी है। लेकिन लेबर को काम पर नहीं लगाया है।

आपने दूसरे जिलों का दौरा किया है। कम से कम इन डिस्ट्रिक्ट में जिसके, मैंने कन्क्लूजन बताये हैं, इनकी तरफ नेग्लीजेन्स हो रही है। इनका दौरा आपको करना चाहिये। जोधपुर और जैसलमेर का आपने काफी एक्सकर्शन किया है। 5 जिलों को छोड़कर एक एक जिले के अधिकारी को बुलाकर कहें। वहां कम से कम प्रोपोर्शन इतना तो होना चाहिये। आप देखिये कि 70 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लॉयमैंट मिलता है, 80 आदमियों के पीछे एक आदमी को एम्प्लॉयमैंट देते हैं तो 1:80 का रेश्यो आया। इसमें जो डिले होती हैं उसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश करें और इन कामों को जल्दी से कराया जाय।

श्री सभापति : श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान में हर साल अकाल की समस्या पैदा होती है। दिसम्बर, 72 तक 193 करोड़ रुपया खर्च किया है। राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए।

(श्री भीमसेन)

अकाल के कारण मनुष्यों को और पशुओं को हानि उठानी पड़ रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए योजना बनाई है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए राज्य सरकार ने यह योजना बनाई है। राज्य सरकार का इरादा है, वह ड्राट प्रोन योजना बनाना चाहते हैं। यह राज्य सरकार का काम है। अगर सरकार पहले से सजग रहती तो उसे यह नहीं करना पड़ता। हमारे बीकानेर जिले में करीब 17,000 हजार लोगों को काम दिया जा रहा है रिलीफ वर्क में। 40,000 लोगों को राजस्थान नहर पर काम में लगाया जा रहा है। पिछले साल बीकानेर जिले में कोई काम नहीं दिया है। इस वर्ष काम दिया है। लेकिन पाबन्दी लगा रखी है। 5 आदमियों के पीछे दो आदमियों को लिया जायेगा। 8 आदमी हैं परिवार में तो 3 आदमियों को लिया जायेगा।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने जो अभी तक राहत कार्य खोले हैं, वह नगण्य हैं। सरकार का इरादा है कि हमारे बीकानेर के लोग राजस्थान नहर पर चले जायें। सभापति महोदय, राजस्थान नहर पर बीकानेर के 25-30 हजार आदमी काम कर रहे हैं। लिफ्ट इर्रीगेशन में भी लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि और भी लोगों को नहर पर भिजवाया जाये। लेकिन जो बूढ़े हैं, अशक्त हैं, उनको काम देने के लिए रिलीफ वर्क खोलने पड़ेंगे। राज्य सरकार इसके लिए धन राशि उपलब्ध कर सकती है। रेगिस्तान में जहां वर्षा का अभाव रहता है, वहां सड़क के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता है। न वहां पर एनीकट का काम हो सकता है, क्योंकि वहां पर वर्षा होती ही नहीं है। सड़क के अलावा और कोई काम नहीं लिया जा सकता है। दूसरा काम रोजगार देने को संख्या बहुत सीमित मात्रा में होगी। सड़कों के अलावा और कोई राहत कार्य हो नहीं सकता है। बीकानेर जिले में डेयरी का काम शुरू हुआ है। गांवों से दूध इकट्ठा होगा। गांवों से दूध इकठा करने के लिए भी सड़कों की जरूरत होगी। जिले में जो अकाल राहत कार्य खोले जायें तो उनमें सड़कों पर ध्यान देना होगा। इसी तरह से हमारे बीकानेर जिले में 8 तारीख को कार्य को स्वीकृति दी है। 21 तारीख को स्वीकृति दी है। 17 और कार्यों की स्वीकृति हुई है। मैं चाहूंगा कि इन 17 कार्यों को जो स्वीकृति दी गई, इससे अधिक से अधिक लोगों को राहत कार्य मिल सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार ने मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं। तीन रुपया, ढाई रुपया, और दो रुपया दरें रखी हैं। अब जैसे जैसे गरमी बढ़ती जायेगी तो मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि 30% कन्सेशन दिया है तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि 50% कन्सेशन दें। जिससे लोगों को 3 रुपया, ढाई रुपया मज्दूरी मिल जाये। जिससे कि मंहगा अनाज खरीद कर लोग अपना काम चला सकें। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि खादी का काम भी दिया जाये। उधर जो बहुत सी राजपूत औरतें हैं, जो घर पर बैठ कर ही काम कर सकती हैं। तो खादी संस्थाओं

(श्री भीमसेन)

को अधिक से अधिक सहयोग देकर लोगों को राहत दी जाये । बीकानेर जिले में गायों का समस्या है ।

(4.36 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

7, 8 हजार गायें हनुमानगढ़ फार्म पर भेजी थी । वहां पर घास समाप्त हो गई है । अब भूख की समस्या है । वहां पर ऐसी गायें हैं जो कि चल फिर नहीं सकती हैं । या तो राजस्थान गौ सेवा संघ को पशु आहार केन्द्र स्थापित करना चाहिए ताकि अभी फसल उठने तक वह इधर उधर गुजारा कर सकें । अभी एक दो महीने तक इसके लिए आवश्यकता है । लूणकरणसर तहसील में 10 हजार गायें हैं । वहां पर 4 हजार गायें भेजी हैं । 10 हजार गायों की स्वीकृति राजस्थान गौ सेवा संघ को मिल जाये । आधा राज्य सरकार दे दे, आधा गौ पालक दे दें । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

इसी प्रकार से राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अभी राहत कार्यों में जो लोग लगे हुये हैं, उनको पाक्षिक छुट्टी देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है । जो गम्भीर बीमार हो जाते हैं या जो नसबन्दी कराते हैं, उनको भी छुट्टी देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है । परिवार नियोजन में नसबन्दी के लिए 7 दिन या दो माह की छुट्टी देने का निर्णय लिया है । मैं राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक इन घोषणाओं के अनुसार पालना शुरू नहीं हुई है । जो प्रेग्नेन्ट लेडीज हैं, उनको कोई राहत नहीं दी जा रही है ।

इसी तरह से मेडिकल फेसिलिटी के बारे में राज्य सरकार ने घोषणा की है, फेमिन रिलीफ कार्यों पर पर्याप्त मेडिकल फेसिलिटी देते हैं । मेरे इलाके के अन्दर राजस्थान कैनाल का लिफ्ट का काम कर रहे हैं, उसमें अभी तीन हजार आदमी काम कर रहे हैं । वहां कोई मेडीकल फेसिलिटी अभी तक मुहैया नहीं हुई है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, लिफ्ट कैनाल के कैम्प चल रहे हैं वहां पर्याप्त मेडिकल फेसिलिटी दी जानी चाहिए ।

इसी तरह से विटामिन टेबलेट लोगों को अधिक से अधिक मिल जाय जिससे लोग जो अशक्त हैं, कमजोर हैं उन्हें रिलीफ मिल सके । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसी तरह से सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी रिलीफ वर्क्स में सड़कों का काम चल रहा है, उनमें गैंग बनी हुई हैं पच्चीस पच्चीस आदमियों की, उन पच्चीस में कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ खराब काम करते हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, पच्चीस आदमियों की जो गैंग बनाई हुई है, उस वजह से लोगों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है । इसलिए पच्चीस आदमियों के बजाय दस आदमियों की गैंग बना सकें तो दो तीन परिवार के लोग मिल कर, एक से लोग मिल कर काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा

(श्री भीमसेन)

काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे लोगों को पूरी मजदूरी मिल सकेगी। मैं समझता हूं, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

इसी तरह से बीकानेर जिले के अन्दर सड़कें बनी हुई हैं, डिफेन्स रोड, या नेशनल हाई वे, इनके आस पास टीबे हैं। टीबों की वजह से गर्मी के दिनों में सड़कें ब्लाक हो जाती हैं। इन सड़कों के आस पास के टीबों को रोकने के लिए या स्टेबिलाइज करने के लिए अकाल राहत में कार्य किये जा सकते हैं, इससे वह ब्लाक नहीं होंगी और लोगों को भी रिलीफ मिल सकेगा।

इसी तरह से अभी राज्य सरकार ने सूरतगढ़ के आस पास में वहां के बी. डी. ओ. के मार्फत कुछ हरा घास पैदा किया है। वहां पर हमारे बीकानेर की जो गायें हैं, उन गायों को वह हरा घास उपलब्ध कराने की राज्य सरकार स्वीकृति दे सके तो मैं समझता हूं कि कुछ गायों की रक्षा हो सकती है।

सबसे बड़ी समस्या आज हमारे यहां लोगों को और अधिक मजदूरी देने की और गायों को बचाने की है। मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पर्याप्त ध्यान देगी।

मैं इन शब्दों के साथ सरकार ने जो अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है और उसने कल से, राज्य सरकार ने थोक व्यापार को हाथ में ले लिया है—इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि थोक व्यापार एक सही दिशा में कदम है जिससे हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, कन्ज्यूमर हैं, उनको निश्चित दरों पर अनाज उपलब्ध हो सकता है और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का भी बहुत बड़ा साधन है। मैं समझता हूं, थोक व्यापार को जिस तरह सरकार ने अपने हाथ में लिया है, इसको लेकर जनता में कई भ्रम फैले हुये हैं, निहित स्वार्थ के लोग हैं वह कई तरह का प्रचार करते हैं। मैं समझता हूं; सरकार जनता को इस बारे में कॉन्फीडेंस में ले और थोक व्यापार को हाथ में लेने का उद्देश्य है, उसको जनता को समझाने की आवश्यकता है, जिससे उपभोक्ता और किसान (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) दोनों केन्द्रित होकर सरकार को पूरा सहयोग दें।

श्री उपाध्यक्ष : केसरीमल !

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में यह विषय है। सदन में कई दफा इस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन इन चर्चाओं को करने का नतीजा हम निकालना चाहते हैं अभी उस प्रकार से नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है और अभी भी भीषण और संगीन हालत बनी हुई है, उसके सम्बन्ध में चर्चा करने की जरूरत महसूस होती है।

खास तौर से मैं पहले अपने इलाके के बारे में निवेदन करूंगा। अजमेर का जिला है, वह तो बहुत पथरीला इलाका है, वहां खेती नहीं होती खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। वहां पर सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ऐसा इलाका है। इस इलाके में, उपाध्यक्ष महोदय, लगातार अकाल पड़ता ही आया है, कई वर्षों से

(श्री केसरीमल ब्यावर)

लगातार अकाल चल रहा है। जंगल वहां के साफ हो गये हैं। जो पुराने उद्योग थे, वह वास्तव में नष्ट होते जा रहे हैं पानी की कमी के कारण। पूरे इलाके की हालत बड़ी गम्भीर है। अब पिछले दो तीन साल से ऐसी स्थिति बन गई है कि गांवों में, शहरों में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, अनाज नहीं है, चारा नहीं है, और रोजगार नहीं है। हमने लगातार इस बात का प्रयास किया, कुछ काम ऐसे हैं जो हो जायं तो शायद वहां पर आगे कुछ रास्ता निकले, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार उन कामों को ऐसे फेमिन के समय में भी नहीं कर पाई है यह सरकार तो फिर कब करेगी यह समझ में नहीं आता। विशेष तौर से शहरों की पेयजल की की समस्या वहां अलग से है, जिसको कई बार यहां पर छेड़ा गया है।

इस समय मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर दो तीन ऐसे सिंचाई के कार्य हैं, जिनको पूरा किया जाय तो उस इलाके में थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, रास्ता निकल सकता है सहूलियत का और लोगों को कुछ सहारा लग सकता है। उन कार्यों की पहले सरकार ने खुद ने सर्वे कराई है, उनकी सभी प्रकार से जांच कराके देखा है कि क्या नतीजा निकल सकता है काम का, उससे क्या फायदा हो सकता हैं? यह सब देख कर सरकार ने इन कामों को पूरा करने का सही कदम उठाया और कुछ काम हुए हैं। सूरा घाट की फीडर, माटला फीडर, देवली फीडर का काम है, यह काम सरकार ने करने के लिए कदम उठाया था। पेयजल की समस्या के लिए भी बहुत बड़ा बांध भोजापुरा का है, उस सारे काम का सर्वे हुआ, तखमीना बना, उस पर पैसा खर्च हुआ, यह काम, अधूरा काम, चौथाई बना कर छोड़ दिया। यह समझ में नहीं आता सरकार का रवैया, यह काम शुरू किया गया और फिर कैसे बन्द कर दिया?

आज सरकार कहती है कि यह काम आगे जाकर फायदेमन्द नहीं होगा, यह कैसे आगे जाकर पानी की व्यवस्था नहीं कर पायेगा, इतना खर्चा हो जायगा जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस दलील के बारे में निवेदन करना है कि सरकार ने पहले कैसे इस बात की स्वीकृति दी कि यह काम होना चाहिये, और आधा आधा काम कराया, पीछे कहा पचास हजार, साठ हजार खर्च हो गया, कहीं लाख खर्च हो गया इस तरह लाखों रुपया खर्च किया और उन कामों को अधूरा छोड़ दिया।

मेरी निश्चित मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उन कार्यों को करायें। उस इलाके का दुःख तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ प्रतिशत कम हो सकता है। यह बहुत आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि इन कामों को करायें तो जितना पैसा लग जायगा, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं इस बात का, इस दलील का हर प्रकार खण्डन करता आया हूं। हमारे दिमाग में यह बात आई है कि यह काम ऐसा है जिससे आगे जाकर लाभ नहीं होगा, बहुत बडा या जितना पर्सेन्ट लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा इसलिए यह काम नहीं करना चाहिये। तो ऐसे तो बहुत से काम हैं जिनमें लाभ नहीं मिलता है, जितना पर्सेन्टेज लाभ मिलना चाहिये उतना पर्सेन्टेज लाभ नहीं मिलता है, लाभ के बजाय नुकसान होता है, फिर भी उन्हें करते जाते हैं। जैसे रेल्वे मुनाफा नहीं देती है, तो

Page No 142

(केशरीमल ब्यावर)
नहीं देती है, लेकिन उसे बन्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आवश्यक है ।

इसी प्रकार से स्टील प्लान्ट में नुकसान हो रहा है तो भी उसे छोड़ा नहीं जाता है, चाहे कितना भी नुकसान हो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सोचने का नजरिया जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक मेरे इलाके का उद्धार नहीं हो सकता है । इसलिए मैं बार बार समय समय पर यह बात कहता आया हूं और मैं हरचन्द कोशिश करूंगा, किसी तरह अपनी बात को आपके सामने रख सकूं और आपको इस बात के लिए तैयार कर सकूं कि यह काम पूरा हो ।

मेरा निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी जो काम करते हैं वह काम कई मायने में बहुत कम है । जब मैं यह जिक्र कर रहा था तो मेरा मतलब यह था कि मेरे यहां भौगोलिक स्थिति मेरे जिले की कुछ अजीब सी है । सारा इलाका पहाड़ी है, मिट्टी पुख्ता बरड़ा है, वह खोदी नहीं जा सकती । वहां काम लिया जा रहा है, तो वह काम पूरा नहीं हो सकता । जितना वर्क लोड लगाया हुआ है वह उसका पूरा नहीं कर सकते । इसकी वजह से वहां पर हर सप्ताह लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है । इस कारण उनके वेतन में कटौती होती है । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ यह हालत है, हमें यह कहा कि तीन रुपये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लोगों का गुजारा नहीं होता है । लेकिन वहां पर कड़ी मेहनत करने के बाद भी एक रुपये की मजदूरी आती है तो वह इन्सान क्या करेगा और किस तरह जिन्दा रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति लम्बे अर्से से बराबर चली आ रही है । वहां बड़े प्रदर्शन हो गये, सड़कों पर मोटरों का आना जाना रुक गया, बड़ा घेराव हुआ, कई तरह की घटनाएं हुईं । अब तो ऐसा दिखता है कि वेतन के समय पर न मिलने से वेतन में कटौती करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि लोगों में गुस्सा आ गया है, नफरत पैदा हो गई है । सरकार को बारबार कहने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि भूखा मरता क्या नहीं करता यह कहावत चरितार्थ होने वाली है सरकार अगर ध्यान न देगी तो सरकार उनको उस ओर जाने के लिए प्रेरित कर रही है । एक तरफ यह बात, दूसरी तरफ आदमी और औरत के वेतन में फर्क, वेतन में कटौती, फिर कम आदमियों को रखना, रोजगार न मिलना । कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो फौरन काम बन्द कर देते हैं । हमारे यहां एक जगह अचानक काम बन्द कर दिया, वहां 700 आदमी बेरोजगार हो गए, दूसरी जगह 400 आदमियों को काम पर रोक दिया । काम पर चाहिए हजारों की तादाद में लेकिन जब चाहते हैं रोक देते हैं । जबरदस्ती असंतोष पैदा करते हैं और अगर काम समाप्त हो रहा है तो अधिकारियों को पहले सोच कर रखना चाहिए कि कल काम समाप्त होंगे, दूसरा काम देना है या नहीं । काम देने से पहले व्यवस्था करनी चाहिए । दुःख की बात है कि इस ओर नहीं देखा जा रहा है ।

Page No 143

(श्री केसरीमल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां एक अजीब स्थिति है। भ्रष्टाचार का नया रूप सामने उभर कर आया है। पहले जैसे अकाल में भ्रष्टाचार तीव्र रूप से व्याप्त था उसमें जरूर कमी आई है लेकिन कल और परसों जो गांवों में मैंने नजारे देखे और सुने मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी भी ऐसा हो सकता है। उसे चैक करना जरूरी है। जो वहां पर हाजिरी भरने वाला आदमी है वह एक-एक, दो-दो रुपया हाजिरी भरने के, नाम लिखने का ले लेता है, कुछ लोगों ने नया तरीका निकाला है। वहां पर गैंग में 45 आदमी हैं तो 55 आदमियों की हाजिरी भर ली, 10 आदमियों के ज्यादा नाम लिख कर पैसा लेने का प्रयास किया....

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिए।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 9वां प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 9वें प्रतिवेदन का उपःस्थापन करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के 9वें प्रतिवेदन से सदन अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट की जाए

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री केसरीमल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक नई बात देखने में आई। 45 आदमी जिस गैंग में काम कर रहे थे उसमें 55 की हाजरी। जब चिट्ठा आया तो उन्होंने पूछा कटौती कैसे हुई? उन्होंने कहा काम कम किया। मजदूरों ने कहा नहीं, हमारी मिट्टी नाप लीजीए। ज्यादा यदि उन्होंने कहा तो कुछ और पैसा बढ़ाने की बात कही और अंत में पता लगा, आदमी 45 थे, काम करने वालों की हाजरी 55 की भरी है। एक तरफ खराब मिट्टी खोदना, ऊपर से इस तरह चोरियां उसकी सजा काम करने वालों पर। इस समस्या को सुधारना जरूरी है। इसको मजबूती के साथ रोकना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जिनमें सरकार को सोचकर काम करने की प्रणाली को बदलना चाहिए। हमारे यहां इन्चार्ज फीडर हैं चाहे मिट्टी काम्पोनेन्ट कितना ही लगता हो उसको पूरा कराया जाए बजाय मिट्टी खोद कर पटक दो, कल वह बारिश में बह जाएगी।

जहां तक काम देने की बात है, बडे बड़े कामों पर लोगों को लगाया जाता है। एक तरफ काम नहीं है दूसरी तरफ काम नहीं दिया जा रहा है। परसों दो हजार आदमी बिठा दिए गए एक तरफ काम मौजूद है तो सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि कामों को पूरा कराए। उनको काम पर नहीं लगायेंगे तो भूख मरने वाला कब तक इस बात को बरदाश्त करेगा?

पेय जल की समस्या जैसे शहरों में है गांवों में भी है। वैसे ही चारे की स्थिति

Page No 144

(श्री केसरीमल)

है। एक-एक को दो-दो किलो चारा देंगे वह भी पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स पर। एक जानवर के लिए दो किलो चारा, यह मजाक की बात है। 2 किलो चारे के लिए इतना दूर जाना और न मिले तो वापस आ जाना। कैसी हमारे सामने परिस्थिति बन रह रही है? कैसी हम व्यवस्था कर रहे है?

मुझे याद है पहले पहले संवत् 1996 में जब अकाल पड़ा उस समय कांग्रेस की तरफ से हमने घास की व्यवस्था की थी। सरकार खुद वेगन लाने के लिए परमिट देती थी जिसका 1/4 या 1/8 किराया वे देते थे बाकी सारा पैसा सरकार देती थी। घास के लिए तकावी देती थी और खरीदने के लिए व्यवस्था करती थी। आजादी के बाद तो और भी संजीदगी से काम करने के बाजाय जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, उन्होंने उस भयंकर अकाल में ऐसी व्यवस्था की और आज हमारी सरकार खाने को एक दाना नहीं दे रही। दो-दो तीन-तीन किलो अनाज का कोटा पूरा नहीं मिलता। यह बात तो अच्छी हुई कि अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया, लेकिन ऐसे अवसर पर जब थोक व्यापार लिया है तो मिडलमैन जो था और दूसरे लोग जिनका स्वार्थ है उनको इस व्यवस्था को फेल करने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। इधर गांवों में हमने व्यवस्था को नहीं कि गांवों में कौनसी प्रणाली होगी, गांवों में सरकार किसको बेचेगी? बजार में अनाज देना बंद कर दिया और राशन में 3-4 किलो देंगे तो जनता कहेगी कि थोक व्यापार सरकार ने लिया उसके परिणाम स्वरूप हम भूखे मर रहे हैं। उसका मतलब जो पवित्र कार्य आपने किया, उसको ठोकर लगेगी। इस लिए मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करें जिससे अनाज कम से कम जहां लोगों को राशन से मिलता था उसके साथ ही और दुकानों से भी वहां मिल सके और अगर लाईसेंस नहीं लेते है तो ज्यादा से ज्यादा दुकानों की संख्या खोलें पंचायत लेविल पर मौहल्लों में, गांवों में मौहल्ला कमेटियां बनायें। फिर अनाज खरीदने के मामले में मार्केट कमेटी बननी चाहिए।

मेरे कहने का मतलब है काम अच्छा किया लेकिन परिणाम अगर ठीक नहीं निकलते हैं तो उनको देखा जाए। राशन की व्यवस्था अब नहीं की गई तो निश्चित तौर से अनाज कम हो जाएगा तो जो रीएक्शनरी फोर्सिज हैं वे पूरा फायदा उठायेंगे और लोगों को भड़कायेंगे। एक तरफ अकाल दूसरी तरफ अनाज का न मिलना, परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठायेंगे ......

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : मेरा निवेदन है सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री केसरीमल : जहां ये कार्य चल रहे हैं वहां से चिकित्सा व्यवस्था दूर है। इसके लिए मोबाइल वैन्स की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं ताकि वहां लोगों की देखभाल

(श्री केसरीमल)

हो। एक बात और खतरे की आएगी कि इधर अकाल उधर कुछ काम बंद करेंगे और काम बंद करते ही न चारे की न अनाज की व्यवस्था होगी। उसकी व्यवस्था आगे के लिए करनी है लेकिन साथ ही साथ जहां अकाल से लड़ना है वहां इस बात का ध्यान रखना है कि जब खेती का समय आए तो किसानों को बीज दिए जाये। उन्हें खाद दिया जाय। और ऐसी सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था सरकार को पहले से ही करनी चाहिये, ताकि किसानों को रबी की फसल की काश्त करने में दिक्कत नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी है इसकी ओर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज अकाल की वजह से ऐसी हालत खराब हो गयी है कि वहां पर भूखे पेट लोगों ने चोरियां करना शुरू कर दिया है। अभी ब्यावर में पिछले दिनों में दो तीन जगह चोरियां हो गयी हैं। वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, नसियों के मन्दिरों से सोने की मूर्तियां चोरी चली गयी हैं। और भी दो तीन जगह ताले टूटे हैं और चोरियां हो रही हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि सभी ताले तोड़ने वाले वही लोग होंगे जो कि भूख से मर रहे हैं और बेकार हैं, हो सकता है उसमें किन्हीं शरारती तत्वों का हाथ हो। अभी मैं वहां पर गया तो लोगों ने मेरा घेराव किया और सारी स्थिति बतायी कि बेरोजगारी और भूखमरी से यहां पर चोरियां हो रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कौन से गांव में चोरी हुई।

श्री केसरीमल : ब्यावर में।

एक माननीय सदस्य : क्या चोरी करते ही आपको घेर लिया क्या ?

श्री केसरीमल : चोरी तो रात को हुई थी और मेरा घेराव सुबह किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है और भूखे मरते लोगों की शारीरिक हालत खराब हो रही है। इसके अलावा वहां पर जो काम चल रहे हैं वह सड़कों के लिये चल रहे हैं और इससे लोगों को सिवाय मजदूरी मिलने के कोई विशेष फायदा हो जैसी बात नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा काम हाथ में लेना चाहिये जिससे वहां के इलाके के लोगों को स्थायी फायदा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अगर जवाजा फीडर जो अंग्रेजों के जमाने से ही पूरा करने की योजना थी वह पूरा कर दिया जाय तो काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा वहां पर उसी से अटैच दो तीन तालाब हैं उन्हें अगर पूरा कर दिया जाय तो बहुत तो नहीं लेकिन काफी फायदा हो सकता है। आज स्थिति वहां के जवाजा के तालाब की ऐसी है कि काफी टूट-फूट हो गयी है और पिछली बार जब बरसात हुई तो उसके ऊपर तीन फिट पानी बह गया। वहां दूसरे तालाब नहीं बने हुए होने से सारा पानी बेकार गया। जिस जवाजा फीडर का मैं जिक्र करता हूं उसके पास ही तीन तालाब हैं जो कि अगर ज्यादा बरसात आये तो जवाजा फीडर से पानी बह कर दूसरे

(श्री केसरीमल)
तालाबों में चला जाय ताकि वह काम आ सके।

इसलिये मेरा निवेदन है कि उन तालाबों के कार्य को पूरा कराया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दिलाया जाय दूसरे वहां पर चूंकि जमीन सख्त है इसलिये जो आपने टास्क बेसिस पर पैसों का भुगतान करने की जो योजना बनायी है उसमें छूट दी जाय, लोगों को चारा दिलाया जाय ताकि उनके पशुओं की रक्षा हो सके, तथा काश्तकारों को आने वाली फसल के काश्त के लिये बीज व खाद दिलायी जाय व मजदूरों को जिस जगह वे लोग काम कर रहे हैं वहां पर उनके लिये दवाइयों की गाड़ी भेजी जाय ताकि उन्हें दवाइयां उपलब्ध हो सकें। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारा विधान सभा का सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने भी सर्व प्रथम अकाल पर प्रकाश डाला और कहा कि हमें अकाल का हिम्मत से मुकाबला करना होगा। इसी प्रकार वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि राजस्थान में अकाल की वजह से काफी स्थिति खराब है। इसलिये हमें बड़ी तत्परता से इसका मुकाबला करना है और हम इससे मुकाबला करने को कृत संकल्प हैं। और इसलिये उन्होंने बजट में अकाल की स्थिति से निबटने के लिये अलग से प्रावधान रखा।

इसके अलावा आज हमारे अकाल राहत मन्त्री जी के बारे में जो सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अकाल सहायता के कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं या हो रहे वह नगण्य से हैं यह बात बिलकुल ठीक नहीं कही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अकाल राहत मन्त्री जी ने अकाल का बड़ी तत्परता से मुकाबला किया है और अकाल की स्थिति से निबटने के लिये काफी पहले से ही सतर्क हैं। यह बात बहुत ही अभूतपूर्व है उपाध्यक्ष महोदय, कि अकाल राहत मन्त्री जी के पास और भी बहुत से महत्वपूर्ण विभाग होते हुए भी और उन सभी विभागों का काम देखते हुए भी उन्होंने अकाल राहत का काम काफी सतर्कता से और काफी एफिशियेन्टली किया है। आज उन्हें राजस्थान के हर तहसील के हर गांव की स्थिति का ज्ञान है। उन्हें यह भी पता है कि कहां पर क्या काम चल रहा है इसलिये मैं उन्हें इनके इस कार्य के लिये धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इतने अधिक काम में कहीं पर अगर खामियां रह गयी हों तो उनसे इन्हें अवगत करा दिया जायं। ताकि वहां पर ये खामियां पूरी हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र का मैं, प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर गत 9 साल से लगातार मुतवातिर अकाल पड़ रहा है कभी इस क्षेत्र में तो कभी किसी तहसील में और हर साल करीब 100 गांव उस इलाके में अकालग्रस्त रहते हैं। ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसमें सौ से कम

(श्री विजयसिंह)

गांव अकालग्रस्त रहे हों। इसका प्रभाव यह हुआ कि काश्तकारों के पास जो पुरानी संचित पूंजी थी, जैसे औरतों के गहने, जो कि चान्दी के होते हैं वह सभी बिक गये तथा जो कुछ भी अनाज उनके पास बचा हुआ था वह सभी समाप्त हो गया और लोगों ने इस पिछले नौ साल में अपनी सारी पूंजी को खुर्द बुर्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अब पिछले 5-6 माहों से तो मेरे क्षेत्र के लोगों की यह हालत है कि वह भूखे मर रहे हैं। इससे कई तो भूख से मर गये हैं और कुछ अधमरे हो गये हैं इसका कारण मालन्यूट्रीशन और अन्डर नरिशमेन्ट है।

आज राज्य सरकार के अकाल राहत कार्य चलाने के बावजूद भी यह हालत है—इसका मतलब यह हुआ कि जितना लोगों के पास काम होना चाहिये वह नहीं है। इसके अलावा आपने जो मजदूरी हालांकि बढ़ायी है अकाल राहत क्षेत्र में मजदूरी करने वाले की उसका तो मैं स्वागत करता हूं। आपने तीन रुपये, ढाई रुपये और दो रुपये मजदूरी करदी है लेकिन हमारे यहां पर चूंकि जमीन सख्त है इसलिए वहां पर लोगों को 40 पैसे से लेकर डेढ़ रुपये तक मजदूरी प्राप्त हुई है। इसका कारण यह है कि आपने आजकल टास्क बेसिस पर मजदूरी देने की योजना बनायी है, लेकिन वहां पर चूंकि जमीन हार्ड है इसलिये वहां पर भूखे पेट मजदूर इतना काम नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कारण लोगों को जिनकी कि शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वह भरपेट भोजन कर सकें। क्योंकि आज जो भी वह काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है तो इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने मैग्जिमम लिमिट रखी है कि तीन रुपये से ज्यादा नहीं मिल सकता है उसी प्रकार आपको इसके अन्दर मिनिमम की भी लिमिट रख देनी चाहिये चाहे आप एक रुपया ही रखें तो काफी ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भीलवाड़े का एक ऐसा इलाका है जिसमें मक्की बहुत अच्छी होती थी। आज वहां पर पिछले नौ सालों से अकाल पड़ने से यह स्थिति हो गयी कि मक्की की फसल बहुत कम होती है। आज हमारे यहां बारह तेरह साल के बच्चों को पूछा गया कि मक्की का भुट्टा कितना बड़ा होता है तो वह तीन इंच से बड़ा नहीं बता सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इन सबका कारण यह है कि इन पिछले नौ सालों से वहां पर लगातार अकाल पड़ रहा है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र की तरफ विशेष तौर से ध्यान दिया जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने यह योजना बनाई है कि अगर किसी परिवार में 5-6 सदस्य होते हैं उनमें से आप अनुपात की दृष्टि से लोगों को मजदूरी के काम में लगाते हैं। अगर आप सिर्फ दो को ही काम में लगाते हैं तो बाकी बच जाते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा आपने यह भी कानून बना दिया है कि पांच मील के रेडियस में एक ही अकाल राहत कार्य खोला जाय वह ठीक नहीं है। आपको

(श्री विजयसिंह)
ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य खोलने चाहिए तथा वहां पर लोगों को मजदूरी भी सख्त जमीन होने से ज्यादा दी जाय।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वहां पर जो तालाब हैं, जो टूट-फूट गये हैं उन्हें रिपेअर कराये जायें तथा नये तालाब जहां बन सकते हैं उनके बांध बनाये जायें ताकि वहां खेती आसानी से हो सके। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अनुपात की दृष्टि से काम देने की योजना बनाई है उसमें सुधार किया जाय क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक गांव में एक हजार लोग रहते हैं तो आप उन्हें सौ आदमियों से ज्यादा को तो काम देंगे नहीं तो फिर वहां के नौ सौ मजदूर बेकार हो जायेंगे। अगर वहां पर जाकर सरकारी अधिकारियों को इस बारे में कहते हैं तो वे कहते हैं कि 5 मील के रेडियस में एक ही काम चलेगा।

इसके अलावा उन्हें तालाब के लिये कहते हैं तो वह कहते हैं कि चाहे तालाब का काम करवा लें चाहे जो पांच मील के रेडियस में काम सैंक्शन है वह करालें। एक तरफ तो यह स्थिति है दूसरी तरफ आपने अनुपात बेसिस पर लोगों को काम दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अगर उस पांच मील के रेडियस में अगर हजार आदमी रहते हैं तो उनमें से सिर्फ सौ व्यक्तियों को ही आपने काम दे रखा है और बाकी नौ सौ आदमी वहां पर फालतू घूम रहे हैं और आज वो रोटी रोजी को भी मोहताज हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अनुपात से काम लगाने के लिये, वहां पर दूसरे काम नहीं हैं, सिंचाई के काम नहीं हैं, ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर जंगल भी नहीं लगाये जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में सड़कों को क्यों नहीं महत्व दिया जाय। पहले चर्चा हुई थी कि शिन्दे साहब ने कहा है कि प्रोडक्टिव काम में ही लिए जाने चाहिये।

मैं अकाल राहत-मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में शिन्दे साहब के क्षेत्र में उनकी घोषणा के बावजूद 25 हजार किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। चार रेल लाइनों का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में सैकड़ों के लिये यातायात के लिये काम किये जायें और राजस्थान के लिये यह कहा जाय कि यहां सड़कें नहीं बनाई जायें। राजस्थान में आज भी वे इलाके हैं जहां पर लोगों ने सभ्यता के दर्शन तक नहीं किये हैं। वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जहां पर सॉईल कन्जर्वेशन की गुन्जाइश नहीं वहां पर मिट्टी खोद कर डालते जायें, उन तालाबों में पानी न आये उनको प्रोडक्टिव मान कर मिट्टी के ढेर लगा दिये जायें और सड़कें नहीं बनायें इससे प्रोडक्टिव वर्क नहीं बनेंगे। आपको आगे जाकर गांव-गांव को जोड़ना है और यातायात के साधन बढ़ाने हैं उनको अनप्रोडक्टिव मान कर यहां पर काम नहीं कराये जायें यह महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं।

राजस्थान में करीब $1\frac{1}{2}$ करोड़ जनता अकाल से ग्रसित है। जितने भी अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य खोले हैं उन पर $7\frac{1}{2}$ लाख लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि केवल 5 पर्सेन्ट लोग

(श्री विजयसिंह)

हो अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी कर रहे हैं और बाकी के लिए कोई साधन नहीं जुटाया गया है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने परसेन्टेज निकाल कर बताया कि उतने परसेन्ट वहां पर काम कर रहे हैं। ओन दी होल पांच परसेन्ट लोग काम कर रहे हैं। 20 फैमेलीज में से एक आदमी को काम मिल रहा है। इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं माना जा सकता। लाखों भूखे नहीं मर रहे होंगे तो क्या करते होंगे ?

अपने अपने क्षेत्र में जाकर सब माननीय सदस्य इस भयंकर स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे ऐसे कार्यों पर देखा गया है कि दोपहर में आदमी या औरत खाना खाते हैं तो जिनके घर में अनाज नहीं होता है तो उनके बच्चे रोटी देख कर रोते हैं। मजदूरी पर लोग आ रहे हैं और अनाज नहीं मिल रहा है। किसी औरत के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखेगा बच्चा तो उसको देख कर रोता है। इस प्रकार की जो दयनीय स्थिति है वह मैं नहीं निवेदन कर सकता हूँ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी तो मैंने शुरू किया है।

राज्य सरकार को लोगों को काम देना चाहिये। किसी भी तरह से उनके लिये काम हो चाहे लोगों को सरकार घर बैठे तनख्वाह दे यदि कोई काम न हो। लोगों को रोजी और रोटी देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न पूछा था अकाल राहत मंत्रीजी से तो बताया कि 500 पर एक डॉक्टर और एक कम्पाउन्डर रखा है। कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं है जहां पांच सौ से कम और 300-400 मजदूर ही काम कर रहे हैं वहां क्या होगा? चाहे वहां के लिये कम्पाउन्डर हो या डॉक्टर हो उन लोगों को भी चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिये।

अगर सूखे रहने के कारण जिस प्रकार से बीमारियां गांवों में फैली हुई हैं वे भयंकर रूप धारण कर सकती हैं और एक भयंकर और बदनामी की बात होगी। अकाल राहत मंत्रीजी सतर्कता बरत रहे हैं फिर भी वे इस ओर ध्यान दें तो अच्छा होगा।

अनाज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 8 हजार टन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिले तो आप 8 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को दे सकते हैं। आता कितना है, कभी 1300 बोरी, कभी 600 बोरी। अभी काफी लिखी पढ़ी करने के बाद में 1600 टन आ पाया है। दो किलो दे सके। उदयपुर में अनाज नहीं मिलता। सरकारी प्रबन्ध से हम दे पाये तो बहुत कम है। इसलिये पर्याप्त अनाज दिलवाने की आप कृपा करें। शहरों और गांवों में जो आप भेदभाव बरत रहे हैं वह उचित नहीं है। शहरों में चार किलो दिलाते हैं और गांवों में 1 किलो दिलाते हैं। गये महीने भीलवाड़ा में चार किलो एक आदमी को दिया गया और गांवों में 1 किलो दिया गया। शहर के आदमी तो सस्ती चीज को खरीदने के लिये इतना भूखा है और गांव के आदमी सस्ती चीज न खरीद सकें और महंगी खरीद कर काम

Page No 150

(श्री विजयसिंह)

चलाये। यह भेदभावपूर्ण नीति है। इसको आप बदलें ताकि हम भी गांवों में खड़े हो सकें।

पेय जल की स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने पेय जल की रकम तहसीलों तक पहुंचा दी है। यह अच्छा काम किया है। लेकिन तहसीलों में पहुंचाने के बाद भी वह खर्च नहीं हो रही है। पंचायत समितियों या तहसीलों में पड़ी हुई है। पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिये थी वह नहीं हो पा रही है। बारूद वगैरहा से सुरंग लगा कर खोदते हैं कुए तो पैसा नहीं देते। कम्प्रेशर के आधार पर आप कुए खुदवाना चाहते हैं। न नौ मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। और यह रकम जिस स्थिति में है वैसे ही पड़ी रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं।

प्रेशियस रिलीफ के लिये कहा गया। 20,637 आदमियों का ब्यौरा आया। सब लोगों को पैसा नहीं पहुंचा है। एक आदमी के नाम पर लिखा हुआ है लेकिन उसको पूछने से पता चला कि उसको नहीं मिला।

पशु धन की हानि हुई है वह भयानक है और घास के लिये आप प्रबन्ध नहीं कर पायेंगे। तकाबी के लिये प्रावधान रखा है किन्तु भीलवाड़ा जिले में एक पैसा तकाबी के नाम से घास खरीदने के लिये नहीं दिया गया। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा की दिक्कतों को लें और वहां पर रकम तकसीम करवाने की कृपा करें।

मजदूरों को गेंती, तगारी फावड़े नहीं मिले हैं। आपके यहां से आॅर्डर हो गये लेकिन लोगों को नहीं मिल पाये हैं। छोटी छोटी गेंती, तगारी लेकर काम कर रहे हैं। न तो लोगों से काम पूरा हो पाता है और न पूरा पैसा उनको मिलता है इस कमी को दूर करें।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ मुद्दे औरों के लिये छोड़ें।

श्री विजयसिंह : अफसरों को तो आप टाइट करेंगे हो। मैं चाहता हूं कि वार फुटिंग के आधार पर इस काम को हाथ में लिया जाय। और सबोर्डिनेट अफसरों में और ऊपर के अफसरों में सब में आप यह भावना पैदा करें कि यह उनका परम लक्ष्य है, कर्तव्य है और पूरी कर्तव्य बुद्धि से इस काम को लगन से करना है तो आसानी से आप इस संकट का सामना कर सकेंगे।

एक तरफ आप चाहते हैं कि करप्शन नहीं हो और दूसरी तरफ चाहते हैं कि काम भी हो जावे। तो ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकतीं। काम करवाना है तो करप्शन को अलाऊ करना होगा आपको। मैं निवेदन करूं कि जो ऐजेन्सी काम करवाये उसी से पेमेन्ट कराइये तो करप्शन के चांस तो बनेंगे मगर कामों की संख्या भी बढ़ेगी और मजदूरों की संख्या भी बढ़ेगी। अधिकारी पैसे खायेंगे तो काम भी करेंगे वरना काम नहीं करेंगे और लाखों लोग भूख से मर जायेंगे।

(श्री विजयसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां खादी और ग्रामोद्योग विभाग के माननीय मन्त्री को इसकी देखभाल के लिये आपने लगाया है। वे आदमी बहुत भोले हैं। यह काम तो हमारे यहां सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय को सौंप दिया जावे तो ठीक रहेगा। हमें होशियार मंत्री चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री परसराम मदेरणा : वेजेज के पेमेन्ट के लिये हमारे आदेश थे कि 25 मार्च तक के पेमेन्ट 31 मार्च तक हो जाने चाहियें। आपके यहां इस तरह से पेमेन्ट हुआ या नहीं ? यह सप्ताह 25 मार्च का अर्लाऊ कर दिया गया था।

श्री विजयसिंह : नहीं हुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की तो आज यह स्थिति बन गई है कि हर साल इस विधान सभा में इस पर कहा जाता रहा है इसलिये अब यह तो कोई डरने जैसी बात नहीं रह गई। इसका भय अब हमारे मनों में से निकल गया है। अकाल से राजस्थान अब आदी हो गया है, हम भी इस पर बोलने के आदी हो गये हैं। अकाल की इस समस्या का उन्मूलन करने के लिये हमें अब कोई स्थायी हल ढूंढना चाहिये। इसके बिना अब इस पर काबू पाना किसी के वश का नहीं है। वैसे हर साल माननीय सदस्य और मन्त्री महोदय सभी इस बात को कहते भी हैं। इस साल थोड़ा सा इस कथन में नयापन था। इसके उन्मूलन के लिये राजस्थान को 200 करोड़ रुपया चाहिये जो राजस्थान के पास नहीं है और सेन्टर से हमने मांगने का संकल्प किया है। यह सब इस रिपोर्ट में दिया हुआ है।

मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल में जो इस साल काम हो रहा है वह केवल राहत का हो रहा है। इसलिये उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। कई कठिनाइयां हो सकती हैं अधिकारियों की, ह्यूमन एक्टीविटी है यह, यह उनको मानकर चलना है। यहां बातें कर जाते हैं पर अपनी ड्यूटी पर जाकर अपनी कुर्सियों पर बैठकर ये लोग भूल जाते हैं यह सब। दिन भर धूप में काम करने वाले इन ह्यूमन बींग्स को देखना है हमें आज, जो पत्थर तोड़ते तोड़ते पत्थर के बन गये हैं। उनके प्रति ये अधिकारी भी पत्थर के बन गये हैं। इस बारे में काफी कहा जा चुका है। विशेष इस बारे में कहने को कुछ बचा नहीं है मेरे लिये।

मैं तो दो तीन बातें विशेष रूप से निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह फैमीन कोड जो बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है, इसको भगवान के नाम पर बदलने का प्रयास तुरन्त करिये। आज आदमी चन्द्रमा पर पहुंच गया है, पर हम यहीं कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। जो लोग इन राहत के कामों पर आते हैं, उनके लिये हम यह अनुभव करने लग गये हैं कि ये लोग तो हमारी दया पर आश्रित हैं। हम उनके अन्नदाता हैं। यह स्थिति तुरन्त बदल डालिये अन्यथा इसमें से ऐसा भीषण विद्रोह ज्वाला बनकर फूटेगा कि जिसमें

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
हम सब बह जावेंगे, उसे फिर यह सरकार सम्भाल नहीं सकेगी।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि रिकवरी को स्टे करने का एक्ट जो है वह उन पर लागू करिये जिनको आपने फेमीन का यूनिट मान लिया है। आज स्थिति यह है राजस्थान में कि आप उस गांव को फेमीन में डिक्लेअर नहीं करते जिसमें साढ़े सात आना फसल है। अब इस साढ़े सात आने में वे लोग भी हैं जिनके पास खेत तो हैं फसलें भी लेते हैं पर जिनको दो क्रॉप्स नहीं मिलतीं। जिनके पास खेतों में सिंचाई के साधन नहीं हैं। जितना खर्चा वे करते हैं उस पर महाजनों से कर्जा लेकर या अन्य कर्जे के स्रोतों से कर्जा लेकर, सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी, सारे घर भर द्वारा मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिये उनको। पर उन गांवों में आप फेमीन डिक्लेअर नहीं कर रहे हैं। आप फेमीन डिक्लेअर नहीं करते, मत करिये पर उन गांव के लोगों को फेमीन वर्क्स पर तो लगाइये ताकि वे अपना पेट तो भर सकें किसी तरह। आज उनके घरों में कुछ नहीं है खाने को, कुछ बचा नहीं है, जो थोड़ा बहुत हुआ भी तो वह कुछ तो खा गये कुछ कर्ज को चुकाने में चला गया। तो भगवान के नाम पर कम से कम राहत के काम तो वहां भी शुरू करिये। आज उनके पास भी शाम का खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। जहां 8½ आना अच्छी फसल हुई है और साढ़े सात आना खराबा है। और कहीं साढ़े सात आना अच्छा है 8½ आना खराबा है वहां ऐसे मार्जिनल गांवों में कम से कम आप राहत काम तो खोलें।

फिर आपका यह फेमीन कोड ऐसा नहीं जिसका विधान सभा में लाना आवश्यक हो। आप सक्यूलर निकाल कर इसमें अमेण्डमेन्ट करते रहे हैं, वैसे ही अब इस दृष्टि से भी कर सकते हैं। पी. एन. टी. टी. एन. टी. को आपने सक्यूलर निकाल कर ही एड कर दिया तो इसी तरह से इन मार्जिनल गांवों में भी काम चालू करना एसेन्शियल हो यह भी तबदीली आप इसमें सक्यूलर निकाल कर कर सकते हैं।

एक निवेदन करना और रह गया है। वैसे करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके अधिकारियों में बहुत से माननीय अधिकारी अच्छे भी हैं इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। पर अकाल के राहत कामों को देखने का मुझे मौका पड़ता रहता है जिन के आधार पर आज मेरी यह धारणा बन गई है कि आपके ये अधिकारी आज सूख गये हैं। इन के मनों में से मानवता निकल गई है, ह्यूमेनिटी चली गई है इनके दिलों में से, आज साक्षात जड़ पशु के समान बन कर रह गये हैं। मैं एक नमूना बताता हूं। हमारे क्षेत्र में 25 ट्यूबवैल खोदे गये। वे एप्रूव्ड हो गये। 25 हजार गैलन पर आवर पानी का डिस्चार्ज उनमें है। आज वे साल डेढ साल से बन्द पड़े हैं। उन पर पम्पिंग सैट नहीं लगे।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पचासों कुए ऐसे खोदे हैं। आज अगर इन कुओं पर डेढ़ साल पहले पम्पिंग सैट लग जाते तो दो तीन हजार एकड़ जमीन पर खेती होती है। इसलिये

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
निवेदन है कि अब भी इन ट्यूब वैल्स को ठीक कर दें। बिजली इनको उपलब्ध करा दें। यह मेरा निवेदन है।

आज भी जो चार साल पुराने मजदूरों के एरियर चुकाने बाकी पड़े हैं उनको चुकाने का प्रबन्ध करें। वे पता नहीं कहां कहां चले गये। उनका पता लगा कर उनको चुकावें। पता लगाना आसान है। लाखों रुपया उनका बकाया है। यह ऐसी कठिन समस्या बन गयी है। अब जिसे सुलझाना माननीय मन्त्रीजी के वश का ही रोग है। आप बड़े सजग हैं। मेहनती हैं, अनुभवी भी हैं अधिकारियों को आप इस तरह से बनावें कि वे मानव बन कर मानव की सेवा इसे समझें। बस, यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में चर्चा सदन में चल रही है। इस सिलसिले में मैं भी कुछ मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अकाल भारत के कई राज्यों में भी है। पर जहां तक राजस्थान का सवाल है इस अकाल की चुनौती को यह सरकार कैसे सम्भाल पावेगी, यह एक गम्भीर समस्या है। मुख्य मन्त्री जी ने यह आह्वान किया था कि इसे युद्ध स्तर पर लड़ा जाय और इस समस्या का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया जाय। मेरी यह मान्यता है कि अकाल मन्त्रीजी या मुख्य मन्त्री जी इस युग में अकेले केवल युद्ध स्तर की बात कह देने मात्र से सफलता नहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें तो सबका लक्ष्य समान होना चाहिये। और सब में एक सी लगन और जोश होना चाहिये। सरकार, सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, पूंजीपति सभी मानव हैं और मानव को मानव को जिन्दा रखने के काम में तन मन धन से जुटाना हैं। पर इसमें सरकार की मशीनरी अपने मन्त्रियों का कितना साथ देंगी यह नहीं कहा जा सकता। उनकी काम करने की लगन अत्यन्त संदिग्ध है। कई माननीय सदस्यों ने उनके कार्यकलापों के बारे में ही चिन्ता व्यक्त की है।

यह कहते मुझे शर्म अनुभव हो रही है कि जो किसान हमारा अन्नदाता कहा जाता है उसको आज मजदूर की परिभाषा में लाकर खड़ा करें तो यह बड़े दुःख की बात है। यह राज्य सरकार की मशीनरी आज ऐसी है कि इसके पीछे तो भगवान ही हमारा मालिक है। आज इस मशीनरी ने किसान को मजदूर की परिभाषा में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। अभी एक माननीय सदस्य ने अंग्रेजों को याद करके कहा अंग्रेज बड़े सराहनीय थे। सदस्य इस बात को भूल गये कि ब्रिटिश काल में भी लाखों लोग मरे होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा 8 साल से कांग्रेस अकाल का बराबर मुकाबला कर रही है, माननीय सदस्य जानते है इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं, ब्रिटिश काल में उन कपड़ों का मुलाहिजा करें आज जो कपड़े पहने हैं, वे हमारे सिर पर हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अकाल पर हमें सफलता मिलेगी।

(श्री शंकरसिंह रावत)

यह साल और पिछले सालों से भी भयंकर हैं। कुछ दिक्कतें हैं उपाध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ दो-चार बातों पर आपके माध्यम से अकाल सहायता मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस वक्त जो परिचय-पत्र आपने बनाये, बनाने चाहियें, उनकी सद्बुद्धि है, क्योंकि वे ढंग से ऐसे लोग न हों कि एक एक घर से 5-6 व्यक्ति चले जायं लेकिन एक दिक्कत जरूर हुई। कहीं पर परिचय-पत्र ऐसे पटवारी और सरपंच ने बनाये हैं जैसे एक फसल की गिरदावरी एक जगह बैठ कर कर दी। 20-25 साल की महिलाओं की 14-15 साल की लिख दिया गया। कुछ औरतें ऐसी हैं जो दो दो, तीन तीन बच्चों की मातायें हैं और करीब 30-35 साल की हैं उनको भी 13-14 साल का लिख दिया गया है। मैं अभी दौरे पर गया था वहां एक 60 वर्ष के आदमी ने बताया मेरी औरत 35-40 साल की है उसको भी कम लिखा गया है, क्योंकि वे समझते हैं कि आगे क्या लाभ परिचय-पत्र में है। जो परिचय-पत्रों में अंकित किया है उसके सुधार के लिए तहसीलदार स्तर का आदमी नियुक्त किया है।

मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा तहसीलदार जगह जगह जाकर यह कार्य-वाही करें, यह सम्भव नहीं होगा और जगह जगह जाकर हर परिचय-पत्र का सुधार कर लें। ग्राम पंचायत के सरपंच को तहसीलदार के स्थान पर लगा दिया जाय और तहसीलदार का यह कार्य न होकर सरपंच के माध्यम से कराया जाय तो मैं समझता हूं यह उचित होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा चूंकि अप्रेल का माह आ गया है। दो-तीन माह भयंकर आने वाले हैं इसलिये जो परिचय-पत्र की नीति निर्धारित की है उसमें पांच में से दो कर दिया, तीन में से एक कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पॉलिसी निर्धारित की है उसी तरह लगाना आवश्यक है। दूसरा मेरा निवेदन है भुगतान के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक एक महीने तक भुगतान नहीं करना मजदूरों के साथ अन्याय करना है। आज अनाज की समस्या भी हमारे सामने है, महाजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। दूसरी बात गरीब मजदूरों के पास पैसा नहीं है जिससे कोई आधार हो तो कम से कम सरकार इस ओर भी ध्यान दे। जो 15 दिन का अवकाश इसमें दे रहे हैं तो 15 दिन में मजदूरों का भुगतान भी हो जाना चाहिये ताकि वह समय पर राशन प्राप्त कर सकें। कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि राशन और भुगतान की एक व्यवस्था कर दी जाय। मजदूरी एक डेढ़ महीने तक देना उचित नहीं होता है।

सरकार जो काम खोल रही है, सारी सुविधायें दे जा रही है, लेकिन जो व्य-वस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार करने की बात है। मेरा निवेदन है मजदूरी का 15 दिन में भुगतान होना चाहिये और 15 दिन का राशन भी उन्हें एक साथ मिलना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक महीने के आंकड़े मांग लीजिये जो भुगतान रह गये हैं तो मैं समझता हूं आपके सामने बहुत स्पष्ट बात आ जायगी।

इसके साथ जहां औजारों का सवाल है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जो छोटे मोटे औजार साथ लेकर आते हैं लेकिन ऐसे

(श्री शंकरसिंह रावत)

भी लोग हैं जो अनुसूचित जाति के जिनके पास गेंती और फावड़े तक नहीं मिलते हैं वहां पर उनसे कहा जाता है सामान लाओ तब काम मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि औजार ठीक नहीं होंगे तो मिट्टी भी ठीक नहीं खुदेगी, क्योंकि इस समय परिचय पत्र में एक की लगा रहे है और परिचय पत्र की नीति के आधार पर लगायेंगे तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ मिट्टी की खुदाई का सवाल है, सरकार ने 70 प्रतिशत कर दिया है। यह विभाग के अधिकारियों को मालूम होना चाहिये और लोगों को भी मालूम होना चाहिये कि इतनी मिट्टी की खुदाई होगी। मैं कल मौके पर गया तो पूछा कितनी मिट्टी की खुदाई करनी है तो बताया गया 100 बेलदार, 75 औरत और 60 बच्चों को। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा यह खुदाई तो गलत है। 75 फुट होना चाहिये बेलदार के लिए 65 औरतों के लिए और 45 बच्चों के लिए और फिर कम से कम ए. ई. एन., एक्स. ई. एन. को पूछना चाहिये कि कितनी खुदाई करनी है। क्योंकि बहुत से कहते हैं कि 100 फुट है, 75 फुट है और 60 फुट है। सरकार ने 30 प्रतिशत कमी की है। इससे सरकार के प्रति आस्था होगी।

तीसरे पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, पीने के पानी की अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से साथियों ने कहा पानी की समस्या बहुत गम्भीर है यहां तक बहुत से कुए सूखे पड़े हैं। कम से कम पानी के एक पनघट के लिये एक हजार दिये गये हैं 750 अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को दिये और 250 मलबा उठाने के दिये तो उसमें संशोधन होना चाहिये। 60 : 40 का रेशो दें। 60 रुपये अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड को दें तो 40 रुपया मलबे के दें। हालांकि अब एक पनघट के 1,500 रु. कर दिये हैं। 250 रुपये में मलबा साफ होने वाला नहीं है और भी व्यवस्था इसमें करनी हो तो पूरी की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

इसके साथ इतना निवेदन और करना चाहूंगा कि कहीं पर काम चल रहा हो तो उसके पांच दिन पहले या एक सप्ताह पहले यह मालूम होना चाहिये कि यह काम बन्द किया जायगा और जिलाधीश को यह मालूम होना चाहिये कि यह कार्य बन्द होते ही लोगों को दूसरे काम पर लगा दिया जायगा। अभी एक निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में एक तालाब है उसको बन्द करने के आदेश निकल गये तो उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी दिन भर काम करता रहे और उसको उसी दिन आकर यह कहा जाय कि यह काम बन्द हो गया है तो उचित नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि काम बन्द होने से पहले उनको मालूम हो जाय और दूसरी जगह काम पर लगा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है, सरकारी मशीनरी है यह इसका उत्तरदायित्व है।

आज जिन जिन देशों ने किसानों को खुशहाल नहीं किया वहां के मजदूर भी खुशहाल नहीं हो सकते हैं और जहां का

(श्री शंकरसिंह रावत)
मजदूर खुशहाल नहीं है, वहां का किसान भी खुशहाल नहीं हो सकता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जो किसान अनाज पैदा करने वाला है उसको चार किलो के हिसाब से दिया जाता है। मैं समझता हूं सरकार प्रयत्नशील है जितना आये, उसको मौके पर मिलना चाहिये। पहले जरूर अनाज खराब आया था। बीच में अच्छा लाने की व्यवस्था हुई है। लेकिन चार किलो के बजाय 8 किलो, 12 किलो बढ़ा दीजिये ताकि वे अपना गुजर कर सकें।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस समय पंचायत समितियों को कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं है। वहां पर ग्रामसेवक बेकार बैठे हैं और पंचायतों को पता नहीं कि उनके यहां कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, क्योंकि वह को-ओपरेट नहीं करते हैं। सरपंच को पता नहीं कि कौनसा काम स्वीकृत हुआ है और कहां पर कितने लोग लगाने हैं। यह काम पंचायत समितियों के पास सरपंच के माध्यम से जाने चाहिए ताकि वह लोगों को बता सकें। ग्रामसेवकों को ड्यूटी लगानी चाहिए कि 60 आदमी या 100 आदमी लगाने हैं और मौके पर जाकर उनकी मदद करें। क्योंकि आखिर जो व्यवस्था है वह भी सरकारी है। तो इसमें सबका सहयोग होना चाहिए।

मैं अब अधिक नहीं कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार सारी बातों को देखे, क्योंकि आपके सामने भी समस्या है। आपने कुछ कार्यों के सम्बन्ध में संकेत दिया है कि 1,500 की आबादी नहीं होगी तो वहां सड़क नहीं बनाई जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि ऐसी परिस्थिति में कम से कम यह होना चाहिए कि ठीक है सिंचाई के कामों को पहले प्राथमिकता दें लेकिन जहां सिंचाई के काम नहीं हैं वहां पर सड़कों के काम को लिया जाये और ऐसी अवस्था में उनको स्वीकृत करना चाहिए, और लोग जिलाधीश के पास जायें और कहें कि 1500 की आबादी नहीं है इसलिए इस काम को नहीं लिया जाये। यह ठीक नहीं है लोगों को राहत देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लेकर इतना ही कहूंगा कि यह सरकार को चुनौती है और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। पानी की, अन्न की और पैसे के भुगतान की और सामान की सारी व्यवस्था करने के लिए एक बड़ा प्लान लेकर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के संबंध में सदन में कई बार चर्चा उठी और यह वास्तव में राजस्थान के साथ ही अकाल एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। इस बाबत पहले भी मैंने निवेदन किया था कि अगर सरकार और सरकार की मशीनरी इस बात पर गंभीरता से विचार करे और अगर इसको जड़ से खतम करना चाहे तो कोई कारण नहीं कि अकाल राजस्थान से समाप्त नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महो-

(श्री मूलचन्द सामरिया)
दय, छोटे छोटे देश जिनकी आबादी राजस्थान से बहुत कम है और रेगिस्तान से अगर वह लहलहाते हुए खेतों में परिवर्तित हो सकते हैं तो राजस्थान का किसान भी किसान है, विपरीत परिस्थितियों में, सूखे में तपते हुये गर्मी में और कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कड़े से कड़ा परिश्रम करने का आदि है। रेगिस्तान का किसान प्यासा रह कर काम कर सकता है, भूखा रहकर काम कर सकता है, नंगा रहकर काम कर सकता है उसके बावजूद भी मिनिमम नेसेसिटी सरकार की तरफ से अगर उपलब्ध नहीं कराई जाय तो यह उस किसान का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रान्त का और देश का दुर्भाग्य है। आज 25 साल के बाद भी किसान के खेत को पानी देना तो दूर रहा लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले भाइयों के लिये पेय-जल भी उपलब्ध वह नहीं करा सकी जब कि सरकार हर बार इसकी घोषणा करती रही है कि हम पेय जल की समस्या को हल करके छोड़ेंगे। हर व्यक्ति को पीने का पानी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप यह विचार कर सकते हैं कि एक तरफ सूखे की वजह से पीने के लिए पानी नहीं है और इस कड़ाके के सूखे में और गर्मी के आने वाले मौसम में उनकी क्या हालत होगी जो लोग कि रेगिस्तान में रहते हैं, जो लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं उनके साथ अगर सरकार का नर्मी का रुख नहीं रहेगा और युद्धस्तर पर पेयजल की समस्या का हल नहीं होगा तो खैर यह सरकार अनाज से भूख की बात को तो कलेक्टर के माथे मंढ़कर या अन्य अधिकारियों के माथे मंढ़कर यह कहते हैं कि वहां भूख से मृत्यु नहीं बल्कि अमुक कारण से और बीमारी के कारण से मृत्यु हुई है कोई भी बहाना उनको तलाश करना पड़े लेकिन मैं समझता हूं कि भूख से तो नहीं अगर सरकार ने शीघ्र कार्यवाही नहीं की तो प्यास से तड़प तड़प कर लोगों को मरना पड़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करू कि भूख से मृत्यु के बारे में कई बार सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया लेकिन मैं यह समझ लूं कि अगर अपने दिल पर हाथ रखकर मंत्री महोदय भी इस बात को सोचें तो भूख से मरने का कारण डाइरेक्ट कोई भूख अपना मूल रूप धारण करके नहीं आ सकती है बल्कि एक आदमी भूखा और अर्ध भूखा रह कर शनैः शनैः बीमारी के शिकंजे में फंसता है, और उसका इलाज नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि उसके बारे में सरकार यह स्पष्टीकरण करे कि वह भूख से नहीं बल्कि बीमारी से मरा है। कहां तक ठीक है ? खैर, बहाने के लिए और सरकार को अपना मुंह छिपाने के लिए यह दलील हो सकती है, लेकिन वास्तविकता से आंख मूंद ली जाये तो यह मृत्यु कम नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां अकाल के बारे में मुझसे पूर्व वक्ता श्री पी. के. चौधरी ने आंकड़े दिये उससे भी आप इस नतीजे पर पहुँच सकेंगे कि जयपुर जिले में विकास के कार्यों में बल्कि जहां अकालग्रस्त क्षेत्र है

(श्री मूलचन्द सांमरिया)
उनसे रोजगार कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। 70 आदमियों पर एक आदमी को रोजगार दिया गया है। दूसरे जिलों में जिन जिलों पर मेहरबानी है वहा पर 7 और 8 आदमियों को काम दिया गया है। इसी तरह से जो हमारे यहां पर अकाल कमेटी की मीटिंग होती है महीने में एक बार उसकी सिफारिशों के ऊपर कोई कार्य नहीं किया जाता है। इससे न तो काम शुरू होते हैं और न मजदूरों को काम मिलता है, न समस्याओं का समाधान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा तहसील में ग्राम खानभाखरी ऐसा है कि जिसको अकाल में लिया गया है। जिसके लिए सदन के उप नेता ने यह कहा है कि ग्राम खानभाखरी से कुन्डलनोट सड़क को लिया जायेगा। लेकिन मैं निवेदन करूं कि आश्वासन के बावजूद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है और उसकी हालत यह है कि क्रेश प्रोग्राम में कुछ मिट्टी डाली थी। यह आठ, दस पंचायतों को लिंक करने वाली सड़क है उसकी आवश्यकता है और उन पंचायतों से दौसा सब डिवीजन हैड-क्वार्टर होते हुए, तहसील हैडक्वार्टर होते हुए उसका सम्बन्ध हो जाता है, और इस तरह से इस पर मिट्टी डलाई वह धीरे धीरे कटकर विस्मृत होती जा रही है और ऐसा पता नहीं चलता है कि यहां कभी काम भी किया गया था या नहीं। बल्कि दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर आवागमन की वजह से इतने खड्डे हो गये हैं कि जो एक साधारण सा रास्ता था, एक पगडंडी थी वह भी खतम होकर खड्डे पड़ गये हैं और रास्ते पर आज बैल-गाड़ी तक नहीं चल सकती है और वह सड़क नहीं होकर आब्सटेकल बन गयी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने वादे के मुताबिक और क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे और शीघ्र पूरा कराने के लिए आदेश प्रसारित करे। एक तरफ मजदूरों की बहुतायत है, दूसरी तरफ आवश्यकता और सरकार के पास बहुतायत के साथ पैसे-इसके बावजूद भी सरकार नहीं करे तो उस क्षेत्र का और हमारा दुर्भाग्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार स्थगन प्रस्तावों के द्वारा और कई बार बजट में और गवर्नर महोदय की स्पीच के समय भी निवेदन किया था कि दौसा में पेयजल योजना के लिए भी सरकार ने स्वीकृति दी और सन् 71 में वायदा किया लिखित में भीखाभाई ने जब कि वह मिनिस्टर थे कि 72 की गर्मियों में डाइरेक्ट पम्पिंग के द्वारा हम दौसा की जनता को पानी पिला देंगे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज दौसा की जनता को पानी की जगह पर, मैं बिल्कुल फैक्ट कहता हूं, कीचड़ से मिला हुआ पानी पीना पड़ता है। उसमें कम से कम 10 पर्सेन्ट कीचड़ है और बाकी पानी है। उसको कोई इन्सान तो क्या जानवर को भी सामने रखा जाये तो वह उसकी तरफ मुंह नहीं कर सकता है। आज यह स्थिति है तो, उपाध्यक्ष महोदय, जो गर्मी नजदीक आ रही है- दौसा ऐसी जगह है कि जहां आसपास में खारे पानी के कुए हैं और अगर जनता उन कुओं से पानी ले तो उसको खारा पानी मिलेगा। वहां पर बस एक ही मीठे पानी का कुआ है। एक नयी योजना स्वीकृत की थी वहां पाइप

(श्री मूलचन्द सामरिया)
पड़े हुए हैं उसको एक मील उरली तरफ छोड़ दिया गया है और उसको पूरा नहीं किया जा रहा है अगर वहां पर पाईप है, और भी योजनाएं बनी हैं, उस जगह भी टैंक बन कर तैयार हो गया है, बिजली की लाईन पहुंच गई है, एक मात्र सरकार की लापरवाही की वजह से वहां के अधिकारियों की वजह से और बड़े 2 अधिकारी जिनके आदेश की वजह से उस योजना से जनता को पानी नहीं दिया जा रहा है जिससे वहां पर आन्दोलन की तैयारियां हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 71 में भी लगातार दस पन्द्रह दिन तक भयंकर आन्दोलन किए गए, उसके बाद में सरकार ने यह काम किया था। आज मैं फिर निवेदन करता हूं कि इन अकाल के समय पर उस जनता को मजबूर नहीं करें, जो कि भूख और प्यास से पीड़ित है, उसको इस बात के लिए मजबूर न करें कि आन्दोलन के द्वारा अपनी मांग को मनवायें। वहां पर बिजली की लाईन पहुंच गई, पाईप लाईन पहुँच गई फिर भी यह दुर्भाग्य हमारा है कि कस्बे को आज इस अकाल के समय में, इस दुःख के समय में पानी से वंचित रखा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अकाल के सामने का प्रश्न है पूर्ववक्ताओं ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। महाराष्ट्र में रेल्वे लाईन स्वीकार की गई है। महाराष्ट्र में इतना भारी अकाल नहीं है जितना कि राजस्थान में है। राजस्थान के करीब चौबीस जिले अकाल में है लेकिन जो कुछ जिलों में जिन जिलों में अकाल नहीं माना है उन जिलों के अन्दर भी बाढ़ की स्थिति थी और बाढ़ की वजह से वे तबाह हो गये थे। इसके बावजूद राज्य सरकार के बारे में जो शिन्दे साहब का अखबारों में स्टेटमेंट निकला था और उन्होंने यह कहा था कि हम पैसा देना चाहते हैं लेकिन एक तो अनुपयोगी खर्च किया जाता है, उत्पादन योजना राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है और किसी भी तरह से कार्य रूप में परिणित करके स्तेमाल नहीं कर सकती है। राजस्थान के और केन्द्र के सारे अखबारों में यह खबर छपी थी। हमारे प्रान्त के कुछ एम. पी. महोदय वहां पधारे और यह सोच कर गये थे कि हम केन्द्रीय सरकार को अच्छी तरह से दबा सकेंगे कि क्या कारण है कि महाराष्ट्र को 70-80 करोड़ रुपया मिला, अन्य प्रान्तों को 30-40 और 50 करोड़ रुपया मिला जबकि राजस्थान को 7 करोड़ रुपया देकर के ही संतोष की सांस ले ली। तीन तीन बार अध्ययन दल आता है और रिपोर्ट देता है वे लोग इस बात को समझ करके गए थे कि हम केन्द्रीय सरकार को दबा सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा सहायता की रिक्वेस्ट करेंगे। केन्द्रीय सरकार को लाजवाब करके दबा देंगे, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां हमारो राजस्थान सरकार केन्द्र की कठपुतली के समान है और उनके द्वारा एपॉइन्टेड चीफ मिनिस्टर, उसके नाते यह सरकार गठित हुई है, दूसरी तरफ यह इतना इफेक्टिव काम करने के अन्दर भी, सेंट्रल की मेहरबानी से मिलने वाले पैसे को भी प्राप्त

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कर खर्च नहीं कर सकती है, इस तरह से यह जनता के साथ विश्वासघात है, इन भूखे लोगों के साथ विश्वासघात है उन लोगों के साथ विश्वासघात है जो कि अन्न के लिए तड़फते हैं, पानी के लिए तड़फते हैं, जिनकी भूमि सूखे की वजह से और ऊसर हो गई है, खराब हो गई है, जिनकी उत्पादन क्षमता नगण्य और शून्य हो गई है। मैं तो कहता हूं कि यह सरकार इस प्रकार अंधी, अपंग और बहरी है कि इसको यह पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल कितना खर्चा होगा, कितनी योजनाएं हैं और किस तरह से कार्य करना है ? इस तरह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से ऐसी मिसाल कायम की जानी चाहिए और कम से कम अगर युद्धस्तर पर नहीं तो सेमी—युद्धस्तर पर काम करना चाहिये। हमारे ये किसान, अकाल पीड़ित इतने बहादुर हैं कि वे बहादुरी के साथ अकाल का मुकाबला करने को तैयार हैं। एक टाईम तो हर नागरिक को पूर्ण भोजन देने को, पौष्टिक भोजन देने की घोषणा करें और गारंटी लेते हैं कि नागरिक को एक टाईम भोजन मिलेगा, फिर भी नागरिक जिन्दा रह सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, आज सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में गांवों के अन्दर ऐसे लोग हैं जिनको दोनों टाईम भोजन नहीं मिलता है। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण, अनाज वितरण की व्यवस्था के कारण आज लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज का वितरण एक अप्रैल से सरकार ने अपने हाथ में लिया है तो इस बात की भी सरकार गारन्टी दे कि जितनी आवश्यकता होगी उतना अनाज समय पर मिलेगा और उनकी सहूलियत के मुताबिक मिलेगा। सरकार यह भी ध्यान में रखे कि जिन लोगों की छोटे 2 पैसों में कमाई है उनको रोजना अनाज मिले हर समय मिले, टाईम पर मिले। दुकाने बराबर खुली रहें। रात को दस बजे तक खुली रहें और सुबह छः बजे से खुलें ताकि जिस समय किसान के पास मजदूर के पास, पैसा हो उसी समय नाज ले सके और अपने बच्चों को पाल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मजदूरी का सवाल है मेरे से पूर्ववक्ताओं ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो काम में कुछ स्तर कायम करके लोगों को मजदूरी दी जाती है, इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि अकाल-ग्रस्त लोगों को आर्थिक रूप में, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी परिस्थितियों को देखते हुए इतने कमजोर लोग कितना काम कर सकते हैं उनको जिन्दा रखने के लिए जो काम शुरू किए गए हैं कि वह भूख से नहीं मरे और फिर भी उनको मिट्टी डालने पर मजदूरी दी जाय, काम के स्तर के मुताबिक ही काम करने पर मजदूरी दी जाय और उनसे मनमाने ढंग से काम लेने के बाद ही वेतन देने का आधार हो सकता है लेकिन ज्यादातार लोग ऐसे हैं जो यह काम नहीं कर सकते हैं अकाल के कारण और इस सरकार की समाजवादी नीतियों के कारण आज अपने उनको इतना स्वस्थ्य कर दिया है कि वे इतना

(श्री मूलचन्द सामरिया)

काम कर सकें ? उपाध्यक्ष महोदय, आज लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि मिट्टी उठा कर डालना तो दूर रहा वे पांच कोस चल कर भी जाकर नहीं आ सकते हैं और उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है। इसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? क्या उनसे मिट्टी खुदवाने के बाद ही, मिट्टी खोदने के बाद ही पैसा दिया जाय तो उनके परिवार के सदस्य क्या इसी तरह से भूख से मरते रहेंगे ? इसलिए निवेदन है कि ऐसे लोगों के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए जो असमर्थ है, अपंग हैं, जो बूढ़े हैं, जो मेहनत नहीं कर सकते हैं, जो कमजोर हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार को प्रोविजन रखना चाहिए अन्यथा इन लोगों की बहुत दुर्दशा हो जाएगी और आप बार बार यही कहेंगे कि यह भी भूख से नहीं मरे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए सरकार को इस कार्यक्रम में फैमिन पर राजनीतिक संकीर्णता को छोड़ करके, किसी कार्यकर्त्ता को पनाह न देते हुए सर्व दलों से, सर्व संस्थाओं से इसमें सहयोग लेते हुए और हमारे राज्य के इस भीषणतम पोजीशन में, इस कुदरत की तरफ से जो जुल्म हम पर ढाया गया है, इसमें सबको मिला कर साथ रखना चाहिए। इस तरह से राजनैतिक सौदेबाजी करना, हमारे प्रान्त के नागरिकों के भाग्य के साथ सौदेबाजी करना, जिनके भाग्य पर पहले से अकाल की कहर है उनके साथ खिलवाड़ करना सरकार के लिए कैसे भी वाजिब नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल के टाईम पर टैम्प्रेरी इलाज के साथ ही साथ सरकार अगर परमानेन्ट इसका इलाज नहीं करेगी तो आए दिन हर साल यह अकाल की स्थिति कहीं न कहीं टपकती रहेगी और हमारे प्रान्त को प्रकृति के हाथ में खिलाती रहेगी। तो सरकार को कटिबद्ध होकर युद्ध स्तर पर जो बड़ी 2 योजनाएं है सिंचाई की, उनको लागू करना चाहिए और इसके लिए सरकार को कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, उस परिश्रम को करके हर खेत के लिए पानी देने की कोशिश करनी चाहिए अगर हर खेत को पानी नहीं दे सके तो कम से कम रेगिस्तानी इलाके को जो बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए केन्द्र पर दबाव डाल कर, सीमित साधनों का सदुपयोग करके, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको निकाल कर कम से कम यह करे। और योजनाएं कितनी भी भ्रष्ट होती है उसको भी सरकार रोक नहीं सकती है वह तो राज्य सरकार और भ्रष्टाचार अलग 2 हो नहीं सकते और भ्रष्टाचार नहीं तो सरकार नहीं अगर सरकार नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं, दोनों एक साथ हैं। जब सरकार का नाम लेते हैं तो भ्रष्टाचार का नाम लेते है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनको आप ईमानदार मानते हों, ऐसे लोगों के द्वारा उन योजनाओं को पूरा किया जाय जिनमें लगन है, उनसे काम करवा कर आप इस रेगिस्तान को पानी दें, इस प्यासी धरती को पानी देते हैं तो मैं समझता हूं कि आप वास्तव में समाजवाद ला सकते हैं। दो टाईम का भोजन दे सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कर सकते हैं वरना लगातार घोषणा करते रहेंगे, अकाल आते रहेंगे और सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी होगी कुछ सस्पेंड होंगे और कुछ ऐसे जो सारी जिन्दगी कई पीढ़ियों तक अगर कुछ नहीं करें तो भी घर बना कर पड़े रहेंगे, यह पूर्व के अकाल की स्थिति है। कई अधिकारियों के आपने तबादले किए, सस्पेंड किया लेकिन आज की सरकार के कार्यों की वजह से यह भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, इस समस्या का समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि लम्बे समय के लिए फायदा देने के लिए योजना चालू की जाय और इस अकाल को जड़ से खतम करने की कोशिश करेंगे। तो यह अवश्य ही खत्म होगा क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत परिश्रमी है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का वह सामना कर सकती है, संघर्ष कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीसिंह बेगूं !

श्री हरिसिंह (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में आज अकाल की विषम स्थिति है खास तौर से अगले चार महीने, जो कि एक तरह से हमारे लिए चुनौती के दिन हैं। आज राज्य के अन्दर अक्टूबर 72 तक करीब 11 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। अकाल के अन्दर करीब 2 हजार 297 कार्य अकाल के विभिन्न जिलों में लिए गये हैं और कुल 34 हजार विलेजेज हैं हमारे राजस्थान के अन्दर उनमें से करीब 18 हजार ग्राम सीधे प्रभावित हैं अकाल से जिसमें कि करीब 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या सीधी प्रभावित है। ऐसी विषम परिस्थिति के अन्दर इस अकाल से किस प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, इसके मैं समझता हूं कि दो उपाय हो सकते हैं। एक तो यह है जैसी कि राज्य सरकार ने अभी तक जो नीति अपनाई है कि तात्कालिक फायदा, जहां पर अकाल के क्षेत्र हों, सूखाग्रस्त क्षेत्र हों, राज्य में करीब 55 प्रतिशत सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर चाहे पी. डब्ल्यू डी. के वर्क्स हों चाहे फॉरेस्ट के वर्क्स हों, साइल कन्जर्वेशन के वर्क्स हों इस प्रकार के वर्क्स हों, इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि तात्कालिक सहायता दी जाए जिससे कोई भूख से न मर जाए और उसकी क्रय शक्ति बढ़े कि जिसके द्वारा वह अपना जीवनयापन कर सके। परन्तु इसका एक और पहलू भी है। वह यह है कि हमारा इसके लिए एक दीर्घ-कालीन और एक इस तरह का एप्रोच हो जो कि मैं समझता हूं कि हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जिसके आधार पर निश्चित रूप से इस इविल से हम मुकाबला कर सकें।

इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा एप्रोच इस अकाल की समस्या को लेकर अगर सिलेक्टेड एप्रोच हो। खास तौर से जो उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का है, वहां पर हमें कुछ वैज्ञानिक परीक्षण करने चाहिए। विश्व के अन्दर जो रेतीले टीले हैं, मरु क्षेत्र हैं, विकसित देशों ने वैज्ञानिक आधार पर इसमें सफलताएं प्राप्त की हैं उनका हम निश्चित उपयोग कर सकें हमारी स्थिति के अन्दर इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम व्यवहारिक हल करने के

(श्री हरिसिंह बेगू)

लिए जो तात्कालिक सहायता के रूप में काम करते हैं, उन कामों को बंद कर दें। केवल उनकी सफलताएं और वैज्ञानिक तरीकों को अपनायें, यही मेरा निवेदन नहीं है। तो खास तौर से हमारे यहां पर दो तीन इसके पहलू हैं। एक तो हमारे यहां पर जो भूतल जल उपलब्ध है, उसका उस क्षेत्र के अन्दर उसका समुचित उपयोग हो। इसके अन्दर भी कई समस्याएं आने वाली है, जैसी कि ब्रेकीश वाटर है। आज मैं आपसे निवेदन करूं····

(6.03 सायं)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, कि वैज्ञानिकों ने कई तरीके निकाले हैं। खास तौर से ब्रेकिश वाटर को पीने के लायक बनाने के लिए। ऐसे दो-तीन महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक इसमें सोडियस मेथड है जिसमें सूर्य की किरणों से, खारे पानी को किसी ग्लास, कांच के अन्दर करके जहां पर उसको प्रभावित करके और उसकी वाष्प बना कर उससे मीठा जल उपलब्ध किया जाता है। तो ऐसे जहां पर ट्यूब वैल्स हो, सिलेक्टेड एरिया के अन्दर जहां पर खारा पानी निकलता हो तो निश्चित रूप से वहां पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने निवेदन किया है अमेरिका के अन्दर यह वर्क हुआ है, सोडियस मेथड से उन्होंने खारे पानी को बलिक समुद्र के पानी को मीठा बना दिया है। इसके अन्दर केमिकल प्रोसेस है। वह भी एक तरीका है। तो राजस्थान के अन्दर ऐसे इलाके के अन्दर किस प्रकार की कौनसी योजना ली जाए इसको एक प्रोजेक्ट के तरीके से लिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। बलिक मेरा तो यह निवेदन है कि अकाल राहत विभाग को अपने अन्दर एक साइन्टिफिक सेल, एक वैज्ञानिक आधार पर सेल कायम करना चाहिए जो कि हमारे यहां पर जो रिसर्च हो रहे हैं, हमारे देश के अन्दर जो रिसर्च हो रहे हैं; विदेशों के अन्दर हो रहे हैं और हमारे राजस्थान के अन्दर उसकी कहां तक आवश्यकता है, उसका स्कोप है, उसका यह सेल को-ऑर्डिनेशन करें और उसके आधार पर इसका निश्चित रूप से मार्ग दर्शन करें और संबंधित क्षेत्र के अन्दर एक प्रोजेक्ट के तरीके से काम करें। आज ट्यूबवैल एक्सप्लोरेटरी आर्गेनाइजेशन के द्वारा 250 ट्यूबवैल की योजना भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई है। इसके अन्दर ऐसी दिक्कतें आई हैं जहां पर 400 फुट गहरे जाने पर भी पानी उपलब्ध नहीं हुआ है और जहां पर पानी उपलब्ध हुआ है वहां पर वह ब्रेकिश वाटर है, खारा पानी है। वहां पर न तो एग्रीकल्चर हो सकती है और न कोई उन्नति हो सकती है। ऐसी समस्याओं के लिए मैं समझता हूं कि साइन्टिफिक सेल से को-ऑर्डिनेशन करते हुए इसका समुचित हल निकाला जा सकता है।

दूसरी बहुत बड़ी प्राब्लम है, ऐसे रेतीले क्षेत्र हैं, सेन्ड्स, हैं वहां पर साइल का जो स्ट्रक्चर है, उसके अन्दर जल का ठहरना कदापि संभव नहीं है। अगर हमारे पास में सौ एकड़ का पानी है तो इस रेताले क्षेत्र में जहां आरगेनिक मेथड बहुत कम है रेत है वहां पर 100 एकड़ का पानी दस

(श्री हरिसिंह बेगू)

एकड़ के अन्दर ही समाप्त हो जाएगा। तो इससे दस गुना फर्क पड़ता है। पानी की रिटेन्शन की कैपेसिटी जो है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यह भी अपने आप में एक चुनौती है। जहां पर ऐसे रेतीले क्षेत्र हों, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, उनको एक सिलेक्टेड एरिया में ले लिया जाय, उसके लिए हमारा एप्रोच सिलेक्टेड हो बजाय इसके कि हम हेफहेजर्ड हो गई मेनर में चारों तरफ मिट्टी उछालते फिरें और इन कार्यों को करके जब मूल्यांकन करें, इवेल्यूऐशन करें और किसी नतीजे पर पहुंचें। मनचंदा कमेटी ने अपनी स्टेडी टीम की रिपोर्ट दी है। उसमें स्पष्ट कहा है कि ऐसे ऐसे अनुत्पादक कार्य किए गए हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है, जिनसे डिजायरेबल एसेट्स नहीं बने हैं राजस्थान में और मैटेरियल कम्पोनेन्ट के आधार पर जितने भी इन्वेस्टमन्ट होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। हमारा एप्रोच दूसरा है। एक महत्वपूर्ण एप्रोच तात्कालिक सहायता का रहा है वह तो मैं समझता हूं कि नजरअन्दाज नहीं किया सकता है। मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर जितने भी ऐसे काय हुए हैं और हमारे अकाल राहत मंत्री जी ने इसमें जो दिलचस्पी दिखायी है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं परन्तु जो हमारा दीर्घकालीन एप्रोच है उसके अन्दर अभी कुछ कार्य वास्तव में हुआ नहीं है। जो लेटेस्ट सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट 9 फरवरी, 1973 की है, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है। तो यह सरकार का दृष्टिकोण रहा है सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सम्मुख। उसके बाद की कोई रिपोर्ट नहीं है इसलिए इसको ही लेटेस्ट समझना चाहिए। इसका उदाहरण देना चाहूंगा और खास तौर से जो पैराग्राफ है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"We are alive to the need for taking up sustained and systametic measures for tackling the problem of drought on a permanent footing and we are preparing a comprehensive project for the development of the desert region of the State.........."

तो आज इस कम्प्रिहेन्सिव एप्रोच की, सिलेक्टेड एप्रोच की, जैसाकि मैंने निवेदन किया, शुरूआत करने जा रहे हैं। जब कि इतना अर्सा हो गया, और ऐसे भीषण अकाल हमारी स्टेट के अन्दर आये कि एक साल अच्छा और 3-4 साल खराब हुए हैं तो यह क्रम अभी तक चला आ रहा है। तो जब तक हम स्ट्रेटेजी और लांग टर्म स्ट्रेटेजी और कम्प्रिहेन्सिव एप्रोच से इसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि यह क्रम बराबर चलता रहेगा और करोड़ों रुपयों का हमारा अपव्यय होता रहेगा निश्चित रूप से। अभी तक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाय तो 63-64 से लगाकर 71-72 तक 148 करोड़ रुपया फेमीन और फ्लड का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने खर्च किया है; और उसमें से काफी सब्स्टेन्शियल एमाउन्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किया गया है जो कि हमें ऋण के रूप में दिया गया है। राज्य सरकार को करीब 121 करोड़

(श्री हरिसिंह बेगूं)
रुपया, सभापति महोदय, केन्द्र के द्वारा दिया गया है उनमें से 99 करोड़ प्योरली ऋण के रूप में दिया गया है और शेष रुपया एक छोटा सा उसका भाग वह जो है ग्रान्ट, अनुदान के रूप में दिया गया है। उससे एक विषम वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो गई है राज्य सरकार के सामने कि यह जो ऋण के रूप में दिया गया है जिसके ऊपर सवा तीन पर्सेन्ट का ब्याज है 10 साल की मयाद में स्टेट को चुकाना है। ऐसी स्थिति के अन्दर हम अनुत्पादक कार्यों के अन्दर उसको खर्च करें तो मैं समझता हूं कि यह एक सोफिस्टिकेटेड तरीका हो गया कि हम अकाल के नाम पर अनप्रोडक्टिव कार्यों के ऊपर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करते चले जायं और परमानेन्ट एसेट्स जो कायम होने चाहियें उनकी तरफ हम ध्यान न दें, तो बहुत बुरी वित्तीय स्थिति हमारे सामने पैदा होने वाली है और होना चाहिए। ऋण का जो एक विशियस सर्किल बन गया है कि डेट को चुकाने के लिए डेट करना पड़ेगा, ऋण को चुकाने के लिए और ऋण लेना पड़ेगा, इस तरह का क्रम हमें कहां, किस विषम स्थिति पर पहुंचायेगा ?

तो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, कि जो वैज्ञानिक पहलू मैंने निवेदन किया कि ऐसे साइन्टिफिक तरीकों से डेजर्ट के अन्दर वहां के स्वाइल ट्रेक को सुधारना एक बड़ा ही चुनौती का कार्य है। उसके अलावा वहां पर जो पानी उपलब्ध है और पानी उपलब्ध होता है वह बहुत ही कम होता है और ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 2 इंच से भी कम होता है, एक इंच से भी कम होता है और वह भी 3, 4 और 5-5 साल तक बरसात नहीं होती है, वहां पर इस प्रकार से जो पानी की कमी है और सेन्डी-स्वाइल जो पोरस ज्यादा है उसमें कम पानी को किस प्रकार से रिटेन किया जाय ताकि वहां की खात (खाद) जो कम से कम पानी लेती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं 5 मिनिट में ही खत्म कर देता हूं।

.......तो उसकी रिटेन्टिव कैपेसिटी को कैसे मेन्टेन किया जाय यह बहुत ही बड़ी समस्या है। हमें कुछ ऐसे लोकेशन मेथड़ की तरह जो कि खास तौर से यू. ए. आर. का और इजराइल का स्प्रिन्कल इरिगेशन सिस्टम जो है उस ट्रेक में अब तक काफी प्रचलित हो गया है उसको अपनाया जाय, और वहां पर अपनाया जाय जहां पर ट्यूबवेल सक्सेसफुल हुए हैं और वहां उनका उपयोग यदि लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि पानी की समस्या हल हो सकती है।

उसके अलावा कुछ ऐसे फंगस हैं जो सरफेस पर बिछा दिये जायं तो वहां पर पानी की नमी डेढ़ दो महीने तक उस जगह की नहीं मिट सकती है इस प्रकार के जो अन्वेषण हो रहे हैं विदेशों में उनका लाभ उठाया जाकर इस समस्या का हल किया जा सकता है।

इसके साथ में एक मुख्य सजेशन जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पश्चिमी राजस्थान है वहां का मुख्य आय स्रोत, सोर्स ऑफ इन्कम जो है

Page No 166

(श्री हरिसिंह वेगू)

वह पशु पालन द्वारा है। हमारे राज्य के अन्दर 79 लाख लीटर दूध रोज पैदा होता है और उसमें से केवल 23 लाख लीटर दूध जो है वह बाजार के अन्दर सीधा आता है। उसके अलावा जो शेष भाग है उसका घी बन जाता है। जो घी बनाने का प्रोसेस है मैं समझता हूं कि बड़ा मंहगा प्रोसेस है उससे पशुपालकों को लाभ नहीं हो सकता है। एडल्ट्रेशन मिलावट करके थोड़ा बहुत लाभ जरूर कुछ लोग कमाते हैं लेकिन जो उत्पादक हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। मिलता उसको है जो कि बिचोलिया है। 23 लाख को एक डेरी की स्कीम सरकार ने स्पोन्सर्ड की है। सरकार ने इस तरह की तीन योजनाएं बनाई है जो कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में चल रही हैं। उसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है कि किस प्रकार से उनका दूध लें। 79 लाख लीटर दूध का डेढ़ रुपया लीटर के हिसाब से 1,03,00,000 रुपये रोज का दूध का उत्पादन होता है दूध का वहां सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। यह खेदजनक बात है। डेरी के उद्योग को पनपाने के लिए कुछ नहीं सोचा

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

पशुपालक जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में हैं उसके अन्दर पाउडर मिल्क का प्लान्ट लगाया जाय। दुग्धचूर्ण का प्लान्ट लगायें तो मैं समझता हूं बड़ा महत्वपूर्ण वह हो सकता है और पशुपालकों का जो दूध है उस को चिलिंग प्लान्ट और डेरी प्लान्ट खरीद सकता है इस प्रकार। तब जाकर हम उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और अकाल के दीर्घकालीन प्रभाव से बच सकते हैं।

इसी तरह से हमारे यहां पर लाइव स्टाक को अपग्रेड कैसे किया जाय वहां पर किस प्रकार के प्राइवेट फार्म हम वहां कर सकते हैं उसके बारे में समय कम होने की वजह से निवेदन करने में असमर्थ हूं। जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महेन्द्रकुमार !

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में अकाल पर बहस चल रही है। मैं भी हमारे डूंगरपुर जिले में जो अकाल है उसके बारे में माननीय अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत मंत्री जी ने डूंगरपुर जिले में जो काम खुले हैं उसके लिए तो उनकी सराहना करूंगा, लेकिन वह जो काम हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, अपर्याप्त हैं। आज की तारीख में डूंगरपुर जिले में 40 हजार मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो मजदूर हैं वह जो मारे मारे घूम रहे हैं। डूंगरपुर जिला गुजरात के नजदीक होने की वजह से लोगों को वहां पर पूरी मजदूरी नहीं मिले तो गुजरात चले जाते हैं, और घूमघाम कर वापिस आते हैं, तो हमारे डूंगरपुर जिले में कार्य ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताऊं कि अभी डूंगरपुर जिले का सारे का दौरा करके मैं आया हूं और जितने विभागों द्वारा काम चल रहे हैं उन सभी कामों को मैंने देखा है। सिंचाई विभाग के कार्य जितने चल रहे है

(श्री महेन्द्रकुमार)

उनको भी देखा है, पी. डब्ल्यू. डी. के जितने काम चल रहे हैं उनको भी मैंने देखा है। वन विभाग के जितने काम चल रहे हैं उनको भी मैंने देखा है। सब जगह यह हालत है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है सब जगह जिस रोज मस्टर रोल मिलता है उस रोज मारे मारे घूम कर वह वापिस जाते हैं। हम कहते हैं कि ज्यादा मजदूरों को क्यों नहीं लगाते हैं तो वह कहते हैं कि भाई आप ऊपर की मंजूरी लाओ तो हम ज्यादा लगावें। हम कलेक्टर साहब वगैरह से बातें करते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई जो कोटा फिक्स्ड है इससे ज्यादा मजदूर नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने कहा कि आपको आवश्यकतानुसार उसकी मांग करना चाहिए कि इतने मजदूर ज्यादा लगा सकते हैं उतने ज्यादा काम की मन्जूरी लेकर मजदूरों लगाने को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आप भी कोशिश करें मैं भी करूंगा। पहले भी हमने यहां जो बहस हो रही थी बजट भाषण के अन्दर उसके अन्दर भी मैंने कहा था कि डूंगरपुर जिले की हालत बड़ी ही खराब है। आदिवासी लोगों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है, लेकिन अभी तक कामों में जितनी तेजी आनी चाहिए उतनी तेजी नहीं आ रही है। काम जो चल रहे हैं उनमें किस प्रकार की गड़बड़ी चल रही है और उन गड़बड़ियों के कारण पेमेन्ट कम हो रहा है। लोगों को नाज नहीं मिल रहा है। पेमेन्ट कम मिलने का कारण क्या है? वहां पर ओवरसियर हैं, इन्जीनियर हैं वह हमेशा हाजिर नहीं रहते हैं और कहते हैं कि नपती कम हुई है। मेरी ऐसी मान्यता है कि मैंने जितने भी काम देखे हैं तो लोग मजदूरी बराबर कर रहे हैं नपती का पूरा काम होते हुए भी ओवरसीयर और इन्जीनियर दो-दो और तीन-तीन दिन तक हाजिर नहीं होते हैं और जिस दिन मस्टर रोल पूरा होता है उसी दिन वे सारे पखवाड़े या महीने भर का जो मेजरमेंट होता है उसको नापते हैं इसलिए वह समझते हैं कि पूरा मेजरमेंट बना देंगे तो पता नहीं जांच होगी तो कम पड़ा तो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो एक तो, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मेजरमेंट है वह कम से कम हमेशा हो जाना चाहिए ताकि किसी गैंग ने कम काम किया और किसी गैंग ने ज्यादा काम किया इसका पता लग जाय। और जो ज्यादा काम करेंगे अच्छा काम करेंगे उसको अच्छा पैसा मिलेगा। काम कम करें तो कम पैसा मिलेगा। तो मजदूरों के अन्दर जो असन्तोष है, वह एक तरह से दूर हो जायेगा। अभी अभी हमने जहां कहीं देखा है, लोगों की हालत खराब है। अनाज नहीं होने से लोगों की हालत बहुत खराब है। डूंगरपुर जिले में अनाज की हालत बड़ी खराब है। मन्त्री महोदय से मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि वहां अनाज पहुंच गया है। डूंगरपुर जिले में एक किलो, दो किलों से ज्यादा नही मिला है। महारावल साहब ने भी कहा है। पहली तारीख से मिलने लगा हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन दो किलो से ज्यादा नहीं मिला है। शहरों में तो दो किलो, पांच किलो और सात किलो तक दिया जाता है। जो लोग गांवों में रहते हैं, उनको एक, दो किलो दिया जाये तो हम अकाल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री महेन्द्रकुमार)

मेरा यही निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में अनाज का इन्तजाम किया जाये। गेहूं नहीं मिले तो मक्का दी जाये। मक्का नहीं मिले तो माइलो दिया जाये। अभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि माइलो में धतूरा है। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे गरीब आदिवासी हैं। उनका हाल यह होता है कि आदिवासी जिस समय अनाज निकालेंगे चक्की में पिसने के लिये तो हमेशा घरों में अनाज साफ करके खाते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार माइलो भी दे तो काम चलेगा। अगर नहीं दे तो हिदायतें जिले बाइज कर दे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह हिदायतें कर दे कि माइलो को आगे से साफ करके खाया जाये। कई माननीय सदस्य शंका करते हैं कि व्यवस्था नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर अनाज की व्यवस्था की जाये। वहां पर अनाज को जो तोलने वाले हैं, मैंने पहले भी इस बारे में हाउस में कहा था, हमारे यहां एफ. सी. आई. के इन्स्पेक्टर हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। मैंने निवेदन किया था कि उनको तुरन्त बदलने की आवश्यकता है। हमारी सरकार तो अनाज की व्यवस्था करेगी। लेकिन यह लोग जो मनमानी कर रहे हैं, उनके रहते हुये किसी भी प्रकार की व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती है। वह कहते हैं कि कलेक्टर से क्या, एड़ी से चोटी तक कोशिश कर लो, जो हम करेंगे, वही होगा। इस प्रकार भूख से मरना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री महेन्द्रकुमार : उन लोगों की मर्जी होती है, वही करते हैं मर्जी आ जाये तो रात के दो बजे भी तुला दें। इस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर है। इस अव्यवस्था को दूर करना चाहिये। सभापति महोदय, मेरा अकाल राहत मन्त्री जी से निवेदन हैं कि इसके बारे में पूरी व्यवस्था करें। ताकि लोगों को सुविधानुसार अनाज मिल सके। जिले में काफी कार्य खोलने की आवश्यकता है। ज्यादा काम खोलने से वहां के गरीब आदिवासी लोगों को ज्यादा मजदूरी मिल सके जिससे कि उनको मंहगा अनाज मिले तो उसको भी खरीद कर खा सकें। जो मजदूरी मिले सके उसमें भी कटौती हो जाये तो गरीब मजदूर आदमी कैसे काम करेगा ? इसलिए मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाये। तभी सहूलियत मिलेगी।

श्री सभापति : श्री अब्दुल हादी !

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : सभापति महोदय, मुकाम के मुताल्लिक हाउस में काफी कहा गया है। वैसे हमारे जैसलमेर और बाड़मेर जिले तो अकाल के ही घर हैं। हमारे बाड़मेर जिले में 852 गांव हैं। जिनमें 650 गांव हैं, जिनमें अकाल सरकारी तौर पर किया गया है। बाकी 200 गांव ऐसे हैं, जो कि अकाल ग्रस्त हैं। लेकिन अफसरों की लापरवाही से या उनकी बदनीयती कहिये, ये गांव अकाल में नहीं लिये गये हैं। इसलिये

(श्री अब्दुल हादी)

वहां पर लोग काफी परेशान हैं । हमारे जिले से सिर्फ 20 हजार आदमी अकाल पर लगाये गये हैं। माननीय कृषि मन्त्री जी तशरीफ ले आये हैं इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाड़मेर पर आपकी हमेशा मेहरबानी रही है । अब उसके साथ में सौतेले व्यवहार क्यों हैं ? मैं उनसे पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि बाड़मेर के लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं। लगातार अकाल पड़ते रहते हैं । इसलिये ऐसा अन्दाजा कैसे लगा लिया है कि वहां के लोगों की माली हालत अच्छी है । उनको मजदूरी पर क्यों नहीं लगाया गया है ? असल में हमारे जिले से गुजरात प्रान्त मिलता हुआ हैं। पहले हमारे आदमी वहां चले जाते थे । इस साल वहां पर भी अकाल पड़ा हुआ है । हमारे यहां के काफी आदमी पंजाब और हरियाणा भी गये हैं। उन लोगों का कहना है कि हम वहां पर जाते हैं तो हमको परेशानी होती है। मजदूरी पर नहीं लगाते हैं । तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरफ काफी ध्यान दें। बाड़मेर जिले में एक लाख मजदूर लगाने का इन्तजाम करेंगे तो जाकर कुछ होगा । आज वहां पर अनाज की हालत काफी दर्दनाक है। लोगों को अनाज किसी भाव नहीं मिल रहा है । हमारे यहां दुकान खुली है, बराये नाम दुकान है, अनाज बिल्कुल नहीं है। यह ठीक है कि दो चार महीने में दो चार किलो अनाज मिल जाता है। लेकिन इन्तजाम बिल्कुल बेकार है। मैं निवेदन करूंगा कि आपने 4 किलो देने का इन्तजाम किया है। वह भी दे दें तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा।

(अन्त विराम)

सभापति महोदय, हमारा बाड़मेर का इलाका सबका सब इलाका रेगिस्तान का इलाका है। वहां पर सड़कों का काम हो रहा है । जितनी सड़कों का काम वहां पर, कच्ची सड़कें और ग्रेवल की सड़कें बनवाते हैं। वहां पर आंधियां आती हैं। आंधियां आने से वह सड़कें खत्म हो जाती हैं । इसलिए वह सड़कें पक्की डामर की सड़कें बनवाई जायें। तो वह सड़कें काम में आ सकती हैं । अभी वहां पर बाड़मेर जिले में जो सड़कों का काम हो रहा है, वहां पचास पर्सेन्ट माल ढुलाई और 50 पर्सेन्ट मजदूरी का देते हैं। जहां तक मेटिरियल कम्पोनेन्ट का सवाल है, वह पचास पर्सेन्ट बहुत कम है, क्योंकि मेटिरियल पूरे इलाके, रेगिस्तानी इलाके, चौहटन इलाके में है ही नहीं। वहां पर जो मेटिरियल वाली पाबन्दी लगा दी है, इसकी मेहरबानी करके मिकदार बढ़ायेंगे तभी लोगों को वहां मजदूरी मिल सकती है।

सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर में 1969-70 में भी अकाल था, 1970 में हमारे यहां एक विशेष सहायता सरकार की तरफ से दी गई थी। वह सहायता हर आदमी को साढ़े बारह रुपये के हिसाब से सरकार की तरफ से दी गई थी। उस सहायता में सवा छः रुपये तो सरकार ने अपनी तरफ से मुफ्त में देने का तय किया और सवा छः रुपये कर्ज दिया। इस साल जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लापरवाही से गांव अकाल में नहीं लिये गये, उन गांवों में काफी जोरों से वसूली की कार्यवाही हो रही है, इससे लोग बड़े परेशान हैं। उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है, अकाल की स्थिति है, उसमें लोगों को

(श्री अब्दुल हादी)
चारपाई, और लोगों के पास बकरी है, पटवारी लोग जाते हैं और उनको कुर्क करते हैं। इस तरह उनको बड़ा परेशान करते हैं मेरा ख्याल है, यह पैसा है, यह अब काफी कुछ वसूल हो चुका है, दो साल में अब काफी पैसा कम रहा है। मैं चाहूंगा, आज लोगों के पास में पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति की स्थिति पैसा देने के लायक नहीं है। मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा, यह पैसा सरकार गरीबों पर से माफ कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले का जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां तो लोगों का खास गुजारा खेती पर नहीं है बल्कि मवेशियों पर है। हमारे उस इलाके का खास तौर से जो बाड़मेर का पश्चिमी इलाका है, उसमें पहले बेहद दरख्त थे, झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं, इस लिए बरसात अच्छी हुआ करती थी। अकाल के पड़ने से लोगों ने झाड़ियां काटना शुरू कर दिया, झाड़ियों का बिल्कुल सफाया कर दिया (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) इसलिए बरसात में कमी पड़ गई है, इस कारण से हर साल अकाल पड़ रहा है। इसलिए पुरजोर शब्दों में सरकार से मैं निवेदन करूंगा, जहां तक झाड़ियों का सवाल है, यह सरकार लाखों रुपये खर्च करके झाड़ियां लगाने की कोशिश कर रही है, इधर लोग कुदरत की लगी हुई झाड़ियों को खत्म कर रहे हैं। इससे हर साल अकाल पड़ेगा, और लोगों को परेशानी होगी। इसलिए झाड़ियों को बचाने के लिए सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे जिससे बरसात पड़ती है उसमें कमी नहीं आये।

सभापति महोदय, अब मैं बहुत ही जल्दी अपनी अर्ज है, वह खत्म करना चाहूंगा। मैं यह चाहता हूं, बाड़मेर जिले में औसतन पांच साल में से चार साल अकाल पड़ता है। इस तरह लगातार अकाल पड़ता रहता है तो सरकार को इसके लिए कोई ऐसा परमानेन्ट कदम उठाना चाहिए जिससे लोग परेशानी से बचें। सरकार के लिए परेशानी के साथ साथ हर साल के लिए सिर दर्द बना हुआ है इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां के लोगों का खास गुजारा मवेशियों से है। इसलिए राजस्थान कैनाल की बाड़मेर इलाके के अन्दर तीन नहरें दे दी जायं, जिससे मवेशियों को बचाने के लिए हरा घास आ जाय और वहां पर खारा पानी है, उसके बजाय पीने के लिए पानी मिल जाय। मैं समझता हूं कि इन तीन नहरों पर कुल मिला कर तीस, चालीस करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। हमारे यहां 1969-70 में सरकार ने बीस करोड़ रुपया खर्च किया था। इस तरह से सरकार कुछ व्यवस्था कर दे, तो मैं समझता हूं, बाड़मेर जिले के अकाल का सरकार के सिर पर हमेशा के लिए बोझ है वह उतर सकता है।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, अकाल राहत तो राजस्थान की जनता के लिए द्रोपदी का चीर हो गया

(श्री लूणाराम)

है, जिसको कितना लम्बा किया जाय उसका अन्त होने का नहीं है। साथ साथ अकाल के अन्दर राहत की सरकार व्यवस्था करती है, इन्तजाम करती है और अच्छा इन्तजाम करती है पर समय पर इन्तजाम नहीं करती है। अगर यह इन्तजाम फुरसत के समय में, अच्छे समय में सरकार कर दे तो राजस्थान अकाल की चपेट के अन्दर आये-वैसा मौका हम कदापि नहीं दें। दरअसल देखा जाय तो अकाल सहायता से कोई स्थायी तौर से हल करने के लिए, हम यह मानते हैं, सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पायी है। और अच्छे समय के अन्दर सरकार सिंचाई के कामों की ओर विशेषतया ध्यान देवे तो अधिक अन्न उत्पादन योजनाओं, मेड़ बन्दी आदि की योजनाओं को सरकार समय पर हाथ में ले तो किसानों कि माली हालात सुधर सकती है। और आज विवश होकर सरकार पर आधारित होना पड़ता है, वह स्थिति शायद नहीं हो पाये। लेकिन सरकार समय पर इन्तजाम नहीं करती है, इन्तजाम न करने के कारण क्या होगा, इसकी सरकार ने कल्हना नहीं की है शायद। अकाल से आदमी परेशान होते हैं, यह कल्पना नहीं की है। पिछले बीस वर्षों से मैं आये साल में यह स्थिति देखता रहा हूं, कि जब भी अकाल पड़ता है तो पिछले साल जमाना होता है, और दूसरे साल कई गांव अकाल में होते हैं पर उन इलाकों में जैसा अनुभव है, कोई काम सरकार कराना उचित नहीं समझती है। जब व्यापक रूप से अकाल सामने आता है, भयंकर रूप से उस समय सरकार हाथ पैर हिलाती है, और काम करने का सोचती है। उस समय एक सैकिन्ड में या एक दिन में कोई काम कर दे, ऐसा होना सम्भव नहीं है। हर काम समय लेता है, और समय पर पूरा होता है। आज देखा जाय तो हमारे यहां अकाल भयंकर है, 26 जिलों में से 24 जिलों में अकाल फैला हुआ हैं। आज अकाल का संकट और समस्या कहां कहां है यह भी एक देखने की बात हैं। आज सरकार की तरफ से क्या कमी है, क्या कमी नहीं है इस ओर ध्यान न देकर कुछ लोग हम सदस्य आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने जैसी बात के लिए सोचने लग जाते हैं। जैसे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये, अमुक जगह इतने आदमियों को और अमुक जगह इतने आदमियों को काम मिल रहा है, मैंने बीच मैंने टोकना उचित नहीं समझा। मुझे उस चीज का दुःख हुआ कि पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जहां दस साल से अकाल पड़ रहा है, आप उनमें काम के आंकड़े बताते हैं, वस्तुस्थिति बताते हैं, दस साल में एक दो साल जमाना हो गया तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उसे जमाना नहीं कह सकते। एक तरफ वह इलाका है, जिसके अन्दर एक फसली इलाका है, वहां दस साल से कन्टीन्यूअसली अकाल है, वहां के लोगों की स्थिति क्या होगी। अनुभव कर सकते हैं तथा इसी तरह वह दो फसली इलाका है, उदाहरण के तौर पर आप जयपुर जिले को ले लीजिये, यहां दो फसली इलाका है, यहां अकाल कभी नहीं पड़ा, एक समय पर सावणी नहीं आई और अकाल पड़ गया तो वहां रबी में कनक, चने की फसल से खेत अच्छी तरह लहलहा रहे हैं केवल छः महीने से अकाल पड़ा है। मैं

(श्री लूणाराम)
बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कहता कि सहायता न दी जाय। माननीय सदस्य आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं, यह भूल भुलैया में डालने की बात है, और अकाल पीड़ित लोगों के हकों पर कुठाराघात करने की बात है। यह अकालग्रस्त लोगों के साथ खिलवाड़ है। जयपुर जिले के लिए मैं उदाहरण के रूप में कह सकता हूं, जयपुर जिले के खेत खेत पर आप बिजली पहुंचायें। हम कहते हैं, जहां आवश्यकता पड़े, जहां अच्छा पानी है वहां बिजली पहुंचानी चाहिये और अच्छा काम होना चाहिये। लेकिन इस प्रकार गलत आंकड़े देकर गुमराह करने की कोशिश न की जाय। यह अकाल पीड़ित लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, सभापति महोदय.... इसलिए हम चाहते हैं कि किसी जिले को सहायता मिली है तो उन जिलों के लिए जरूरत से मिली है, वह भी अपर्याप्त है, जहां कमी है, उसकी पूर्ति करें, लेकिन आपस में ईर्ष्या जैसी बात करें यह शोभा की बात नहीं है।

आज अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इस अकाल की समस्या के समाधान के लिए एक स्थाई अकाल बोर्ड बनाया जाए। जब तक सरकार अकाल बोर्ड नहीं बनाएगी और स्थाई समस्या के समाधान की बात नहीं हो जाएगी तब तक अकाल पड़ते रहेंगे और गरीब परेशान होते रहेंगे। हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है गांगेहू की गाय और सांगे का बाछा। इस प्रकार सरकारी विभागों में समन्वय सहायता का बैठा कर मदद करवाते हैं तो वह सहायता सभी तरह से नहीं होगी और पैसा बरबाद होगा और लोग बुरी तरह से पीड़ित होंगे। उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में 5-5 साल से अकाल है। लोग परेशान हैं, सरकार ने काम करने की सोची है, सरकार ने उदार हृदय से मजदूरी बढ़ाई है उसका तो मैं स्वागत करूंगा, पर इसके साथ दुःख की बात यह है कि यह मजदूरी उनको प्राप्त होती है या नहीं। देखा जाए तो यह मजदूरी अगर जोर देकर जोहड़ खुदाई का काम किया है, मजदूरी की है। उसने मिट्टी निकाली है और जो मजदूरी मिली है वह मजदूरी सार्वजनिक निर्माण विभाग के कामों में लोगों को तीन तीन पैसे भी आए हैं। एक दिन के तीन पैसे तीन रुपये के स्थान पर। देखा जाए तो यह मजदूरी देना है या मजाक है? गरीब मजदूर काम करना चाहता है लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के रवैये में कोई फर्क नहीं आया है। कम मजदूरी आने का दोष किसका है? सबसे बड़ा मेरा ऐतराज यह है कि आज सड़कों का काम शुरू करा दिया गया है। मजदूर सड़कों पर लगाए गए हैं, हमें देखना है कि उनको सामान दिया गया या नहीं। कोई सामान नहीं दिया गया है और औजार दे दिए गए हैं तो उनके अन्दर डांडे दस्ते नहीं दिए हैं। आज यूं ही खेजड़े के वृक्ष काट काट कर डांडे लगा रहे हैं और अकाल की समाप्ति के बाद बांसों की गाड़ियां आएंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह हमारे जीवन मरण का सवाल है। इसलिए ....

श्री सभापति : सब लोगों को मौका मिलना चाहिए।

श्री लूणाराम : इस प्रकार पीने के पानी के मटके नहीं हैं, छाया का इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी बात है नपती की। जो कुछ काम हो रहा है नपती के आधार पर, सारा काम ओवरसियर पर छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मजदूर अगर काम न करें तो मैं नहीं कहूंगा कि उनको पैसा दिया जाय। पर सारा काम ओवरसियर पर छोड़ दिया गया है। हमारी सरकार ने एक तरफ बहुत अच्छा काम किया है, मेटों की प्रथा खतम की, सुपरवाइजर्स की प्रथा खतम की। उसके बदले वही आदमी नाम बदल कर सीनियर बेलदार हैड मोहर्रिर व मिस्त्री हैं, सीनियर मजदूर, वही मेट साहब। दूसरे रूप में सुपरवाइजर का नाम बदल कर एक और नाम हैड मोहर्रिर है, मुझे याद नहीं आता शायद मिस्त्री भी है, उसके साथ साथ एक और नाम रख दिया है। नामों में फर्क है बाकी व्यवस्था वही है। मजदूरों की परेशानी ज्यों की त्यों है। मेरा निवेदन है कि जो काम मजदूरों ने किया है शाम के समय मजदूर का काम नपना चाहिए; कम से कम 5 दिन का काम नपना चाहिए। अगर 15 दिन का हफ्ता है तो 15 दिन में तीन बार नापा जाए। जब गैंग का काम कम हो तो ओवरसियर की तरफ से नोटिस मिल जाए कि तुम्हारा काम इतना कम है फिर भी यदि वह नहीं चेते तो फिर आपका दोष नहीं। लेकिन आज ओवरसियर सड़कों पर नहीं आते हैं। अपने चेलों के भरोसे सारा काम छोड़ दिया है। 1½ महीने बाद हफ्ता आता है तो तीन पैसे उसके आते हैं। तो तीन बार नपना चाहिए। मजदूर काम करता है बीच बीच में नोटिस मिलना चाहिए अगर काम कम हो तो जहां 50 प्रतिशत से कम भुगतान है काम कम बताया वहां के लिए ए.ई.एन. खुद जाकर पर्सनली जांच करें कि मेरे स्टाफ का तो दोष नहीं है या मजदूरों ने कम काम किया है जिससे वस्तुस्थिति सामने आ जाए। आज तो मजदूर एक एक पैसे के लिए मुहताज है उनको तीन तीन पैसे का भुगतान करें तो शोभा की बात नहीं है।

इसके साथ साथ ऐसे भी काम हैं जहां वास्तव में कोई काम नहीं लेकिन लोगों को लगा रखा है। उदाहरण के लिए अपने कैम्प में पत्थर की खान नहीं है। काम शुरू होने से पहले ओवरसियर मौके पर देखने के लिए गया संयोग से मैं प्रधान तहसीलदार व विकास अधिकारी भी उधर चले गए ओवरसियर बोला पत्थर नहीं हैं मैंने भी सुपरिटेंडिंग इन्जिनीयर बीकानेर से फोन किया, एग्जीक्यूटिव इंजिनीयर चूरू और एस. डी. ओ., रतनगढ़ सबने देख लिया कि पत्थर नहीं हैं उसके बाद चीफ इंजिनीयर का आदेश गया कि खान खोदो लेकिन मिट्टी खोद रहे हैं, काम नहीं है। मैंने कहा अर्थवर्क का काम शुरू किया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चीफ इंजिनीयर का आदेश है इसलिए 4 मील दूर मिट्टी खोद रहे हैं। वहां से क्या मजदूर लेंगे ? यह सारा वही धक्काशाही का मामला है जिससे सारा काम बिगड़ता है। मजदूरों की तरफ से अगर एक मुखिया मुकर्रर किया जाए जो समय पर अगर काम कम हो तो वह ओवरसीयर या असिस्टेंट इंजिनीयर से कहता रहे तो अच्छा होगा लेकिन आज मजदूरों की सुनवाई

(श्री लूणाराम)

का जरिया नहीं। कोई न कोई बहाना देंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे।

स्टाफ मस्टर रोल के नाम से एक अलग बीमारी चलती है। वे किसी को मस्टर रोल चैक करने नहीं देते हैं, हालांकि पंचायत समिति के विकास अधिकारी व तहसीलदार को पावर्स दिए गए हैं कि काम चैक करें। लेकिन उसमें हमेशा घोटाला रहता है वह किसी को चेक करने नहीं देते है। तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि कम से कम ऐसा मस्टर रोल खुला रहना चाहिए। दूसरा मस्टर रोल होता है पेमेंट का।

इसी प्रकार से दूसरी बात अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो अर्थवर्क का काम हो रहा है उसमें मजदूर काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में दांदड़ा की खानें हैं पर आखिर दांदड़ा निकालना, अर्थवर्क को ढकना है तो ऐसी खाने चालू की जायं लेकिन अनावश्यक कार्य हाथ में लिए जाते हैं।

हमारी सरकार ने चार हजार कुएं सिचाई के लिए सीकर जिले में बनाने का विचार किया है वह स्वागत योग्य है। अगर इस प्रकार के काम स्थाई तौर पर हाथ में लिए जाएं तो दूसरे क्षेत्रों के लिए भी, मेरे क्षेत्र के लिए भी इस वर्ष भी आने वाले वर्षों में भी अकाल का सामना करने के लिए हम सक्षम हो सकेंगे।

दूसरी बात है सांड भोठा की। जो नोट सहायता विभाग ने प्रसारित किया है उसमें 37½ से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति मास की सहायता कर दी है। मेरे जिले में मार्च महीने में सहायता बांटना शुरू किया है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 200 सांड भोठों में से 37 सांडों के लिए सहायता मंजूर की है और 37॥) प्रति माह के हिसाब से की गई है। तो मैं यह चाहूंगा कि वहां के जो उपयोगी सांड है जिनके बगैर हमारे वहां का काम नहीं चल सकता। इसलिए सहायता दी जाय। इसलिये उनका भरण पोषण अच्छी तरह से होना चाहिये। आज आप जो 45 रुपये की सहायता देते है। तो ठीक रहेगा। 37॥) दिया वहां 45 दिये जायं। इसी प्रकार वहां पर जहां कि राहत कार्य चल रहे हैं और लोग बीमार हो जाते हैं उनको मेडीकल ग्राउन्ड पर छुट्टियां मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। आज वहां पर कम्पाउन्डर, वैद्य व डाक्टर नहीं होने की वजह से उन लोगों को प्रमाण-पत्र नहीं मिल सकता है इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम्पाउन्डर्स और जो उस एरिया में वैद्य है उन्हें प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्रदान करदें ताकि उन्हें तकलीफ नहीं हो। इसके साथ साथ आपने जो प्रसूति के वक्त औरतों को तीन हफ्ते की छुट्टी की सेंक्शन रखी है बच्चा होने के बाद वह बहुत ही कम है। हमारे वहां पर एक खास जाति के लोग ज्यादा हैं यानि विश्नोई ज्यादा हैं उनके अन्दर ऐसा है कि बच्चा होने के बाद तीस दिन तक औरत घर से बाहर नहीं निकलती है वैसे भी विश्नोइयों में पर्दा ज्यादा होता है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस संबंध में राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक सोचे

(श्री लूणाराम)

और मेरा सुझाव है कि तीन हफ्ते से बढ़ाकर पांच हफ्ते तक की रियायत मिलनी चाहिये बच्चा होने के बाद ।

इसके अलावा आपने कुओं के बारे में भी कुछ रियायत दी है इसमें आपने 10 रुपये से लेकर 50 तक हैं पर यह बढ़ोतरी बहुत ही कम है इसको बढ़ाकर 100 रुपये किया जाना चाहिये क्योंकि आज वहां पर जो कुए हैं वह करीब चारसों और पांचसो फीट गहरे हो गये हैं पहले ही पानी नीचे काफी गहरा था और अब अकाल की वजह से और अधिक गहरा हो गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि

(6.58 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसको बढ़ा कर सौ रुपये तक कर दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट और बोलूंगा वैसे मुझे कम ही समय हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये, आप विराजिये । मन्त्री महोदय कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं । श्री खाद्यमन्त्रीजी । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) (विद्युत् मंत्री की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) एवं 69 के अन्तर्गत—

(अ) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण, 1973-74,

(ब) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक लेखे, 1971-72 सदन की मेज पर रखता हूं ।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री लूणाराम : Please continue.

श्री लूणाराम : इसी प्रकार से आज मैं आपको कुछ घास के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर घास की व्यवस्था ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि यह सरकार के वश की बात भी नहीं है आज की परिस्थितियों को देखते हुए । आज घास बहुत ही कम उपलब्ध होता है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि पशुओं के लिये राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा चारागाह बनाये ताकि घास की कमी नहीं रहे । इसके लिये मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपको चारागाहों के लिये पॉयलेट स्कीम चलानी चाहिये और इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वन विभाग को इन्सट्रक्शन दे कि वे ज्यादा से ज्यादा चारागाह तैयार करें ।

अब कुछ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अकाल में जो खामियां रह गयी थीं उसकी बात निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल के समय में तो काफी ठीक ढंग से काम चल रहा है लेकिन पिछले अकाल के समय अकाल राहत कार्यों में काफी भ्रष्टाचार हुआ था और लोगों के खिलाफ काफी शिकायतें भी आयी थीं । उसके फलस्वरूप लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दायर हुए और

Page No 176

(श्री लूणाराम)

पुलिस में उनके खिलाफ मुकदमे बनाये गये। आज पांच छः साल हो गये हैं उन मुकदमों को बनाये हुए, लेकिन आज तक पुलिस ने उनका चालान पेश नहीं किया है और उसका नतीजा यह होता है कि आज जब हम वहां पर जाते हैं तो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हमे ताना मारते हैं कि क्या सुख पाया आपने हमारी शिकायतें करके क्या करा लिया आपने हमारा। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि ऐसे केसेज में एक तरफ तो पुलिस उन लोगों को मुलजिम मानकर उन्हें फरार घोषित करती है दूसरी ओर जिन लोगों के खिलाफ में मुकदमे लगे हुए हैं वह लोग ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। मैंने पिछले सदन में प्रश्न पूछा तो जवाब मिला कि वह लोग फरार हैं और वही अधिकारी आज ए. ई. एन. का काम कर रहा है। तो मालूम यह नहीं पड़ता है कि वह अधिकारी फरार है या ड्यूटी पर राज्य सरकार इस ओर कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय। इसके अलावा वहां पर बाडेला और बाडोलो खान और बीझासर वगैरह में काफी मस्टर रोल बकाया पड़े हैं आज वहां पर पैसा आया पड़ा है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि उसमें लोगों के नाम है पर उनकी वल्दियत, सकूनत और कोम वगैरहा नहीं लिखी होने की वजह से पैसा नहीं दिया जा रहा है। वहां पर तहसील वालों को बहुत ही परेशानी हो रही है क्योंकि यह सभी मस्टर रोल फर्जी बने हुए नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनमें जो जो भी फर्जी मस्टर रोल हैं उनको बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये। इसके अलावा सबको पेमेन्ट दिया जाय व उसी सन् का एक पेमेन्ट अकाल राहत में काम करने वाले लोगों को पानी पिलाने के लिये गाड़े रखे थे लेकिन उन लोगों को आज तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। यह तो मैं मान सकता हूं कि शायद उनमें गाड़ेवाले लोगों को ज्यादा रेट दी होगी या उनमें भी कुछ फर्जी हो सकते हैं लेकिन जो बेचारे असली आदमी हैं उन्हें तो पेमेन्ट होना चाहिये, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ शीघ्रता से कार्यवाही की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, करीब तीस हजार रुपये के बिल हैं यह सारी लोक निर्माण विभाग के लोगों द्वारा अनियमिताएं की हुई हैं। पर उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही अभी तक राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति इन लोक निर्माण विभाग के लोगों ने कर रखी है कि हमारे यहां पर एक कहावत है कि काल तो चला जाय पर उगराल नहीं जाय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर लोक निर्माण विभाग अभी तक गड़बड़ी कर रहे हैं आज सरकार ने भी अकाल राहत के तहत में काम किया है उसमें अगर जनता और सरकार के बीच में यह लोक निर्माण विभाग नहीं हो तो मैं समझता हूं काफी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब खरीफ की फसल आने वाली है इसलिये यह जरूरी है कि तकाबी व बीज व खाद वगैरहा किसानों को दिलायी जाय ताकि किसानों को काश्त करने में कम तकलीफ हो और फसल अच्छी तरह से हो

(श्री भूणाराम)
सके। इसके अलावा मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार काश्तकारों को किराये पर ट्रैक्टर्स की व्यवस्था करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि अभी स्थिति अकाल की वजह से काश्तकारों की बहुत खराब है और आगे अगर बरसात जल्दी नहीं हुई तो काफी स्थिति और खराब हो जावेगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक अप्रेल से अनाज का व्यापार हाथ में ले रही है अभी तक उस बारे में भी ठीक तरह से कार्यवाही नहीं की गयी है इसलिए इन सभी बातों की ओर राज्य सरकार ध्यान दे बस इतना ही निवेदन है। थोड़ा यह और कहना चाहता हूं कि काश्तकारों के लिये बीज की और खाद की और वहां पर जहां कि कुओं में बिजली नहीं दी गयी है वहां उसकी व्यवस्था करें ताकि काश्तकारों की फसल ठीक हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 अप्रेल को मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7 बजे मंगलवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1973 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(स्थगित प्रश्न संख्या 250 की सूची)

जिलेवार औद्योगिक सहकारी समितियों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	समितियों की संख्या
1.	उदयपुर	242
2.	भीलवाड़ा	160
3.	चित्तौड़गढ़	121
4.	बांसवाड़ा	88
5.	डूंगरपुर	111
6.	भरतपुर	163
7.	सवाई माधोपुर	166
8.	अलवर	161
9.	जयपुर	604
10.	जैसलमेर	—
11.	झुंझुनूं	140
12.	सीकर	131
13.	बीकानेर	71
14.	अजमेर	316
15.	कोटा	194
16.	बूंदी	75
17.	झालावाड़	55
18.	टोंक	118
19.	गंगानगर	103
20.	चूरू	146
21.	नागौर	307
22.	जोधपुर	309
23.	बाड़मेर	50
24.	जालोर	99
25.	सिरोही	77
26.	पाली	204
	योग....	4211

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 921 की सूची)

सूची जिला बून्दी की तहसीलों की

क्र. सं.	नाम तहसील	बन्दोबस्त के कार्य का प्रारम्भ होने का सन्	पर्चे बांटने का सन्
1.	केशोराय पाटन	1962	1966
2.	नैनवा	1964	1972
3.	बूंदी	1963	1972
4.	हिन्डोली	1964	1972

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 927 की सूची)

परिशिष्ट (क)

नियुक्ति दिनांक

क्र. सं.	नाम चतुर्थ श्रेणी	सब्स्टीट्यूट पद पर नियुक्ति दिनांक	मूल पद पर नियुक्ति दिनांक
1.	श्री रमेशचन्द्र	1-7-69	22-8-69
2.	श्री महेशचन्द्र	10-11-68	26-5-69
3.	श्री गोपाललाल	31-3-69	22-8-69

परिवर्तित स्थानों की सूची

क्र. सं.	नाम चतुर्थ श्रेणी	कहां से	कहां को	आदेश क्रमांक	दिनांक
1.	श्री गोपाल लाल	नागोर	जिलिया	3192-99	5-8-69
		जिलिया	गच्छीपुरा	6036-54	11-3-70
		गच्छीपुरा	बनाना		17-7-70
2.	श्री महेशचन्द्र	भैरून्दा	रोहिन्डी	2715-16	30-6-69
		रोहिन्डी	सांखवास	391-01	27-4-70
		सांखवास	बोरावड़	1588-91	7-9-70
		बोरावड़	बिदियाद	2079-83	12-8-71
		बिदियाद	बागोट	3501-06	18-8-72
		बागोट	रोहिन्डी	5075-87	28-10-72
3.	श्री रमेशचन्द्र	भैरून्दा	पालड़ीकलां	3179-82	5-8-69
		पालड़ीकलां	गोराऊ	2913-20	3-11-70
		गोराऊ	परबतसर	2909-11	8-11-71
		परबतसर	मोरेरा	2929-34	2-9-72
		मोरेरा	बागोट	5075-87	28-10-72

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. सं. 552 की सूची)

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	प्राथमिकता क्र.	खसरा नम्बर व ग्राम जहां कनेक्शन चाहा गया है		डिमाण्ड नोटिस जारी करने की तारीख	मांग राशि जमा करने की तारीख	एल.टी. लाइन खेंचने की तारीख	कनेक्शन आर्डर जारी करने की तारीख	खसरा नम्बर जहां पर लाइन खेंची गई		कनेक्शन देने की तारीख
1.	श्री गणेश पुत्र नानुराम	तपीपला	5	370	तपीपला	26-6-71	19-7-71	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	224 } 370 }	तपी-पला	उपलब्ध नहीं है
2.	श्री मनसाराम पुत्र बालूराम जाट	,,	8	406	,,	3-8-71	10-8-71	,,	11-11-71	406	,,	,,
3.	श्री मनसाराम पुत्र बालूराम जाट	,,	11	406	,,	26-6-71 17-7-71	26-6-71 28-7-71	,,	उपलब्ध नहीं है ,,	267	,,	,,
4.	श्री नोपाराम माथू पुत्र नाथू	,,	28	54	,,	26-6-71 17-7-71	30-6-71 28-7-71	,,	11-11-71	खसरा नम्बर मालूम नहीं है परन्तु इसी नाम का कनेक्शन 54 नम्बर खसरा में न खींच कर दूसरे खसरे में खींची है		,, 15-11-71

परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्र. सं. 553 की सूची)

सूची ऐसे निगम कर्मचारियों को जो 5 वर्ष से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं एवं जिनकी पदोन्नतियां प्रतिनियुक्ति प्रथा के कारण रुकी हुई हैं:—

क्रम सं.	नाम व पद	नियुक्ति दिनांक	शैक्षणिक योग्यता
1.	श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ आगार प्रबन्धक	13-5-64	एम. ए.
2.	श्री बलवन्तसिंह राणावत आगार प्रबन्धक	24-8-65	इन्टर
3.	श्री एस. एस. माथुर आगार प्रबन्धक	13-5-66	बी. एस. सी.

श्री लक्ष्मणसिंह झाला को इसी बीच प्रादेशिक प्रबन्धक का कार्य दे चुके हैं और अभी भी क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर दिनांक 12-7-73 से कार्य कर रहे हैं।

निगम में वर्तमान में पदोन्नति सम्बन्धित नियम नहीं बने हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस कारण इनकी पदोन्नति नहीं हो सकी है।

क्रम सं.	नाम	लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति दिनांक	योग्यता
1.	श्री मोहनलाल भूतड़ा	1-11-59	बी. ए. एल. एल. बी.
2.	,, कानचन्द माथुर	21-11-62	मैट्रिक
3.	,, अमरलाल माथुर	19-12-62	नाम-मैट्रिक
4.	,, बैकुण्ठनाथ हल्दिया	31-3-63	बी. ए.
5.	,, राधेश्याम शर्मा प्रथम	25-5-64	इन्टर
6.	,, राधेश्याम चौहान	26-9-64	हाई स्कूल
7.	,, राधेश्याम शर्मा द्वितीय	23-1-65	बी. कॉम.
8.	,, साहिबसिंह	11-2-65	इन्टर
9.	,, रामसिंह	9-3-65	मैट्रिक
10.	,, ओमप्रकाश वर्मा	15-4-65	बी. ए.
11.	,, निरंजनलाल गुप्ता	30-4-65	हाई स्कूल
12.	,, भागचन्द मुशरफ	16-5-65	हाई स्कूल
13.	,, मूलचन्द पत्रिया	19-5-65	मैट्रिक
14.	,, महावीर प्रसाद	16-11-65	बी. ए.
15.	,, शुभकरण शर्मा	14-5-65	बी. कॉम.

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 558 की सूची)

List of localities surveyed in tehsil Jaswantpura and Raniwara in District Jalore.

S. No.	Name of localities	No. of wells
	1971-72	
1.	Bugaon	22
2.	Chandur	67
3.	Fedani	14
4.	Paoti	31
5.	Kalapura	32
6.	Bikanwas	11
7.	Golana	40
8.	Gajapura	18
9.	Jaswantpura	90
	1972-73	
10.	Mandoli	32
11.	Sikwara	40
12.	Chandan	27
13.	Modran	32
14.	Sikwara	40
15.	Kotra	10
16.	Raniwara Khurd	121

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र. सं. 560 की सूची)

	नाम कार्य	नाम ठेकेदार	कार्य आरम्भ दिनांक	कार्य समाप्ति दिनांक	प्रतिशत
(1)	चौड़ाई देहली-जयपुर रोड़, राष्ट्रीय मार्ग 8 किलोमीटर 208 से 225	श्री माखन सिंह	17-1-72	16-7-73	5.55 प्रतिशत नीचे
(2)	किलोमीटर 225 से 248	श्री भैरूदान अग्रवाल	17-1-72	16-7-73	4.50 प्रतिशत नीचे
(3)	चौडाई देहली-जयपुर रोड, राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 किलोमीटर 111 से 140	मैसर्स भारत कन्सट्रक्शन एन्ड कं.; जयपुर	25-10-72	24-4-73	27 प्रतिशत ऊंची
(4)	स्ट्रेन्थनिंग देहली-जयपुर रोड़, राष्ट्रीय मार्ग 8, किलोमीटर 104.55 से 202.0	मै. भारत कन्सट्रक्शन एण्ड कं., जयपुर	10-11-72	9-5-73	आईटम रेट

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 567 की सूची)

अज अदालत श्री अजीतसिंह यादव, तहसीलदार, चौहटन नकल फैसला मुकदमा नम्बर 76/1968।

सायल	गैर सायल
सरपंच, ग्राम पंचायत, चौहटन	श्री हेमसिंह वल्द सुलतानसिंह
5-7-71	राजपूत, चौहटन।

सरपंच चौहटन ने एक दरख्वास्त एक्स.पी. II क्रमांक 183, दिनांक 20-2-68 व श्री हेमसिंह द्वारा दिनांक 10-5-1961 मु. नं. 2/60, डिप्टी कलेक्टर जागीर, बाड़मेर में पेशी की गई दरख्वास्त की नकल जिस पर एक्स. पी. I मार्क है, पेश कर निवेदन किया कि पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण नियमानुसार दफा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाय। इस पर यह मामला चला संक्षेप में मामला इस प्रकार है।

सरपंच चौहटन ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20-2-68 के खसरा नम्बर 640 जो पहले सरकारी जिला कब्जा पड़त भूमि थी जो पंचायत चौहटन के जिलाधीश महोदय बाड़मेर द्वारा आबादी में परिवर्तन कर पंचायत को सुपुर्द हुई परन्तु श्री हेमसिंह वल्द सुलतानसिंह राजपूत चौहटन द्वारा थोड़ी सी जमीन पर एक झूंपा को गोल दीवार बनाई थी जिसको हटाने के लिए तहसीलदार साहब द्वारा दफा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर हटवाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की थी जिस में डिप्टी कलेक्टर जागीर बाड़मेर द्वारा निज सम्पत्ति का फैसला न हो तब तक पेंडिंग रखने के आदेश दिये। सरपंच ने आगे बतलाया है कि श्री हेमसिंह द्वारा उसके पश्चात् खसरा नम्बर 640 में कुन्डी वाला बाड़ा निज सम्पत्ति में लगवाया था फिर बताया कि श्री हेमसिंह द्वारा एक प्रार्थना-पत्र के जरिये उक्त भूमि पर से अपना हाथ उठा लिया जिसकी नकल भी उन्होंने पेश की है।

सरपंच ने आगे बतलाया है कि गैर सायल श्री हेमसिंह द्वारा नाजायज कब्जा बंटवाकर आठ झूपे बना दिये हैं यह भूमि खसरा नं. 640 पंचायत की सम्पत्ति है व आगे बतलाया गया है कि हेमसिंह द्वारा अपना दावा विड्रो करने के कारण भी उक्त भूमि पंचायत की है जिस पर गैर सायल हेमसिंह का नाजायज कब्जा हटाया जाकर पंचायत को सुपुर्द करवावें।

इस प्रार्थना-पत्र पर दफा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गैर सायल श्री हेमसिंह को तलब किया गया दिनांक 16-3-68 को सरपंच श्री भगवानदास व गैर सायल श्री हेमसिंह उपस्थित आये दरख्वास्त की वजूहात पर

भगवानदास सरपंच के बयान कलमबन्द किये गये जो पी. डब्ल्यू-1 है व गैर सायल श्री हेमसिंह ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिये मोहलत चाही है, सरपंच भगवानदास ने अपने बयानों में उनके द्वारा पेश की गई दरख्वास्त दिनांक 20-2-68 को सही होना इकबाल किया व एक्स.पो. 1 मार्क एगजीबिट नकल दरख्वास्त दिनांक 10-5-61 जो इस भूमि पर से हेमसिंह द्वारा अपनी निज सम्पत्ति के मामले में हाथ उठाने बाबत मुकदमा नम्बर 2/60 उप जिलाधीश जागीर में पेश की थी को नकल बतौर सबूत पेश को। उसके पश्चात आगामी पेशियों पर गैर सायल हाजिर नहीं आया दिनांक 6-11-68 को नोटिस श्री हेमसिंह के आबाद मकान पर चला हुआ तामोल शुमार माना जाकर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए व हल्का पटवारी की रिपोर्ट लिए जाने के आदेश दिए गए। फिर दिनांक 3-2-69 को भी एक नोटिस गैर सायल के आबाद मकान पर चला हुआ मगर वह गैर हाजिर होने से एक पक्षीय आदेश दिए गए। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 27-9-69 को पेश की गई जो एक्स. पो. 3 है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में ख. नं. 640 में पंचायत का कब्जा आबादी में होने का माना है व गैर सायल हेमसिंह द्वारा नाजायज बाड़ा बनवाने पर अपने दायित्व से मुक्त होना बताया है व दिनांक 9-2-70 को श्री हेमसिंह गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने बाबत नोटिस दिए जाने के आदेश हुए जिस पर श्री हेमसिंह द्वारा सर्टिफिकेट पेश किया गया दिनांक 20-10-70 को हेमसिंह हाजिर आए मगर उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया दिनांक 25-5-70 को उनके पुत्र रूपसिंह उपस्थित आए जिन्होंने मोहलत चाही दिनांक 3-12-70 को गैर सायल व सायल दोनों में से सायल उपस्थित आए व गैर सायल द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित न होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश दिए गए। इस मामले को निर्णित करने से पूर्व इससे सम्बन्धित पुरानी मिसलें जो मिसल के साथ नत्थी हैं वो भी देखी गई। इन मिसलों में उप जिलाधीश जागीर द्वारा मिसल संख्या 6/58 में ऑर्डर सीट दिनांक 17-2-58 के उक्त भूमि का मौका मुलाहिजा किया गया है इस मौके मुलाहिजा से यह प्रकट है कि उस समय तक इस भूमि पर दक्षिण की ओर एक गोल भूपे की दीवार बनी हुई पाई मगर उस पर भी न कोई छत है व उसके चारों ओर कोई बाड़ वगैरा है चारों ओर खुली पड़त जमीन पड़ी हुई मालूम होती है ऐसा इस आर्डर सीट में लिखा गया है, इस मौका की रिपोर्ट से यह बात प्रकट होती है कि सन् 1958 में गैर सायल का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं था सरपंच सायल भी अपनी दरख्वास्त में इस प्रकार प्रथम कब्जा करना बतलाया है व बाद में यह कब्जा गैर सायलों द्वारा समय पर अतिक्रमण कर बढ़वाया गया है, उपरोक्त विषय व पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल का उक्त कब्जा आबादी खसरा नम्बर 640 में है पर अनाधिकृत है व यह भूमि उनके निजी सम्पत्ति की होने के बारे में भी गैर सायल द्वारा बावजूद कई बार तामील होने के कोई सबूत पेश नहीं किए हैं व सायल द्वारा एक्स. पी. 1 रिपोर्ट जो गैर सायल द्वारा उप-जिलाधीश जागीर बाड़मेर को पेश की

थी में इस भूमि पर से अपने हाथ उठाने की ताईद होती है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त खसरा नम्बर 640 की भूमि आबादी की भूमि पंचायत चौहटन की होना बतलाया है।

अतः गैर सायल का उक्त कब्जा ख. नं. 640 में नाजायज होने से उसे अतिक्रमि घोषित किया जाकर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखल करने के आदेश दिए जाए कि वह अपना कब्जा उक्त भूमि पर से एक सप्ताह में हटवाले।

हस्ताक्षर
तहसीलदार, चौहटन

आज दिनांक 5-7-71 को फैसला सिरे इजलास सुनाया गया।

हस्ताक्षर
अजीतसिंह यादव
तहसीलदार

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं. 570 की सूची)

अधिग्रहण की गई भूमि

नाम जिला		भूमि अधिग्रहण की गई (एकड़)	निम्न दिनांक को
1.	अजमेर	1935	31-7-72
2.	अलवर	137	31-1-73
3.	उदयपुर	2323	31-12-72
4.	कोटा	23	31-1-73
5.	गंगानगर	2135	31-1-73
6.	चित्तौड़गढ़	2375	31-1-73
7.	चूरू	957	31-1-73
8.	जयपुर	5240	30-11-72
9.	जालौर	6368	31-1-73
10.	जैसलमेर	3542	31-1-73
11.	जोधपुर	2848	31-1-73
12.	झालावाड़	893	31-1-73
13.	झुंझुनूं	—	31-1-73
14.	टोंक	1325	31-10-72
15.	डूंगरपुर	459	31-1-73
16.	नागौर	372	31-1-73
17.	पाली	12368	31-1-73
18.	बाड़मेर	30996	31-1-73
19.	बांसवाड़ा	1359	31-1-73
20.	बीकानेर	36689	31-1-73
21.	बून्दी	170	31-8-72
22.	भरतपुर	571	31-1-73
23.	भीलवाड़ा	10000	31-1-73
24.	सवाई माधोपुर	1140	31-1-73
25.	सिरोही	1825	31-1-73
26.	सीकर	—	31-1-73

योग— 1,26,050

परिशिष्ट 10

(अ. ता. प्र. सं. 571 की सूची)

सूची 'क'

चंडीगढ़ में स्टाफ

पद	संख्या
(1) अधीक्षण अभियन्ता एवं वाटर कन्ट्रोलर फार राजस्थान	1
(2) अधिशासी अभियन्ता, रेग्यूलेशन डिवीजन	1
(3) सहायक अभियन्ता (केडर पोस्ट)	
(i) सहायक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता का तकनीकी सहायक	1
(ii) सहायक अभियन्ता, रेग्यूलेशन उप-खंड प्रथम	1
(iii) सहायक अभियन्ता, रेग्यूलेशन उप-खंड द्वितीय	1
(4) तकनीकी स्टाफ	
(i) कनिष्ठ अभियन्ता/ओवरसियर	4
(ii) सीनियर ड्राफट्समैन	1
(iii) जूनियर ड्राफट्समैन	1
(iv) ट्रेसर	1
(v) फैरोमैन	1
(vi) ड्राईवर	1
(5) मिनिस्ट्रीयल स्टाफ	
(i) स्टेनोग्राफर	2
(ii) यू. डी. सी.	1
(iii) एल. डी. सी.	2
(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मय चौकीदार के	7

सूची 'ख'

फिरोजपुर में स्टाफ

पद	संख्या
1. अधिशासी अभियन्ता, फील्ड डिवीजन	1
2. सहायक अभियन्ता	
(i) सहायक अभियन्ता, फील्ड सब-डिवीजन-प्रथम	1
(ii) सहायक अभियन्ता, फील्ड सब-डिवीजन-द्वितीय	1
3. तकनीकी स्टाफ	
(i) कनिष्ठ अभियन्ता/ओवरसीयर	4
(ii) सीनियर ड्राफ्ट्समैन	1
(iii) जूनियर ड्राफ्ट्समैन	1
(iv) ड्राईवर	2
4. मिनिस्ट्रीयल स्टाफ	
(i) स्टेनोग्राफर	1
(ii) यू. डी. सी.	1
(iii) एल. डी. सी.	2
(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मय चौकीदार के	5

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
2	ऊपर से 4	वर्षं	वर्ष
2	नीचे से 6	इर्रीगेशन्ल	इर्रिगेशन
5	नीचे से 5	गफ्वार	गपफार
14	ऊपर से 14	मजूर	मंजूर
15	ऊपर से 9		
16	नीचे से 7	प्रश्नय सख्य	प्रश्न संख्या
16	नीचे से 4	प्रष्न	प्रश्न
28	ऊपर से 2	कगेंगे	करेंगे
34	ऊपर से 17	तसहोल	तहसील
54	नीचे से 2	रख	रखते
59	शीर्ष	अतारांकित	तारांकित
59	ऊपर से 12	भूपूपूर्व	भूतपूर्व
59-62	शीर्ष	अनु. सदस्यों के अतारांकित	अनु. सदस्यों के तारांकित
62	ऊपर से 6	सकड़	सड़क
63	शीर्ष	2 मार्च	2 अप्रेल
66	नीचे से 12	हूं	है
74	नीचे से 3	उन्हों	उन्हीं
76	नीचे से 8	ग्रामों	ग्राम
122	ऊपर से 1	व्यक्तव्य	वक्तव्य
152	नीचे से 13	पूरा	पूरे
153	नीचे से 13	अटेण्डेन्ड	अटेण्ड
256	नीचे से 16	ज्योंहि	ज्योंही
269	ऊपर से 12	में	—
269	नीचे से 9	फेमिजोज	फेमिलीज
275	ऊपर से 12	हजार	—
280	नीचे से 18	माननतीय	माननीय
281	नीचे से 19	को	—
287	ऊपर से 8	रह	—
321	ऊपर से 9	मिट्टी खोदन के बाद	—
324	ऊपर से 3	इसके	इसके लिए
341	नीचे से 12	कल्हना	कल्पना
350	ऊपर से 6	श्री लूणाराम	श्री उपाध्यक्ष